राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ७६ वां दिवस [संख्या ३५

सोमवार, दिनांक १७ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-४ पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वन, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, विकास, आयुर्वेद, खाद्य, जन-स्वास्थ्य, यातायात, पंचायत, समाज कल्याण, कृषि विभाग]

श्री अध्यक्ष- प्रश्न !

श्री रामानन्द अग्रवाल !

रूंध मवारपुर शाहपुरा की जमीन

८३५. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि अलवर तहसील में रूंध मदारपुर (शाहपुर) की ४०० बीघा जमीन वन विभाग से रिलीज करके रेवेन्यू विभाग को गत जनवरी-फरवरी, १९६७ में हस्तान्तरित की गई है ? यदि हां, तो कृपया उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन राज्य सरकार द्वारा सीधे तौर पर चांदोली ग्राम के नामजद ५२ हरिजन परिवारों को एलॉट कर दी गई ? यदि हां, तो यह आदेश किस तारीख को दिए गए ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) उक्त जमीन सीधे तौर पर क्यों एलॉट की गई और तहसील की लैण्ड अलाटमेंट कमेटी द्वारा एलॉट क्यों नहीं कराई गई ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम चांदोली एक अलग ग्राम पंचायत में है जब कि उक्त

Page No. 2

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जमीन शाहपुर ग्राम पंचायत में स्थित है ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम शाहपुर, दिलालपुर और बालाउड़ा के भूमिहीन हरिजनों एवं दूसरी जातियों के भूमिहीन किसानों ने उक्त एलॉटमेंट के विरुद्ध एतराज करते हुए राज्य सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया है जिसमें अपना हक बताते हुए यह भी कहा है कि उक्त चांदोली ग्राम के तथाकथित ५२ परिवारों में अधिकतर बोगस परिवार हैं ?

(५) क्या राज्य सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

वन मन्त्री (राव श्री नारायण सिंह) : (१) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, ये आदेश दिनांक २८-२-६७ को दिये गये थे। आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) यह भूमि इन....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सुनाई नहीं देता है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : (२) जी हाँ, ये आदेश दिनांक २८-२-६७ को दिये गये थे। आदेश की प्रतिलिपि सदन को मेज पर रख दी गई है।

(३) यह भूमि इन व्यक्तियों को एलॉट किये जाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा दी गई थी क्योंकि ये भूमिहीन हरिजन काश्तकार कई वर्षों से भूमि आवंटन के लिये प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु वे अपने प्रयत्न में असफल रहे। इनकी मांग वन विभाग को समाज कल्याण द्वारा प्रस्तुत हुई।

(४) जी हां। ग्राम चांदोली एक अलग से पंचायत क्षेत्र है और उक्त जमीन पंचायत शाहपुर क्षेत्र में है किन्तु अरक्षित वन खण्ड शाहपुर में दोनों ग्राम पंचायत की भूमि सम्मिलित है।

(५) जी हां।

(६) प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर यही निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि चांदोली ग्राम के हरिजन काश्तकारों को ही दी जावे जो कि बालिग हो या जिनके पास भूमि न हो।

(कृपया परिशिष्ट १ और २ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार को मालूम है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १०१ के तहत कोई सरकारी भूमि जो कृषि हेतु आवंटन की जाय, वह केवल उसमें जो रूल्स बने हुए हैं १०१ के तहत, उनके द्वारा की जा सकती है और इसलिए यह जमीन एलॉटमेंट कमेटी द्वारा एलॉट होनी चाहिए थी।

श्री नारायण सिंह मसूदा : यद्यपि यह सत्य है कि एलॉटमेंट कमेटी द्वारा एलॉट की जानी

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

चाहिए थी किन्तु जैसा मैं निवेदन कर चुका हूँ इन लोगों की मांग बहुत दिनों से थी और समाज कल्याण अधिकारी ने इनकी सिफारिश की और उसके बाद यह उचित समझा गया कि उनको दे दी जाय, इसलिए यह फारेस्ट विभाग द्वारा रिलीज की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिलीज करने की बात नहीं है। रिलीज ठीक कर दी गई लेकिन रिलीज करने के बाद में जो एलॉटमेंट किया गया है, उसमें गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए डाइरेक्टली एलॉटमेंट करने का अधिकार नहीं है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसका संबंध राजस्व विभाग से है। मैं समझता हूँ कि इस विषय में राजस्व मन्त्री जी एक वक्तव्य भी दे चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है वह राजस्व मन्त्री का है और उत्तर उन मन्त्री से ही मेरे पास मिला है। उनका ही उत्तर मिला है। यह वन मन्त्री का नहीं है। इसलिए राजस्व मन्त्री को उत्तर देना चाहिए।

श्री नारायण सिंह मसूदा : क्योंकि भूमि रिलीज करने का प्रश्न था इसलिए वन मन्त्री के पास आ गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका तो एक पैरा है, उसमें आक्षेप नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लास्ट प्रश्न है, इसमें एक कॉल अटेन्शन नोटिस पर उत्तर दिया था माननीय राजस्व मन्त्री जी ने, उन्होंने यह स्वीकार किया था कि इसमें जो बोगस फेमिलीज निकलेंगी उनसे जो जमीन बचेगी वह इन गांव वालों को, जिन्होंने शिकायत की है, दे दी जायगी। लेकिन जो लेटेस्ट आर्डर इश्यू किया गया है उसमें ऐसा नहीं किया गया है। जो आश्वासन दिया गया था यहाँ, क्या सरकार द्वारा लेटेस्ट आर्डर जो ६ जून को निकाला गया है, उसके अनुसार यह संशोधन उसमें करेगी कि जो बोगस फेमिलीज हैं और जो आदमी चांदोली गांव के रहने वाले नहीं निकलेंगे उनसे जो जमीन बचेगी, वह शाहपुर, दिलालपुर और बालाडहरा के हरिजनों को दे दी जायगी?

श्री नारायण सिंह मसूदा : जहाँ तक मेरी जानकारी है जो ६-६-६७ को आदेश राजस्व विभाग से हुआ है, उसका आशय यह है कि नाबालिग और ऐसे लोगों को जमीन नहीं दी जाय। ऐसे व्यक्ति होंगे, उनको तहकीकात करके उनको वहाँ से हटा दिया जायगा। अब वह किनको दी जायगी, उसके लिए मैं यहाँ पर आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, १३ जून को सदन में बहस हुई थी, उसमें माननीय मन्त्री जी ने इस बात को कन्सीड किया था कि जो बोगस फेमिलीज निकलेंगी उनसे जो जमीन बचेगी वह उन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गांव वालों को दी जायगी जिन्होंने शिकायत की है और जो चांदोली के रहने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, ओल्ड आॅर्डर को अमेंड नहीं किया गया है, अब तक वह वैसा का वैसा है। क्या गवर्नमेंट यह उचित मानती है कि जो शाहपुर, दिलालपुर और बाला-डहरा के हरिजन हैं, जो बाकी की जमीन चांदोली की जेनुइन फेमिली को दी है, उनके साथ में उनको भी दे दी जाय, जैसा कि आश्वासन भी दिया था ? और क्या इसके अनुसार यह आॅर्डर अमेंड कर दिया जायगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह राजस्व मन्त्री के विभाग का है। वन मन्त्री का जहाँ तक फारेस्ट का ताल्लुक है वहाँ तक है। आप राजस्व मन्त्री से पूछ सकते है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर राजस्व मन्त्री से दिलाया जाय। मेरे पास में जो उत्तर आया है यह राजस्व मन्त्री की ओर से है। मैं समझ रहा था कि राजस्व मंत्री की ओर से वन मंत्री ने उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में तो वन लिखा है। आप वन और राजस्व दोनों लिख देते।

श्री रामानन्द अग्रवाल—राजस्व मंत्री को एड्रेस किया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न वन मन्त्री का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्व मन्त्री का है। प्रश्न सूची में राजस्व मन्त्री का है।

श्री अध्यक्ष : "श्री रामानन्द अग्रवाल—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे...."

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तो राजस्व मंत्री लिखा था।

श्री अध्यक्ष : इसमें भी वन मन्त्री का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एड्रेस, अध्यक्ष महोदय, उन्हीं को किया गया था राजस्व मन्त्री को।

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं? यह बतला दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चाहता हूँ कि एलाॅटमेंट आर्डर जो किया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसमें जो बोगस फेमिली वगैरह निकलेंगी, जो ५२ फेमिलीज को डाइरेक्टली एलाॅटमेंट आर्डर दिया है उसमें जो सरकार ने लैटेस्ट आर्डर दिया है, उसमें माना है कि कुछ नाबालिग हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं, इनमें से जो जमीन बचे तो यह जमीन, जिन्होंने शिकायत की है और जो शाहपुर, दिलालपुर और बाला-डहरा जो उस पंचायत के हैं, उनको जमीन में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : यह समझ गया । इसका उत्तर किस तरह प्राप्त किया जाय यह प्रश्न आपके सम्मुख है ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था. उसका जिस्ट पढ़ कर सुना देता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के लिये वह फेवरेबल है या नहीं, यह आप देख लेना ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह तो माननीय सदस्य देख लें, मैं पढ़ कर सुना देता हूँ ।

आपने बताया कि केवल भूमिहीन हरिजनों को ही यह भूमि दी जायगी, जिनके पास बीगस है, उन्हें वह भूमि नहीं दी जायगी तथा जिन्होंने गलत नाम लिखवाये थे, या नाबालिग के नाम से आवेदन दिया था उनको नहीं दे सकते । आपने बताया कि जिलाधीश को इस बात का आदेश दिया गया है कि उक्त भूमि बचने के बाद भूमिहीनों और खुदकाश्त करने वालों को ही यह भूमि दी जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतना और एड करना है कि यह जमीन बचे ऐसे लोगों से वह जमीन शाहपुर, बालाडेरा के उन गांव वालों को दे दी जाय, यह इसमें और एड होना है ।

श्री अध्यक्ष : यह स्टेटमेंट में और जोड़ दें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह राजस्व मंत्रीजी ने कमिट किया था पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर राजस्व मंत्री जी से निवेदन कर देंगे. आप उनसे बात कर लें, कोई एक्सेप्शन की जरूरत है तो कर दें ।

मैं इससे आगे बढ़ता हूँ ।

प्रश्न संख्या ८३६

श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८३७

श्री भैरोंसिंह !

(यह प्रश्न स्थगित किया गया)

श्री सहदेव !

पुरानी बस्ती जयपुर में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मशीनें

८३८. श्री **सहदेव शर्मा (आमेर)** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या एक ही मकान में एक ही मशीन से चलने वाली आटे की चक्की व कुट्टी काटने की मशीन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक नहीं है ? यदि हां, तो क्या

(श्री सहदेव शर्मा)

राज्य सरकार इस प्रकार दोनों चीजें एक साथ चलने को रोकने के लिये कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सच है कि जयपुर नगर चौ. पुरानी बस्ती रास्ता शिवदासजी में गोपीनाथजी के मन्दिर के पास नोहरा में जो भालाने वालों के नोहरे के नाम से मशहूर है, कुट्टी व चक्की दोनों ही मशीनें थोड़े ही फासले पर चल रही हैं ?

(३) क्या यह सच है कि प्राय: रास्ते वाले इससे उत्पन्न होने वाली असुविधा के बारे में नगरपालिका को शिकायत कर चुके हैं किन्तु नगरपालिका ने अब तक इस पर कोई ध्यान नही दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री : (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां, हानिकारक है। नियमानुसार इस प्रकार दोनों चीजें एक साथ चलने की स्वीकृति नहीं दी जाती है और अनधिकृत रूप से लगाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(२) जी हां, यह सही है।

(३) जी हां, शिकायत होने पर नगर पालिका द्वारा मशीनें बन्द करने हेतु पार्टी को नोटिस दिया गया उसकी अनुपालना न होने की दशा में अदालत में चालान किया जा चुका है जिसमें आगामी सुनवाई की तिथि २९-७-६७ नियत है। इसके अलावा बिजली का कनेक्शन काटने हेतु विद्युत विभाग को भी लिखा जा चुका है।

श्री सहदेव शर्मा : चालान कब पेश किया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : चालान २९-६-६६ को।

श्री सहदेव शर्मा : क्या राज्य सरकार इस न्यूसेंस को हटाने के लिये २४८ म्युनिसिपल एक्ट के माफिक कार्यवाही करने का आश्वासन देगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : देगी। सरकार जरूर म्युनिसिपल एक्ट के मातहत २४८ के अन्तर्गत इस न्यूसेंस को हटाने की कार्यवाही करेगी।

श्री सहदेव शर्मा : कब तक करेगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : शीघ्र ही।

श्री सहदेव शर्मा : यह पावर और इसकी इजाजत दी जाती है, म्युनिसिपैलिटी की बिना आज्ञा के इजाजत दे दी जाती है क्या ? लाइसेंस वगैरह रिन्यू करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी की जानकारी में नहीं आता क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : किसका लाइसेंस ?

श्री सहदेव शर्मा : चक्की वाले का।

श्री नारायणसिंह मसूदा : म्युनिसि-पैलिटी से लिया जाता है।

श्री सहदेव शर्मा : लिया गया है क्या इस केस में ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस केस में शिकायत होने पर ही कार्यवाही हुई है।

श्री कुन्दनलाल बलद्दार (हवामहल जयपुर) सरकार इसे न्यूसेंस मानती है, सरकार यह भी मानती है कि अनअॉथोराइज्ड है। जब यह पब्लिक न्यूसेंस है, जब लाइसेंस देने की सत्ता म्युनिसिपैलिटी में है तो क्या कारण है कि लाइसेंस दिये जा रहे हैं, बगैर लाइसेंस अगर चला रहा है तो उसको बन्द करवाना यह आपके देखने का काम है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : २-..-६६ को इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद नोटिस दिया गया उसने उजदारी की, इसके बाद हैल्थ आफीसर से कमेंट मांगे, २३-६-६९ को फिर इन्स्पेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई, फिर चालान आदि और कोर्ट में देने की कार्यवाही की गई।

श्री सहदेव शर्मा : इस कुट्टी की मशीन के लिये लाइसेंस दिया गया है. यदि दिया गया है तो क्यों दिया गया है? जब सरकार इसे न्यूसेंस समझती है तो फिर लाइसेंस क्यों दिया ?

एक माननीय सदस्य : सरकार खुद ही न्यूसेंस है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : लाइसेंस नहीं है इसलिये प्रोसीक्यूशन लॉज किया है।

श्री सहदेव शर्मा : ऐसे केसेज जयपुर में काफी हैं, इसकी जांच करवाइये, मैं एक और जानकारी चाहता था। विद्युत् विभाग म्युनिसिपैलटी की इजाजत के बगैर कैसे पावर सेंक्शन कर देता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस बात की जांच करली जायगी।

श्री सहदेव शर्मा : म्युनिसिपैलिटी ने विद्युत् विभाग को पावर डिस्कनेक्ट करने के लिये क्यों नहीं लिखा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने कहा कि लिख दिया है।

श्री सहदेव शर्मा : लिख दिया तो डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

ग्राम रिड़का में टांका निर्माण के लिये दी गई धनराशि

८३६. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम रिड़का, पंचायत समिति सांचोर में लगभग सन् १९६०-६१ में पीने के पानी के टांका के

Page No. 8

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लिये १०००) रु० राज्य सरकार से अनुदान दिया गया था ? अगर हां, तो कब एवं किस को दिया गया ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम रिड़का में अभी तक कोई पानी के टांके का निर्माण नहीं किया गया है ? अगर हां तो क्यों नहीं ? सरकारी रकम का क्या किया गया ? क्या सरकार इस बारे में जांच करने का विचार रखती है ? अगर हां तो कब तक ?

(३) अगर उपरोक्त सरकारी रकम का गबन किया गया है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही अमल में लाने का विचार है ? इस बारे में कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ? अब तक इस बारे में कार्यवाही न करने के क्या कारण थे ?

विकास मंत्री (श्री परसराम मदेरना) : (१) सन् १९५८ व सन् १९६० में कुल ९००) रु० विकास मंडल के अध्यक्ष को दिये गये थे ।

(२) जी नहीं । टांके का निर्माण कराया गया था । अतः जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, य यह रकम दी गई है किसी इन्स्टालमेंट के ऊपर दी गई है या एक मुश्त दी गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : २ इन्स्टालमेंट में दी गई है, ५८ में ५०० और इसके बाद में ४००) रु० । इस तरह कुल ९०० रु० दिया गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरा इन्स्टालमेंट दिया गया उससे पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया गया था क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ९०० का दिया गया था तो मानना चाहिये कि उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने पर ही दूसरा इन्स्टालमेंट दिया गया था ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या आपको जानकारी है कि मौके पर टांके जैसी कोई चीज मौजूद है ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी मालूम हुआ है कि वह टांका अभी गिर गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई · यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सिर्फ कागजों में है, वहां पर थोड़ी सी ईंटें डाली थीं जो पानी में चली गईं । वहां टांका नाम की कोई चीज नहीं है, यह रकम का दुरुपयोग किया गया है, इसकी जांच कराई जानी चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे जैसी जानकारी मिली है, वह

(श्री परसराम मदेरणा)

मैंने निवेदन किया, माननीय सदस्य कहते हैं कि टांका नहीं बनाया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गलत दिया गया है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, आपने खुद ने माना है कि टांका अभी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मरम्मत नहीं कराने से सार्वजनिक टांका था कई साल बाद गिरा है।

महाराज श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसने दिया था क्या मौके पर जाकर निरीक्षण किया था ?

श्री परसराम मदेरणा : मौके पर देख कर ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कन्स्ट्रक्शन वर्क में ओवरसीयर देते हैं, काउन्टर साइन बी० डी० ओ० और दूसरे लोग करते हैं। यह वस्तुतः जानकारी मुझे इस समय नहीं है कि किसने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया। अमूमन ओवरसीयर ही कन्स्ट्रक्शन वर्क का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया करते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह हाड़ा : माननीय सदस्य कहते हैं कि ईंटें तक वहां नहीं हैं तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यह नहीं कह रहे हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ईंटें वहां हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह ६००.रुपयों का मामला है-इसमें आप जांच करवाइये....

श्री परसराम मदेरणा : जांच के लिये कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

बौंली से निवाई सड़क निर्माण कार्य

८४०. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील मलारना चौड़ (जिला सवाई माधोपुर) की बौंली से निवाई तक की सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को दी गई ?

(२) इस सड़क का निर्माण कार्य कब चालू हुआ ?

(३) अब तक यह सड़क कितने माइल कहां से कहां तक बन चुकी है ?

(४) यह सड़क कुल कितने मील लम्बी बनेगी ?

(५) शेष सड़क का काम कब और क्यों बन्द हुआ ?

(६) इस सड़क को पूरा करने हेतु राज्य सरकार अब क्या कारगर कदम उठाना उचित समझती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद) : (१) इस सड़क की स्वीकृति २३-३-५७ को दी गई थी।

(२) ५ मील का काम फरवरी १९५८ में शुरू हुग्रा था।

(३) बौंली से निवाई की ग्रोर ५ मील सड़क बन गयी है।

(४) लगभग २३ मील।

(५) कार्य चल रहा है।

(६) काम योजना मुताबिक हो रहा है।

महाराज श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोनी) : टेन्डर्स कितने ठेकेदारों द्वारा दिए गए थे ?

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : ठेकेदारों की मालूमात नहीं की जा सकती लेकिन टेन्डर दिए गए थे ग्रौर कुछ काम डिपार्टमेंट के जरिए भी हो रहा है।

महाराज श्री केशरीसिंह हाड़ा : जब टेन्डर्स की तादाद मालूम नहीं है तो फिर किसको दिया गया है, कैसे मान लें कि टेन्डर...

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ग्रभी ग्रापने प्रश्न (२) में बताया कि इस कार्य को स्वीकृति २३-३-५७ को हुई थी ग्रौर ५ मील का काम फरवरी १९५८ में शुरू हुग्रा था। ग्रौर ५ मील का काम पूरा हुग्रा है। ग्राज राजस्थान में कोई ऐसी सड़क है कि १० साल में केवल ५ मील बनी हो, इतना समय लगा हो, विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : इसका ताल्लुक तो प्रोग्राम से है कि किस तरह कहाँ-कहाँ कितनी सड़क बने।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : शर्त के ग्रनुसार कितनी ग्रवधि में यह सड़क बननी चाहिए थी ?

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : ऐसी शर्तों की जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्नकर्त्ता की मन्शा है कि जान बूझ कर सड़क बनाने में देरी की जा रही है। तो यह सप्लीमेंटरी प्रश्न किया है कि जो ठेका ग्रापने सड़क बनाने के लिए दिया, उस ठेकेदार के द्वारा यह सड़क ग्रधिक से ग्रधिक किस ग्रवधि तक बन जानी चाहिए थी ? मैक्सीमम पीरियड क्या था ?

श्री ग्रमीनुद्दीन ग्रहमद : जितना ठेका ठेकेदार को पहले दिया गया था, उसने ५ मील सड़क पूरी कर दी, दूसरा काम जो तीन मील का था, वह डिपार्टमेंटली हो रहा है। बाकी काम ८ मील का है वह ग्रौर ठेकेदार के पास है, वह पूरा होने वाला है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : २३-३-५७ को राज्य सरकार से स्वीकृत हुग्रा ग्रौर उसके

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

बाद में सड़क का काम सन् १९५८ में आरम्भ हुआ और आप इतना नहीं बतला सके कि १० मील सड़क पूरी क्यों नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करवायेंगे कि कुल २३ मील के टुकड़े में से ९ वर्षों में आपने १३ मील का हिसाब बताया है। ८ मील के लिए कहा गया है कि चल रहा है। केवल ५ मील का काम पूरा हुआ है देरी का क्या कारण है? नदी नहीं पहाड़ नहीं तो २३ मील के लिए ९ साल और वह भी केवल ५ मील का टुकड़ा ही कम्पलीट हुआ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह प्रोग्राम जो था, चौथी योजना के अन्दर पूरा होना था।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : प्रथम पंचवर्षीय योजना में सैंक्शन हुआ है, चौथी योजना में काम नहीं हुआ है। चौथी योजना में तो काम का प्रश्न है नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रथम योजना का काम है और चौथी योजना में समाप्त होना था Is it correct ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यही मालूमात है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्न सोचने लायक है। सन् १९५८ से काम प्रारम्भ हुआ, १० वर्ष हो गए, २३ मील का टुकड़ा है, ५ मील सड़क बने यह तो मेरे खयाल से कोई योजना के अनुसार काम नहीं हो रहा है। यह तो आपकी स्वीट विल के अनुसार काम हो रहा है। अगर योजना होती तो कैसे योजना की हवा तक मुझे सूंघने में नहीं आती। मंत्री महोदय को चाहिए कि ऐसे छोटे मोटे काम को शीघ्रातिशीघ्र तय कर देने का आश्वासन दें। अगर १० वर्ष में नहीं हुआ, तो अब तो कहें कि कम से कम एक वर्ष में बाकी का टुकड़ा कौन बना देगा? तब तो कोई योजना है नहीं तो १० के २० वर्ष हो जायेंगे। २० वर्ष में जब कोई सड़क बनें तो यह क्या आपकी योजनायें हैं?

श्री विजयसिंह (मकराना) : थोड़ा काम चुनाव के समय १९५७ से पहले हुआ, फिर १९६२ से पहले और फिर १९६७ से पहले....

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने अर्ज किया न कि जो काम हो रहा था, हर साल का काम था, उतना उतना हुआ। अब किसी मंत्री महोदय ने अगर वायदा किया हो कि किस योजना में बन जायगी, तब तो दूसरी बात थी, वरना यह तो तमाम राजस्थान का काम है। थोड़ा-थोड़ा हरेक जगह कराने की बहुत से लोगों की पालिसी होती है। अब कहां कहां ध्यान दिया जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि यह १९५७ के चुनाव से पहले एक दो

Page No. 12

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

महीने काम किया गया था, फिर १९६२ में चुनाव के एक दो महीने पहले काम किया और १९६७ के चुनाव मे पहले भी इसी तरह से काम किया गया ? क्या यह बात सच है ? मंत्री महोदय को कम से कम जानकारी इतनी तो होगी कि कब से कब तक वह काम किया, फिर छोड़ दिया, इस बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी करें तब तक में निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ताकि पूरी जानकारी मिल सके।

श्री रामकिशन : (वैर) मन्त्री महोदय ने कहा कि हर साल सब जगह धीरे धीरे काम करवा देंगे तो क्या सरकार का इरादा है कि मंत्री साथ हो और एक ट्रक में मिट्टी लेकर और टार लेकर सारे राजस्थान में घूमा जाय और सड़कें बनाई जायं। क्या यह इरादा है आपका ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरा ऐसा जरूर इरादा है कि हमारे यहाँ जो सदस्य महोदय हैं, सब के डिस्ट्रिक्टवाइज प्रोगाम के साथ फेज्ड प्रोग्राम बनाया जाय और फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार चला जाय ताकि फिर दिक्कत पेश न हो और कोई आदमी कहें कि यह सड़क क्यों नहीं बनी और उनको सही मालूम हो जाय कि कितनी सड़क बनानी है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या आपका कोई इरादा है कि स्वीकृत काम को दुबारा स्वीकृत करके प्रोग्राम बनायेगें ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद ; नहीं, जो काम हो चुका है, वह हो चुका। आइन्दा के लिए मैं कह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : (किशन पोल जयपुर) आपने कहा कि फेज्ड प्रोग्राम बनाया जाय तो उसका इम्पलीमेंटेशन कराया जाय तो यह मानकर चलें कि अभी तक कोई फेज्ड प्रोगाम नहीं बनाया गया था, उसके अनुसार काम नहीं हुआ है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसा जरूरी नहीं है। कोई मामला फेज्ड प्रोग्राम बनाए जाने के बिना हो......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या फेज्ड प्रोगाम कागजों पर ही रहेगा ?

श्री दौलतराम सारण : इस योजना में यूं भी मनमाने तरीके से काम होता है।

श्री अध्यक्ष : डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है।

महाराज श्री केशरी सिंह हाड़ा : मन्त्री जी बड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह : सड़कें कितनी लम्बी हैं, उनको नापा जाय। सभी मंत्रियों

(श्री भैरोंसिंह)

को वहां लगाया जाय तो भी नहीं नापी जा सके।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जितनी मील लम्बी सड़क बनाई जाय, १८२ सदस्य हैं मन्त्री महोदय को उनमें बांटनी चाहिए, जो हरेक हिस्से में आए एक साल में उतनी ही बनाई जाय।

श्री अध्यक्ष : नॉट रिलेवन्ट।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह गलत दिया है। यह सड़क इन्टरनैशनल रोड है, दूसरे प्रान्तों से मिलती है जो २० वर्षों में जाकर पूरी होगी, प्रथम योजना में पूरी होने वाली थी, उसके बाद मन्त्री महोदय को पता नहीं, कहते हैं कि चौथी योजना की सड़क है। इस बारे में पूरी जानकारी करवायें कि इतनी देरी क्यों हुई किसकी सुस्ती से हुई। प्रथम योजना में पूरी होनी चाहिए थी। वास्तविकता यह है कि हर साल चुनाव से पहले दो ढाई महीने पहले एक दो मील काम किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, मन्त्री महोदय कृपया......

श्री हरिवल्लभ शर्मा, यह आश्वासन चाहूंगा कि इस सड़क को कब तक पूरा करा देगें ?

श्री अध्यक्ष ; आर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय सारी बातें सुनकर माननीय सदस्य को संतुष्ट करें।

(विराम)

प्रश्न संख्या ८४१

श्री गंगासहाय

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८४२

श्री मोहनलाल मोदी

(अनुपस्थित— कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मण तानिवाली

भवानी मंडी-डग सड़क पर पुलों का निर्माण

८४३. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग-सु.): सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) डग निर्वाचन क्षेत्र में भवानी मन्डी से डग तक जाने वाली सड़क पर कितने पुल और बनाये जाने वाले हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस संबंध में

Page No. 14

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

कोई सर्वे करवाया है ? अगर हां तो कुल कितना तखमीना है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (१) १ पुल तथा ३९ कल्वर्ट।

(२) केवल पचपहाड़ नदी के पुल का सर्वे हो रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने जो उत्तर दिए हैं उनको कृपया दुबारा पढ़ें।

श्री अध्यक्ष : वापस पढ़े जायं, सुनाई नहीं दिया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद ; (१) १ पुल तथा ३९ कल्वर्ट....

श्री भैरोंसिंह : सुनाई नहीं देता।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : क्या सुनाई नहीं देता ?

(२) केवल पचपहाड़ नदी के पुल का सर्वे हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आगे का क्या हो रहा है बाकी का ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आगे का तखमीना बनेगा, प्रोग्राम बनेगा।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस सड़क को क्या सरकार ने एक रेट घोषित कर रखी है कि वहां पर गाड़ी नहीं रुकनी चाहिये और पुलिया के अभाव में गाड़ी रुकती है। इस प्रकार क्यों है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी जानकारी नहीं है, मालूम कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : इस सड़क पर आपके पैर डगमगाते हैं ?

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या ८४४

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क।

ग्राम पंचायत खामीयाद में अन्नाज के वितरण की व्यवस्था

८४५. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खामीयाद, तहसील लाडनूं में चीनी वितरण के लिए एक ग्राम सेवा सहकारी समिति को रिटेलर नियुक्त किया हुआ है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

यदि हाँ, तो सड़क पर कार्य करने वाले मजदूरों के लिए जो अनाज दिया गया था, वह व्यक्तिगत रिटेलर को क्यों दे दिया गया जब कि सहकारी समिति इस अनाज को लेने के लिए तैयार थी और जमानत की राशि नकद तहसील में जमा करवा दी दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने खाद्यान्न वितरण के लिए सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने की नीति निर्धारित की थी ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हाँ। यह सही है कि ग्राम पंचायत खामियाद के लिये चीनी वितरण हेतु एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है। सड़क पर कार्य करने वाले मजदूरों के लिये खाद्यान्न वितरण का कार्य व्यक्तिगत रिटेलर को अवश्य दिया था किन्तु कारण यह है कि मजदूरों ने लिखित में उप-क्षेत्रीय अधिकारी डीडवाना को निवेदन किया था कि उक्त चीनी विक्रेता समिति ग्राम खामियाद से ६ मील दूर है, जहाँ पर खाद्यान्न लेने के लिए जाना मजदूरों के लिये कष्टदायक है अतः मजदूरों की सुविधा को नजर में रखते हुए ग्राम पंचायत की सिफारिश पर खाद्यान्न व्यक्तिगत रिटेलर को दिया गया।

(२) जी हाँ।

श्री हरजीराम बुरड़क : व्यक्तिगत जिसको दिया है वह ग्राम पंचायत सहकारी समिति के हैड क्वार्टर जहाँ है, वहाँ का ही है। इससे क्या नजदीक हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : वह जगह वहाँ से ६ मील दूर थी सेवा सहकारी समिति की जगह से। इसलिये मजदूर यह चाहते थे कि जहाँ काम चल रहा है वहाँ देना चाहिये इसलिये उसको दिया गया। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जावे वह भी आगे बढ़ता जावे।

श्री हरजीराम बुरड़क : सहकारी समिति भी इसी तरह देने को तैयार थी।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने कहा मजदूरों ने कहा था प्राइवेट रिटेलर को देना चाहिये और उससे उनको सुविधा होगी। वह जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ लाकर दे देगा। इसलिए मजदूरों के द्वारा लिखित रूप में देने पर एस० डी० ओ० ने यह किया।

श्री हरजीराम बुरड़क : सोसाइटी ने भी यहाँ ले जाकर देने से इन्कार थोड़े ही किया था कि मौके पर नहीं देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : सोसायटी के इन्कार का सवाल नहीं है, मजदूरों की सुविधा का सवाल है।

Page No. 16

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या ८४६

श्री मदनसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

(विराम)

प्रश्न संख्या ८४७

श्री कालूराम

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जय नारायण सालोदिया ।

निवाई रेगर चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०

८४८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या निवाई रेगर चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की जमीन चमड़ा गोदाम का केस ११।८।५० से चल रहा है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस केस को तहसील निवाई ने नगरपालिका निवाई के पास दिनांक १०.१०.५० को भेजा था जिसको बोर्ड ने तहसील को वापिस कर दिया क्योंकि इसमें उज्रदारी हो गई थी ? यदि हाँ तो अब उस केस में कहाँ क्या हो रहा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : (१) जी नहीं। नगरपालिका निवाई में यह केस ५.७.५६ को ही प्रथम बार प्राप्त हुआ था।

(२) जी नहीं। वर्ष १९५० में नगरपालिका को भूमि विक्रय के कोई अधिकार ही नहीं थे। रेगर चर्म उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा सन् ६२ में ही चर्म उद्योग शाला दूसरे स्थान पर बना लिये जाने की दशा में तथा सहकारी समिति से पूछे जाने पर कोई उत्तर न दिये जाने के कारण बोर्ड ने मामले को समाप्त कर दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सहकारी समिति को कब कब कौन तारीख को पूछा गया इस मामले मे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : पहले एप्लाई किया था ५६ में और उसके बाद एग्जीक्यूटिव आफीसर की रिपोर्ट ४.१.६२ को आई जिसमें यह बताया गया कि उद्योगशाला ने अन्यत्र कन्स्ट्रक्शन कर लिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मामला है चर्म गोदाम का। जो मकान बनाया वह चर्म शाला के लिये बनाया।

(विराम)

यह मामला है चर्म गोदाम का। नगरपालिका में ५० से पेन्डिंग है यह मामला।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ५० में नगरपालिका को अधिकार नहीं था। राजस्व से सम्बन्धित था। ५६ से उनके ध्यान में लाया गया है।

Page No. 17

श्री जयनारायण सालोदिया : तहसील निवाई ने उनको पट्टा दे दिया इस जमीन का। ६०×४०० गज जमीन का पट्टा दे दिया। यह मसला म्युनिसिपैल्टिटी में इजाजत के लिये गया। तब से म्युनिसिपैलिटी ने बाद में रेजोल्यूशन पास किया कि यह जमीन चार आना प्रति गज के भाव से इसको दे दी जावे और वे कागजात एप्रूवल के लिये मय फाइल के गवर्नमेंट के पास पांच साल से पड़े हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं निवेदन करूं कि सोसायटी ने ५.७.५६ को एप्लाई किया था और उसके अन्दर उनको पजेसन के लिये उन्होंने-एक सोसायटी द्वारा १५.५.५३ को तहसीलदार का जो फरमा रहे हैं जिसके अनुसार वह अपना पजेसन मानते थे पर सबूत मांगा गया कि कलेक्टर की भी सेंक्शन हुई या नहीं तो माकूल जवाब नहीं आया। इसके बाद १८.२.५८ को लिखा गया। इनका स्पष्ट जवाब नहीं आया। बाद में ५८-५९ में म्युनिसिपैलिटी द्वारा कनफर्म होकर आया। पर इस दरमियान दूसरी जगह पर उन्होंने मकान बना लिया। आप का फिर जवाब नहीं आया और दूसरी जगह पर बना लिया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने अर्ज किया। आपने मिसल को देखा नहीं और समझा भी नहीं। यह गोदाम का मामला है। चर्म शाला का नहीं है। गोदाम का मामला पेन्डिग में है दस साल से। म्युनिसिपैलिटी ने, तहसीलदार ने इजाजत दे दी कलेक्टर ने एप्रूव कर दिया। म्यूनिसिपैलिटी ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया कि चार आना गज में दे दी जावे क्योंकि यह शिड्यूल कास्ट का है और अब वह एप्रूवल के लिये सरकार के पास गई है मिसल क्योंकि नगर पालिका के अधिकार में नहीं है सीधे देना।

श्री नारायणसिंह मसूदा : गोदाम का है तो देख लूंगा। जाँच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : गोदाम का मामला है। गवर्नमेंट के एप्रूवल के लिये पडा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके बारे में जांच करवा लूंगा। जो मेरे पास सूचना आई है वह मैंने दे दी।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने केस पढ़ा नहीं, समझा नहीं। मेरे पास पूरे फेक्ट्स हैं। इसकी मिसल गवर्नमेंट की एप्रूवल के लिये पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : समझ गये। एप्रूवल के लिये गवर्नमेंट के पास पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : ढ़िलाई बहुत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! "यह एप्रूवल के लिये पड़ा है कई सालों से। मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि जो फैसला दें, शीघ्र दें। इतने अरसे से पड़ा है यह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बिल्कुल सिम्पल मामला है। यह गोदाम से सम्बन्धित केस है। धर्म शाला से सम्बन्धित नहीं है और बिलकुल रूटीन फोर्मल वे में संक्शन के लिए सरकार के पास आया हुआ है। यह भी रैड टेपिज्म की पराकाष्ठा है। ६,६ साल तक फोर्मल संक्शन के लिये मैटर पड़े रहें यह बड़े दुख की बात है। मन्त्री महोदय को विचार करके इसको डिस्पोज ऑफ शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरी जानकारी और मदद लेना चाहें तो मैं तैयार हूँ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं मदद लेने को तैयार हूँ।

नगर परिषद जोधपुर में गबन के मामले

८५० **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा जोधपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नगरपालिका जोधपुर में सन् १९६२ से अब तक गबन के कितने मामले पकड़े गये तथा गबन की गई कुल कितनी धनराशि थी ?

(२) क्या यह सही है कि सारे गबन के मामलों को बिना नियमानुसार कार्यवाही किये ही निपटा दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि गबन करने वाले समस्त कर्मचारी आज भी उन्हीं पदों पर नगरपालिका जोधपुर में कार्य कर रहे हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) कुल दस मामले पकड़े गये व रुपये ६,११५.९४ पैसे की कुल धन राशि गबन की गई।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। जिस स्थान पर उन्होंने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जोहरी बाजार, जयपुर) गबन किया उस स्थान से उनका स्थानान्तरण किया जा चुका है।

श्री नारायणसिं मसूदा : मैं इसको पूरा पढ़ तो दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो आप पढ़ने वाले हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उन्होंने गबन किया उस स्थान से उनका स्थानान्तरण किया जा चुका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : (निवाई सु.) यही तो वह कह रहे थे।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या मंत्री महोदय उनका नाम बतायेंगे कि कितना कितना उन्होंने गबन किया ? तीसरा आपने कहा........

Page No. 19

श्री अध्यक्ष : नाम और कितना गबन किया प्रत्येक आदमी ने ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : लिस्ट तो मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन लोगों ने गबन किया उनके स्थानान्तरण के अलावा और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कलेक्टर के मार्फत और जांच करवाई जावेगी और जो उचित होगा किया जावेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : गबन के मामले तो फौरन पुलिस को देने चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि कलेक्टर महोदय से जांच करवाई जायगी । किस बात की जांच करवायी जावेगी ? कि उन्होंने गबन किया या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गबन किया या नहीं या क्या अनियमिततायें की हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गबन किया या नहीं किया इसकी जांच करायी जायगी तो सरकार कैसे कहती है बिना जांच के ही कि गबन किया है ?

श्री अध्यक्ष : Alleged to have Committed.

श्री नारायणसिंह मसूदा : एडमिनिस्ट्रेटर और कौंसिल से जो रिपोर्ट आयी उसमें ६,११५.९४ पैसे कुल धनराशि गबन की गई है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो पुलिस में जाना चाहिये था ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इतना ही, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि सरकार की यह व्यवस्था है यह सुनकर भी दुःख होता है। गबन होता है तो यह बिल्कुल साफ बात है कि फौजदारी मामला है। इस प्रकार के स्थानान्तरण और तबादले होना यह सरकार का करेक्टरेस्टिक है। सरकार का कर्मचारी फौजदारी जैसा रंगीन जुर्म करता है तो सुपुर्द अदालत करना चाहिये। इसकी जगह ट्रान्सफर करके मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कलेक्टर से जांच करायी जावेगी यह न्याय व्यवस्था की अवहेलना की पराकाष्ठा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स न की जाय तब तक स्थानान्तरण करना आवश्यक है जिससे पूरी तरह जांच हो सके। वहां रहते हैं तो केस प्रिजुडिस होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो रक मारे रावण कांपे। एक दो को एक्जम्पलरी पनिशमेन्ट दें तो एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करेंगे वरना ट्रान्सफर करके यह कह रहे हैं The matters are going from bad to worse everyday.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार के उत्तर से यह माना जाय कि किस व्यक्ति ने गबन किया प्राइमाफेसी नहीं है ?

Page No. 20

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस समय मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है वह बता चुका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती है कि जिन लोगों ने गबन किया है उनको सस्पेन्ड किया जाय ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आवश्यक समझती है कि प्रारम्भ की पूरी कार्यवाही की जाय। गबन किया है तो फौजदारी मामला है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यह तो कोमन सेंस की बात है। आखिर कार तरीका होता है। गवर्न करते हैं तो गबन किया है तो सस्पेन्ड कीजिये। पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, कानून थे। कार्यवाही करते थे। सस्पेन्ड नहीं करना, विचाराधीन, विचाराधीन के पुलन्दे हो गये, अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन समस्याओं को लेकर।

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन से साल के गबन के केसेज हैं ? Which year ? During which year offences of embazzlements have been committed ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सन् १९६२ के।

श्री अध्यक्ष : अब किस स्टेज में है ? इसकी इन्क्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन ? इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में है या इन्क्वायरी की स्टेज में है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : स्थानान्तरण हुआ है यह मेरे पास सूचना है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं स्थानान्तरण हुआ है। यह समस्या विचाराधीन है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : कब हुआ ?

श्री अध्यक्ष : Well, this is not material.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६२ में गबन हुए। इस केस में ६२ के बाद स्थानान्तरण के अलावा और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इन्वेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : पुलिस में हो रहा है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या यह सही है कि गबन के किसी भी एक केस को पुलिस को रेफर नहीं किया गया ?

(विराम)

क्या यह सही है कि जितने भी गबन के मामले ६२ से अब तक जोधपुर की नगरपालिका में पाये गये उनमें से किसी भी एक केस को पुलिस को नहीं दिया गया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह अलग बात है गबन के मामले में अफसर कन्सर्न्ड

Page No. 21

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

को कितनी जिम्मेदारी है। इसको असेस करना पड़ेगा कि सुपरवाइजरी रोल किसका था दूसरे रोल कोई डाइरेक्टली इन्वोल्व्ड है .

श्री अध्यक्ष : यह कॉग्नीजेबल तो है न ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार इस समय यह कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल : किस प्रकार जवाब दिया कि कलेक्टर के द्वारा इन्क्वायरी की जाय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : इसकी इन्क्वायरी की जायगी, पनिशमेन्ट दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

प्रश्न संख्या ८५१

श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अम्बालाल,

श्री भगवानदास शास्त्री।

अजमेर में वार्ड नं० ३६ के नागरिकों को जल वितरण

८५२ डा. श्री **अम्बालाल** (अजमेर पूर्व)
श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि अजमेर में वार्ड नं० ३६ में जलसंग्रह के लिये एक पहाड़ी पर टैंक बना हुआ है, जो प्रतिदिन आस पास के सरकारी क्वार्टरों को जल देता है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त टैंक के जल से नं० ३६ वार्ड के नागरिक परिवार सर्वथा वंचित रहते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जल देना स्वीकार कर लिया था, बशर्ते कि अजमेर म्युनिसिपैलिटी जल वितरण प्रबन्ध के व्यय का भार उठाना स्वीकार करे ?

(४) क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी ने उक्त व्यय भार को उठाने की स्वीकृति दे दी है ?

(५) क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी की स्वीकृति के बावजूद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर पानी नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(६) इस सम्बन्ध में सरकार शीघ्रति

Page No. 22

(श्री भगवानदास शास्त्री)

शीघ्र क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलें ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : जल संग्रह के लिये एक पहाड़ी पर टैंक बना हुआ है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जरा मंत्री महोदय जोर से बोलें ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : (१) जी हां ।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा जोर से ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : (२) जी हां । क्योंकि यह टंकी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की कोलोनी १ व २ के लिये १९६०-६१ में बनायी गयी थी ।

(३) जी, सही नहीं है ।

(४) जी नहीं ।

(५-६) पैरा नं० ३ व ४ के प्रकाश में यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता । वार्ड नं० ३६ में पानी कुओं से प्राप्त किया जाता है । उन कुओं की सफाई मरम्मत आदि का कार्य नगरपालिका द्वारा होता आ रहा है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि अजमेर की पानी की समस्या तो सब को ही विदित है । इतनी समस्या कठिन होते हुए भी मई और जून में उस टैंक से पानी नहीं दे सकते थे ? डेली कितना पानी गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स को सप्लाई होता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नं० ३६ में ?

श्री भगवानदास शास्त्री : कितना होता है डेली पानी सप्लाई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : कम से कम वहां की बस्ती हजार के सिवाय अधिक नहीं हो सकती । इस आपत्ति काल के समय में भी आप उनको पानी नहीं दे सकते ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कुओं से प्राप्त कर रहे है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : वार्ड नं० ३६ सड़क पर पड़ता है । वहां की जनता पानी के लिये त्राहि त्राहि करती रहे और गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स में पानी का टंक बना हुआ है वहां उनको पानी लेने का क्या कोई हक नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स तक ही पानी की सप्लाई के लिये टंकी बनी हुई है । उनको तो केवल कुओं से पानी दिया जा रहा है । नल लगाने का सारा प्रश्न आपको स्वयम् को परिचय है

Page No. 23

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

बनास योजना से संलग्न होना है इसीलिये दिक्कतें आती हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बात ऐसी है कि अफसरों के गमलों को पानी दिया जा सकता है लेकिन जनता प्यासी रहे और गमलों की वेल्यू ज्यादा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जनता प्यासी रहे ऐसी बात नहीं है। कुओं से पानी लेती है। अफसर जनता के लिये काम करने के लिये ही तो बैठे हैं आसमान से तो उतरे नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कर्मचारियों के बंगलों के अलावा वार्ड नं० ३६ को और दिया जाता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : गमलों को पानी दिया जाता है ६० परसेन्ट और ४० परसेन्ट अफसर लोगों के यूज के लिये दिया जाता है तो क्या जनता उन गमलों से कम है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह प्रश्न अलग से है इस विषय में माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देंगे तो उसके अनुसार कार्यवाही करने की कोशिश की जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जल संकट है अजमेर में और खास कर वार्ड नं० ३६ में। अब कर्मचारियों को जो पानी....

श्री नारायणसिंह मसूदा नेता महोदय, जल संकट ३६ नम्बर वार्ड में ही नहीं है सारे अजमेर में है, आप इसका करेक्शन कर लें नहीं तो हमारी बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ; इस प्रश्न के अन्दर ही मैं अपनी बात कह रहा हूं उसके बाहर नहीं निकलता हूं। तो मन्त्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करता हूं कि आखिरकार कर्मचारियों को पानी देने की व्यवस्था की, इससे मेरी पूर्ण सहानुभूति है, होना चाहिए यह, अवश्य होना चाहिए लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में आपने कर्मचारियों से यह भी पूछा होगा कि आखिर वार्ड नं० ३६ को अपने कोटा के अन्दर से पानी बचा कर यहां सप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आप जो कुछ व्यवस्था करते हैं पानी की उसमें कुछ कमी करें। आपसे अभी यहां पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे गये कि अफसरों के गमलों में पानी दिया जाता है। आपके अफसरों के गमले तो नहीं सूख सकते इसलिए जनता को स्पेयर पानी निकाल कर सप्लाई नहीं कर सकते। यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लेम है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह तो जानकारी करनी चाहिए थी कि कर्मचारियों के लिए आपने जो पानी दिया है उसमें से थोड़ा पानी स्पेयर निकाल कर जनता के लिए आप नहीं दे सकते ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि अधिकारियों को भी शिकायत है कि गमलों को पानी नहीं मिलता है और इससे वे सूख गये हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि गमलों को पानी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, प्रश्न यह है कि क्या इतना अधिक पानी है कि कुछ स्पेयर निकाल कर वार्ड नम्बर ३६ को दिया जा सकता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा ; इस समय कोई पानी स्पेयर नहीं है। अगर स्पेयर होगा तो अवश्य ही इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाएगा वार्ड नं० ३६ के लिए।

श्री भगवानदास शास्त्री ; यही बात पहले ही कह देते तो इतनी बात ही क्यों होती।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८५३

श्री हंसराज आर्य।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री बिरदीचन्द जैन।

बाड़मेर जिले में ट्यूब वैल्स का निर्माण

८५४. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) बाड़मेर जिले में किन किन स्थानों पर ट्यूब वैल्स का निर्माण हुआ है ?

(२) उक्त (पाताल तोड़) कुओं की पानी की क्या क्षमता है ?

(३) उनमें से कितने कुओं को किस प्रकार प्रयोग में लाकर लोगों को क्या लाभ पहुँचाया जा रहा है ?

(४) अन्य कुओं को प्रयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा है ?

(५) राजस्थान सरकार उक्त जिले में कितने कुओं के निर्माण का कार्य इस वर्ष हाथ में ले रही है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) बाड़मेर जिले में १२ स्थानों पर ट्यूबवैल्स का निर्माण हुआ है। स्थानों की सूची परिशिष्ट (क) में दी गई है।

(२) विभिन्न ट्यूब वैल्स की पानी देने की क्षमता परिशिष्ट (क) में दिखाई गई है।

(३) १२ में से ८ कुओं को जल प्रदाय योजनाओं के स्रोतों के रूप में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है।

(४) पम्पिंग सेट्स की प्राप्ति न होने के कारण ४ कुओं को अभी चालू नहीं किया जा सका है।

(५) इस समय तो बाड़मेर जिले में

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

कहीं भी नल कूप खोदने का कार्य नहीं किया जा रहा है किन्तु वर्ष भर में कितने नल कूप जिले में खोदे जायेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने स्थानों पर नल कूप खोदने के लिए विभाग के पास प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उनमें से कितने स्थान पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी यह बताने की कृपा करें कि ८ कुओं की नामावली बतायें जिन्हें उपयोग में लाया जाता है।

८ कुओं के नाम बतावें, कौन से ८ कुंए हैं जिन्हें पेय जल के लिए उपयोग में लाया जाता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आठ कुओं के नाम बता देता हूँ। वे हैं :

बोथिया—१
बोथिया—२
बोथिया—३
भाड़का—१
नीमला
महावर
उन्डू
बिश्रार।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो यह नोमला ट्यूबवैल का पानी शिवगांव गोगुन्दा तक पहुँचाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसका किस प्रकार उपयोग हो सकता है यह मैं पढ़कर सुना देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : पूरा मत पढ़िये, संक्षेप में बता दीजिए वैसे ही, पढ़ कर नहीं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : बोथिया १,२,३ और भाड़का १ के नल कूपों का जल बाड़मेर शहर बोथियाग्राम भाड़का ग्राम और कपूर ही ग्राम को पेय जल उपलब्ध कराने के काम में लिया जाता है। नीमला वाले नल कूप को इस समय नीमला में पेय जल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। निकट भविष्य में ही यह नल कूप श्योगंगा रीजनल वाटर सप्लाई के लिए जल स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा जिससे अगोरिया नीमासर और श्योगंगा के ग्राम लाभान्वित होंगे। महावर वाले नल कूप को महावर ग्राम में पेय जल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्डू और बिश्रार वाले कूओं को इस समय अकालग्रस्त क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने के उपयोग में लाया जा रहा है। वाटर वर्क्स विभाग के पास धनराशि उपलब्ध होने पर इन दो नल कूपों का उपयोग पास के खारी इलाके में पानी सप्लाई करने के लिए किया जाएगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय,

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना........

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री बिरधीचन्द जैन : बाड़मेर जिले में इस वर्ष नल कूप खोदने के लिए क्या प्रावधान रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि बोथिया के एक कुंए के अलावा सब कुंए बन्द हैं ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कुंए खोदे गये हैं वे एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ओर्गेनाईजेशन के द्वारा खोदे गये हैं या अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के द्वारा खोले गये हैं ? एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ओर्गेनाईजेशन तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है, तो कुंए किसने खोदे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह भी अलग से प्रश्न है। खोदे गये हैं जरूर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सिवाय बोथिया के नम्बर १ या २ जो आपने बताया है उसके अलावा अधिकांश ट्यूबवैल्स मशीन खराब होने के कारण बन्द पड़े हुए हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मशीन की खराबी से कुंए बन्द हैं लेकिन उसके लिए पम्पिंग सेट नए आने पर काम चालू हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहते हैं कि ८ कुंए चालू हैं तो क्या आठों का उपयोग हो रहा है ?

(विराम)

क्या यह सही है कि सिवाय बोथिया के कोई मशीन चालू नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि १२ में से आठ चालू हैं, चार चालू नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आप फिर पूछ लें कि आठ कुओं के अन्दर से मशीन खराब होने के कारण सिवाय बोथिया के सब कुए बन्द पड़े हुए हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपका मतलब है कि आठों ही बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष : आठ में से एक को छोड़ कर बाकी सात बन्द हैं। ये प्रश्न आने के बाद बन्द हुए होंगे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर जानकारी नहीं है तो यहां पर जानकारी किस प्रकार दे रहे हैं कि आठ कुए चालू हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आठ कुंए चालू हैं यह जानकारी मुझे मिली है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप फिर पूछ लें, आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा मैं फिर जानकारी कर लूंगा। मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार आठ कुए चालू हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी तक की जानकारी के अनुसार आप सूचना दे रहे हैं तो क्या आप उस पर स्टेंड करते हैं इस पोइन्ट पर कि आपकी जानकारी सही है और आठ कुए चालू हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं इसकी फिर जानकारी करूंगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार आठ कुंए चालू हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं भी अभी तक की जानकारी के अनुसार कह रहा हूं कि आठ कुंए चालू नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों को देखकर फिर जानकारी कर लें, मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस तरह से गलत सूचना दी जायेगी तो कैसे होगा! मेरी निश्चित जानकारी है कि सिवाय एक कुए के सब कुए बन्द हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार आठ कुंए चालू हैं। अब यदि कोई रात को ही बन्द हो गया हो तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं उसकी फिर से जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

अकलेरा-कोटा मार्ग पर चलने वाली बसें

८५५. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) (श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा की ओर से) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अकलेरा से कोटा एवं कोटा से अकलेरा मार्ग पर रोडवेज की कितनी बसेज नियमित चलती हैं एवं उनका टाइम टेबिल क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बसेज अपने निर्धारित समय पर नहीं चलती हैं और यात्रियों को घंटों इनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

(३) क्या उक्त बसेज के ड्राईवर कोटा से चलने वाली अन्तिम गाड़ी को पाटन ही रोक देते हैं और आगे अकलेरा तक नहीं ले जाते ?

(४) क्या यह भी सही है कि रास्ते में जहां जब गाड़ी में कुछ भी खराबी बताकर ड्राइवर रोक देते हैं और किसी मदिरालय में मदिरा पीने बैठ जाते हैं ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि पिछले मार्च में कोटा से अकलेरा चलने वाली एक बस आर० एस० एल० १७७३ जो कि

(श्री जुझारसिंह)

लाइन पर चल रही थी बीच में एक बरात को लेकर बकानी चली गई और उसकी कोई राशि डिपो पर जमा नहीं हुई ?

(६) क्या उक्त ड्राइवर व कन्डेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (१) अकलेरा से कोटा व कोटा से अकलेरा ३–३ बसें चलती हैं। इनके अलावा कोटा से भोपाल वाली एक बस भी अकलेरा होकर जाती है। इस मार्ग का टाइम टेबिल निम्न प्रकार है :—कोटा से इकलेरा-(१) ५–३० भोपाल वाया इकलेरा (२) १०-३० इकलेरा (३) २-०० बजे शाम इकलेरा (४) ५-३० बजे शाम इकलेरा। इकलेरा से कोटा प्रस्थान (१) ६-३० कोटा, (२) ६—०० कोटा (३) ३-५० कोटा (४) ४-५० भोपाल से कोटा।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) कोटा डिपो में आर० एस० एल० १७७३ नं० की बस कोटा आगार में नहीं थी और न है। पिछले मार्च माह में इस नम्बर की कोई बस कोटा इकलेरा मार्ग पर नहीं चलती थी। रेकार्ड पर ऐसी कोई घटना नहीं है जब इस मार्ग पर चलने वाली कोई बस बीच में ही बरात को लेकर बकानी चली गई हो। अलबत्ता जानकारी पर पता चला कि पिछले मार्च माह में बस नं० आर. एस. एल. १७८० जो कि कोटा–इकलेरा मार्ग पर चल रही थी बीच में से एक बरात लेकर बकानी चली गई। इसकी जानकारी होने पर उस समय के आगार प्रबन्धक कोटा ने उस बस के चालक व परिचालक को जो कि दैनिक वेतन पर नियुक्त थे निकाल दिया। इस बरात की कोई राशि जमा होना नहीं पाया जाता है इस सम्बन्ध में आगे जांच कारवाई की जा रही है।

(६) ड्राईवर व कण्डक्टर दोनों को जो कि दैनिक वेतन पर नियुक्त थे, नौकरी से हटा दिया गया है।

श्री जुझारसिंह : इन्होंने धनराशि प्राप्त की होगी बरात को ले जाने की उसको वसूल करने का क्या प्रबन्ध किया गया ? कितने आदमियों का पैसा दिया गया ? उनको निकाल देने पैसे की वसूली कैसे करोगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसके लिए मैंने कहा कि यह एन्क्वायरी करवा रहे हैं कि जिम्मेदारी किस की है जिन्होंने ड्राइवर और कन्डक्टर को निकाला और आगे क्या कार्यवाही की जा सकती है वह पैसा वसूल करने की ?

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि इसकी जानकारी जो वहाँ के डीपो मैनेजर और रेस्पान्सिबल ऑफिसर थे उनको भी थी कि बरात जा रही है ?

श्री अमीनुद्दीन : इस पर ही तो एन्क्वा-

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

यरी हो रही है कि कौन जिम्मेदार था जिसको कि पता नहीं चला कि बरात ले जाई जा रही है और पैसा जमा नहीं हुआ है।

श्री जुझारसिंह : जब आपने ड्राइवर और कन्डक्टर को दोषी मानकर अलग कर दिया तो इसका अर्थ यह है कि दूसरे ऑफिसर्स को रेस्पान्सिबल नहीं मानते हैं, क्योंकि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उससे इत्मिनान नहीं हुआ तभी यह एन्क्वायरी करवा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कुछ प्रश्न रह गये थे उनको लिया जाता है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न लेने के पश्चात्।

श्री श्रवणलाल : यह जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : कितना समय बाकी बचता है उसके हिसाब से दूसरे प्रश्न लेंगे।

श्री श्रवणलाल : बाद में नहीं लेंगे। सांडों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्।

श्री किशनलाल शाह, प्रश्न संख्या ७१२।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

स्थगित प्रश्न

नावां में विश्राम गृह का निर्माण

७१२. **श्री किशनलाल शाह** (नावां) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २३–३–५९ को श्री बृजमोहन धूत नावां को नावां में एक विश्राम गृह के निर्माण हेतु १०००) रु० की धनराशि प्रदान की गई ?

(२) क्या उक्त विश्राम गृह के निर्माण कार्य का कम्प्लीशन सर्टीफिकेट प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी ने इसको प्रमाणित किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) उक्त विश्राम गृह नावां में किस जगह स्थित है ? उसकी छत दीवार आदि किस की बनी हुई है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त विश्राम गृह नाम का कोई विश्राम गृह नावां में नहीं बना है और इस हेतु दी गई धनराशि का पूर्णतः गबन हुआ है और फर्जी बिल वाउचर पेश किये गये हैं ?

(५) क्या इस विषय में गांव के लोगों ने राज्य सरकार को शिकायतें कीं ? यदि हां, तो कब-कब कीं और उन पर आज तक

Page No. 30

(श्री किशनलाल शाह)

क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ?

(६) यदि कोई जांच हुई है तो किस अधिकारी ने की और उसका क्या परिणाम निकला ? क्या इस विषय में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भी कोई जांच की ? सभी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां। तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है।

(३) गांधी पार्क नावां में स्थित है। दीवार चूने पत्थर की बनी हुई है। ऊपर आर० सी० सी० का काम है।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास शिकायत पेश हुई थी, जो जाँच हेतु जिलाधीश को भेजी गई है।

(६) जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री किशनलाल शाह : यह ठेका किस को दिया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : श्री बृजमोहन लाल धूत जो बाल विकास मंडल के अध्यक्ष थे और नगरपालिका के चेयरमैन थे उनको यह रकम दी गई थी।

श्री किशनलाल शाह : विश्राम गृह बनाने का ठेका व धन किस को दिया था ? आपने रकम किस को दी थी उसका जवाब दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ठेका किस को दिया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : ठेके के बारे में प्रश्न किसी भाग में नहीं पूछा था। आपने पूछा है कि युटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। उसका कम्प्लीट युटिलाइजेशन का सार्टीफिकेट तहसीलदार ने दिया है और यह लिखा है कि पूरी रकम का सदुपयोग हुआ है।

श्री किशनलाल शाह : यह रकम किस किस प्रकार से खर्च हुई है यह भी आपको पता है ?

श्री परसराम मदेरणा : सामान एवं अन्य आर्सनिक वस्तुएँ १९७४.२९ पै० मजदूरी पर खर्च हुआ १२८० रु० और कुल मिलाकर ३२५४—२९ रु० का खर्चा हुआ जिसमें जो सरकार की रकम थी वह १००० रु० की थी और २२५४.२९ पै० पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन से हुए थे।

श्री किशनलाल शाह : नल कहां से कहां तक बिछाया गया है और कितने फुट लम्बा है ?

श्री परसराम मदेरणा : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : नल कहां से कहां तक बिछाया गया है और कितने फुट लम्बा है ?

श्री परसराम मदेरणा : नल बिछाने का सवाल नहीं है। विश्रामगृह के बनाने का सवाल था, और जैसा कि मैंने निवेदन किया विश्रामगृह में एक नीचे का कमरा बनाकर उसके ऊपर खम्बा लगाकर सीमेंट की छत लगाई गई है।

श्री किशनलाल शाह : क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार विभाग को किसी आदमी के द्वारा विश्राम गृह बनाने की बात कही थी कि इसकी जांच की जाय। उसने कहा कि विश्राम गृह नहीं बनाया गया है और आज भी वह विश्राम गृह नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : विश्राम गृह नहीं बना है एन्टी करप्शन विभाग के आई० जी० पी० को इसकी शिकायत श्री वेंकटलाल शर्मा, जनसंघ के मंत्री ने की थी २४-४-६६ को। उसको एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने कलेक्टर के पास २१-५-६६ को वहां पर कार्यवाही के लिए भेजी है। कलेक्टर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

श्री किशनलाल शाह : यह मामला आपके सामने कब से विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष : एन्टी करप्शन के यहां चल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर की रिपोर्ट मांगी है एन्टी करप्शन विभाग ने।

श्री किशनलाल शाह : कलेक्टर ने एतराज किया है कि कोई विश्राम गृह वहां पर बना हुआ नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है या नहीं कि वहां पर कोई विश्राम गृह भी है या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : श्री वेंकटलाल ने जो शिकायत की थी वह आई० जी० पी० एन्टी करप्शन को की थी डाइरेक्टली, और आई० जी० पी० एन्टी करप्शन ने २१-५-६६ को जिलाधीश, नागौर को लिखा है और उनको समुचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है और उनसे रिपोर्ट मांगी है। अभी तक कलेक्टर ने रिपोर्ट एन्टी करप्शन के पास नहीं भेजी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन यह नहीं है। आपने कहा कि विश्राम गृह है तो क्या सरकार ने इस प्रकार की शिकायत होने के बाद इस सम्बन्ध में जांच की है कि कोई विश्राम गृह है या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास कोई शिकायती पत्र डाइरेक्ट प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रश्न जो आया है उस प्रश्न के उत्तर में यह सूचित किया गया है कि कलेक्टर को जानकारी की गई थी तो कलेक्टर ने जानकारी दे दी और कलेक्टर ने यह बात कही है कि विश्राम गृह है। इसलिए राज्य सरकार को यह मानने के लिए कि विश्राम गृह नहीं है कोई कारण नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब राज्य सरकार को यह पता चला कि इस सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भ्रष्टाचार निरोध विभाग जांच करा रही है उस स्थिति में विश्राम गृह बना या नहीं? बना, यह विवादास्पद है और इसके सम्बन्ध में प्रश्न आ गया तो इसकी जांच करना उचित नहीं है उत्तर देने से पहले कि आया विश्राम गृह नाम की कोई वस्तु है या कोई मकान है भी कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर से जानकारी की तो उन्होंने बतलाया कि विश्राम गृह है तो सरकार कतई यह मानने को तैयार नहीं है कि विश्राम गृह नहीं है....

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री परसराम मदेरणा : एन्टी करप्शन के पास में शिकायत के होने का मतलब यह नहीं है कि शिकायत सही है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह (मकराना) : वह विश्राम गृह नहीं विश्राम ग्रह है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! ८५६ ।

पंचायत समिति जोबनेर के सांड और भैंसे की मृत्यु सम्बन्धी जांच

८५६. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, जोबनेर के विकास अधिकारी द्वारा वर्ष १९६५ में एक सांड व एक भैंसा श्री हनुमानप्रसाद वैद्य, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत किशनगढ़-रेनवाल को ट्रेनिंग के लिए दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि इन जानवरों का उपयोग फसल पैदावार में किया गया ? यदि नहीं, तो अन्य कौन से कार्य में लिये गये ?

(३) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सांड व भैंसा समय समय पर चारा व पानी नहीं मिलने के कारण भूख से मर गये ? यदि हाँ, तो कब मरे और यदि नहीं मरे हैं तो वे कहाँ पर हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि इस मामले की जांच के लिए पंचायत समिति में एक कमेटी बनी थी और उसने अभी तक कोई जाँच नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा):

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) बैल १९६६ में बीमारी से । भैंसा नीलाम कर दिया गया ।

(४) जी हां ।

श्री श्रवणलाल : क्या सरपंच महोदय ने वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था कि सांड को इस प्रकार ट्रेनिंग दें ।

श्री परसराम मदेरणा : सरपंच ने ट्रेनिंग नहीं खोल रखा था । यह मवेशी

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्सेमिनेशन सेन्टर, सांभर में था सांड और भैंसा जो कि सर्विस नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की पंचायत समिति के सामने तो पंचायत समिति और विशेषज्ञ जो वहाँ पर इन्सेमीनेशन सेन्टर के थे उन लोगों ने कहा कि अगर सर्विस नहीं कर रहे हैं तो सांड और भैंसे को सरपंच कार्य के लिए ले जाना चाहें तो ले जाने दो तीन महीने के लिए। तो तीन महीने के बाद बैल तो मर गया और भैंसा वापिस हो गया। सेन्टर ने भैंसे को, दूसरे सांड नीलाम किये हैं उनके साथ नीलाम कर दिया।

श्री श्रवणलाल : इस तरह से जो यह सांड और भैंसा दिया गया तो दुबारा सर्विस करने के पहले ही वे मर गये ?

श्री परसराम मदेरणा : सर्विस उन्होंने बाद में की या नहीं उनके पास सूचना नहीं है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है वह बिल्कुल गलत है वहां पर जो सांड व भैंसा ले जाया गया उनसे कम से कम ४ साल तक कार्य लिया और आज तक काम लिया और बाद में इस प्रकार से यह कह के कि बीमारी के कारण मर गया है। अगर मर गया है तो कौन सी तारीख को मर गया, और आपने जानकारी की है तो वहां पर जानकारी में था या नहीं था ?

श्री परसराम मदेरणा : आप चार साल, दस साल कह दें। जैसा मैंने कहा कि सांड ३ महीने बाद मर गया वह ठीक है। किस बीमारी के कारण मरा यह मालूम नहीं है। ३ महीने के तुरन्त बाद भैंसा प्रजनन केन्द्र के पास भेज दिया गया। इसलिए चार साल तक भैंसा व सांड इन हनुमान प्रसाद के पास रहा यह सत्य नहीं है।

श्री श्रवणलाल : एक कमेटी इस प्रकार की बनी हुई थी जिसके अन्दर तय करना था कि वह भैंसा जिस कार्य के लिये दिया गया है उसको किस कार्य में लगाया है और वापिस पंचायत समिति में जमा कराया या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति इस बात से सैटिसफाइड हो गई थी कि सांड मर गया है, लेकिन मृत्यु के क्या कारण हैं उसको जानने के लिए एक कमेटी बनी थी। उसमें एक अध्यक्ष और चार दूसरे मेम्बर थे। उनकी रिपोर्ट पंचायत समिति को नहीं दी गई है, हालांकि कई रिमाइन्डर्स दिये गये।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

क्रय विक्रय सहकारी समिति, कुशलगढ़

८३९. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्रय-विक्रय सहकारी समिति, कुशलगढ़ (तहसील कुशलगढ़) की कौन-कौन सी सहकारी समितियां शेयर होल्डर्स हैं तथा अन्य सदस्य कौन-कौन हैं ? प्रत्येक के

(श्री हीराभाई)

कितने-कितने शेयर्स कितने–कितने रुपये के हैं ?

(२) क्या सरकार के भी शेयर्स हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) कुल हिस्सा पूंजी कितनी है तथा अन्य पूंजी कितनी ? इस समिति ने कितना कर्जा ले रखा है ? सम्पूर्ण रकम किसके मार्फत किस बैंक में जमा है ?

(४) क्या यह सही है कि इस समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों ने बैंक से रकम उठाकर उसकी खयानत की है ? यदि हां, तो किस-किस ने कितनी कितनी रकम की किस किस तारीख को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त समितियों के ग्राम सदस्यों की बैठक तारीख २४ व २५ अप्रेल, १९६७ को हुई थी जिसमें सहायक रजिस्ट्रार, बांसवाड़ा भी उपस्थित थे और उनके समक्ष उक्त रकम का गबन साबित होगया ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

(६) सहायक रजिस्ट्रार ने इस गबन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? क्या सम्बन्धित तमाम रेकार्ड कब्जे में कर लिया गया है ?

(७) क्या यह सही है कि गबन करने वालों का सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा बचाव किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो गबन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों ?

उत्तर

(१) क्रय विक्रय सहकारी समिति, कुशलगढ़ (तहसील कुशलगढ़) की जो सहकारी समितियां शेयर होल्डर्स हैं तथा अन्य जो सदस्य हैं एवं जितने २ शेयर्स जितनी २ रकम के हैं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) कुशलगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति की कुल हिस्सा पूंजी १८,६५०) रु० है अन्य पूंजी १०,८९५) ५३ पैसे है। इस समिति ने ९३७५) रु० का ऋण ले रखा है। यह सम्पूर्ण रकम भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हरेन्द्रसिंह एवं संचालक श्री वरसिंह के मार्फत स्टेट बैंक आफ बीकानेर व जयपुर, कुशलगढ़ ब्रान्च के करेन्ट अकाउन्ट में जमा हुए थे।

(४) जी नहीं।

(५) यह सही है कि कुशलगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति की साधारण सभा की बैठक दिनाँक २५-४-६७ को हुई थी जिसमें सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, बाँसवाड़ा ने भाग लिया था और उनके समक्ष रोकड़ पोते की कमी की रकम १२८२५-९५ पैसे की स्थिति पर विचार हुआ था।

(श्री सहकारी मंत्री)

(६) सहायक रजिस्ट्रार ने रोकड़ पाते की रकम की कमी के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की है। सम्बन्धित रेकार्ड कब्जे में नहीं लिया गया है।

(७) यह सही नहीं है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा गबन करने वालों का बचाव किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

होमियोपैथिक चिकित्सा को मान्यता

८४१. श्री **गंगासहाय** (कठूमर सु.): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिये जाने संबंधी विधेयक विधान सभा में कब तक प्रस्तुत किये जाने का विचार है?

उत्तर

होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी बिल मन्त्री-मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है किन्तु इस पद्धति के चिकित्सकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर बिल की कुछ धाराओं में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह संशोधन मन्त्री-मण्डल द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् भारत सरकार को संशोधन बिल पर अनुमति देने हेतु भेजा जावेगा। तत्पश्चात् बिल को विधि विभाग में जांच करने के लिए भेजा जावेगा जांच पूर्ण होने के पश्चात बिल विधान सभा में प्रस्तुत हो सकेगा। इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। कोशिश यही की जावेगी कि सम्बन्धित बिल विधान सभा में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जा सके।

सीकर में अनाज की बिक्री की बकाया

८४२. श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(१) क्या यह सही है कि सीकर में एक सेल्समैन के जिम्मे नाज की बिक्री का सरकार का ३७,०००) रु० बाकी है?

(२) क्या यह सही है कि सरकार के इस रुपये से इस सेल्समैन ने बसें खरीदी हैं, जो अब भी चल रही हैं?

(३) क्या यह सही है कि सरकार को यह ३७,०००) रु० उक्त सेल्समैन से वसूल होने की कोई आशा नहीं है?

(४) किस अधिकारी की गलती से या लापरवाही से यह रुपया बाकी रहा और अब उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(१) यह सही है।

(श्री मोहनलाल मोदी)

(२) यह निश्चित से नहीं कहा जा सकता कि इस रुपये से सेल्समैन ने बसें खरीदी हैं।

(३) यह सही नहीं है। वसूली की कार्यवाही जारी है।

(४) इस सम्बन्ध में जाँच की जा रही है जांच के पूरा हो जाने के बाद ही किसी अधिकारी की लापरवाही या गल्ती मालूम हो सकेगी।

नगरपालिका पाली द्वारा पटरी का विक्रय पत्र

८४८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(१) श्री पुखराज सुनार, मोहल्ला बागर में स्वायत्त शासन विभाग के हुक्म होने पर कि सम्पूर्ण पटरी हटादी जावे फिर भी नगरपालिका पाली ने फिर करीब २५।।। मुकसरे गज का विक्रय पत्र उसी श्री पुखराज सुनार को दे दिया? यदि हाँ, तो कब? और किस कीमत पर?

(२) क्या नगरपालिका पाली को इस प्रकार का विक्रय-पत्र देना कानूनन एवं इन्साफन उचित था? और नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठायेगी?

(३) भूतपूर्व नगरपालिका, पाली के बोर्ड ने श्री पुखराज को सम्पूर्ण पटरी हटाने के लिए क्या सिफारिश की थी और राज्य सरकार ने क्या उस सिफारिश को माना था और क्या मानकर सम्पूर्ण पटरी तीन फुट चौड़ी हटाने का निर्णय दिया था?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक २२-२-६७ को रु० ५) प्रति वर्ग गज की दर से।

(२) यह मामला अदालत मुन्सिफ, पाली में (Sub-judice) विचाराधीन है।

(३) भूतपूर्व नगरपालिका, पाली के बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण पटरी को हटाने की सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार ने तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् सम्पूर्ण पटरी को हटाने का आदेश दिया था।

जल प्रदाय योजना, ग्राम मारवाड़ मूंडवा

८४६. **श्री मदन सिंह** (दांता रामगढ़)- क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नागौर जिले के ग्राम मारवाड़ मूण्डवा के लिए जल प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है, और ग्राम पंचायत ने अपने हिस्से की रकम भी जमा करादी है?

(२) यह योजना कब तक कार्यान्वित करदी जायगी?

उत्तर

(१) जी नहीं योजना मंजूर नहीं हुई है। योजना बनाई जा रही है। योजना के बनाने पर आगे कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत ने दिनांक १-१०-६६ को अपने हिस्से की रकम (१५०००) रु० जमा करादी है।

(२) उपयुक्त पानी के साधन मिलने पर निर्णय लिया जा सकेगा प्रयास जारी है।

बसों में बैठने की व्यवस्था

८४७, श्री **फालूराम** (सिवाना)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिवाना में बस स्टेंड पर बहुत अधिक सवारियाँ होने से उन्हें बस की छतों पर बिठाया जाता है ?

(२) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करके कोई समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेल्ट एरिया क्षेत्र में अनाज की व्यवस्था

८४९. **श्री सूरज मल** (सूरजगढ़-सु.)—क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला झुंझुनूं की सूरजगढ़ और भुवाना पंचायत समिति क्षेत्र में बेल्ट एरिया घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने ग्राम इस एरिया में आते हैं और कब से यह बेल्ट एरिया घोषित किया गया है, तथा वहां पर राज्य सरकार की ओर से अनाज भिजवाने की क्या समुचित व्यवस्था की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि सितम्बर, १९६६ से आज तक सूरजगढ़ और उसके आस पास का एरिया बेल्ट एरिया घोषित रहा है ? यदि हां, तो सितम्बर, ६६ से अप्रेल १९६७ तक राज्य सरकार की ओर से अनाज के कोटे की क्या व्यवस्था की गई थी ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

(३) सूरजगढ़-भुवाना क्षेत्रों में मई, १९६६ में किस प्रकार के अनाज का कोटा दिया गया ? और क्या यह सत्य नहीं है कि जो कोटा दिया गया वह इन्सान के खाने योग्य नहीं है तथा उसमें एक चौथाई हिस्से की मिट्टी है ?

उत्तर

(१) जी हां। १२३ ग्राम इस बेल्ट एरिया में ५-१-६५ को घोषित किये गये हैं। बेल्ट एरिया घोषित हो जाने के कारण अनाज के भिजवाने की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(खाद्य मंत्री)

(२) जी हां। सितम्बर, ६६ से अक्टूबर, ६६ तक सस्ता गल्ला दिया गया है। बाद में राज्य सरकार के आदेशानुसार बन्द कर दिया गया था। दिसम्बर, ६६ से पुनः अनाज का वितरण केवल अभावग्रस्त ग्रामों में किया जा रहा है।

(३) सूरजगढ़ व बुहाना पंचायत समिति क्षेत्रों को ५ किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया गया। यह सही नहीं है क्योंकि उक्त विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

नदबई से डीग पक्की बाई-पास सड़क

८५१. **श्री नत्थीलाल** (नदबई-सु.)— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नदबई से डीग जो बाई पास रोड जाती है उस पर कई सालों पहले से कच्ची मिट्टी डल चुकी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों के खेत भी खराब हो चुके हैं ?

(३) क्या सरकार का उस रोड को पक्की बनाने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि पक्की बनाने का विचार है तो कब तक कार्य हो सकेगा ?

उत्तर

(१, २ व ३) नदबई से डीग जो डाईरेक्ट बाई पास रोड जाती है यह विभाग को मेन्टीनेन्स (maintenancc) लिस्ट पर नहीं है। अतः प्रश्न हो नहीं उठता।

भादरा मारकेटिंग सहकारी समिति के रेकार्ड की जांच

८५३. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा)— क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भादरा मार्केटिंग सहकारी समिति के रेकार्ड को पुलिस इसलिये उठाकर ले गई कि वह तस्कर व्योपार करती थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस मार्केटिंग सहकारी समिति के रेकार्ड से चावल का तस्कर व्यापार होना पाया गया है ?

(३) यदि हां, तो यह चावल कहां से आता था और किस किस अन्न का यह समिति व्यापार करती थी और कुल कितने मरण अन्न का व्यापार किया गया तथा यह पैसा व्यापार का कहां से आया था ?

(४) पुलिस की जाँच से इस समिति के रेकार्ड से क्या पाया गया और किस विभाग के अधिकारी ने इसकी जांच की है ?

(५) क्या विभागीय जांच भी की गई है ?

(श्री हंसराज आर्य)

(६) अब इस समिति का मामला किस स्तर पर है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) पुलिस विभाग द्वारा समिति के रेकार्ड की कोई जांच नहीं की गई है । सहकारी विभाग के निरीक्षक द्वारा जांच की गई है ।

(५) जी हां ।

(६) जांच पूरी हो चुकी है और उससे तस्कर व्यापार करना सिद्ध नहीं हुआ ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चिड़ावा-सूरजगढ़ सड़क का निर्माण

५६१. श्री सूरजमल (सूरजगढ़-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या अकाल सहायता मद से कोई चिड़ावा से सूरजगढ़ जाने वाली सीधी सड़क बनाई गई है ?

(२) यदि हां, तो कितनी मील सड़क पर मिट्टी डाली गई तथा कितनी मील पत्थर जोड़े गये हैं तथा कितनी मील में बिना जोड़े पत्थर पड़े हैं ?

(३) चिड़ावा से सूरजगढ़ इस सड़क के रास्ते से कितनी मील पड़ता है ?

(४) क्या राज्य सरकार बाकी बची हुई सड़क पर पत्थर जड़वायेगी ?

(५) क्या सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इस सड़क का सम्पूर्ण कार्य करवाने तथा तार कोल डलवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) चार मील पर मिट्टी डाली गई उनमें से लगभग डेढ़ मील में पत्थर जुड़ गये हैं, व ढाई मील में पत्थर पड़े हैं ।

(३) लगभग साढ़े सात मील पड़ता है ।

(४) इस सड़क का कार्य सहायता कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था यदि उस विभाग से धन राशि उपलब्ध होगी तो पत्थर जुड़वाए जावेंगे ।

(५) अभी यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

सिरोही में नए बस स्टेण्ड का निर्माण

५६२. श्री गामा (आबू-सु) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि पर्यटन में अधिक वृद्धि होने से सिरोही का पुराना बस स्टेन्ड सर्वथा अनुपयुक्त है ?

(श्री गामा)

(२) क्या नवीन बस स्टेन्ड के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो जनता की दैनिक असुविधाओं का निवारण करने हेतु नवीन बस स्टेन्ड का कार्य क्या राज्य सरकार इस वर्ष प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। नवीन बस-स्टैंड के निर्माण हेतु सिरोही खास में नाथूजी वाला अरठ की १५ बीघा ६ विस्वा भूमि अवाप्त की जा चुकी है व इसका कब्जा निगम ने ११-४-६७ को ले लिया है। इस वित्तीय वर्ष में प्रावधान न होने के कारण इस वर्ष इस भूमि के चार दीवारी खिचवाने का ही कार्य हो सकेगा। इस कारण से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना इस वर्ष नहीं है।

डिग्गी मालपुरा आदि स्थानों को जाने वाली बसों के लिए नवीन बस स्टेण्ड

५६३. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

क्या यह सही है कि सांगानेर दरवाजे के पास जयपुर से मालपुरा, डिग्गी, केकड़ी, ब्यावर, टोडारायसिंह, देवली, सांगानेर, चाकसू, जाने वाली बसों पर यात्रियों की भीड़ के कारण वहां पर यातायात को बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिये कहीं दूसरी जगह बस स्टेण्ड स्थापित करने के आदेश देने का विचार रखती है ?

उत्तर

यह सही नहीं है। क्योंकि सांगानेर दरवाजे के पास इन गाड़ियों का बस स्टेण्ट नहीं है। जयपुर से मालपुरा, डिग्गी, केकड़ी, ब्यावर, टोडारायसिंह, देवली जाने वाली बसों का स्टेण्ड पोलोविक्ट्री सिनेमा के निकट है। जयपुर सांगानेर की बसों का स्टेण्ड भी अजमेरी गेट हॉस्पीटल रोड पर है। और चाकसू को रोडवेज की बसें जाती हैं, जो स्टेशन रोड स्थित अपने डिपो से रवाना होती हैं।

साँगानेर जाने वाली बसों का स्टेण्ड स्थापित करने का प्रश्न एस० टी० ए० (राज्य परिवहन प्राधिकारी)। के विचाराधीन है।

राजस्थान स्टेट रोडवेज के कोटा डिपो के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

५ ४. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही हैं कि राजस्थान स्टेट रोडवेज के कोटा डिपो के कर्मचारियों ने १९ जनवरी, १९६६ को पूर्ण हड़ताल की थी ?

(२) यदि हां, तो इस हड़ताल में

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

कितने कर्मचारी कितने दिनों तक काम पर नहीं आये ?

(३) इस हड़ताल के फलस्वरूप कितने कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया था ? तथा उनमें से कितनों को वापिस रख लिया गया और कितनों को अभी तक नहीं रखा गया है ?

(४) सस्पेण्ड किये गये कर्मचारियों को सस्पेन्शन के दौरान कितनों को किस हिसाब से वेतन दिया गया ?

(५) इस हड़ताल के फलस्वरूप आम जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने यातायात के लिये प्राइवेट बसों का प्रबन्ध किया था ?

(६) हड़ताल के कारण क्या थे ? और इसके लिये कौन जिम्मेवार थे ?

(७) इस हड़ताल के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता .

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान स्टेट रोडवेज के डिपो पर मुसाफिरों द्वारा भूला हुआ सामान

५६५. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज के जयपुर डिपो पर क्या सवारियों द्वारा बस में भूला हुआ माल उनके कण्डक्टरों द्वारा जमा कराया गया है ?

(२) यदि हां, तो माल किसके द्वारा और कब जमा कराया गया था ?

(३) यह माल क्या है और किस कीमत का है ?

(४) जमाशुदा माल कितना, किस किस माल-मालिक को लौटा दिया गया है ? और कितना अभी मालखाने में जमा है ?

(५) क्या श्री रिछपाल शर्मा ने भी कभी कोई खोया हुआ माल जमा कराया था ?

(६) क्या श्री भैरुसिंह ड्राइवर कोटा डिपो ने भी एक सोने की चेन जो बस के

Page No. 42

(श्री केशरीसिंह)

अन्दर मिली थीं, मालखाने में जमा कराई थी ?

(७) क्या इस प्रकार के इमानदार कर्मचारियों को रोडवेज द्वारा कोई इनाम दिया गया है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

रेल्वे स्टेशन गोगामेडी पर नोहर भादरा सड़क के रेल्वे क्रासिंग पर फाटक का

अभाव

५६६. श्री **रामचन्द्र आर्य-** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रेल्वे स्टेशन गोगामेड़ी पर नोहर भादरा सड़क के रेल्वे क्रोसिंग पर रेल्वे फाटक नहीं है और क्रोसिंग के स्थल से रेल्वे ने ४ फर्लांग दूर अपना फाटक बनाया है ? और जहाँ पर फाटक बनाया है वहाँ से मुख्य सड़क तक रास्ता बहुत खराब है ?

(२) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार फाटक को मुख्य सड़क पर बनवाने की व्यवस्था करेगी या जहां फाटक है वहां से मुख्य सड़क तक कच्चे रास्ते पर सड़क बनायेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक करवाया जायेगा

उत्तर

(१) जी हां।

(२) रेल्वे विभाग से नवीन फाटक बनाये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

राजस्थान रोडवेज में नियोजित पूंजी एवं लाभ

५६७. **श्री जयनारायण खालोदिया** (निवाई), क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान स्टेट रोडवेज में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और अब तक हर साल कितना मुनाफा हुआ है ? हर साल की मुनाफे की तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज (हाल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम) में १९५९-६० से १९६६-६७ तक ११७६.४३ लाख की धनराशि खर्च की जा चुकी है। हर साल की मुनाफे । नुकसान की तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

मुकनगढ़-सालासर सड़क वाया लच्छमनगढ़ का निर्माण

५६८. श्री **नथमल चोहला-** (लक्ष्मण-

(श्री नथमल चौहला)

गढ़-मु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मुकनगढ़-सालासर सड़क वाया लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर का कार्य कब चालू हुआ था तथा बन्द कब किया गया तथा अब इस पर क्या कार्य हो रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कार्य बन्द होने के बाद बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उक्त सड़क में जगह जगह पर खड्डे पड़ गये हैं ?

(३) क्या सरकार इस सडक का कार्य चालू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) लक्ष्मणगढ़ से मुकंदगढ़ रोड का कार्य ६-१२-६४ से आरंभ होकर मई ६७ से बन्द है । लक्ष्मणगढ़ सालेसर रोड का अकाल राहत कार्य २५ अक्टूबर ६५ से आरंभ होकर १८ अगस्त ६६ को बन्द हुआ है ।

(२) कच्ची सड़क पर गड्डे हो गये हैं ।

(३) अर्थाभाव के कारण कार्य कराया जाना संभव नहीं है ।

फतेहपुर वाया उदयपुर रूट प बस चलाने हेतु परमिट

५६६. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के पास फतेहपुर-खण्डेला रूट वाया उदयपुर के लिए बस चलाने के परमिट हेतु कोई अर्जी आई ?

(२) क्या सरकार खण्डेला और उदयपुर वाटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए रूट पर बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) इस रूट के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जो तारीख ९-३ ६७ को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं :—

(१) श्री मदनलाल पीपलवा ।

(२) श्री मन्नालाल ढण्ड ।

ये प्रार्थना-पत्र आर० टी० ए० की अगली मीटिंग में पेश किये जायेंगे । मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है ।

(२) उक्त प्रार्थना-पत्रों पर आर० टी० ए० का निर्णय होने पर इस रूट पर बस चलाने की कार्यवाही की जायेगी ।

डोडीयाना-थांवला (वाया टेला) सड़क का निर्माण

५७०. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता क्षेत्र में डोडीयाना से थांवला के लिये वाया टेला ३ मील तक सड़क का निर्माण किया गया था तथा इस फेमिन रोड में सरकार के करीब ७० हजार रुपये खर्च हो चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ अर्से से इस सड़क का निर्माण रोक दिया गया है और जो ३ मील का निर्माण सरकार ने ७० हजार रुपये लगाकर करवाया है वह भी खराब हो रहा है ? तथा अगर कुछ दिन ध्यान नहीं दिया गया तो अब तक बनी सड़क नष्ट हो जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि मेड़ता से पुष्कर, जो सड़क से, ४२½ मील पड़ता है इस सड़क के निर्माण हो जाने से ३५ मील ही पड़ेगा ?

(४) सरकार ने इसका निर्माण क्यों रोक दिया है ?

उत्तर

(१) जी हाँ। २ मील का निर्माण कराया गया है।

(२) यह अकाल राहत रोड है और मरम्मत का उत्तरदायित्व इस विभाग का नहीं है।

(३) जी हाँ।

(४) अकाल राहत कार्य से धनराशि प्राप्त न होने के कारण काम रोक दिया गया है।

बीकानेर-अहमदाबाद (वाया जोधपुर) सड़क को राष्ट्रीय मार्ग किए जाने की घोषणा

५७१. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बीकानेर से अहमदाबाद जाने वाली सड़क जो वाया जोधपुर जाती है, राष्ट्रीय मार्ग (नेशनल हाई वे) है ?

(२) अगर नहीं, तो क्या सरकार इसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित करना चाहती है ?

(३) अगर हाँ, तो यह कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार का विषय है।

देसूरी-सांडेराव सड़क पर जल निकास कार्य

५७२. श्री **पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६६–६७ के बजट में देसूरी से सांडेराव जाने वाली सड़क पर जल निकास कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ?

(२) उक्त स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि का किस किस स्थान पर कितना २ उपयोग किया गया ?

(३) अगर पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया तो क्या कारण है ?

(४) क्या उक्त कार्य चनाव से पूर्व चालू किये गये थे और चुनाव घोषणा के तुरन्त बाद बन्द कर दिये ?

उत्तर

(१) १६०००) रु० स्वीकृत किये गये थे।

(२) बाली ग्राम के निकट मील २२ पर पेन्टेड काजवे बनाने का काम लिया गया है।

(३) धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है।

(४) प्रश्न २ में वर्णित काजवे का काम चुनाव से पूर्व ही समाप्त हो चुका था।

रेवदर-मंडार सड़क के मध्य करोली नदी पर पुलिया का निर्माण

५७३. **श्री मोतीलाल** (रेवदर–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या रेवदर से मंडार जाने वाली डामर सड़क के मध्य में करोली नदी पर पुलिया के निर्माण हेतु इस वर्ष के बजट में कोई प्रावधान रखा गया है ?

(२) क्या इस पुलिया का काम इसी वर्ष सम्पन्न करने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

नव निर्मित रामपुरा-पाली सड़क की टूट फूट

५७४. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिरोही जिला स्थित रामपुरा से पालड़ी (पीपलकी) तक फरवरी, १९६७ के महीने में सड़क का निर्माण किया गया ? क्या वह सड़क टूट चुकी है ? अगर हाँ, तो कारण क्या है ?

उत्तर

सड़क नहीं टूटी है।

रतनगढ़ नगर में भारतीय ढाणी जाने के मार्ग पर रेल्वे पुल का निर्माण

५७५. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित रतनगढ़ नगर में शहर से भारतीय ढाणी जाने के लिये रेल्वे लाइन पार करनी पड़ती है उस जगह पर इतनी ऊंची है कि बैलगाड़ी व मोटर जाने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस जगह पुल का निर्माण करने की योजना रखती है ?

उत्तर

जी हां ।

पुल निर्माण की योजना नहीं है ।

रतनगढ़ नगर में निर्मित सड़कों की मरम्मत

५७६. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़)– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ नगर में जो सड़कें बनी हुई हैं वे बहुत ज्यादा खराब हैं ? अगर हां, तो उनकी मरम्मत क्यों नहीं होती ?

(२) क्या यह सही है कि सड़क की गलत लेवलिंग के कारण स्टेट स्कूल व स्टेट बैंक आफ बीकानेर के सामने पानी जमा हो जाता है ? अगर हां, तो इसके लिए सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

उत्तर

(१) सड़क की दशा साधारण है, उपलब्ध धन राशि के अनुसार मरम्मत कराई जाती है ।

(२) जी हां । अन्डर ग्राउन्ड ड्रिनेज व्यवस्था से स्थाई हल निकल सकता है जिसे बनाये जाने का दायित्व नगर पालिका का है ।

झुन्झुनूं निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली सड़कों की योजना

५७७. **श्री सूरजमल** (सूरजगढ़-सु.) :– क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं निर्वाचन क्षेत्र में कौन २ सी पक्की सड़कें बनाने की योजना है ?

(२) ये सड़कें कितने कितने मील लंबी होंगी और इनका निर्माण कब तक होगा ?

(३) क्या यह सही है कि सूरजगढ़ शहर को बुहाना कस्बे को मिलाने की सड़क की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इस सड़क को बनाने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

Page No. 47

एरनपुर-बीजापुरा (वाया विशलपुर) सड़क का निर्माण

५७८. श्री पृथ्वीसिंह (बाली)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कभी जिला पाली में एरनपुरा रोड़ से बीजापुर वाया विशलपुर होती हुई सड़क बनाने का सरकार ने विचार किया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त सड़क का सर्वे भी करवाया था ?

(३) अगर यह बात सही है तो फिर इस कार्य को विभाग का कब तक चालू करने का इरादा है ?

उत्तर

(१) फार कास्ट एस्टीमेट बनवाये गये थे।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

बालोतरा-जालोर सड़क को पक्का कर डामर डालने सम्बन्धी कार्य

५७९. श्री कालूराम (सिवाना)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बालोतरा से जालोर जो सिवाना मोकलसर होती हुई सड़क जाती है, अभी तक कच्ची पड़ी हुई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो इसका कितना कार्य पूर्ण हो गया है और कितना बाकी है ?

(२) क्या सरकार इस मार्ग को पक्का करवाने का कोई विचार रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस सड़क पर अभी तक डामर नहीं डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?।

(४) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस मार्ग पर काफी बसें चलती हैं ?

उत्तर

(१) बालोतरा से मोकलसर तक मुडकी रोड है और बाकी आरंभ से ही कच्ची रोड़ है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां योजना में स्वीकृत नहीं है।

(४) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

वन विभाग के होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त राजपत्रित अधिकारीयों का स्थानान्तरण

८०. श्री देवीलाल--क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवी लाल)

(१) वन विभाग के कितने राजपत्रित अधिकारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त हैं ? और वे कौन कौन हैं और कब कब से हैं।

(२) क्या सरकार इन्हें कहीं अन्य स्थानों पर बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

बाली एवं सादड़ी की जल वितरण योजनाएं

५८१. **श्री पृथ्वी सिंह** (बाली)—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बाली एवं सादड़ी जिला पाली की जल वितरण योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

(२) क्या उक्त दोनों स्कीमों की बजट मंजूरी प्राप्त करली जा चुकी है ?

(३) अगर हां, तो कार्य कब तक चालू कर दिये जावेंगे ?

(४) अगर बजट स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, तो मुख्य मंत्री महोदय ने अपने चुनाव दौरे में बाली नगर पेय जल वितरण योजना का उद्घाटन क्यों किया ? और शीघ्र काम चालू करवाने का आश्वासन क्यों दिया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) कार्य, धनराशि की उपलब्धि एवं योजना को मंजूर होने पर ही शुरू किया जावेगा।

(४) बाली एवं सादड़ी की जल प्रदाय योजनाऐं बीमा निगम से मिलने वाले २ करोड़ ऋण की सूची में सम्मिलित कर ली गई हैं और ज्योंहि ऋण की मंजूरी हो जायगी योजनाओं का कार्य हाथ में ले लिया जायेगा।

सीकर शहर स्थित वाटर वर्क्स से फ्लेट रेट व मीटर रेट पर कनेक्शन

५८२. **श्री रामचन्द्र** (सीकर)—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर शहर में वाटर वर्क्स कब से चालू है।

(२) वाटर वर्क्स शुरू होने की तिथी से मई।सन् १९६७ तक पानी के कितने

(श्रीरामचन्द्र)

कनेक्शन्स फ्लेट रेट पर हैं व कितने मीटर्ड कनेक्शन्स हैं ?

(३) फ्लेट रेट पर कनेक्शन्स के बजाय पूरे मीटर्ड कनेक्शन्स कब तक पूरे कर दिये जावेंगे ?

(४) क्या यह सही है कि फ्लेट रेट कनेक्शन का माहवारी चार्ज ६) रु० प्रति माहवार है व वाटर वर्क्स की तरफ से यह शर्त है कि सुबह शाम दोनों वक्त एक एक घंटा जल दिया जावेगा ?

(५) सीकर शहर में एक वक्त ही पानी पिछले कितने महीनों से दिया जा रहा है ? एक वक्त पानी देने के कारण क्या कनज्यूमर से जिनके फ्लेट रेट कनेक्शन्स हैं, आधा चार्ज किया जा रहा है ? यदि आधा शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है तो पूरा शुल्क वसूल करने के लिए क्या औचित्य है ?

उत्तर

(१) वाटर वर्क्स १८-४-६२ से चालू हैं।

(२) माह मई सन् ६७ तक कनेक्शन निम्न प्रकार हैं—

फ्लेट रेट	१७९८
मीटर	१०५०
कुल	२८४८

(३) फ्लेट रेट कनेक्शनों को मीटर कनेक्शन में परिवर्तित करने का कोई विचार नहीं है। यदि उपभोक्ता मीटर लगावे तो हो सकता है।

(४) यह सही है कि फ्लेट रेट कनेक्शन ६) रु० माहवारी हैं वाटर वर्क्स की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं कि सुबह व शाम दोनों समय एक एक घन्टा पानी दिया जावे।

(५) नवम्बर ६४ से शहर में एक टाईम पानी दिया जा रहा है। चूंकि पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है अतः आधा चार्ज का प्रश्न नहीं उठता।

जवाजा पंचायत समिति के विभिन्न गांवों में चिकित्सा सुविधा का अभाव

५८३. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर)—क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार की यह जानकारी में है कि जवाजा पंचायत समिति की वनजारी, बराखन, आसन, बामनहेड़ा और बड़ाखेड़ा ग्राम पंचायतों को कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम बड़ा खेड़ा में शीघ्र ही एक औषधालय खुलवाने का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

Page No. 50

लाडनूं नगरपालिका को गत चार वर्षों में दिये गए ऋण व अनुदान तथा उनका उपयोग

५८४. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं)- क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नगरपालिका लाडनूं जिला नागौर को वर्ष ६३-६४, ६४-६५, ६५-६६ व ६६-६७ में कितना कितना ऋण व अनुदान किस किस कार्य में खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) नगर पालिका लाडनूं को जो ऋण व अनुदान जिस जिस कार्य के लिये दिया गया व किस २ कार्य में खर्च किया गया है की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

बीकानेर स्थित पिछड़ी पुरानी बस्तियों के गृह निर्माण कार्यों को नियमित करने की योजना

५८५. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर)— क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर में कितनी ऐसी पिछड़ी हुई पुरानी बस्तियां हैं, जो सन् १९५२ से पहले से कायम हैं !

(२) क्या यह सही है कि ये बस्तियां इस कारण से कायम हुई कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य सरकार द्वारा पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को उस समय जमीन नहीं बेची जाती थी अथवा उनको पट्टे नहीं दिए जाते थे ?

(३) कितनी बस्तियां ऐसी हैं जो वहां के निवासियों को तत्कालीन सरकार द्वारा दूसरी जगहों से हटाने पर बनीं ?

(४) उक्त बस्तियों में कुल कितने मकान बने हुए हैं और उनमें से कितने मकान सन् १९४७ से पूर्व के बने हुए हैं और कितने मकान १९४७ से १९५२ और १९५२ से १९५७ तथा १९५७ से १९६२ के मध्य बने ?

(५) क्या सरकार इन पुरानी बस्तियों के मामलों को रेगुलराइज करने का इरादा रखती है ?

(६) अगर हां, तो उनसे किस दर से कीमत ली जायगी और क्या शर्तें लागू होंगी?

उत्तर

(१) २५

(२) ये सही नहीं है।

(३) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(४) इस संबंध में सर्वे हो रही है।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(५) इन पुरानी बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्कीम बनने पर इनको सरकार के ग्रादेश (५९) तिथि ६४ दिनांक १२-११- ४ के ग्रनुसार बसाया जायेगा।

(६) सरकार के विचाराधीन है।

उप वन संरक्षक द्वारा वन सीम ग्रंकन मीनारों की खरीद का मामला

५८६. **श्री देवीलाल**—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उप वन संरक्षक, जयपुर ने सन् १९६६ ग्रौर १९६७ में वन सीमा ग्रंकन के मीनारों की खरीद की है? यदि हां, तो किस भाव से ग्रौर कितने मीनारों की खरीद की है?

(२) क्या सीमांकन मीनारों की खरीद जितनी राशि की की गई है उतनी राशि खर्च करने का ग्रधिकार क्या उप वन संरक्षक को है?

(३) क्या इस खरीद के लिये टैक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रौर फाइनेन्शियल स्वीकृति प्राप्त करली गई? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त की गई है?

(४) क्या इस खरीद के लिये टेण्डर ग्रामंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो वे किन किन पत्रों में प्रकाशित हुए?

(५) इस खरीद के लिये स्पेसिफिकेशन क्या निर्धारित है ग्रौर इन खरीदों में क्या रखा गया है?

(६) क्या सामान स्पेसिफिकेशन के ग्रनुसार प्राप्त हुग्रा है?

(७) क्या प्राप्त सामान का फीजीकल वेरिफिकेशन किया गया? यदि हां, तो क्या कोई ग्रन्तर पाया गया?

(८) क्या वर्ष १९६५-६६ में सिमांकन मोनारों की खरीद की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त खरीद ग्रौर इस खरीद के लिये स्पेसिफिकेशन में कोई ग्रन्तर रखा गया था? यदि हां, तो क्या ग्रौर क्यों? ग्रौर क्या इस फर्क को देखते हुए कीमत में भी कोई फर्क रहा है?

उत्तर

(१) जी हां। सन् ६६-६७ में १७०० पत्थर ७-४० रु० से तथा २८९२ पत्थर ५-८० रु० दर से खरीद की गई।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। माह मार्च में मुख्य वन संरक्षक जयपुर से २२४४० रुपये की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई बाकी ६९६० रु० की ग्रतिरिक्त एक्सपोस्ट'फेक्टों की स्वीकृति ग्रपेक्षित है।

(श्री वन मंत्री)

(४) जी हां निम्न पत्रों में:—

नाम पत्र	दिनांक	दिनाक
१–राजस्थान पत्रिका	२७-२-६७	२-३-६७
२ राष्ट्रदूत	२८-२-६७	२-३-६७

(५) फोरेस्ट सेटलमेंट रूल ६ के अनुसार पत्थर ाऽ३½' से ४' लम्बे होने चाहिये। १८" नीचे का जमीन में गाड़ा जाता है तथा 2½' से जमीन के ऊपर रहता है। इस पत्थर का क्रास सेक्शन ५"×५" अथवा ५"×६" रहता है। टेण्डर में खरीद के स्पेशीफिकेशक ४' लम्बाई, ऊपर का हिस्सा ५"×५"×२½", नीचे का हिस्सा ६"×६"×१८" छोटे साईज में तथा ८"×८"×१८" बड़े साईज के पत्थरों का बिना धड़ा रखा गया था।

(६) जी हां।

(७) जी हां। माल स्पेसिफिकेशन के अनुसार ठीक प्राप्त हुआ।

(८) जी हां। स्पेसिफिकेशन १९६५-६६ में एक प्रकार का ५"×५"×२॥" धड़ा हुआ तथा ८"×८"×१॥" बिना धड़ा हुआ १९६६-६७ में स्पेसिफिकेशन दो प्रकार के रखे गये (१) ५"×५"×२॥" धड़ा हुआ, ८"×८"×१॥" बिना गढ़ा हुआ। (२) ५"×५"×२॥" गढ़ा हुआ ६"×६"×१॥" बिना गढ़ा हुआ। गतवर्ष के अनुभव के अनुसार रेन्ज आफीसर्स की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि भारी पत्थर पहाड़ी पर ले जाने में बड़ी असुविधा रहती है। अतः हल्के पत्थर भी खरीद करना आवश्यक है। भारी पत्थर मैदानी रकबे हेतु एवं हल्के पत्थर पहाड़ी रकबे के लिए मंगाये गये थे। जी हां, कीमत में भी कुछ फर्क रहा।

जहाजपुर तहसील में आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना

५८७. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर मु०) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जहाजपुर तहसील में कहाँ २ औषधालय स्थापित करने की मांग गत वर्ष से चल रही है ?

(२) औषधालय स्थापित करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है ?

(३) क्या सरकार अब औषधालय स्थापित करने का इरादा रखती है ?

(४) यदि हाँ, तो कहाँ २ स्थापित किये जावेंगे।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कस्बा छीपाबड़ोद में बारां से गल्ला ले जाने पर प्रतिबन्ध

५८८. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार ने कोटा जिले के कस्बा छीपाबड़ोद में बारां से गल्ला ले जाने

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की पाबन्दी लगा रखी है ? यदि हां, तो किन कारणों से लगा रखी है ?

(२) क्या सरकार छीपाबड़ोद में गल्ला समस्या के हल के लिये बारां से गल्ला ले जाने की लगाई गई पाबन्दी को हटाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अन्डर ग्राउन्ड वाटर को सिंचाई हेतु उपयोग में लेने विषयक योजना

५८९. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने राज्य मे बरसात की और नदियों की कमी को देखते हुए अन्डर ग्राउन्ड वाटर को सिंचाई के काम में लेने के लिये कुए खुदाये जाने पर विचार किया है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि मैसूर राज्य ने अपने समस्त इलाके का अन्डर ग्राउन्ड वाटर का पूरा सर्वे करा रखा है ?

(३) क्या राज्य सरकार इस प्रकार का सर्वे कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा कृषि हेतु कुओं को गहरा करने, कुओं में बोरिंग करने व नये ट्यूब वैल लगाने की व्यवस्था उपलब्ध है।

(२) इस विषय की जानकारी नहीं है।

(३) राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा ग्राउन्ड वाटर का सर्वे करने का कार्य इसी साल से चालू किया जा चुका है।

राज्य के कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा गत ५ वर्षों में की गई प्रगति एवं व्यय

५९०. **श्री गंगासहाय** (कटूमर सु०) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कृषि अनुसंधान केन्द्र ने गत पांच वर्षों में कौन कौन से नये अनुसंधान किये हैं ?

(२) क्या इन नवीन अनुसंधानों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया गया है ?

(३) कृषि क्षेत्र में इनके प्रयोग से कृषि की उपज कितने प्रतिशत बढ़ी है ?

(४) गत पांच वर्ष में इस केन्द्र पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

उत्तर

(१) कृषि विभाग के अनुसंधान केन्द्र में निम्नलिखित अनुभाग हैं जिनमें अलग-अलग विषयों पर अनुसंधान कार्य होता है :—

(१) वनस्पति अनुभाग।

(श्री कृषि मंत्री)

(२) पौध व्याधि अनुभाग ।

(३) पौध कोट अनुभाग ।

(४) कृषि रसायन अनुभाग ।

(५) सद्य अनुभाग ।

उपरोक्त विभिन्न अनुसंधान अनुभागों द्वारा जो नये नये अनुसंधान किये गये हैं उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(२) जी हां ।

(३) इन अन्वेषणों से १० से २० प्रतिशत तक फसलों की उपज बढ़ी है ।

(४) विभाग के अनुसंधान के उपरोक्त अनुभागों पर पिछले ५ वर्ष में निम्नलिखित खर्चा हुआ है:—

(१) वनस्पति विभाग	३०,४१,५०६
(२) पौध व्याधि विभाग	६,००,०००
(३) पौध कोट विभाग	४,४३,०००
(४) कृषि रसायन विभाग	७,८९,०००
मिट्टी परीक्षण सेवा	२,२७,८३८
योग:—	५१,०१,३४४

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ट्रैक्टरों की खरीद के लिए दिए गए ऋण एवं ऋण के लिए विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

५९१. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कृषि विभाग के नए ट्रैक्टरों की खरीद के लिए गत वर्ष कितना लोन कितने व्यक्तियों का दिया गया तथा इस वर्ष कितना प्रावधान है ?

(२) ट्रैक्टर लोन किस आधार पर दिया जाता है ?

(३) संचालक कृषि विभाग के कार्यालय में कितने ऐसे व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र पड़े हैं जिन्हें ट्रैक्टर लोन नहीं मिल पाया है ?

उत्तर

(१) ६८ ट्रैक्टर खरीदने के लिए ६,४४,००० रु० का ऋण १९६६-६७ में स्वीकृत किया गया था। इस वर्ष ट्रैक्टर व ऊंटों के लिए १-२५ लाख रुपये का ऋण का प्रावधान केवल राजस्थान नहर क्षेत्र के लिए ही है ।

(२) ट्रैक्टर ऋण काश्तकार को केवल कृषि कार्य के लिए दिया जाता है । इसके

(कृषि मन्त्री)

लिए १०० बीघा जमीन का होना अनिवार्य है।

(३) १४९ व्यक्तियों के।

पाली जिले में कार्यशील बुनकर सहकारी समितियों को ऋण

५९२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली शहर में या जिले में कुल कितनी कार्यशील बुनकर सहकारी समितियां हैं? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या सन् १९६६ व १९६७ में इन समितियों को ऋण (Loan) दिया गया है? यदि दिया गया, तो कितना? और नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं?

(३) क्या राजस्थान सहकारी बंक, जयपुर के कोष से इन समितियों को ऋण (Loan) उपलब्ध कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) पाली जिले में कुल ४ क्रियाशील बुनकर सहकारी समितियां हैं जिनमें से एक पाली शहर में है इनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(२) सन् १९६६–६७ में इन समितियों को ऋण नहीं दिया गया क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की हाथ करघा योजना के अन्तर्गत उस वर्ष बुनकर समितियों की संकलित रु० ९१,०००) की मांग का ऋण आवेदन पत्र पाली कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक ने राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु भेजा था किन्तु स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने रिजर्व बैंक की हाथ करघा योजना के अनुसार आवेदन पत्र नहीं होने से अस्वीकार कर दिया।

(२) बुनकर समितियों को रिजर्व बैंक से राज्य सरकार की गारन्टी पर शीर्ष बैंक के मार्फत कार्यकारी ऋण प्राप्त होता है और जब तक रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा दी गई गारन्टी की सीमा तक ऋण प्राप्त होता है तब तक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के निजी कोष से ऋण उपलब्ध कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त शीर्ष बैंक के कोष से ऋण प्राप्त करने की मांग भी प्राप्त नही हुई और निजी कोष से ऋण देना अथवा नहीं देना यह स्टेट बैंक के साधन पर निर्भर है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

सहकारी समितियों में ऋण की बकाया व वसूली

५९३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितनी धनराशि

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सहकारी समितियों में ओवर ड्यू है और किस किस वर्ष से कितनी कितनी ?

(२) कितनी धनराशि कितनी लार्जस्केल (बड़ी) समितियों में बकाया है और कितनी छोटी समितियों में ?

(३) वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में व जून ६६ के अन्त में सहकारी समितियों में ४३४-२७ लाख रुपये ओवरड्यू थे। यह धनराशि निम्न प्रकार ओवरड्यू थी :—

एक वर्ष से कम	एक से दो वर्ष	दो से तीन वर्ष	तीन वर्ष से अधिक
२१६-९३	८०-४५	२५-१५	१०१-७४
			योग—४३४-२७

(२) रुपये ८५-८५ लाख जून ६६ के अन्त में १४० बृहत् कृषि ऋण दात्री समितियों में बकाया था और रुपये ८९०--५६, ७८८१ छोटी कृषि ऋण दात्री समितियों में बकाया था।

(३) वसूली के लिए निम्न कार्यवाही की जा रही है:—

(क) प्रत्येक वर्ष वसूली का अभियान मनाया जाता है एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाकर वसूली हेतु प्रयत्न किए जाते हैं।

(ख) राजस्व विभाग से प्राप्त निरीक्षक एवं बैंक के निरीक्षक व सहायक निरीक्षक दोषी सदस्यों से वसूली हेतु कार्यवाही करते हैं।

(ग) बैंक के संचालकगण भी अपने अपने क्षेत्र में वसूली का प्रयत्न करते हैं।

(घ) विभागीय अधिकारी सहायक रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार व इन्सपेक्टर इत्यादि भी वसूली का प्रयत्न करते हैं।

(ङ) जो व्यक्ति जान बूझ कर ऋण चुकाने में आना कानी करते हैं उनके विरुद्ध सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर वसूली की जाती है।

देसलसर में कताई व बुनाई सहकारी समिति को लोन व अनुदान

५९४. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा-सु०)—क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम देसलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में कताई व बुनाई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो यह कब बनी और इसके कितने सदस्य हैं ?

(२) इसकी कार्यकारिणी के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(३) क्या यह सही है कि इस समिति को सरकार द्वारा लोन व अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब और कितने कितने ?

उत्तर

(१) जी हां, यह समिति दिनांक १०-९-६२ को गठित हुई जिसके ४३ सदस्य है।

(२) समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम निम्न लिखित है:--

नाम	पद
१. श्री नारायणसिंह	अध्यक्ष
२. श्री करणिसिंह	सदस्य
३. श्री शंकरराम	"
४. श्री हरुराम	"
५. श्री मूलसिंह	"
६. श्रीमती सूरत कंवर	"
७. श्री नित्या नंदजी पंत मनोनीत सदस्य, सदस्य, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ऊन उत्पत्ति केन्द्र बीकानेर।	

(३) जी नहीं।

जहाजपुर तहसील में टी. डी. विकास खंड निर्माण योजना

५९५. श्री **कल्याणमल मीणा**-(जहाजपुर-सु.) —क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार का विचार जहाजपुर तहसील में टी. डी. विकास खण्ड खोल कर आदिवासियों को राहत दिलाने का है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंचायत समिति सूरजगढ़ द्वारा भेड़ बकरियों की निकासी पर करारोपण

५९६. श्री **मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति सूरजगढ़ (जिला झूंझुनूं) ने भेड़ और बकरियों की निकासी पर कोई टैक्स लगा रखा है ?

(२) अगर हां, तो यह कब से और अब तक कितना टैक्स वसूल हुआ ?

(३) यह टैक्स किस कानून व नियम के तहत लगाया गया है ?

(४) क्या पंचायत समिति इस प्रकार का टैक्स लगा सकती है ?

(५) क्या यह टैक्स गैर कानूनी नहीं है ? अगर हां, तो जिन लोगों से रकम वसूल हुई क्या सरकार उन्हें वापिस कराने का विचार रखती है ?

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(६) क्या सरकार इस तरह के तुरन्त आदेश जारी करने का विचार रखती है कि भविष्य में यह टैक्स न लिया जावे ?

(७) क्या सरकार इस प्रकार गैर कानूनी टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया चालू करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) टैक्स दिनांक २५-६-६० से लगा हुआ है और इससे ६२७६३)४८ पैसे की आय हुई हैं।

(३) यह टैक्स पंचायत समिति ने राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम सन् १९५९ की धारा ३३ के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत समिति के टैक्स नियम १९६० तथा पंचायत समिति के उप नियम २७ के तहत लगाया गया है।

(४) मेले के समय खरीदे हुए मवेशी को निकासी पर ही रवन्ना फीस के रूप में टैक्स लगाया जा सकता है।

(५) इस प्रश्न पर विभाग में विचार किया जा रहा है।

(६-७) जांच के उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी कार्यवाही की जायेगी।

पंचायत समिति परबतसर के ग्राम ढाढोता के सरपंच द्वारा कुए पर दो ऋण

५९७. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या परबतसर पंचायत समिति के ग्राम ढाढोता के सरपंच ने एक ही जमीन पर कुए के लिए दो लोन लिए है ? एक १९६३-६४ में और दूसरा १९६६-६७ में ?

(२) क्या कोई कुआ उनकी जमीन में खुदा हुआ है ? यदि नहीं खुदा हुआ है तो दो दफा क्यों लोन दिया गया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति सिवाना को ६५ व ६६ में दिए गए अनुदान का विवरण

५९८. श्री कालूराम (सिवाना—सु.) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् ६५ व ६६ में पंचायत समिति सिवाना को अनुदान दिया गया है ? अगर हां, तो प्रत्येक वर्ष के अनुदान की धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 59

उत्तर

जी हां, । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परीशिष्ट ६ देखिये)

पंचायत समिति निवाई में तकावी के लिए प्रार्थना-पत्रों का विक्रय

५९९. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१ क्या यह सही है कि पंचायत समिति निवाई में ५००० तकावी फार्म खरीदे गये थे और किसानों को ५० पैसे प्रति फार्म कीमत लेकर बेचे जाते हैं जब कि नियमानुसार प्रार्थना-पत्र बिना कीमत किसान को मिलना चाहिये ?

(२) यह फार्म किस कारण खरीदे गये व किस फर्म से खरीदे गये ? इसकी स्वीकृति किस उपसमिति से ली गई और पंचायत समिति की कौनसी मिटिंग में स्वीकृति ली गई ?

(३) क्या यह भी सच है कि ५० पैसे कीमत बहुत ज्यादा है और इसी तरह के फार्म आम बाजार में सिर्फ १० पैसे में मिलता है लेकिन विकास अधिकारी पंचायत समिति से खरीदे गये फार्मों पर ही कार्यवाही करते है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां । नियमों में ऋण प्रार्थना पत्र बिना कीमत देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(२) फार्म तकावी ऋण प्राप्त कर्त्ता की सुविधा के लिये मैसर्स बाफना बुक डिपो से खरीदे गये । खरीद की स्वीकृति वित्त कर प्रशासन स्थाई समिति की दिनांक १५-४-६७ की बैठक में दी गई ।

(३) कीमत ज्यादा नहीं है । बाजार में कम कीमत में इस प्रकार के फार्म उपलब्ध हैं ऐसी जानकारी नहीं है । ऋण नियमों में निर्धारित फार्म पर ही तकावी का प्रार्थना पत्र लिया जाता है । पंचायत समिति द्वारा दिये गये फार्मों पर ही प्रार्थना पत्र लिये जाते हैं यह सही नहीं है ।

पंचायत समिति में नए कुए बनाने व पुराने कुए की मरम्मत हेतु तकावी व सहायतार्थ प्राप्त प्रार्थना-पत्र व उन पर की गई कार्यवाही

६०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पंचायत समिति निवाई में गत तीन साल में नये कुए बनाने व पुराने कुओं की मरम्मत के लिये तकावी व सहायता के कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये व उनमें से कितनों को कितने २ रुपये दिये गये और कितने प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन प्रार्थना पत्रों को खारिज किये गये उनके क्या कारण हैं ? नामों की सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जिन लोगों को तकावी सहायता दी गई है उनमें से कितनों ने काम पूरा कर लिया हैं और कितने काम बाकी है या अधूरे हैं और कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना भी अंकित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति निवाई क्षेत्र में धोरे व पक्की नालियों के निर्माणार्थ तकावी व सहायता

६०१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति निवाई क्षेत्र में धोरे व पक्की नालियों के लिये कितनी तकावी व सहायता गत दो साल में किस किस व्यक्ति को दी गई और उनमें कितनों ने काम कराया, कितनों ने नहीं ?

(२) उक्त अवधि में तकावी प्राप्ति के लिये कुल कितने प्रार्थना पत्र आये और उनमें से कितनों को मन्जूर किये और कितनों को खारिज ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति द्वारा जो अनुदान दिया गया उसकी सूची सदन को मेज पर रख दी गई है। तकावी नहीं दी गई।

(२) तकावी के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं आये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

ग्राम पंचायत सीधांना के नवनिर्वाचित सरपंच को पंचायत से चार्ज दिलवाने विषयक

६०२. श्री हरजीराम बुरड़क—(लाडनू) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) ग्राम पंचायत सीधांना, पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर के नवनिर्वाचित सरपंच श्री चतरा राम को पंचायत का

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चार्ज कब दिया गया तथा चुनाव होने के कितने महीने बाद चार्ज दिया तथा चार्ज में अन्य सामान के अलावा नकद रकम कितनी दी गई ?

(२) निर्धारित समय पर चार्ज नहीं देने पर भूतपूर्व सरपंच से चार्ज दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है।

(२) तहसीलदार डीडवाना द्वारा पूर्व-सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत एक्ट १९५३ की धारा १५ (ए) के अन्तर्गत एस. डी. ओ. कोर्ट डीडवाना में ८.९.६५ को इस्तगासा दर्ज करवाया। निर्णय के लिए ३० जुलाई १९६७ निश्चित है।

पंचायत समिति, डडीवाना क्षेत्र के अधूरे निर्माण कार्य

६०३. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं):—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५९ से आज तक पंचायत समिति, डीडवाना के क्षेत्र में बहुत से निर्माण कार्य जिनके लिए समिति से रुपये दिये गये थे पूरे नहीं हुए हैं और रुपये भी वापिस जमा नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से कार्य है जो पूरे नहीं हुए है और कितनी कितनी रकम किन किन से वसूल करनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा सन् १९५९ से आज तक जो ऋण वितरण किया है उसका समय पर ऋण लेने वालों ने उपयोग नहीं किया और न समिति ने निर्धारित समय पर ऋण लेने वालों से दंडनीय ब्याज सहित वसूली ही की ? यदि हां, तो वे कौन कौन से व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा १-१२-६६ से १५-२-६७ तक किया गया व्यय

६०४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर ने दिनांक १-१२-६६ से दिनांक १५-२-६७ तक किस किस मद में कितने कितने रुपये खर्च किये ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(२) क्या यह खर्च पंचायत समिति की पूर्व स्वीकृति और बजट के प्रावधानों के अनुसार हुआ है ?

(३) क्या यह खर्चा सब ग्राम पंचायतों में समान रूप से हुआ है ? और यदि कम ज्यादा हुआ है तो सब से कम कौनसी पंचायत में तथा सब से ज्यादा कौन सी पंचायत में ?

(४) उपरोक्त समय से पूर्व के छः माह के समय से यदि आंका जावे तो इस समय पूर्व की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक खर्चा हुआ है ? और इसका कारण क्या है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) खर्चा बजट प्रावधानुसार किया गया है व किये गये खर्चे के लिए सम्बन्धित स्थाई समितियों की स्वीकृतियां प्राप्त की गई हैं ।

(३) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना भी दी हुई है ।

(४) इस समय का खर्चा पूर्व छः माह के खर्चे की तुलना में कम है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

पंचायत समिति, गोविन्दगढ़, राजाखेड़ा व मांडल में प्रोजेक्टर चालकों की नियुक्ति

६०५. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति (१) गोविन्द गढ़, (२) राजाखेड़ा, (३) मांडल में प्रोजेक्टर चालक कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय प्रोजेक्टर मशीनें उन पंचायत समितियों के पास नहीं थीं ? यदि हां, तो प्रोजेक्टर चालकों की नियुक्ति की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(२) उपरोक्त पंचायत समितियों में प्रोजेक्टर चालकों की नियुक्ति के कितने कितने महीनों बाद प्रोजेक्टर मशीनें खरीदीं तथा उन कर्मचारियों पर उक्त समय में कितना कितना रुपया खर्च किया गया ?

(३) इस प्रकार से अनावश्यक पदों पर नियुक्ति करने के कारण हुये अनावश्यक खर्च के लिये राज्य सरकार ने किसी अधिकारी को जिम्मेवार ठहराया है ? यदि हां, तो किन किन को और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां । प्रोजेक्टर आपरेटर केवल प्रोजेक्टर ही नहीं चलाते अपितु विकास खण्ड में प्रचार का कार्य भी करते हैं ।

(२) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में प्रोजेक्टर तीन वर्ष बाद खरीदा गया । इसी

(पंचायत मन्त्री)

प्रकार पंचायत समिति राजाखेड़ा व मांडल में क्रमशः साढ़े चार व चार वर्ष बाद प्रोजेक्टर खरीदा गया तीनों पंचायत समितियों में क्रमशः लगभग ४५००)रु० ४८४३) रु० व ५०००) रु० खर्चा हुआ।

(३) कोई खर्चा अनावश्यक नहीं हुआ अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति, सांचोर के अध्यापकों का फिक्सेशन

६०६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचोर के बहुत से अध्यापकों का फिक्सेशन होना बाकी है? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं? ऐसे अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन अध्यापकों का फिक्सेशन कब से बाकी है? और क्यों?

(३) अब फिक्सेशन होकर अध्यापकों को एरियर कब तक दिला दिया जावेगा?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समितियों में अध्यपकों के फिक्सेशन के मामले

६०७. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समितियों में अध्यापकों के फिक्सेशन केसेज को शीघ्र फैसला करने के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

(२) क्या ऐसे मामलों के निर्णय किए जाने का सरकार समय निर्धारित करने का विचार रखती है? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) सरकार ने विशेष आन्तरिक जांच दल रखे हैं जिन्होंने जिला मुख्यालयों पर जाकर फिक्सेशन केसेज का निबटारा किया। अब प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर जाकर बचे हुवे अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के फिक्सेशन स्टेटमेंट को जांच कर उन्हें निपटा देंगे।

(२) जो मामले फिक्सेशन के बाकी रह गये हैं वे काफी जटिल हैं अतः तिथि निश्चित करना संभव नहीं है। लक्ष्य यह रखा गया कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक सब ही कर्मचारियों का फिक्सेशन हो जावे।

Page No. 64

भिनाय, पंचायत समिति द्वारा तकावी का वितरण व उसका उपयोग

६०८. श्री जसराज (भिनाय-सु.) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भिनाय पंचायत समिति में सन् १९५९ से ६४ तक कितनी तकावी वितरित की गई ?

(२) उस रकम का किन किन व्यक्तियों ने सही उपयोग किया ?

(३) सही उपयोग नहीं करने वालों की कितनी संख्या है और उनसे अब तक कितनी रकम वापिस वसूल हो चुकी है ?

(४) बकाया रकम की वसूली हेतु क्या कार्यवाही चल रही है ? और यह रकम कब तक वसूल हो जायेगी ?

उत्तर

(१) कुल ४,७३,१२०-०० रु० की तकावी दी गई।

(२) ५३७ व्यक्तियों ने उपयोग किया है।

(३) ४५ व्यक्तियों ने उपयोग नहीं किया है व उनसे कुल ८९२६) रु० की रकम वसूल हो चुकी है।

(४) बकाया रकम हेतु मामले पी० डी० आर० में दे दिये गये हैं व वसूली हो रही है।

पंचायत समिति, चिड़ावा द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धन राशि

६०९. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष पंचायत समिति, चिड़ावा के किस किस मद में कितनी कितनी धनराशि अब तक अधिक खर्च हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अधिक खर्च की हुई धन राशि का कुल योग कितना है ?

(३) अब उन मदों में जिनमें धनराशि अधिक खर्च हुई है अगर राज्य सरकार धन राशि का आवंटन करती है तो उस धनराशि को खर्च किया जावेगा या उस धनराशि से मद में जो अधिक खर्चा हुआ है सिर्फ उसका एडजेस्टमेन्ट किया जावेगा ?

(४) क्या इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ७७,७७१,०९ रु०

(३) जिन मदों में धनराशि अधिक खर्च हुई है उन मदों में धनराशि का आवंटन होने पर पहले अधिक खर्च हुई रकम का

(विकास मन्त्री)

समायोजन होगा तथा बचत रहने पर संबंधित मद में खर्च की जाएगी।

(४) साधारण वित्तीय नियमों के अनुसार ऐसे अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

रतन नगर पंचायत समिति की स्थाई समितियों की बैठकें एवं उनमें लिए गए निर्णय

६१०. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिले की रतन नगर पंचायत समिति में कौन कौन सी स्थायी समितियां कार्य कर रही हैं ?

(२) इन स्थाई समितियों की पिछले एक वर्ष में कितनी कितनी बैठकें हुईं और उनमें कौन कौन सदस्य उपस्थित रहे ? और क्या क्या निर्णय लिये गये ?

(३) इन स्थाई समितियों में क्या कोई सदस्यों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो किन किन स्थाई समितियों में कितने कितने स्थान कब कब से रिक्त हैं ? इतने लम्बे समय तक रिक्त स्थानों की पूर्ति न रखने की क्या वजह है ?

उत्तर

(१) केवल स्थाई समिति प्रशासन, वित्त एवं करारोपण।

(२) इस स्थाई समिति में १-४-६६ से ३१-३-६७ तक २६ बैठकें हुईं, जिनमें से पांच में कोरम नहीं बना। सदस्यों की उपस्थिति का उल्लेख बैठकों की कार्यवाही विवरण में है जो सदन की मेज पर रखे गये हैं।

(३) प्रशासन स्थाई समिति में द्वितीय निर्वाचनकरण के फलस्वरूप ८ जून १९६७ से २ स्थान रिक्त हैं। अभी थोड़ा ही समय हुआ है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति बकानी के प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों द्वारा प्रौढ़शाला का संचालन

६११. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बकानी (जिला झालावाड़) में प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को प्रौढ़-शाला चलाने का कार्य सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्या अध्यापकों को एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी ?

(२) यदि हां, तो इस कार्य के लिये अध्यापकों को कितना अतिरिक्त वेतन मिलेगा तथा उनको छुट्टियां कितनी कब दी जावेंगी।

उत्तर

(१) जी हां, प्रौढ़शाला चलाने का कार्य

(पंचायत मन्त्री)

सौंपा गया था तथा अध्यापकों को अतिरिक्त ड्यूटी देनी पड़ी ।

(२) अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान नहीं है । अध्यापकों को नियमानुसार उनको मांगने पर उपार्जित अवकाश दिया जाएगा ।

ग्राम पंचायत क्षेत्र तूंगा, करणगढ़ एवं अणतपुरा के निवासियों द्वारा चीनी विक्रेता के विरुद्ध शिकायतें

६१२. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी-सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या ग्राम पंचायत क्षेत्र तूंगा, करणगढ़ एवं अणतपुरा के नागरिकों ने चीनी विक्रेता के विरुद्ध चीनी एवं गेहूं वितरण न करने एवं ब्लैक करने के सम्बन्ध में तहसीलदार बस्सी, जिला रसद अधिकारी एवं राज्य सरकार के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की थीं ? यदि हाँ, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत में लगातार पिछले सात माह से चीनी एवं गेहूँ वितरण नहीं किया जा रहा है और चीनी, गेहूँ ब्लेक में बेच दिया जाता है ? यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) उक्त तीनों पंचायत क्षेत्र के लिये गेहूँ व चीनी वितरण करने के हेतु किस व्यक्ति को अधिकृत कर रखा है ?

(४) क्या यह सही है कि स्थानीय नागरिकों की ओर से लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी तीनों पंचायत क्षेत्र का कोटा उक्त व्यक्ति को दिया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हाँ । दिनांक २३ अगस्त १९६६ को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कराई गई । जांच से सरपंच के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

(२) यह सही नहीं है कि चीनी पिछले ७ माह से इस क्षेत्र में वितरण नहीं हो रही है । चीनी समय पर वितरण की जाती रही है । इन महीनों में गेहूँ का कोटा नहीं होने से नहीं दिया जा सका ।

(३) जिन २ व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है वे निम्न हैं :—

(१) ग्राम तुंगा-श्री प्रभुदयाल गुप्ता ।

(२) ग्राम करनगढ़-श्री भगवानसहाय राधेश्याम ।

(३) ग्राम अणतपुरा-श्री प्रभुदयाल गुप्ता ।

(४) शिकायत केवल श्री प्रभुदयाल गुप्ता की थी जिसकी जांच करवाली गई है । बाकी ग्रामों के डीलर्स के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । प्रश्न के भाग ३ में अंकित डीलर्स के नाम ही कोटा दिया जा रहा है ।

ग्राम पंचायत दणाव कलां के चीनी विक्रेता के विरुद्ध-ब्लेक करने की शिकायत एवं उस पर कार्यवाही

६१३. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दणाव कला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के नियुक्त चीनी विक्रेता के विरुद्ध चीनी ब्लेक करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर भूतपूर्व तहसीलदार श्री रामचन्द्रसिंह चौधरी द्वारा जांच के बाद चीनी ब्लेक करने एवं फर्जी रिकार्ड बनाने के कारण पुलिस कार्यवाही के आदेश दिये गये थे ?

(२) क्या उनके स्थानान्तर के बाद मामले को दबा दिया गया और उक्त डीलर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उसी डीलर को अब भी कोटा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उस चीनी विक्रेता के मामले को दबाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की थी ?

(३) क्या यह सही है कि राशन कार्ड ग्राम पंचायत ने नागरिकों को वितरण न कर चीनी विक्रेता को इकट्ठे दे रखे हैं जिससे डीलर राशन कार्डों में फर्जी वितरण दिखा रहा है ?

(४) क्या सरपंच डीलर के सगे भाई हैं ? यदि हां, तो सरपंच के विरुद्ध कर्तव्य पालन में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से कार्यवाही करने के लिये खाद्य विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अजमेर में बन्द की गई उचित मूल्य की सरकारी दुकानों के कर्मचारियों का हिसाब

६१४. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( ) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अजमेर जिले में उचित मूल्य की सरकारी दुकानें १ अप्रेल १९६६ । बन्द कर दीं और इसी समय से विक्रय करने वाले कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई परन्तु उन कर्मचारियों का हिसाब सेवायें समाप्त करने तक साफ नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं इनमें कितनी राशि राज्य सरकार की बकाया थी ?

(२) क्या उपरोक्त विक्रय करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेवारी थी कि वह उनकी बर्खास्तगी के पहले उनका हिसाब साफ करे ? यदि हां, तो उन के खिलाफ अपने कर्तव्य के पालन नहीं करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह बकाया राशि अब पूरी राज्य कोष में जमा हो चुकी है ?

उत्तर

(१) जी हां। चूंकि हिसाब जांचने में समय लगता है इसलिये तब तक उनको

(खाद्य मन्त्री)

रखना व उनको वेतन देना वाजिब नहीं था। जो दुकानें १.४.६६ को बन्द की उनमें से २९ सेल्समैनों को हटाना पड़ा। इन सेल्समैनों के जिम्मे १५९७६.८० पैसे बकाया राज्य सरकार के निकलते हैं।

(२) भाग एक में पूर्ण उत्तर दिया गया है, फिर भी इन २९ सेल्समैनों में से प्रत्येक ने एक हजार रुपये की सिक्यूरिटी दे रखी है। दुकान बन्द करने के बाद सेल्समैनों को नौकरी में नहीं रक्खा जा सकता था, इसलिये बर्खास्तगी करने वाले अधिकारियों की यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वह हिसाब साफ करने के बाद ही सेल्समैनों को हटाते।

(३) ५१०० रुपये वसूल होकर जमा हो चुके हैं।

तहसील लाडनूं में सरपंच द्वारा राशन कार्ड न बनाने से चीनी प्राप्ति में असुविधा

६१५. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरपंच लोग राशन कार्ड बनाकर नहीं देते जिससे काफी लोग चीनी लेने से वंचित रह रहे हैं ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हां। तहसील लाडनूं में ग्राम पंचायत चन्दराई के ग्राम मणू व बावड़िया के लोगों की इस शिकायत पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा सरपंच को राशन कार्ड जल्द देने हेतु निर्देश दिये गये थे फिर भी सरपंच द्वारा राशन कार्ड जारी नहीं किये जाने से मणू की जनता के लिए तहसील से ही राशन कार्ड जारी किये गये तथा ग्राम बावड़िया को जनता हेतु राशन कार्ड दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

डिवीजनल अधिकारी, डीडवाना द्वारा लोगों को चीनी के परमिटों का वितरण

६१६. श्री **हरजीराम बुड़रक** (लाडनूं) क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

सब डिवीजनल अधिकारी डीडवाना में दिनांक १.१२.६६ से लेकर दिनांक ३१.५.६७ तक कितने लोगों को चीनी के परमिट किस किस कार्य के लिये अपने कार्यालय से जारी किये और इसी समय में दोनों तहसीलदारों को आदेश देकर तहसील कार्यालयों से किन किन व्यक्तियों को किस किस कार्य के लिए कितनी कितनी चीनी के परमिट दिलवाये ? दोनों प्रकार की सूचियां मय व्यक्तियों के पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम सिवाना में पशुओं की चिकित्सा सुविधा का अभाव

६१७. श्री **कालूराम** (सिवाना सु.) क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री कालूराम)

(१) क्या यह सही है कि सिवाना ग्राम में पशुओं की संख्या को देखते हुए वहाँ की पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था उपयुक्त व पर्याप्त नहीं है ?

(२) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अब क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१—जी, नहीं ।

२-प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य में दुग्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत सरकारी डेयरी फार्म्स

६१८. **श्री श्रवण लाल** (हिण्डौन-सु.): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सरकारी डेयरी फार्म्स दुग्ध परियोजनाओं के अन्तर्गत कहां कहाँ चल रहे हैं तथा कब कब से ?

(२) इस प्रकार प्रतिवर्ष सरकार का कितना-कितना खर्चा हो रहा है ?

(३) इनसे सरकार को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आय हुई है ?

(४) क्या इन फार्म्स से सरकार को हानि हुई है ? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी ?

(५) क्या इन फार्म्स से दूध वितरण का कार्य भी होता है ? यदि हाँ, तो कहाँ कहाँ ?

(६) क्या यह सही है कि दुग्ध वितरण योजनाओं के अन्तर्गत जो दूध लोगों को दिया जाता है वह गाय का ही होता है ? यदि हाँ, तो ऐसी योजनाएं राज्य में कहाँ कहाँ चल रही हैं और इनके लिये दूध कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है ?

उत्तर

(१) राज्य में राजकीय दुग्ध पर योजनान्तर्गत कहीं भी कोई डेयरी फार्म नहीं चल रहा है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

(६) जयपुर दुग्ध वितरण योजना-न्तर्गत् जो दुग्ध वितरित किया जाता है वह गाय का होता है। यह योजना केवल जयपुर में ही चल रही है । योजना के लिये जयपुर के निकटस्थ ग्रामों से दुग्ध प्राप्त किया जाता है ।

जयपुर-लोहारू मार्ग में पड़ने वाली काटली नदी पर पुल का निर्माण

६१९. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) ; क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 70

(श्री मूलचंद कटेवा)

(१) क्या यह सही है कि जयपुर से लोहारू जाने वाली सडक के रास्ते में झुंझुनू जिले में काटली नदी पड़ती है जिससे बरसात में सड़क से आजा जाना रुक जाता है और झुंझुनू जिले के पूर्वी हिस्से के पश्चिमी हिस्से से संबंध विच्छेद हो जाता है ?

(२) क्या राज्य सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अगर काटली का पुल बना दिया जावे तो फिर बरसात में जयपुर से लोहारू होते हुए देहली जाने में कोई भी स्थान पर रुकावट नहीं रहती है ?

(३) क्या राज्य सरकार काटली नदी पर पुर्व बनाने की स्वीकृति प्रदान कर इसी वर्ष कार्य चालू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

बिहार में अकाल पिड़ितों के सहायतार्थ चना

६२०. श्री **गंगासहाय** (कठूमर-सु.) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खेडली मन्डी के कुछ व्यापारियों ने बिहार के अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ चना भेजने के लिये जिला अधिकारियों द्वारा अनुमति मांगे जाने पर इन अधिकारियों ने चने को भुनवा कर भेजने को कहा ?

(२) क्या यह सही है कि जब चना भुनवा कर भेजने को पैक कर दिये तब जिला अधिकारियों ने व्यापारियों को आदेश दिया कि उसके लिये तो कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी ?

(३) क्या सरकार ऐसे अनभिज्ञ व अदक्ष अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

१– जी नहीं ।
२– जी, नहीं ।

३– जब कोई गलत आदेश हो नहीं दिये तो कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

पंचायत समिति फागी द्वारा कृषि कूपों के निर्माणार्थ धनराशि का वितरण

६२१. **श्री लादूराम सुलाणिया** (फागी-सु.) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति फागी द्वारा कृषि कूपों के निर्माण हेतु १९६० से

Page No. 71

(श्री लादूराम सुलाणिया)

१९६६ तक किस किस गांव में किस किस काश्तकार को कितने कितने रुपये दिये गये हैं ? और क्या उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

(२) उक्त निर्माण के लिये दी गई राशि में से कितनी प्रतिशत राशि परिगणित जाति के लोगों को दी गयी है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त कूपों का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो उनको पूरा करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(४) उक्त कूपों के निर्माण से कितना रकबा भूमि की सिंचाई हुई है ?

(५) पंचायत फागी में कितने प्रार्थना पत्र कूपों के निर्माण हेतु शेष है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ३४ कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिये गये हैं।

(२) २०॥ प्रतिशत राशि परिगणित जाति के लोगों को दी गयी है।

(३) केवल ३४ कुए अधूरे हैं। संबंधित काश्तकारों को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये हैं।

(४) लगभग १००० एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।

(५) पंचायत समिति कार्यालय में ११६ प्रार्थना पत्र शेष हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील सांचोर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनाज के स्टाक का अभाव

६२२. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों पर सरकारी अनाज का स्टाक नहीं करने से लोगों को समय पर अनाज नहीं मिलता ? अगर हाँ, तो इस बारे में भविष्य में क्या इन्तजाम किया जा रहा है ताकि वर्षा के समय में भी लोगों को समय पर अनाज दिलाया जा सके ? यह इन्तजाम कब तक कर दिया जावेगा ?

(२) क्या यह सत्य है कि वर्षा के समय में तहसील सांचोर में आवागमन के बहुत से रास्ते बन्द हो जावेंगे ? अगर हाँ, तो लोगों को इस समय में सस्ता अनाज दिलाने के बारे में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(३) डूंगरी में सरकारी सस्ते अनाज की दुकान के लिए डूंगरी ग्राम में कम से कम तीन माह के अनाज का कोटा का स्टाक कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) यह सत्य नहीं है। तहसील सांचोर के राजकीय गोदाम में पर्याप्त मात्रा में अनाज स्टाक में है। मांग के अनुसार यह अनाज सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरण किया जाता है।

(२) वर्षा ऋतु में तहसील सांचोर की कुछ दुकानों के रास्ते थोड़े समय के लिए बन्द हो सकते हैं परन्तु ऐसी दुकानों के विक्रेताओं को वर्षा ऋतु के लिए अनाज का स्टाक दुकानों पर रखने के लिए बराबर हिदायतें दी जा रही हैं।

(३) डूंगरी ग्राम की सस्ते अनाज की दुकान पर स्टाक करने हेतु विक्रेता जितना भी अनाज मांगेगा कीमत वसूल कर उतना ही अनाज दे दिया जावेगा।

(१२.१० म. प.)

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी व्यवस्था

दिनांक ६. ७. ६७ को महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में एक ८ वर्षीय बालिका को आपरेशन के समय अधिक क्लोरोफार्म देने से मृत्यु हो जाने के संबंध में श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री देवीदत्त गाडिया, श्री बृज वल्लभ तथा श्री लक्ष्मण टानीवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है, अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ किन्तु मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा मन्त्री द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए शीघ्र ही एक वक्तव्य दिया जाय।

सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, केदारनाथ, रामकिशन तथा नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा ने इस आशय के स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त करने सम्बन्धी सवाल पर मुख्य मन्त्री द्वारा अपनाये गये रुख से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये सदन की सामान्य कार्यवाही स्थगित की जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं स्वीकार एवं अस्वीकार दोनों कर लेता हूँ।

इस संबन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी करने पर मुझे यह बतलाया गया है, यह समाचार कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स समाप्त करने के प्रस्ताव का उनके द्वारा विरोध करते हुए कोई वक्तव्य दिया गया है, यह असत्य है। इसके अतिरिक्त इस मामले का सीधा संबन्ध केन्द्र से है न कि राज्य सरकार से, अतः मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री केशरी सिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने बून्दी जिले में अकाल राहत कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रकार के मामलों पर सदन मे पहले काफी चर्चा हो चुकि है तथा यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है। अतः मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

अलवर नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से संबन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल से प्राप्त हुई है। यद्यपि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है किन्तु चूंकि इसका सम्बन्ध अलवर नगर परिषद के सभी कर्मचारियों से है, अतः मैं यह चाहूंगा कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा १९। ७। ६७ को इस विषय में स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाय।

मै इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री सहदेव शर्मा व श्री सुम्रालाल चोधरी ने जयपुर जिले में चरागाहों की भूमि को कृषि भूमि मे परिवर्तित करन के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बकीय लोक महत्व का नहीं है अतः इसको प्रस्तुत करने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

कालाडेरा हायर सेकण्डरी स्कूल में झुंझनु जिले के विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्रीमती सुमित्रा तथा श्री शिवनाथसिंह से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। चूंकि इस विषय में विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों में असंतोष होना स्वभाविक है अतः मैं शिक्षामंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य शिघ्र दें। मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

सर्व श्री केदारनाथ, श्री नत्थीसिंह, श्री रामकिशन एवं श्री रामानन्द अग्रवाल से एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका सम्बन्ध गंगानगर जिले में नहरों की स्थिति तथा नहरी पानी के वितरण की अव्यवस्था से हैं। इसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया है वे कन्टिन्यूइंग नेचर की हैं। इसमें ऐसी किसी अवलम्बनीय घटना का उल्लेख नहीं है जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय। अतः मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

सुजानगढ–नावां–वाया–लाडनूं–डीडवाना कुचामन बस मार्ग पर चल रही बसों में अव्यवस्था के बारे मे सर्व श्री रामचन्द्र आर्य, श्री किशन लाल, (नावां) श्री लाभचन्द, श्री विजयसिंह (मकराना) तथा श्री हजारीराम बुरड़क से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बसों की अव्यवस्था के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूँगा कि इस बारे में स्थिति का स्पष्टीकरण माननीय यातायात मंत्री द्वारा शीघ्र किया जाय। मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

श्री रामानन्द अग्रवाल ने पशु चकित्सा महाविद्यालय बीकानेर से डिग्री प्राप्त वटैनरी डाक-

Page No. 74

(श्री अध्यक्ष)

टरों को राज्य सेवा में नौकरी न देने के सबन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय। इसका संबन्ध एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना से भी नहीं है। अतः मैं इसे प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता, किन्तु मैं सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूँगा कि माननीय पशु चकित्सा मन्त्री इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य शीघ्र दें

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव १२ तारीख को दिया था........

श्री केसरी सिंह हाडा (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले में पहली जुलाई से अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं इससे उत्पन्न स्थिति पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है। यह जो कार्य बन्द कर दिये उससे वहां के मजदूरों का जीवन यापन दूभर हो गया है। पहले जो भी वाद विवाद हुए उसका ताल्लुक इस विषय से कुछ भी नहीं था। इसलिये मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है व बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इसे प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री केशरी सिंह हाडा : क्या इस पर कोई वक्तव्य भी नहीं होगा ?

जो कार्य बन्द कर दिये गये हैं क्या उस पर वक्तव्य भी नहीं आयगा क्या ?

श्री अध्यक्ष मैंने अस्वीकार किया है।

श्री केशरी सिंह हाडा : पहली जुलाई को मामूली बरसात होते ही वहां पर चलने वाले अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये इससे लोगों पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है उनको रोजी नहीं मिल रही है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैंने जो व्यवस्था दे दी है वह पर्याप्त होगी।

श्री केशरी सिंह हाडा : स्टेटमेंट के लिये लिये भी इन्कार है क्या ? ऐसा क्यों ? एक वर्षा के बाद ही बन्द कर दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : एक दो दिन बाद वर्षा न हो उसके बाद फिर दे दीजिये।

श्री केशरी सिंह हाडा : ऐसे कुठाराघात होंगे तो वर्षा नहीं आयगी।

भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स समाप्त करने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा व मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय की तरफ से आपने जो कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया। मैं समझता हूं सारे समाचार पत्रों में और कल के सामाचार पत्रों मे भी इस प्रकार का वक्तव्य छपा है। उसमें खास तौर से इस बात को कहा गया है कि राज्य

(श्री रामकिशन)

के मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि राजाओं के मिलने वाले निर्वाह भत्ते के सम्बन्ध में गंभीरता से विचार न करें और इसको धीरे धीरे लेना चाहिये। मुख्य मन्त्री जब दिल्ली में थे उसके दूसरे दिन भी इसी प्रकार का वक्तव्य छपा था उनका आज तक मुख्य मन्त्री की तरफ से समाचार पत्रों में खंडन नहीं किया गया है। हम उनसे इतना जरूर चाहते हैं कि अगर ये समाचार गलत तौर पर छापे गये हैं तो इसका आधार क्या है ? इसमें राजस्थान के मुख्य मन्त्री का कुछ नहीं बल्कि उन सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का जिन में भूतपूर्व राजा महाराजाओं का प्रभाव है उन सब राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने इसी प्रकार का वक्तव्य दिया है। अगर समाचार पत्रों में यह गलत छपा है तो उसी समय इसका निराकरण होना चाहिये था यह नहीं होने से जनता में तरह तरह के भ्रम फैलते जा रहे हैं कइयों का यहां तक कहना है कि कांग्रेस प्रेशर पोलिटिक्स दूवारा राजाओं को दबाना चाहती है। यह ऐसा गंभीर मामला हैं जिसका केवल यहां इस सदन पर ही नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी भारी बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिये हम मुख्य मन्त्री से चाहेंगे कि केवल वे यह कह कर कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य किसी समाचार पत्र को नहीं दिया है काम नहीं चलने वाला। यह वक्तव्य कई प्रकार से समाचार पत्रों में प्रसारित हुआ है इसको व्यक्तिगत तौर पर खंडन किया जाना चाहिये था लेकिन खंडन नहीं किया गया उसका क्या आधार है ? यह बतायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय यह समाचार ६ जुलाई के अंग्रेजी के अखबारों में सब में छपा है यह भी सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा, इस समाचार में यह भी कहा गया है कि इन तीन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने प्रीवी पर्स के खत्म करने के प्रस्ताव का दृढ़ता के साथ विरोध करने का निश्चय किया है और अपनी इस भावना से उन्होंने प्रधान मन्त्री को भी अवगत करा दिया है और साथ साथ यह भी कहा गया है कि इस बारे में इन तीनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की जानकारी के बगैर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है यह प्रीवी पर्स केन्द्र समाप्त करेगा लेकिन इस बारे में मुख्य मन्त्री महोदय ने जिस तरह का रुख समाचार पत्रों के देखने से प्रतीत होता है, अपनाया है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि राजस्थान की सरकार प्रीवी पर्स को समाप्त करने के खिलाफ है और ये तीनों राज्य भी इसको समाप्त करने के खिलाफ हैं। मैं समझता हूं यह सदन इस महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेगा। यह राज्य सरकार प्रीवी पर्स को समाप्त करने के पक्ष में नहीं इतना ही नहीं मुख्य मन्त्री महोदय जब दिल्ली से वापिस लौटे मेरी जानकारी के अनुसार उनकी जो बातचीत गुजरात में मुख्य मन्त्री श्री हितेन्द्र देसाई से हुई। जिन्होंने इस बात के लिए बहुत जोर दिया है कि इस प्रीवीपर्स को समाप्त नहीं करना है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! पर्याप्त होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसकी रिपोर्ट अपनी केबिनेट में माननीय मुख्य मन्त्री ने दी है और यह चाहा है कि केबिनेट उस बात को एन्डोर्स करें कि प्रिवीपर्स को समाप्त नहीं किया जाय। किन्तु खुद इनकी केबिनेट के मन्त्रियों ने........

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सख्त विरोध किया है और कहा है कि यह नहीं हो सकता। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी वेरीफाई करें कि उनका स्टेण्ड क्या है ? क्या उनकी राज्य सरकार ने प्रिवी पर्स को समाप्त नहीं करने बारे में कोई निर्णय लिया है ? अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जनतांत्रिक आन्दोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! पर्याप्त होगा इतना।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भी सदन के अंग हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। आपके स्थगन प्रस्ताव का दूसरा प्रश्न है। इस पर नहीं है। इस पर माननीय नेता महोदय अपना कोई स्पष्टीकरण कर दें, उसके बाद में आपकी बात सुन लूंगा।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके पास उत्तर भेजा, उसमें स्पष्ट किया है कि मैंने इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य नहीं दिया, न किसी अखबार को मैंने इस सम्बन्ध में कि प्रिवीपर्स समाप्त नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के विचार व्यक्त किये। अखबारों में किस आधार पर आया है, मैं कह नहीं सकता। मेरी तरफ से समाचार पत्रों को यह नहीं कहा गया। जहां तक प्रिवी पर्स का प्रश्न है यह गवर्नमेंट आफ इंडिया से सम्बन्धित है और भारत सरकार को इस बारे में निर्णय करना होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कुछ इसके सम्बन्ध में फैसला किया है, वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या भारत सरकार जो कुछ निर्णय करती है उससे इस पक्ष में बैठने वाले सहमत होते हैं उसके विरोध में नहीं हुआ करते हैं। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राम किशन : मुझे यह कहना है, मुख्य मन्त्री जी ने यह बताया...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री राम किशन : एक मिनिट !

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने........

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इस पर कोई बहस और कोई डिबेट करने की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गोलमाल जवाब दिया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर यह कहना जरूरी नहीं है कि हम कांग्रेस की नीतियों से बंधे हुए हैं। यह तो हम जानते हैं कि कांग्रेस की नीतियों का आप एक सो दस पर्सेन्ट पालन कर सकते हैं। लेकिन आप और आपके मन में क्या है, इस पर भावना क्या व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमें स्पष्ट रूप से बतायें। यह तो हमने पढ़ा है कि आप कांग्रेस के अंग हैं। यह जानते हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे समाजवाद और पूंजीवाद के विनास का सवाल जुड़ा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? सवाल इतना ही नहीं है कि केवल प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री राम किशन : कल को आमदनी की सीमा बांधने का प्रश्न आयेगा शांति प्रसाद जैन का सवाल भी खड़ा होगा। इसलिए आप विवेक के साथ में इसकी असलियत को बताने का कष्ट करें कि राज्य सरकार की क्या नीति है?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। इस सम्बन्ध में और कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी का उत्तर है वह इवेजिव है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को इस प्रकार की सूचना उन्होंने नहीं दी। जो समाचार छपा है वह एक बैठक के बारे में था जो तीन मुख्य मन्त्रियों की थी। माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायें कि इस तरह की मीटिंग गुजरात के मुख्य मन्त्री के साथ, मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ हुई या नहीं। दूसरा समाचार जो छपा है....

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन कर दूं कि ऐसे हमारे तीन चीफ मिनिस्टर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके अनुसार आपने प्राइम मिनिस्टर को यह आइडिया कन्वे किया या नहीं की प्रिवी पर्स के खत्म होने के खिलाफ हैं और आपकी गवर्नमेंट से पूछने के पहले कोई कदम नहीं उठाया जाय?

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा........

श्री भैरोंसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय !

श्री नत्थी सिंह : आप (श्री भैरों सिंह) उन्हें बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : हर तथ्य के दो पक्ष हुआ करते हैं। सम्माननीय सदस्यों ने जो जानकारी इस सम्बन्ध में प्राप्त करने की चेष्टा की वह उनको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और मुख्य मन्त्री जी ने जिस तरह से उत्तर दिया, उस उत्तरदायित्व वह स्वयं जानें। मैं इस बात को एक हद तक मानता हूं कि यह प्रश्न इस सदन से सम्बन्धित नहीं है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि में मैं नहीं जाना चाहूंगा। किन्तु यह प्रश्न जब सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है तो मैं दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करने का साहस करूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा स्वयं का प्रश्न नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रश्न है, इसके पीछे इतिहास है और इसके साथ कई एक ऐसे व्यक्तियों का प्रश्न है जो प्रिवी पर्स होल्डर्स हैं और प्रिवी पर्स प्राप्त करने वाले हैं। मैं यदि यह निवेदन करूं कि यह प्रश्न केवल एक बहुमत और अल्पमत का नहीं, यह एक सिद्धान्त का है और एक अल्प संख्यक विशेष महत्व रखने वाले एक तबके से सम्बन्धित है और मेरे खयाल में जो सरकार के इस सम्बन्ध में आश्वासन हैं, जो विधान के अन्दर इस सम्बन्ध में प्रावधान है। वह आज के दिन व्यक्ति रूप से यह कहने का अधिकार नहीं कि इलेक्ट्रोन्स हैं। वह एक पवित्र आश्वासन है और उनके तथ्य और महत्व, मेरे ख्याल में, आज के जमाने में बिल्कुल जाते रहे-ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। नरेशों ने विभाजन के पश्चात् जो कुछ भी किया है, नहीं किया है, इस सम्बन्ध में मैं लम्बी चौड़ी बातों को दोहराना नहीं चाहता किन्तु मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि जिस सरकार ने जो आश्वासन दिये और जो व्यवस्था दी वह सरकार आज भी विद्यमान है। यदि वह सरकार विश्वासघात करने को तुली हुई हो तो वह सरकार जाने। इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु यदि सरकार इस बात से डर कर कि बहुत सारे भूतपूर्व नरेश चुनाव में आगे आकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को हरा रहे हैं, इसलिए भूतपूर्व नरेशों को दुर्भावनापूर्ण एक दण्ड दिया जाय, तो मेरे ख्याल में यह एक विश्वास घात ही नहीं है बल्कि आपकी जो भ्रष्ट अधिनायकवाद की प्रक्रिया है उसका यह ज्वलन्त उदाहर होगा। जिन लोगों ने विभाजन के पश्चात्, विभाजन का उत्तरदायित्व भी आपका ही था, करीब करीब वर्तमान अवशेष भारत का आधा हिस्सा कुर्बानी करके दिया है, यदि उनकी आप दुर्दशा करना चाहें केवल मात्र इस वास्ते कि चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने का तो मेरे ख्याल में सबको अधिकार है और मैं तो इस सिद्धान्त को मानने वाला हूं, कोई चीज इस संसार में समाप्त नहीं हो........

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, विरोधी दल। यह प्रश्न इस सदन का नहीं है। मैं चाहता हूं, आप संक्षेप में कह दें और इस प्रकार विश्लेषण न करें।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं तो यह सिद्धान्त को मानने वाला हूं 'जा विधि राखे राम ता विधि रहिये'। लेकिन आपका अत्या-

(महारायल श्री लक्ष्मण सिंह)

चार तो हम सहन नहीं करेंगे। यह भी मानता हूँ। क्योंकि यह प्रश्न सदन के समक्ष आया है इसलिए मैंने अपने दो शब्द व्यक्त किये लेकिन मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कि यह सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका है और इस प्रश्न का सरकार की इज्जत से भी संबंध है। सरकार का जो कुछ भी निर्णय होगा उस सम्बन्ध में हम विचार करके और उस बारे में जो कुछ भी हमको करना है वैधानिक जो कुछ भी करना है वह हम करेंगे किन्तु सरकार को यह सोचना चाहिए, वह एक खिलवाड़ नहीं कर रही है? विधान से खिलवाड़ करने को तुली हुए हो, अगर आश्वासनों से खिलवाड़ करने को तुली हुई हो तो यह समस्या जटिल रूप धारण कर सकती है। इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार! बहुत सक्षेप में।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : प्रीवीपर्स के बारे में सारी जनता को एक पब्लिक ओपिनियन बनती जा रही है। ऐसे इम्पोर्टेन्ट इश्यू पर पहले जिस स्टेट में सबसे ज्यादा एक्स रूलर्स रहे हैं, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर का चुप रहना ठीक नहीं होगा। आपने क्या कन्सेन्ट दी। यहां की प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। रिटन लेटर्स लिखे। ए. आई. सी. सी. में रेज़ोलेशून पास किया गया, क्या आप की ओपिनियन नहीं ली गई? देशी रियासतें थीं, जिन लोगों ने राजाओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ीं, वे जानते हैं कि यहां की पब्लिक ओपिनियन बनाने में हमारा क्या हाथ था, वही पब्लिक ओपिनियन थी कि कोवेनेन्ट पर उनको दस्तखत करने पड़े। उनकी कन्सेन्ट को दबायेंगे यह मैं समझता हूं उचित नहीं होगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह.... ....

श्री अध्यक्ष : नो डिबेट। आर्डर प्लीज। कृपया पहले स्थान ग्रहण करें। मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को दो मुद्दों पर अस्वीकार किया है एक तो प्रिवी पर्स का प्रश्न इस सदन का प्रश्न नहीं है और समाचार पत्रों के समाचारों अमान्यता का है। डिबेट की कोई अनुमति नहीं दी। विरोधी दल के नेता कुछ कहना चाहते थे, मैंने उनको इजाजत दी। इसका मतलब यह नहीं कि डिबेट की आज्ञा दे दी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब चीफमिनिस्टर ने उड़ते हुए 'बात' कह दी, ए. आई. सी. सी. में मैंने क्या रुख रखा, भारत सरकार पर, हाई कमाण्ड पर दबाव डालने सम्बन्धी में कोई जवाब नहीं देना चाहता। आपने विरोधी दल के नेता को जो स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनको बोलने की इजाजत दी, इसलिए और दलों के नेताओं को भी बोलने की इजाजत दी जानी चाहिये। हमारा दृष्टिकोण भिन्न है। जनता को राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी जन भावना अभिव्यक्त करने के लिए कुरबानियां करनी पड़ीं और इसी आधार पर देशी राज्यों का विलय हुआ.... ...

(श्री नत्थीसिंह)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपने एक दल को इजाजत दी है, सदन के दूसरे दल हैं, उनको भी इजाजत देनी चाहिये जनता पार्टी की तरफ से सारण साहब खड़े हुए तो उनको नहीं बोलने दिया, हम भी अपनी राय रखना चाहते हैं, उनको समय नहीं दें, यह उचित नहीं है। जो दल अपनी राय इस प्रश्न पर रखना चाहते हैं, आपने एक बार अवसर दिया है तो...........

श्री अध्यक्ष : में पहले इस प्रश्न पर सोच लूं कि इजाजत दूं या नहीं दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने इजाजत दी है।

श्री दौलतराम सारण : इजाजत तो आपने सब को दी है, मेरे बारे में मैं ही.......

श्री अध्यक्ष : सम्बन्ध आपके और मेरे, व्यक्तिगत रिश्ते में तो फरक नहीं है।

श्री भैरो सिंह : इनका व्यक्तिगत रिश्ता है यह जानकारी हमें आज मिली है।

श्री अध्यक्ष : आपको तो...........

श्री दौलतराम सारण : मैं आपकी इस राय से सहमत हूँ, यह विषय सदन के अधिकारक्षेत्र में नहीं है। पर इसके साथ साथ इस प्रश्न से हमारे यहां की जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इस प्रश्न का असर यहां की जनता से जुड़ा हुआ है। इस सदन के अधिकार क्षेत्र की दो करोड़ जनता पर इसका असर पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देशी राजाओं ने किसी स्थिति में तय किया है, उनकी भाषा में पर अब यह प्रश्न हल होना चाहिये, इतने दिन कांग्रेस सरकार ने इस प्रश्न के हल करने में देरी क्यों की, यह क्या जनता के साथ विश्वासघात नहीं है ? मुख्य मन्त्री ने एक शब्द में कहा हमने कोई ऐसी बात नहीं कही, हम कांग्रेस की स्वीकृत नीतियों और प्रस्तावों के साथ हैं शराब के मामले में भी, अन्य मुद्दों में भी कांग्रेस की नीति स्पष्ट है उनमें आप साथ नहीं हैं कांग्रेस के, इस प्रश्न में आप साथ हैं या नहीं यह स्पष्ट कहना चाहिये। यह प्रश्न जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति से सम्बन्धित है, इसलिए आपकी स्पष्ट राय, स्पष्ट दृष्टि चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी क्या राय है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी राय यह है कि प्रिवीपर्स समाप्त होनी चाहिये, यह युग की मांग है और युग की आवश्यकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : में जो कुछ कह चुका हूँ, उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता।.........

श्री रामकिशन : हमें बहुत एतराज है, लोकतन्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पर वे चुप्पी नहीं लगा सकते। यह आपकी व्यक्तिगत राय नहीं राज्य के मुख्य मंत्री और सदन के नेता की हैसियत से जानना चाहते हैं। इस लिए इस तरह मुगालते में नहीं डाल सकते।

Page No. 81

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप मेरी व्यक्तिगत राय जानने के लिये उत्सुक हैं........

श्री नत्थीसिंह : व्यक्तिगत नहीं मुख्य मंत्री की हैसियत से....

श्री रामकिशन : मोहनलाल सुखाड़िया की हैसियत से नहीं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुख्य मंत्री के तौर पर, राज्य सरकार से विचार कर के निर्णय करने का यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न अखिल भारतीय प्रश्न है भारत सरकार के तय करने का प्रश्न है, इसलिये इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री नत्थीसिंह : प्रधान मंत्री के पद का निर्णय करने के लिये तो मुख्य मंत्री की हैसियत से उसमें चले गये, उसमें तो शरीक हो गये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

(शोरोगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारत सरकार को इस राज्य की राज्य सरकार क्या राय देती है, वह महत्वपूर्ण है, इस निर्णय को लेने के बारे में राज्य सरकार क्या राय रखती है...

(शोरोगुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं महत्वपूर्ण राय दूंगा अगर जरूरत होगी...

श्री दौलतराम सारण : अभी आपकी राय क्या है...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि आप मुख्य मंत्रीजी को निर्देश दें। राजाओं को पेन्शन देने या बन्द करने का प्रश्न नहीं, या तो साफ कह दें कि हम कमजोर नहीं हैं, कायर हैं, मोहनलाल मुखाड़िया की कोई हैसियत नहीं, मुख्य मंत्री की हैसियत है। मुख्य मंत्री की हैसियत से राज्य की अर्थ व्यवस्था के नाते आप साहस के साथ कह सकते हैं कि इसके हम खिलाफ हैं। पर जो व्यवहार आप दिखाते रहे हैं, वह आपकी कायरता का प्रतीक है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

श्री रामकिशन : निश्चित रूप से कायरता का प्रतीक है। एक प्रश्न पर सदन के बाहर भाषण करते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें....

The Chair is on legs. Please resume seat.

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अनुशासन प्रिय आदमी हूँ....

श्री अध्यक्ष : आप आज ही कर रहे हैं.... आर्डर, आर्डर....

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्रीजी इसका स्पष्ट उत्तर दें कि इसके सम्बन्ध में क्या राय

(श्री रामकिशन)

है, व्यक्तिगत राय आप हमारी जानते हैं, हम आपकी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय मैं बैठ जाऊंगा। एक बार मुख्य मंत्रीजी कह दें कि किस कारण से जवाब नहीं देना चाहते, इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपने तीन बार अपनी मान्यता रख दी है, अब मैं इस पर किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × × × × × ....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूँ।

(शोरगुल)

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का यह व्यवहार है उससे हमें कष्ट हुआ है....

श्री अध्यक्ष : बैठिये या बाहर जाइये...

(शोरगुल)

कष्ट की अभिव्यक्ति अगर आने लग जाय तो उसका अन्त नहीं, उसका शमन होना चाहिये...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, × × × × × × सदन से बहिर्गमन करता हूँ....

(श्री रामकिशन और उनके दल के सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : वाक आउट करते समय कोई स्टेटमेंट नहीं होगा No statement before the walk-out-Such statement is expunged.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि कायरता की वजह से मैं अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पक्ष में बैठे हुए हैं, उनको आम तौर से रूलर्स के खिलाफ चुनाव लड़ कर आना पड़ा है। तो मेरे खयाल से कायरता का तो सवाल ही नहीं है। ए० आई० सी० सी० ने यह प्रस्ताव पास किया, उसके बाद कायरता का सवाल ही नहीं है...

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No. 83

एक माननीय सदस्य : रूलर्स ने आपकी वकालत की है....

(१२.३९ म० प०)

राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के रिटायरमेंट सम्बन्धी मामले पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : आर्डर। राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार (विराम)

कुछ तो यह स्टेटमेंट दिखाने के लिये उत्सुक थे, बाहर चले गये।

एक माननीय सदस्य : अभी आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : तब तक दूसरा ले लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु ५८ वर्ष से घटाकर ५५ वर्ष करने का हाल ही में निर्णय लिया है और इसके अनुसार जो कर्मचारी ५५ वर्ष से अधिक के हो गये थे या ५५ वर्ष पूरे कर रहे थे, उन्हें १ जुलाई, १९६७ से सेवा निवृत्त किया गया। कुछ खास कर्मचारी जैसे चिकित्सा विभाग के तथा मेडिकल कालेज के अधिकारी, विज्ञान का विषय पढ़ाने वाले अध्यापक गण तथा पालिटेकनिक और इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्सटिट्यूट के अध्यापकों पर यह आदेश लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारियों के सेवा काल की आयु ५८ वर्ष से ५५ वर्ष किये जाने के औचित्य पर सदन में समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण किया जा चुका है, और इस बारे में इस समय और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के इस निर्णय से कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है, इस बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने तारांकित प्रश्न के द्वारा सूचना मांगी है और यह सूचना एकत्रित की जा रही है। क्योंकि सारे राज्य में फैले विभागों एवं दफतरों से यह सूचना एकत्रित करनी पड़ रही है, इसलिये इसमें समय लगाना अनिवार्य है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि दिनांक १ जुलाई, १९६७ को कितने राज्य कर्मचारी सेवा निवृत्त किये गये। अनुमान यह है कि करीब ४०० राजपत्रित अधिकारी एवं करीब ६,००० अराजपत्रित जिसमें पंचायत समितियों के कर्मचारी भी होंगे सेवा निवृत्त हुये हैं। राज्य सरकार के निर्णय को एक समान रूप से क्रियान्वित किया गया है। जहां तक पुनः नियुक्ति का सवाल है केवल तीन अधिकारियों को सेवा से निवृत होने पर पुनः नियुक्त कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण दी गई है। इनमें से प्रथम आयुर्वेद विभाग के प्रधानाचार्य हैं, द्वितीय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और तृतीय कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हैं। इन अधिकारियों की एवज में उपयुक्त व्यक्ति एकदम मिलना सम्भव नहीं था और यदि इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जाती तो विभागों के कार्य को ठीक तरह से चलाने में कठिनाई आती। निर्माण, सिंचाई एवं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आयुर्वेदिक विभाग के वर्कचार्ज स्टाफ के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान ६० वर्ष तक सेवा करने का लाभ नहीं दिया गया है और ५५ वर्ष की आयु पर ही सेवा से निवृत्ति की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूँगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा वर्क—चार्ज स्टाफ के सेवा नियमों में अन्तर है। वर्क—चार्ज कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में जुलाई १९६४ के पूर्व कोई नियम नहीं थे। जब इन कर्मचारियों के बारे में १९६४ में नियम बने तो इनकी सेवा निवृत्ति आयु ५८ वर्ष की रखी गई और हाल के निर्णय के अनुसार यह आयु घटाकर ५५ वर्ष कर दी गई। इस विषय पर राज्य सरकार ने पुनः विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि ऐसे वर्क—चार्ज कर्मचारी जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के समान श्रेणी में आते है उनकी सेवा काल की अवधि ५५ वर्ष के बजाय ५८ वर्ष की जाय इस बारे में उचित आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य विभागों में जहां वर्कचार्ज्ड कर्मचारी हैं, लेकिन जिनके लिये अलग नियम नहीं बने हैं वे कर्मचारी ६० वर्ष की आयु के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह राजस्थान सेवा नियमों के आधार पर सेवा निवृत्त हैं। अभी तक इनके सेवा काल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अन्य विभागों के बारे में भी शीघ्र ही समानता लाने के लिये नियम बना दिये जायेंगे। वर्क—चार्ज, कर्मचारियों का सेवा काल ६० वर्ष तक किया जाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों को ६० वर्ष तक की सेवा में रखना उचित नहीं होगा। चतुर्थ श्रेणी और कई वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों के बारे में राज्य सरकार निम्नलिखित नीति निर्धारित करेगी:—

( ) ऐसे कर्मचारी जो विभागों में और सचिवालय में चपरासी के पद पर काम करते हैं, उनकी सेवा निवृत्ति आयु यथावत ६० वर्ष की रहेगी जैसे चपरासी, जमादार फर्राश, नाई, चौकीदार, वर्जनर, रसोइया, दफतरी आदि।

(२) ऐसे कर्मचारी जो वर्कचार्ज्ड हैं और जिन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता हैं यद्यपि वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की गणना में आते है उनकी सेवा निवृत्ति आयु ५८ वर्ष की जायगी। जैसे बेलदार, खाती, लोहार, पेन्टर, वेल्डर, टरनर, मशीनमैन आदि। इनके अतिरिक्त अन्य वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु ५५ वर्ष होगी। उपरोक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिये सम्बन्धित नियमों में एक सूची होगी जिसमें यह स्पष्टकर दिया जायगा कि किन किन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु के विषय में समानता आ जायगी। राज्य के खर्चे में मितव्ययता लाने के हेतु विवध पदों की संख्या में कमी की गई थी जिसके फलस्वरूप कुल ७८६ कर्मचारी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारी सरप्लस हुऐ हैं। इनमें से ११८ कर्मचारी राजपत्रित है जिनमें आर० ए० एस० विकास अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से ४८२ कर्मचारियों को अभी तक अन्य पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इस संख्या में ७५० ग्राम सेवक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं, १०० प्रोजेक्ट आपरेटर हैं ७३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और १५ इनोक्यूलेटर सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा में कमी की जाने के कारण सरप्लस किया गया है। इन कर्मचारियों के नये पदों पर नियुक्ति का कार्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद सर्विस सलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है और आशा है, इनमें से वे कर्मचारी जो दिनांक १—१०—६६ के पूर्व नियुक्त किये गये थे उनको नये पदों पर शीघ्र ही पद स्थापित कर दिया जायेगा। जिलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कमी किये जाने से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सरप्लस हुए हैं, उनके बारे में जिलाधीशों द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने सरप्लस कर्मचारियों के एबजार्प्शन के लिए कुछ विशेष कदम उठाये हैं। खाली जगहों पर नई नियुक्तियों को बिलकुल रोक दिया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है तथा जिलाधीशों को एबजार्प्शन के अधिकार दे दिये हैं। जितने समय कर्मचारी सरप्लस रहते हैं, उन्हें पूरा वेतन दिया जाता है। आयुर्वेद विभाग के वैद्यों की सेवा निवृति के प्रश्न को लेकर शायद यह शंका पैदा हुई कि सेवा निवृति किये गये वैद्यों की संख्या बहुत अधिक है और योग्यता प्राप्त वैद्यों की कमी है इसलिये बहुत से औषधालय बगैर किसी वैद्य के रहेंगे और जनता को इससे परेशानी होगी। परन्तु तथ्य बिलकुल इसके विपरीत हैं। १ जुलाई, १९६७ को सेवा से निवृत्त किये गये वैद्यों की संख्या केवल ३४ है जिसमें से संचालक आयुर्वेद को ६ माह के लिये पुनः नियुक्ति दी गई है। आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत इस समय वैद्यों का कोई पद रिक्त नहीं है और न ऐसा कोई वैद्य का पद है जिस पर कोई उप वैद्य या कम्पाऊन्डर कार्य कर रहा हो। जिला बोर्डों के टूटने पर जिन वैद्यों को आयुर्वेद विभाग में लिया गया है उनमें से कुछ वैद्य ऐसे हैं जो सेवा नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं परन्तु ऐसे वैद्यों को विभाग द्वारा हटाने का प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है वैद्यों की कमी की कोई सम्भावना नहीं है। चौथी पचवर्षीय योजना काल में ३०० औषधालय खोलने का लक्ष्य है जिनमें से १०० औषधालय सन् १९६६-६७ में खोले जा चुके है और बाकी चार सालों में २०० औषधालय से अधिक खोलने की सम्भावना नहीं हैं। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल १०० औषधालय और खुलने हैं जिनके लिये १०० वैद्यों की आवश्यकता होगी। यदि इन चार वर्षों में १५० वैद्य सेवा निवृत्त होते हैं तो विभाग को कुल मिलाकर २५० वैद्यों की आवश्यकता होगी। राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी ८ आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहे हैं जिनसे इस वर्ष ५९ भिषगाचार्य एवं १०८ भिषग्वर उत्तीर्ण होकर निकले हैं जिनमें से ४८ को नियुक्ति दी जा चुकी है। इस प्रकार राज्य में वैद्यों की कमी की कोई संभावना नहीं है और इनके सेवा काल को ५५ से बढ़ाकर ५८ या ६० करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मुख्य मंत्री ने एक बात नहीं बताई। इसमें ५५ वर्ष से

(श्री लादूराम सुलानिया)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ६० वर्ष या ५८ वर्ष करने का है लेकिन परिगणित जाति परिगणित जनजाति के लोगों के बारे में आपने कोई डिसीशन लिया बिलकुल नहीं बताया और सरप्लस करते समय यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि परिगणित जाति और जनजाति के लोग क्यों सरप्लस किये जाते है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री ने वर्कचार्ज्ड स्टाफ के बारे में घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जुडीश्यल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की और फिर स्पेसीफिकली अपने राजस्थान के हाई कोर्ट में भी लोग गए हैं और जिनके पी. डब्ल्यू. डी. के मामले अभी लेबर कोर्ट के भी इसी आधार पर डिसाइड हुए। आनरेबुल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में यह तय किया कि जो भी एम्पलाईज सुपरैन्यूएशन के नियम बनने से पहले के इम्प्लाइ हैं, उन लोगों पर जो रूल्स बाद में बनें, इन लोगों पर एज-लिमिट लागू नहीं होगी और अपनी जजमेंट में उन्होंने ऐसे एम्पलाइज को रीइन्स्टेट करने का आॅर्डर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा और केवल एक एल. एल. जे. २ पेज १४६ का आखिरी पैरा सुप्रीम कोर्ट का पढ़कर सुनाता हूं—

Our conclusion is that the rules of retirement at 55 framed in 1947 and 1951 do not apply to the prior employees of the company. It is clear that prior to 1947 there was no rule or condition of service as regards the age of retirement, and workmen were allowed to continue as long as they remained fit.

We accordingly set aside the award of the Tribunal and hold that the forced retirement of Tarapada Singha on 1st January, 1961 was not justified. We direct his reinstatement to his former post within 15 days from this date and further direct that he be paid his full salary from 1st January, 1961 to the date of his reinstatement."

(१ म० प)

अध्यक्ष महोदय, इस जजमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन बोर्ड के दो कर्मचारी हाई कोर्ट में गये। और उनके फेवर में जजमेंट हाई कोर्ट से हुआ।

इसी बुनियाद पर अध्यक्ष महोदय, पी० डब्लू० डी०, उदयपुर में कुछ कर्मचारियों को, जिनको हटया गया था वे रिट लेकर हाई कोर्ट में गये। उन्होंने रिट्रेन्चमेंट बेनिफिट की डिमाण्ड की। ५-४-६७ को फैसला हुआ जहां इन तमाम केसों में रिटायरमेंट को गलत माना गया और इसके अनुसार किसी को दो हजार किसी को ढ़ाई हजार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी को तीन हजार रिटेन्चमेंट बेनिफिट की डिक्री अदालत से हुई है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सरकार के नोटिस में यह स्पष्ट तौर से है और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर से यह होल्ड किया है कि बाद में बनाये गये रूल्स पुरानों पर लागू नहीं हो सकते तो वर्क चार्ज कर्मचारियों पर जो ६४ में रूल्स बनने से पहले से नौकर है लागू नहीं हो सकते, चाहे वे थर्ड क्लास के हों चाहे फोर्थ क्लास के हों। तो इसलिये उसी तरह के लिटीगेशन को सरकार को फिर फेस करना पड़ा। डिक्रियां हुई।

इसके अलावा सरकार को कोर्टों के फैसलों का आदर करना चाहिये पर जो आर्डर सरकार ने दिये हैं वे न केवल अपने कर्मचारियों के लिये दिये हैं, बल्कि म्युनिसिपल कमेटियों के कर्मचारियों को जो स्वायत्त शासन संस्थाओं में आते हैं, उनके लिये भी मेन्डेटरी आर्डर निकाल कर यह कह दिया कि ५५ वर्ष से ज्यादा को वहां से भी निकाल दो।

कुछ लोग लेबर कोर्ट में गये और जिन को ५८ वालों को रिटायर किया था आज से दो वर्ष पूर्व लेबर कोर्ट में रिटायरमेंट को गलत कर दिया और म्यूनिसिपल बोर्ड के खिलाफ डिक्री मिली है उन लोगों को। अब वह डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है। आपने म्यूनिसिपल बोर्ड पर जबर्दस्ती अपना निर्णय लाद दिया। म्यूनिसिपल बोर्ड के खिलाफ फिर डिक्री होगी।

इस तरह से आप एक तरफ से कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और इन्डस्ट्रियल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ और डिक्रियां होते रहने पर भी आप बार बार वही डिसीजन करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वर्क चार्ज के सम्बन्ध में ६४ से पहले के लोगों पर लागू करना जूडीसियल प्रोनाउन्समेंट के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : यही पर्याप्त होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बात और कहूंगा। फिर समाप्त करूंगा।

कुछ लोगों के लिये एग्जम्पशन, किया है। खास तौर से आयुर्वेद के अध्यक्ष महोदय को रिटेन किया है। मेरी जानकारी के अनुसार जो जस्टिफिकेशन इस बात के लिये दिया है कि ऐसे लोगों को जिनको नहीं रखने से हमारी व्यवस्था में गड़बड़ी फैल जाए और अल्टरनेटिव नहीं है, यह बात बताई। यहां तक कि हमारे अध्यक्ष हैं आयुर्वेद विभाग के वे कतई सही नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में तो यह डिमाण्ड रही है, उनके खुद के डिपार्टमेंट में भी, पब्लिक में भी कि अगर उनको सुपरएन्यूअशन एज के पहले भी कम्पलसरी रिटयरमेंट दे दिया जाय तो अच्छा है, दे देना चाहिये। ऐसा अनइफीसियेन्ट करप्ट आफीसियल को रखना स्टेट के अच्छे एड्मिनिस्ट्रेशन के हित में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा अफसोस जनक काम है कि इस तरह से एक आदमी के लिये चाहे मुख्य मन्त्री के वे नजदीकी हो सकते हैं, ऐसा करना खुद सर्विस के मोरेल के लिए भी अत्यन्त घातक है।

Page No. 88

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

श्री मोहन लाल सुखाडिया : मैं स्पष्ट कर दूं जिससे आपको भाषण न देना पड़े कि डाइरेक्टर, आयुर्वेद विभाग को बनाने के लिये जो मौजूदा रूल्स हैं उनके अन्दर जो प्रोवीजन है उनके अनुसार दूसरा व्यक्ति एलीजिबल नहीं होता है आज। इस वजह से उनके पीरियड को एक्सटेण्ड करके रूल्स को पुन: एग्जामिन कर रहे हैं और इस बीच में उनका ठीक करने की बात है वह देख रहे हैं। किसी का टाइम एक्सटेण्ड करने की नहीं है।

श्री भैरों सिंह : वह तो पहले भी किया जा सकता था।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : पहले यह प्रश्न सामने आया नहीं था। जब रिप्लेसमेंट का सवाल आया तो रूल्स के मुताबिक दूसरे एलीजिबल बनते हैं या नहीं तो उसमें टीचिंग एक्सपीरियेन्स की बात समाने आई।

श्री भैरों सिंह : यह तो उस हालत में कठिनाई हुई है जब १० साल के एक्सपीरियेन्स की बात आप करते है। ९ या ९।। वर्ष कर देते तो उनसे नेक्स्ट जूनियर जो हैं वे आपके आज के वर्तमान डाइरेक्टर से ज्यादा क्वालिफाइड और योग्य आदमी हैं। पर इनके लिये लेन्थ ऑफ ड्यूटी का बहाना ढूंढ लिया। बाकि में कइयों में आपने रूल्स चेन्ज किये हैं इस तरह से इसमें भी कर सकते थे और इस सोलिटरी एग्जाम्पल को अवोइड कर सकते थे।

श्री मोहन लाल सुखाडिया : ६ मन्थ्स मैग्जिमम पीरियड है। इसके बीच में भी कर सकते हैं। वही हम चाहते हैं कि रूल्स में अमेण्डमेंट करके कर सकते हैं तो उस को एग्जामिन करके उसकी पूर्ती करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और उनके बारे में अध्यक्ष महोदय .. ....

श्री अध्यक्ष : आप रेगुलर डिबेट मान रहे हैं क्या ?

You kindly pose questions for answers.

मैं डिबेट की तरह से अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रामनन्द अग्रवाल : इस तरह से तो ओटोमेटिकली तमाम सर्विस में डिमोरेलाइजेशन हो जायेगा और इससे हार्ट बर्निंग होगी। आप इस तरह से एग्जम्प्शन न करें।

श्री अध्यक्ष : और कोई प्रश्न रख रहे हैं क्या ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मुख्य मन्त्री महोदय, ने रिटायरमेंट के भिन्न भिन्न विवरण दिये हैं। अब ४७ से लेकर जिन्होंने बलिदान किये हैं सिन्धी हैं पंजाबी हैं। उनको तीन से पांच वर्ष की छूट दी गई थी। उनका कोई जिक्र नहीं किया मुख्य मन्त्री महोदय, ने अपने वक्तव्य में।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो केन्द्र से राज्य से विशेष कर जो रिफ्यूजीज हैं उनको तीन से पांच वर्ष की छूट दी जाती थी वह कायम रखें। आज ऐसी कौनसी स्थिति आ गई कि आप उनको भूल गये। इस राज में जितने रिफ्यूजीज हैं, जिनको एक समय तो क्या एक मिनिट का भी चैन नहीं है। मारे भागे फिरते हैं। वे शायद डेपूटेशन के रूप में भी आप से मिले होंगे। शायद मुख्य मन्त्री के पास भी गये होंगे। जो स्थिति आज अजमेर नगर की है उससे आप सुपरिचित हैं। जितने नागरिक रिफ्यूजीज हैं उनकी हालत फोर्थ क्लास से भी बदतर है। तो यह करबद्ध प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा कि मुख्य मन्त्री जी कम से कम विशेष रूप में शरणार्थियों के लिये रिफ्यूजीज के लिये, जिनकी स्थिति गम्भीर और विचारणीय कुटुम्ब के भरण पोषण और वस्त्र तक भी उपलब्ध करने में असमर्थ हैं उनको आश्वासन देने वाला व्यक्ति नहीं रहा, न मन्त्री हैं, न मुख्य मन्त्री हैं। इसलिये उनसे विशेष तौर मेरी प्रार्थना है कि जो शरणार्थी हैं, जिन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति को और देश को छोड़कर यहां शरण ली है, आजादी के खातिर इस भारत में प्रवेश किया उनको तीन से ५ वर्ष के अन्दर रिटायरमेंट में बढ़ोतरी की जावे। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को ५५ से बढ़ा कर ६० साल की जब तय की थी सरकार ने ऐसा उस समय कोई निश्चय नहीं किया था कि पी० डब्लू० डी० इरिगेशन, बागात आदि विभागों के दूसरे लोग हैं उनको भी बजाय ६० के ५५ पर रिटायर कर दिया जावेगा ?

नम्बर दो, क्या यह सही है कि सरकार के इस निर्णय के बाद के वर्कचार्ज को ६० के बजाय ५५ पर रिटायर कर दिया जावेगा, उदयपुर के अन्दर पी० डब्लू० डी० के वर्क चार्ज कर्मचारियों ने धरना दिया और वह कल तक जारी रहा ? क्या यह सही है कि सरकार के इस आश्वासन के पश्चात् कि सरकार इस पर विचार कर रही है अपना धरना समाप्त कर दिया है ? क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह ही वर्क चार्ज के पी० डब्लू० डी० आदि में जो कर्मचारी हैं, सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया तो वे सारे प्रदेश में हड़ताल करेंगे ?

क्या यह सही है कि इस वर्क चार्ज को लेकर राजस्थान इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने फैसले दिये हैं ? उनकी मान्यता यह है कि सन् १९६४ में रूल्स बनाये गये, सर्विस रेगुलेट करने के लिये, उनके पूर्व के व्यक्तियों पर सरकार का यह निर्णय लागू नहीं होता ? उनमें यह माना गया है कि सरकार रिटायरमेंट का नाम लेती है वे रूल्स उन पर एन्फोर्स नहीं होते हैं, सरकार नोटिस देकर अलग कर रही है वह रिटायरमेंट न होकर रिटेन्चमेंट होगा। राजस्थान ट्रिब्युनल ने उदयपुर के पी० डब्लू० डी० कर्मचारियों को लेकर और इरीगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को लेकर समय समय पर फैसले किये हैं।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बना कर बताया कि रूल्स ३२, ३६ और ३८ के द्वारा यह निर्णय लिया है। सरकार उन व्यक्तियों को हटाना चाहेगी तो वह रिटायरमेंट न होकर रिट्रेन्चमेंट होगा और सरकार को मुआवजा देने के लिये बाध्य किया है। इसलिये राज्य सरकार ने दुबारा निर्णय लिया कि ५५ के बजाय ५८ करेंगे। क्या राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल के द्वारा दिये गये फैसलों की जांच करवा ली ?

अभी मुख्य मन्त्री ने कहा कि आयुर्वेद के डाइरेक्टर के लिये क्वालिफिकेशन के माफिक कहीं कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सी० सी० एफ० की नियुक्ति का प्रश्न आया और उस क्वालिफिकेशन के अनुसार राजस्थान में उपलब्ध नहीं हुआ तो बाहर से इम्पोर्ट किया गया। कई दिनों तक स्थान अस्थायी तौर पर रहा। डाइरेक्टर आयुर्वेद जिनके खिलाफ भयंकर चार्जेज विधान सभा में लगाये गये हैं, पी० ए० सी० में भिन्न भिन्न प्रकार से उस पर विचार किया गया है, उनको रिटायर हो जाना चाहिये था लेकिन अफसोस है कि इस देश भर मे इस योग्यता का व्यक्ति राजस्थान सरकार का उपलब्ध नहीं हुआ।

इन मुद्दों के आधार पर मैंने जो मुद्दे उठाये हैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस बिना पर रिटायरमेंट और रिट्रेन्चमेंट किये हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हो गया। **श्री रामकिशन।**

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उसको वापिस लेना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : आपको बाद में।

श्री **राम किशन** : ७५० ग्राम सेवक सरप्लस हुए हैं यह डिस्ट्रिक्ट पर ही छोड़ दिया गया है या कोई नीति का प्रश्न होगा ? एक तो ट्रेनिंग ली। एक विशेष नीति बना कर पटवारी या मास्टर जो भी उनको बनाना हो वह करेंगे या कमेटीज़ पर ही छोड़ देंगे ?

दूसरा ग्राम सबको ट्रेनिंग दी है, पटवारी की देंगे या मास्टर की ट्रेनिंग देंगे। अमीनों को ट्रेनिंग दी। वे बेकार बैठे हैं। अमीन और पटवारी की ट्रेनिंग एक जैसी होती है। पटवारी ट्रेनिंग पर अभी भी पैसा खर्च हो रहा है तो क्या अमीनों को पटवारियों की जगहों पर खपा देने के लिये तैयार हैं ?

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वर्क चार्ज के लिये ५८ और ६० साल रखे। दोनों अलग अलग क्यों ? यह उचित नहीं समझता। वर्क चार्ज को भी ६० साल की रखी जाय।

Page No. 91

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस समय सदन में ५८ से ५५ वर्ष की घोषणा की गई कई माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा में घोषणा की गई कि यह सरकार की नीति आई० ए० एस० अफसरों पर भी लागू होनी चाहिये। उस समय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि इस प्रश्न को भारत सरकार ने समक्ष रखूंगा, और मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन होगा उसमें अपनी राय देकर इसका प्रयत्न करूंगा कि राज्य सरकार के अफसर और भारत सरकार की सेवाओं में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। उनकी मांग किस हद तक स्वीकार हुई यह वह सदन को बतायें।

इसके अतिरिक्त सदन को स्मरण होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जब इस निर्णय की घोषणा की तो मैंने पॉइन्टेड क्वेश्चन पूछे थे कि राजस्थान सरकार की यह नीति केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होगी या उन अधिकारियों पर भी लागू होगी जो अन्य स्टेट्यूटरी कार्पोरेशन में हैं या दूसरे स्टेट के भागों में डाइरेक्टर आदि हैं उनको वहां से हटाया जायगा या नहीं? माननीय वित्त मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा था कि जिनकी नियुक्ति सरकार के हाथों में है उन सब लोगों को ५५ वर्ष की आयु के बाद रिटायर किया जावेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानकारी करना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टेक्निकल एडवाइजर श्री सत्संगी को क्यों नहीं हटाया गया? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहूँगा कि हायर सेकन्डरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीलालजी जोशी को क्यों नहीं हटाया गया? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह भी जानकारी करना चाहूँगा कि राज्य सरकार रीएम्पलोयमेन्ट के बारे में क्या नीति लेकर चल रही है? क्या राज्य सरकार इस स्थिति में है कि वह आश्वासन कम से कम एक साल के लिये भी दे सकती है कि जिनका रिट्रेन्चमेन्ट या रिटायरमेन्ट किया है उनमें से किसी का रीएम्पलोयमेन्ट नहीं किया जायगा? रिएम्पलोयमन्ट की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। मैंने कुछ कागज देखे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे, मुझे यह जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग के उप-संचालक श्री शंभूलाल शर्मा को विशेष अधिकारी स्पेशियल अधिकारी के नाम से नियुक्त किया जा रहा है। चार पांच दिन की प्रोग्रेस का पता नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार यह नियुक्ति कर ली गई है। जैसा डाइरेक्टर आयुर्वेद के सम्बन्ध में कहा कि नियमों में कठिनाई होने के कारण उनको यहां से नहीं हटाया गया, ऐसे नियमों में कई अधिकारियों के लिये कठिनाइयां हो सकती हैं। एक अधिकारी को पिक अप करके नियमों का संरक्षण लेकर इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा की जाती है? इन पर मुख्य मंत्रीजी पूरा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा।

श्री सहदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानकारी चाहूँगा कि कलेक्टर को कब लिखा गया और बहुत पहले ही लिखा था तो पंचायत समिति में अब तक पशुपालन कर्मचारी चल रहे हैं, वेक्सिनेटर आदि। पंचायत समिति और जिला परिषद् को आदेश

Page No. 92

(श्री सहदेव शर्मा)

मिले हैं कि उनको कलेक्टर के पास भिजवा दीजिये और विकास अधिकारी ने वहां से उनको रिलीव कर दिया। कलेक्टर ने कमीशन को लिखा और कमीशन ने कहा कि जिला परिषद् के हैडक्वार्टर पर चले जाइये। वे हमारे पास आकर बैठे हुए हैं। कम से कम १५० कर्मचारी रोज आकर बैठ जाते हैं। जी. ए. डी. ने कलेक्टर के पास भेज दिया, कलेक्टर ने कमीशन और कमीशन ने जिला परिषद् के पास भेज दिया। हमें पता नहीं हम उनसे क्या काम लें ? एक-एक महीना, डेढ़-डेढ़ महीना उन्हें बेकार बैठे हो गया। तनख्वाह मिलती नहीं। उनका गुजारा कैसे चलेगा ? मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ग्राम सेवकों को मास्टर की ट्रेनिंग दी जावेगी। ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रशिक्षित आलरेडी विद्यार्थी हैं और जो घूमते फिरते हैं, ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग देकर लगा देंगे तो इतने सारे टीचर्स हो जावेंगे तो उनको कैसे लगावेंगे, क्योंकि पहले से ही दिक्कत है। हजारों की संख्या में ट्रेन्ड टीचर्स बैठे हुए हैं। उनको नहीं लगा सके हैं, फिर ग्राम सेवक आ जायेंगे, उसके बाद ट्रेन्ड टीचर्स आ जायेंगे। तो ये ही दो तीन बातें हैं जिनके बारे में निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट के अन्दर, आपकी आज्ञा से कुछ तथ्य रखना चाहूंगा।

मैं यह मानता हूं कि सरकार का अधिकार है कि साठ, अट्ठावन या पचपन वर्ष में जब कभी भी किसी विभाग के आदमियों को रिटायर करना चाहे तो उस सम्बन्ध में व्यवस्था कर सकती है। मुझे कोई इस बारे में भी विशेष सरोकार नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि किसको रिटायर किया और किसको नहीं किया, उस सम्बन्ध में मैं जानकारी प्राप्त करूं। किन्तु मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने आज आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है वह मेरे ख्याल से संतोषजनक नहीं है। वैसे तो एक्सक्यूज करने के नाते कुछ भी कहा जा सकता है और कुछ भी कर सकते हैं किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मुझे उस उत्तर से संतोष नहीं हुआ।

एक सम्माननीय सदस्य ने यहां रिफ्यूजीज के सम्बन्ध में कहा। रिफ्यूजीज के लिए तो मैं तो समझता हूं कि यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है। यह तो बेरोजगारी की बात है। रिफ्यूजीज किस तरह से हमारे देश में आकर बसे हैं उस सम्बन्ध में भी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या को सोचना चाहिए और रिफ्यूजीज को अगर खासतौर से कोई उदारता पूर्वक व्यवहार करके, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें तो उचित होगा।

यह भी मांग की गई कि उदयपुर के पी. डब्ल्यू. डी. कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्या हुआ ? यहां पर इस सम्बन्ध में कहा गया है कि जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। मैं भी निवेदन करूं कि इस सम्बन्ध में मैं भी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

अब सवाल मेरा इतना और रह जाता

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है कि रिटायरमेंट हो या रिट्रेंचमेंट हो या कुछ भी मेंट हो लेकिन हजारों आदमियों को इस तरह से गवर्नमेंट की नौकरी के अन्दर रख कर चाहे आपकी विवशतायें कुछ भी हों, एकदम आल ऑफ ए सडन यह कहें कि तुमको रिटायर कर दिया जाता है या रिट्रेंच कर दिया जाता है, यह मेरे खयाल में सरकार के लिए एक उचित व्यवहार नहीं है। आपको चाहिये कि हर एक आदमी को, इण्डीविजुअली एडजस्ट करने की कोशिश करें, अगर इस प्रोसेस को ग्रेजुअली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके रिगर को कम करें और अगर आप करना चाहें तो कर सकते है। तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार की नीति इस आधुनिक युग के अन्दर, आज इस मंहगवाड़ी की समस्या को देखते हुए, राजस्थान की बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सरकार को कोई निर्दयतापूर्ण कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सहानुभूतिपूर्वक, उदारतापूर्वक एडजस्टमेंट के साथ अगर इस रिगर को, इस चोट को कम करें, और भी कम करने को कोशिश करें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेंशन और रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेचुएटी जल्दी मिल जाय इसके लिए भी क्या सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मुख्य मन्त्री महोदय !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, परिगणित जाति के सदस्यों के रिटायरमेंट के लिए अलग से नियम नहीं हो सकते। रिक्रूटमेंट के लिए तो रिजर्वेशन है लेकिन रिटायरमेंट के लिए जो दूसरे लोगों के लिए नियम हैं वही उन्हीं के लिए भी लागू होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

रिफ्यूजीज के बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया से टीचर्स के एम्पलॉयमेंट के बारे में जहां तक मुझे याद है एक सर्क्यूलर पहले आया था जिसमें ६० वर्ष की आयु के बारे में कहा गया था। उस सक्यूलर को हमारे डिपार्टमेंट वाले एग्जामिन कर रहे हैं और उसमें अगर गवर्नमेंट आफ इण्डिया का इस प्रकार का कोई सक्यूलर रहा है, इन कण्डीशन्स के आधार पर उनका एम्पलॉयमेंट हुआ है, तो उसको ध्यान में रखा जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो वर्क चार्ज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और दूसरी सम्बन्धित बातें कही गई। मेरे वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ५८ वर्ष तक के नियम बनाये गए थे उनके लिए इस स्टेटमेंट के जरिए हमने इस बात को स्वीकार किया है कि ५८ वर्ष के नियम उनके लिए लागू होंगे। अब ५५ वर्ष के लिए कर दिया है तो इसके बजाय ५८ वर्ष कर दिया गया है। हम तो एक कदम और भी आगे गये हैं और यह किया गया है कि जो क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स हैं, स्वीपर वगैरह, इस तरह की मेहनत नहीं करने वाले लोगबाग, उन लोगों की आयु भी जैसे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूसरे विभाग के अन्दर ६० वर्ष की आयु है, इनके लिए भी ६० वर्ष की आयु कर दी जायेगी। जिन लोगों के नियम नहीं बने हैं और जिन लोगों को ५५ वर्ष में रिटायर किया जा सकता है उनमें जो क्लास फोर्थ सर्वेन्ट, चपरासी वगैरह हैं उनके लिए भी ६० वर्ष का नियम लागू किया जायगा और मैकेनिकल और दूसरे काम करने वाले हैं उनके लिए ५८ वर्ष के समकक्ष ही माना जायगा, यह मैंने यहाँ पर निवेदन किया है। फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट और लेबर कोर्ट्स के इस सम्बन्ध में जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट्स को हमारा विभाग स्टडी कर रहा है और मैं यह हर्गिज नहीं चाहूंगा कि अगर लीगली राइट बनाता है तो उनको कोर्ट्स में जाना पड़े और कोर्ट में जाने के बाद, लिटिगेशन में जाने के बाद उनका अधिकार खड़ा हो, तब उनको वह दिया जाय। इसको स्टडी करने के बाद अगर लॉ डिपार्टमेंट की यह राय बनती है कि उनकी रिटायरमेंट की आयु ६० वर्ष और ५८ वर्ष लागू की जानी चाहिए तो वह आवश्यक संशोधन भी कर दिया जायेगा और उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि १५ दिन अन्दर ही हम इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, जो बी. एल. डब्ल्यू और दूसरे लोगों के बारे में कहा गया तो हमने जिला परिषद को नहीं बल्कि सबोंडिनेट सर्विसेज कमीशन है उनको कहा है कि वह अलग से एक जिले की सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो लोग सरप्लस होंगे उनको एब्जॉर्ब करने की कार्यवाही करें। इसके बाद भी अगर यह स्थिति पैदा होती है कि वह सरप्लस लोग जिला परिषद और पंचायत समितियों की सर्विसेज़ में नहीं लग पाते हैं तो अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह उन लोगों को उचित स्थानों पर लगाये जो १९६६ के अक्टूबर के पहले के नियुक्त व्यक्ति हैं। अब कलेक्टर को किस तारीख को लिखा गया है उसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है, इसलिए वह सूचना मैं नहीं दे पाऊंगा।

श्री सहदेव शर्मा : जिला परिषद के पास ही आ रहे हैं वे तो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में श्री सत्संगी के बारे में कहा गया कि ६० के ऊपर होने के बाद भी क्यों कण्टीन्यू किया जा रहा है? इस सम्बन्ध में हमको देखना होगा कि लीगली हम बाधित हैं कण्टीन्यू कराने के लिए या नहीं, इस बात को एग्जामिन करके ही कार्यवाही करेंगे। कहीं एक्सेप्शन करने की बात नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने इस मामले में काफी स्ट्रिक्टनेस रखी है, और जहां पर अन्यथा मालूम हुआ है, जैसे तीन पद मैंने कहे कि एक डायरेक्टर आयुर्वेद का मामला है, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भैरोंसिंह जी ने कहा है कि वह भी एक पॉइन्ट हो सकता है, रूल्स के अन्दर

Page No. 95

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

परिवर्तन करने की सम्भावना हो सकती है। इस बात को एग्जामिन कर सकते हैं लेकिन मौजूदा रूल्स में तो दिक्कत ही है। इसलिए छः महीने के अन्दर अन्दर इसको कर लेंगे, और इसीलिये छः महीने के लिए किया है। इसी प्रकार से डायरेक्टर आफ संस्कृत एज्यूकेशन के बारे में है। आप देखेंगे कि नेक्स्ट मैन अवेलेबल नहीं है, पोस्ट एडवरटाइज करनी पड़ेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में है, भटनागर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबसे योग्य आदमी हैं, आल इण्डिया फेम के व्यक्ति हैं, उनकी रिसर्च है, ऐसे योग्य व्यक्ति की सेवाओं को रखा है। और रि एम्पलॉय करने के बारे में पुनः नियुक्त करने के बाद हमने साफ तौर से स्ट्रिक्टनेस रखी है और गवर्नमेंट पूरी तौर पर इसको स्ट्रिक्ट करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। हम कोई एक्सेप्शन एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राआर्डिनरी सरकम्स्टांसेज करना नहीं चाहते सिवाय इसके कि तीन केसेज के बारे में आपके सामने अभी निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्षजी, जहां तक....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मानकर चलें कि यह अन्तिम निर्णय हो गया है कि तीन से ज्यादा केसेज़ नहीं होंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक गजेटेड ऑफिसर्स का सवाल है जो मेरे पास केसेज़ आये हैं उनमें इन तीन के अलावा दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है। नीचे, कहीं निमुक्तियां नहीं की जायं और कहीं इस प्रकार का प्रश्न हो तो गवर्नमेंट को रेफिर किया जाय एपॉइन्टमेंट डिपार्टमेंट को, इस तरह का केबिनेट का डिसीजन है, और कोई रिएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकेगा....

श्री भैरोंसिंह : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट मे एमेंडमेंट करेंगे या जो किया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऑफ हैण्ड नहीं कह सकता हूँ। मैं देख लूंगा तब कहूँगा।

तो मूल में जो बातें इस विषय में विचार करने के लिए रखी गई हैं उनके बारे में मैंने आपसे निवेदन कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : आई० ए० एस० के बारे में क्या कर आये दिल्ली में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके सम्बन्ध में मैंने लिखकर भेजा है होम मिनिस्टर को। इस चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में इस प्रश्न पर विचार करने का नहीं था और समय था नहीं और न यह प्रश्न वहां पर उठाया गया इस वजह से वहां पर इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिटायर होने वाले लोगों के थोड़े समय में पेन्शन और ग्रेच्युटी के केसेज़ तय कर दिये जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस संबंध में कहा हुआ है कि जल्दी से जल्दी केसेज़

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का डिस्पोज़ल हो जाना चाहिए, विलम्ब नहीं होना चाहिए, और इसके लिए स्पेशली सेक्रेटेरियेट के ऑफिसर्स को हिदायतें की गई हैं। हम खुद जानते हैं कि सडनली यह किया गया है तो उनको जल्दी यह मिलना चाहिए इस पॉइन्ट ग्राफ व्यू से यह किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस कार्य के लिए एक तो आर्डिनरिली वर्क होता है इसके अलावा एक विशेष मशीनरी लगाई जाय। जो आर्डिनरिली तय करते हैं पेन्शन के केसेज उनमें समय लगता है लम्बा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : विशेष मशीनरी बनायेंगे तो और ज्यादा देर लग जायगी। उसके बजाय जो अधिकारी जिस विभाग से सम्बन्धित हैं उनको जिम्मेदार ठहरा कर काम लिया जाय तो जल्दी डिस्पोज़ल होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : १० जून को जिस समय आपने सदन में वक्तव्य दिया था कि भारत सरकार को आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के सम्बन्ध में लिखेंगे और आपने भी सूचित किया है कि आपने होम मिनिस्टर को लिख दिया है लेकिन डिस्कशन नहीं कर सके तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि आपने जिस समय वक्तव्य दिया था तो उसके कितने दिन बाद या कब लिखा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे तारीख याद नहीं है कि किस रोज लिखा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेन्स से पहले ही लिखा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिखा क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने यहां पर यह नियम बनायें हैं और जो अन-एम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको लक्ष्य में रखते हुए आल इंडिया सर्विस की एज ५५ उपयुक्त होगी।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय....

स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य को कार्य सूची में सम्मिलित करने के प्रश्न पर चर्चा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खर्च सम्बन्धी मामले में सार्वजनिक निर्माण मंत्री एक वक्तव्य देगें।

श्री राम किशन : यह तो रिजोल्यूशन रखा था इसलिए मैं पहले चर्चा करूंगा नियम १२६ के तहत।

श्री भैरोंसिह : एक काल अटेन्शन नोटिस था।

श्री अध्यक्ष : इस पर स्टेटमेंट का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह : स्टेटमेंट बोर्डर रोड्स के कन्स्ट्रक्शन पर है और दूसरा है Call

(श्री भैरोंसिंह)

Attention Notice for two hours discussion.

श्री राम किशन : १२७ के तहत बता दिया गया था कि उस पर दो घंटे का विचार का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग प्रश्न है।

श्री राम किशन : आपकी व्यवस्था इसी के लिए थी।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन-प्रस्ताव पर स्टेटमेंटके लिए है। मेंने कहा मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं, अध्यक्ष महोदय, आप से कई दफा निवेदन कर चुका हूँ कि मेंने १२ तारीख को एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था। वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। उसका ६० हजार आदमियों पर असर पड़ता हैं.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इस प्रस्ताव का आप स्पष्टीकरण आने देगें तब आप और हम उस दृष्टिकोण से कहेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं कई बार इसको उठा चुका हूं लेकिन आपने कोई निर्णय नहीं किया है !....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी सदन की कार्यवाही चल रही है - उसमें व्यवधान न डालें। वक्तव्य देने दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह भी सदन का कार्य है। यह घरू काम है क्या ?

श्री अध्यक्ष : उसके बाद देखेंगे। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय राज्य सीमावर्ती क्षेत्रों में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यह खड़ा करना चाहता हूं कि सभी सदन के सदस्यों के लिए यह जो कार्य-सूची विधान सभा द्वारा प्रसारित की जाती है तो इसमें लिस्ट ऑफ बिजिनेस होता हैं कि आज की तारीख में ऑफिशियल इन्फार्मेशन के बारे में क्या बिजिनेस लिये जाने की व्यवस्था की गई है। मैं इस बात का तो विरोध नहीं करता कि यह वक्तव्य आज नहीं दिलाया जाय, लेकिन मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो बिजिनेस ऑफिशियली हम तय करें तो लिस्ट आफ बिजिनेस में दिखाया जाना चाहिए जिसका हमारे नियमों में प्रावधान है। ता० १७ की जो कार्य सूची है उसमें लिखा है, "कार्य सूची, प्रश्न पूछे जायेंगे अथवा उनके उत्तर दिये जायेगें, (२) ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव, नं.(३), राजस्थान सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार", इसलिए मैं इस बात पर निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में माननीय सदस्यों को यह जानकारी कि किन किन के बारे में स्टेटमेंट होना है सारे डिटेल्स ऑफ बिजिनेस चेयर ने जिनको एडमिट किया है वह नहीं होंगे तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसके कारण से दुविधा होती है और माननीय सदस्यों को मालूम नहीं पड़ा है कि वह बिजीनेस आज लेंगे या नहीं। उदाहरण के लिए मेडिकल कालेज में एडमीशन के बारे में १७ तारीख को वक्तव्य देने की व्यवस्था थी। ऐसा अखबारों में था, लेकिन वह १८ तारीख को होगा। इससे सदस्य दुविधा में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध का बिजिनेस नहीं निकाला जाता रहा है, लेकिन अगर माननीय सदस्य मानते हैं कि इससे दुविधा होती है तो आयन्दा भविष्य में स्थगन प्रस्तावों के स्टेटमेंट के सम्बन्ध में संकेत कर दिया जायगा।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बड़ी दुविधा में डाल रहे हैं। मैं कई दिनों से अपनी बात सुनाना चाहता हूँ, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप सुनना नहीं चाहते....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष अपने पैरों पर हैं। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने की परम्परा समझें। एक प्रश्न इसको समझ लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह एक क्षेत्र.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! आपकी बात यह स्पष्टीकरण होने के बाद, शासन बैठा रहेगा। आप दिल खोल कर कह सकेंगे। पहले वे स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : धन्यवाद दे रहे हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : अच्छा धन्यवाद है। शासन खड़ा हुआ है।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा जीपों की खरीद सम्बन्धी विषय पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का

वक्तव्य

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय.... ...

भारतीय राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध सम्बन्धी महत्व की सड़कें बनाने की समस्या की तरफ भारत सरकार का ध्यान सब से पहले सन् १९६० में गया। राजस्थान राज्य महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्यों में से एक होने के कारण स्वाभाविक तौर से इस कार्य-क्रम में शामिल किया गया। १९६०-६१ में इस राज्य को कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में प्रारम्भिक अनुमान भारत सरकार को भेजे गये। १९६३ में मन्त्रिमंडल सचि-

Page No. 99

(श्री अमीनुद्दीन)

वालय द्वारा दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्य सचिव हाजिर हुए थे जिनके साथ राजस्थान के मुख्य अभियन्ता भी थे। इस बैठक के परिणामस्वरूप राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिये पहले मंजूरी सन १९६४ में प्राप्त हुई। इसके बाद सन् १९६५ में सितम्बर व अक्टूबर महिनों में सात और मंजूरियां प्राप्त हुई। नीचे की तालिका में उनके लागत के व्यौरे तथा मंजूरी की तारीख के साथ इन सड़कों के अनुमानित खर्चे दिये गये हैं:—

	सड़क का नाम	लागत	मंजूरी की तारीख
१.	बीकानेर-दिल्ली रोड प्रथम चरण	१,१६,१०,०००	२६.६.१९६४
२.	बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर	६,६२,०१,०००	१७.९.१९६५
३.	बाड़मेर-मुईगांव राजस्थान सीमा तक	२,७०,८७,०००	२०.९.१९६५
४.	बाड़मेर-गडरा मुनाबा तक	१,८८,३६,०००	२०.९.१९६५
५.	बीकानेर-दिल्ली दूसरा चरण	२,४१,७१,२००	९.१०.१९६५
६.	बाड़मेर-जोधपुर-ब्यावर	४,६०,३३,०००	१२.१०.१९६५
७	बीकानेर-गंगानगर रोड	४,८३,२९,०००	१६.१०.१९६५
८.	ब्राह्मणों की ढाणी से रामसर (सीमा के साथ-साथ गडरा रोड	४,८०,७७,०००	११.१०.१९६५
	कुल	२९,१०,४४,२००	

इस प्रकार पता चलेगा कि उपरोक्त कार्यक्रम में कुल अंदाजा २९ करोड़ रुपये आते हैं। अगरचे बाद के आदेशों द्वारा, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में तबदीली कर दी जिससे ब्राह्मणों की ढाणी से रामसर (सीमा के साथ-साथ गडरा रोड) रोड को हटा दिया गया और डबल लेन के स्थान पर सिंगल लेन केरियेज वे (Double lane to single lane carriage way) रख दिया गया। इस प्रकार कार्यक्रम की लागत को घटाकर लगभग १३ करोड़ रुपये कर दिया गया।

अप्रेल १९६६ में मुख्य सचिव राजस्थान ने एक बैठक बुलाई जिसमें भारत सरकार के यातायात मंत्रालय (Transport Minisiry) तथा Defence Ministry के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस बैठक का खास मकसद यह तै करना था कि विभिन्न सड़कों में से किसे प्राथमिकता दी जाय। इस बैठक के दौरान पहले एवं दूसरे नंबर की प्राथमिकता रखने वाली १७ मिलाने वाली सड़कों को मंजूर किया गया।

१९६६ जून में अन्दाजन ६.४० लाख रुपयों की लागत पर भारत सरकार ने इन सड़कों के बनाने की मंजूरी दे दी। इस प्रकार जून १९६६ तक के कार्यक्रम में उप-

(श्री अमीनुद्दीन)

रोवत छः मुख्य सड़कें और १७ मिलाने वाली सड़कें शामिल हैं।

काम तामील करने का जरिया

सन् १९६५–६६ में ज्यों ही भारत सरकार से इन कामों की मंजूरियां प्राप्त हुई, राज्य के पब्लिक वर्क्स विभाग ने ये सड़कें बनाना शुरू कर दीं। यहाँ यह जिक्र भी कर देना जरूरी है कि पूरे प्रोग्राम के लिये रकम भारत सरकार से दी जाती है, और पी० डब्ल्यू० डी० इस प्रोग्राम की तामील ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री की हिदायतों के मुताबिक कर रहा है। लेकिन जब किसी ज्यादा बड़े प्रोग्राम की बाबत मंजूरियां रकम खर्च करने तथा मीलों लम्बी सड़कें बनाने के लिये हासल हुई तो राजस्थान सरकार ने एक चीफ इन्जीनियर के मातहत अलग से एक नज्म कायम करने और इस प्रोग्राम की तामील करने का फैसला किया। यह फैसला भारत सरकार से काफी बात-चीत के बाद किया गया, जिसके लिये, एक मौके पर उसने ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री के जरिये इन सड़कों की तकमील खुद ही करने का विचार कर लिया था। तो भी ज्यादा करके राजस्थान के मुख्य मन्त्री की कोशिशों से आखरी फैसला राज्य सरकार के हक में कि वह खुद ही इस प्रोग्राम की तकमील करे, हुआ।

इस तरह से जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है चीफ इंजीनियर का दफ्तर सिर्फ जुलाई सन् १९६६ में कायम व मंजूर किया गया यानी भारत सरकार से जुम्ला मंजूरियां के प्राप्त होने के सिर्फ एक माह बाद जैसा कि ऊपर बताया गया है।

प्रोग्राम की प्रगति

प्रोग्राम या परियोजना की प्रगति की जांच दो तरह की जाती है। एक तो सड़कें बनाने पर खर्च और दूसरे दरअसल जो काम पूरे हो चुके हैं। इसका अंदाज नीचे दी गई बातों से होगा।

सन् १९६५ में एक करोड़ रुपये के एलॉट-मेंट में से राज्य सरकार ने करीब-करीब ९० लाख रुपये खर्च किये। इस रकम का ज्यादातर हिस्सा बुनियादी जरूरतों पर खर्च हुआ जैसे कि मसाले और जमीन लेवल करना। सन् १९६६-६७ में रुपये के एलॉटमेंट में हमें कुछ दिक्कतें पेश आईं। लेकिन आखरी रकम जो दी गई वह सिर्फ ५·४१ करोड़ रुपया थी जिसमें साल गुजिश्ता यानी १९६५-६६ का बचा हुआ १०·७४ लाख रुपया भी शामिल था। जबकि एक तरफ रकमें नहीं दी गईं और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने प्रोग्राम में अहम तबदीलियाँ कर दीं जिनमें जेर तामीर कई सड़कों की प्राथमिकता बदल देना भी शामिल था। अब १७ लिंक सड़कों का सबसे पहले तामीर करना लाजिम हुआ जो मई सन्, १९६७ तक मुकम्मल कर देना है। State Organisation काम में पूरी तरह जुट गया और उसने ६-६ करोड़ रुपये की लागत का काम पूरा कर लिया मगर सीमित एलॉटमेंट को देखते हुए जो असली खर्चा ६·१ करोड़ रुपये का बैठा जिसके कारण ९० लाख

(श्री अमीनुद्दीन)

रुपये बिलों की अदायगी करना बाकी रह गया। इस तरह एक बार फिर खर्च के नुकते से देखा जाय तो स्टेट बोर्डर रोड आॅर्गेनाइजेशन की कर गुजारी न केवल इतमिनान बख्श ही रही बल्कि काबिल तारिफ भी है।

सन् १९६७-६८ में राज्य सरकार की पी. डब्लू. डी. ने ११ करोड़ रुपये की रकम एलॉट की जाने की माँग की। शुरू में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मई १९६७ में ६ करोड़ रुपये का एलॉटमेंट इस शर्त पर बताया था कि इसमें से ३३ प्रतिशत की कटौती की जा सकेगी। फिर उन्होंने जून १९६७ में एक ऐसे प्रोगाम के साथ एलॉटमेंट किया जिसमें इस बात का इशारा था कि एलॉटमेंट ३·१ करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया। जब यह सूचना प्राप्त हुई तब तक सीमा संगठन द्वारा करीब २·२५ करोड़ रुपये खर्च किया जा चुके थे। इसमें पिछले १९६६-६७ के वर्ष में बिना अदायगी के बिलों की एवज तामील किये काम जोड़ें जायं तो भी इसमें बचे हुए नौ महीनों के लिये २५ लाख रुपये बचे रहते हैं।

इससे मालूम होगा कि राज्य परियोजना संगठन कितनी मुश्किल में पड़ गया था। यहाँ मैं संगठन के वास्तविक तखमीनों का खाका खींचना चाहूंगा। संगठन को जो कार्य सौंपा गया था उसे दो श्रेणियों में बाँटा गया है।

(१) जहां पर कोई सड़क मौजूद नहीं थी वहाँ बिलकुल नई सड़कों का निर्माण और (२) सुरक्षा के नजरिये से सड़कों का सुधार। मुख्य सड़कों को लीजिये, ५८७ मील के नये तकमील करने के कार्य में से २२० मील लम्बी सड़कें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। और ४१ मील की सड़कों में सुधार करने में से १७ मील का काम पूरा हो चुका है। मिलाने वाली सड़कों के सम्बन्ध में ८११ मील के नये तकमील कार्य में से १६१ मील का काम पूरा हो चुका है। यहाँ यह काबिले जिक्र है कि मिलाने वाली सड़कों की मंजूरी सन् १९६६ यानी मुख्य सड़कों की मंजूरी के नौ महिने बाद प्राप्त हुई थीं। इससे मिलाने वाली सड़कों पर अपेक्षाकृत कम काम होना जाहिर हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि कुछ मिलाने वाली सड़कों सम्बन्धी एलॉटमेंट अभी तक अन्तिम रूप से तय नहीं किये गये हैं।

मैंने अभी हाल जोधपुर, जैसलमेर क्षेत्र का दौरा किया है और उन मुश्किल हालातों की खुद जानकारी प्राप्त की है जिनमें यह प्रोग्राम पूरा किया जा रहा है। सदन के के सदस्य जानते हैं कि इन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी है, आबादी बहुत दूर दूर है और पिछले कई वर्षों से लगातार वर्षा न होने के कारण खाद्य—समस्या अत्याधिक कठिन है इन सब से बढ़ कर इस क्षेत्र की अपनी जाती कठिनाइयाँ है। आम तौर से तामीर सम्बन्धी सामान को ले जाने की दिक्कत, क्योंकि यहाँ ऊंचे-ऊंचे रेत के टीलों वाले रेगिस्तान जैसी स्थिति है। यहाँ यह लिखना भी आवश्यक है कि इस भू-भाग के इस हालात की वजह से पानी और तामीर सम्बन्धी सामान लाने ले जाने के लिये बहुत उच्च शक्ति सम्पन्न

(श्री अमीनुद्दीन)

मशीनरी की जरूरत है, जो आसानी से मिल भी नहीं सकती। अतः मैं इस क्षेत्र के अपने एक साप्ताह से अधिक के दौरे बहुत अधिक मुतमइन होकर लौटा हूँ, और कह सकता हूं कि मजदूरों और अधिकारियों दोनों ने बहुत हिम्मत से और बिना कोई कसर छोड़े इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मे काम किया है।

औजारों तथा मशीनों की खरीद

इस परियोजना के लिये मशीनरी की खरीद के सम्बन्ध में दो शब्द कहना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगह बहुत आलोचना हुई है। नास्तविक स्थिति यह है कि कार्य की मात्रा को देखते हुए भारत सरकार ने निम्न-लिखित मशीनरी खरीदने की मंजूरी दी :—

(१) २०० डीजल रोड रॉलर्स खरीद के लिये	१·२७ करोड़ रुपये
(२) ४ मोबाइल वर्कशप्स की खरीद के लिये	०·०४ करोड़ रुपये
(१) जनरल मशीनरी की खरीद के लिये	५·९२ करोड़ रुपये
योग :—	७·२३ करोड़ रुपये

भारत सरकार ने ५·९२ करोड़ रुपये की मंजूरी खाते कुछ रोड रॉलर्स और १८ लाख रुपये के कीमत की जनरल मशीनरी सप्लाई की। कार्य की मौजूदा स्थिति पर रोड रॉलर्स की आवश्यकता नहीं थी। इस इक्विपमेंट की आवश्यकता पत्थरों की भराई (consolidation) के लिये सामान इकट्ठा होने के बाद पड़ती। पहले पहले जिसकी जरूरत थी वह थी जनरल मशीनरी की जैसे ट्रकें, फोर व्हील ड्राइव ट्रेक्टर और जीपें इत्यादि। इस मशीनरी की खरीद ठेकेदारों के साधनों के परे है और बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की यह नॉर्मल प्रेक्टिस रही है कि यह मशीनरी ठेकेदारों को भाड़े पर (on hire) या उधार (on loan) दी जाती है। कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से और खास कर भारत सरकार द्वारा मिलाने वाली सड़कों के सम्बन्ध में शायद सुरक्षा की आवश्यकता के कारण जोर दिये जाने की वजह से राज्य सरकार के लिए यह मशीनरी खरीदना आवश्यक हो गया। अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वित्त विभाग की राय से और समुचित नियम तथा प्रक्रिया बनाने के पश्चात् इस मशीनरी की खरीद की व्यवस्था की। उन्हें ठेकेदारों को विधि विभाग द्वारा यथावत् अनुमोदित करारों पर उधार दिया गया। यह आम धारणा है कि जीपें, टूल्स और प्लान्ट्स का भाग नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि तमाम परियोजनाओं पर जीपें, टूल्स और प्लान्ट्स में ही गिनी जाती हैं और इस मामले में भी भारत सरकार ने ५.९२ करोड़ रुपये की ऊपर लिखी अपनी मंजूरी में

(श्री)

१०० जोपों को शामिल किया था। इस तरह यह साफ है कि समस्त मशीनरी जो कि खरीद की गई, परियोजना के हित में थी और (duly authorised) थी।

मुझे यकीन है कि इस बयान को सुनने के पश्चात् सदन अपने संदेहों का जवाब पा जायेगा।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्माण मन्त्री जी ने जो राजस्थान के निर्माण विभाग की तारीफ में इस सदन में एक स्टेटमेंट देकर यह प्रकट करने की कोशिश की है कि राज्य सरकार ने तो बड़ी तत्परता से काम किया लेकिन भारत सरकार ने समय पर स्वीकृति नहीं दी। भारत सरकार के सुरक्षा मन्त्री ने लोक सभा में यह बयान दिया कि भारत सरकार ने तो बड़ी तत्परता से काम किया है लेकिन राजस्थान सरकार के निर्माण विभाग ने ढिलाई की है। अब यह दोनों वक्तव्य एक तो अखबारों में पढ़ा है और एक आज कानों से सुना है—दोनों में कौनसा सही हो सकता है - इसका निर्णय तो बाद में किया जायगा लेकिन दोनों का वक्तव्य पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट रुप से प्रकट होती है कि इस परियोजना के अन्तर्गत जो १८५६ मील सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए था जिस निर्माण के लिए भारत सरकार ने लगभग ३५ करोड़ ८५ लाख रुपये की स्वीकृति दी है, उसमें से केवल ३२५ मील सड़कों का हम निर्माण कर पाये हैं; इसके अतिरिक्त इस ३५ करोड़ रुपये की धनराशि में से ५५—५६ से ६६—६७, ६५-६६ और ६६—६७ में लगभग साढ़े छः करोड़ रुपया हम खर्च कर पाये हैं और इस वर्ष के लिए हमने जो ६ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था इस प्रावधान को तो हमने बजट में तो बताया है लेकिन भारत सरकार को स्वीकृति के अनुसार यह लगता है कि छः करोड़ की राशि को बता कर हम केवल तीन करोड़ रुपये का ही निर्माण कर पायेंगे और जैसा स्वयं निर्माण मन्त्री जी ने स्वीकार किया है, इस वर्ष के लिए अगले महीनों में जो काम करना है उसके लिए पच्चीस लाख रुपये शेष रहते हैं। इस स्थिति से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को स्वीकृति के अनुसार यदि तकाजे के साथ रुपया लेकर उसका काम किया होता तो शायद भारत सरकार को इस बात की शिकायत नहीं रहती कि राजस्थान सरकार को जितनी मील सड़कों का निर्माण करना चाहिए था उतने मील लम्बी सड़कों का निर्माण राजस्थान की सरकार नहीं कर पाई है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक सीमावर्ती प्रदेश है। राजस्थान की सीमा पर कच्छ के संघर्ष को लेकर और १९६५ के सितम्बर के संघर्ष को लेकर बाडमेर और जैसलमेर—दोनों जिलों में, बीकानेर और गंगानगर जिलों में राजस्थान और पाकिस्तान, राजस्थान को आर. ए. सी. और भारत सरकार की सेना और पाकिस्तान के बीच काफी मुटभेड़ें हुई हैं और हर व्यक्ति आज के दिन यह स्वीकार करता है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के अभाव के अन्दर हम जो पाकिस्तान को चुनौती दे सकते थे, सेनायें जिस सफलता से जितना मुकाबला कर सकती थीं, पाकिस्तान की सेनाओं का

(श्री भैरोंसिंह)

जिस सफलता से मुकाबला कर सकते थे-हम उसका मुकाबला नहीं कर पाये । आज दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान की सरकार को जो सबसे ज्यादा चिन्ता होनी चाहिए अपने उस अनडेवेलप्ड एरिया के के डेवेलपमेंट की, आज राजस्थान की सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। मुझे याद है, इस विधान सभा के अन्दर एक बार एक बैठक हुई थी, राजस्थान के बाहर विरोधी दल के सदस्यों, कुछ कांग्रेस दल के सदस्यों की मिल कर बैठक हुई थी, उस बैठक में, जैसा निर्माण मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, १९६३ में इस बात के लिए प्रपोजल्स बना लिये गये थे—कि हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन कौनसी ऐसी सामारिक दृष्टि में महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनका अत्यन्त आवश्यकता के आधार पर निर्माण किया जाना है । उस समय प्रोपाजल्स बना लिया गये थे और एक प्रोजेक्ट के रूप में मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया था और भारत सरकार के समक्ष भेज दिया गया था और भारत सरकार ने ६४ से उसके ऊपर स्वीकृति देना आरम्भ कर दिया था और मन्त्री महोदय कहते हैं कि १९६६ में एक अलग विंग कायम किया । बोर्डर प्रोजेक्ट रोड्स के लिए हमने एक सेपरेट ऑथरिटी कायम की । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि १९६६ में यह सेपरेट ऑथरिटी कायम क्यों की ? उससे पहले क्यों नहीं की ? जब आपको इस बात की जानकारी थी कि भारत सरकार सारी सड़कों के निर्माण का रुपया हमें देने वाली है, उस रुपये के आधार पर हमें सड़कों का निर्माण कराना है । उस समय तो आप सोते रहे, न आपने उस समय सेपरेट विंग तैयार की, न रुपया खर्च करने के सम्बन्ध में किस प्रकार की व्यवस्था होगी-उसके सम्बन्ध में चिन्ता की । आपको केवल यह चिन्ता रही कि चुनाव के मौके पर यदि सड़कों का जाल बिछाने की प्रक्रिया लोगों के सामने रखी जाय तो उसके आधार पर आप राजनैतिक लाभ उठा सकते हैं । दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उस पर राज्य सरकार को पैसा मिले, भारत सरकार राजस्थान सरकार के ऊपर भरोसा करके चले कि जितनी धनराशि की हम स्वीकृति दे रहे हैं उसके अनुसार सड़कों का निर्माण होगा और बाद में राजस्थान के निर्माण विभाग की आलोचना राजस्थान विधान सभा में नहीं हो, लोक सभा में हो और उसका असर यह हो कि छः करोड़ की स्वीकृत धनराशि में से पचास प्रतिशत कमी कर दी जाय और उस धनराशि को केवल तीन करोड़ की रखी जाय यह राजस्थान सरकार के लिए कलंक की बात है और यह आपके लिए सबसे बड़ी अयोग्यता का प्रमाण है । आप पंजाब में चले जाइये । पंजाब सरकार को भारत सरकार द्वारा जो पैसा दिया गया है, गुजरात सरकार को जो पैसा दिया है – उसके आधार पर आज गुजरात की सरकार नहीं कहती है कि हमने एक सेपरेट विंग बनाने में देरी की है, रोड रोलर्स को पर्चेज करने में देरी की है और भारत सरकार की स्वीकृत धनराशि से मशीनरी नहीं खरीद पाये हैं इसलिए इन सड़कों का निर्माण नहीं कर पाये हैं । आज जो स्थिति बन रही है, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति जिस प्रकार की बन रही है उसके आधार

(श्री भैरोंसिंह)

पर यह नहीं कहा जा सकता कि अगले माह हमारे और पाकिस्तान के बीच संघर्ष नहीं छिड़ जाय। यह कोई नहीं कह सकता कि चीन और भारत के बीच संघर्ष नहीं हो सकता। लेकिन हमारी सरकार तो कानों में तेल डाल कर यह निकम्मापन कर रही है कि भारत सरकार पैसा देती है और यह केवल राजनैतिक अडंगेबाजी में पड़ कर पैसा खर्च कर पाती है और न सड़कों का निर्माण कर पाती है। अध्यक्ष महोदय, आप चले जाइये, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में चले जाइये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ! मैं सुझाव देना चाहता हूँ। आप माननीय मंत्री से आपकी बातों का स्पष्टीकरण चाहेंगे। और स्पष्टीकरण कुछ तथ्यों पर चाहेंगे इसलिए आप इसके साथ साथ ऐसे प्रश्न पूछते जायं जिससे माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दे पायें। भाषण से तो वह स्पष्टीकरण नहीं कर पायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इतने विद्वान तो अवश्य होंगे कि मेरे भाषण में कौन से क्वश्चन्स पोज़ होंगे और उन क्वश्चन्स का जवाब वह दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : उनको आपके भाषण से प्रश्न निकालने होंगे।

श्री भैरोंसिंह : आपको सन्देह है उनकी विद्वता पर ?

श्री अध्यक्ष : सन्देह नहीं, प्रश्न भाषण से वह निकालेंगे, यदि आप साथ साथ प्रश्न भी बता दें तो उसमें दिक्कत नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : उनको दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : मेरी दिक्कत है।

श्री भैरोंसिंह : आपको दिक्कत है इसलिए कि आपको उनकी विद्वता पर वहम है।

श्री अध्यक्ष : विद्वता पर तो वहम आप शायद करें या न करें। मैं सारे सदस्यों को विद्वान् है या नहीं, विद्वान् मानता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्री को विद्वान् मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे प्रश्न हैं वह आप पोज़ करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय को संदेह है कि मंत्री महोदय, विद्वान् हैं या नहीं। आप मानते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी उन्हीं के स्तर का मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो राजस्थान सरकार यह बताये कि छः करोड़ रुपये के स्थान पर जो ३ करोड़ रुपये की

(श्री भैरोंसिंह)

मंजूरी अंततोगत्वा हमको मिली है और इस समय केवल पच्चीस लाख रुपये खर्च करने की स्थिति में आये हैं, तो पच्चीस लाख रुपये खर्च करके जो इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन आपने कायम कर रखा है उसके माध्यम से जो सड़कों का काम चालू कर रखा है वह सड़कों का काम किस प्रकारसे प्रगतिपर रहेगा ? पहली बात तो यह बतायें। दूसरी बात यह बतायें कि राजस्थान सरकार ने यह शिथिलता कैसे बरती है ? जब पाकिस्तान ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बना ली हैं, सड़कें ही नहीं बना ली हैं उसने सीमावर्ती क्षेत्र में हवाई पट्टी बना ली है और मैं अब तक की जानकारी के आधार पर कहता हूं कि पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे लाहोर के पास पिल बाक्सेज बनाये थे, उसी तरह से यहां पाकिस्तान ने पिल बाक्सेज का निर्माण किया है । इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो खतरा बढ़ रहा है, पाकिस्तान की सेना राजस्थान की सीमा पर जितनी मोर्चे बन्दी कर सकती है वह मोर्चा बन्दी कर रही है और राजस्थान सरकार को जो पैसा मिल गया उसके आधार पर वह सड़कों का निर्माण नहीं कर सकी और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह दौरा करके आये हैं। आप वहां क्या देखते थे ? आपने पत्थर उठा कर देख लिया कि लाल है या सफेद है। आपने दो तीन जगह खुदवाई और देखा – यहां गिट्टी पड़ी हुई है या नहीं, एक इन्च, दो इन्च तीन इन्च तक। श्रीमान् यह ....

श्री अध्यक्ष : यह कहां कहा है ? यह नहीं कहा है ।

श्री भैरों सिंह : मुझे मालूम है, इन्होंने जहां खड्डे खुदवाये हैं, वह मुझे मालूम है और उसके आधार पर आपने तारीफ कर दी, तारीफ इस बात को कि कोई पी. डब्ल्यू. डी. का इन्जीनियर है उसकी आप तारीफ करें, इससे मतलब नहीं है । आप स्थिति यह बतायें कि जो रुपया था, जो मिला था उसका उपयोग आपने किया या नहीं ? आपने कुछ बातें ऐसी बता दीं कि भारत सरकार ने ६४ में एक सड़क की, ६५ में ७ सड़कों की और ६६ में कुछ सड़कों की स्वीकृति दी। यह स्वीकृति देर से आई। इसके रीजन्स क्या हैं ? क्या आपने जांच की है कि राजस्थान सरकार के प्रपोजल्स देरी से गये ।

क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भारत सरकार का डिफेन्स विंग है, जिसके पास से प्रोफेजल्स आये थे, उन्होंने देरी की ? मेरी जानकारी में है, सदन जनता है कि राजस्थान सरकार को ६३ के बाद जिन-जिन डिफेन्स रोड्स का निर्माण करना था, उनमें देरी की गई, कई बार तो पोलिटिकल रीजन्स के कारण कि अमुक सड़क बनानी चाहिये, अमुक सड़क नहीं बनानी चाहिये । इसके लिये राजस्थान सरकार, में विवाद चलते रहे । ६३ में प्रापोजल्स आये भारत सरकार ने क्वेरीज कीं। उनके जवाब में इतनी डिले हुई, उसकी, जिम्मेदार राजस्थान सरकार है। यदि सरकार कहती है कि भारत सरकार से देरी से स्वीकृति प्राप्त हुई तो क्या आपने गुजरात और पंजाब से तुलना की है ? इनसे तुलना की होती तो आपको पता चल जाता कि पजाब के मुख्य मन्त्री ने, निर्माण मन्त्री ने, गुजरात के मुख्य मन्त्री ने किया है इनकी अयोग्यता का प्रमाण जनता देती कि इस

(श्री भैरोंसिंह)

बात के लिये कुछ कार्यवाही नहीं की। सीमा पर ट्यूब वैल्स के बारे में, रोड्स की सामारिक दृष्टि से किन चीजों को जल्दी तैयार करना है उसके सम्बन्ध में जानकारी चाही जाय तो कहा जाय कि भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली है। इसलिये में निवेदन करना चाहूंगा कि निर्माण के सम्बन्ध में जो सड़कें निर्माण करनी चाहिये थी उसमें राजस्थान सरकार ने अयोग्यता से उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने जो रकम निश्चय की थी उसमें कटौती करके अपनी अयोग्यता का सर्टिफिकेट दिया है। उसके कारण जो स्थित पैदा हुई है, उसकी निन्दा करते हैं और राजस्थान सरकार से माँग करते हैं कि मन्त्रि महोदय स्तीफा दें, मुख्य मन्त्रीजी को कह दे कि सामरिक दृष्टि से आवश्यक कार्यों की आपकी अयोग्यता के कारण भारत सरकार उपेक्षा करती है तो इसे जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। पाकिस्तान में सीमा सुरक्षा के लिये सारी कार्यवाहियां की जायं और आप चुप रहें और राजस्थान के मंत्रि महोदय से कहा जाय कि सुरक्षा के मामले में गफलत की इसके लिए पश्चाताप करें, त्याग पत्र देकर चले जायं, आप नये आये हैं तो मुख्य मन्त्री से कहें कि इस पाप का पश्चाताप करें। पिछली बार आपके पाप के कारण हमारी ४ हजार वर्ग मील धरती पर पाकिस्तान ने अपने पापी पांव रखे थे। यदि यही हुकूमत बनी रही तो सदन को आगाह कर के चलता हूं कि जिस समय भी पाकिस्तान ने सीमा पर छेड की यह निकम्मी राजस्थान सरकार जयपुर में बैठी रहेगी और बोर्डर की जनता त्राहि त्राहि करेगी।

श्री अमृत नाहटा ने, तापड़िया ने जब यह प्रश्न लोक सभा में रखा तो भारत सरकार का जवाब सुन कर दंग रह गये। हम तो यह समझते थे कि राज्य सरकार काम करना चाहती है, भारत सरकार कहती है कि हम तो अधिक से अधिक काम करवाना चाहते हैं, राजस्थान सरकार करना नहीं चाहती।

एक प्रश्न अलग से लाता, माननीय रामानन्दजी का दो घंटे में शामिल होने वाला है, उसी समय उठाया जाय तो ठीक है। इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्य मन्त्री स्तीफा दें, यह बात अच्छी नहीं कही, मुख्य मंत्री को स्तीफा देने का कहा गया तो उनको हार्ट अटेक हो जायगा....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

(श्री अमीनुद्दीन अहमद बोलने खड़े हुए)

श्री रामकिशन : यह भी अभी लिया जा रहा है? यह व्यवस्था हुई थी कि १७ तारीख को अलग अलग ले लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ले लिया जायगा लेकिन क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया और सतर्कता आयोग के प्रश्न पर विचार करना है।

इसी के साथ ले लेते हैं।

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ सड़कों के बारे में, सीमा की सड़कों के बारे में कहा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो यह कहा गया कि लोक सभा में चर्चा हुई और हमारा बयान किस किस्म का है, लोक सभा में बयान किया गया उनकी लैटेस्ट इतल्ला थी लेकिन हमारी जो लैटेस्ट इतल्ला के माफिक काम हुआ वह बताया, मैंने पहले भी कहा, यह दुबारा कहता हूँ कि वह काबिले कद्र है। जो सड़कों का माइलेज दो साल में बनाने का दिया हुआ है उससे ज्यादा अच्छा काम हो रहा है और १४०० मील की सड़कों के अन्दर से आज ४०० मील सड़कें बन चुकी हैं, ८०० मील की बन रही हैं, कुल २०० मील का काम रुका हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कितना उत्तर सही दे रहे हैं, चार दिन पहले प्रश्न पूछा था अतारांकित, उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने २३५ मील सड़क का निर्माण हुआ, १२३ डामर रोड़ और ग्रेवल का ११२, यह उत्तर दिया था।

श्री अध्यक्ष : कितने दिन पहले का है ?

श्री भैरोंसिंह : ४ दिन पहले का।

श्री अध्यक्ष : ४ दिन में इतनी तरक्की नहीं हो सकती।

श्री अमीनुद्दीन : चार दिन में इतनी तरक्की नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ पर इसमें लिंक रोड्स भी शामिल हैं, यह टोटल माइलेज बता रहा हूँ। लैटेस्ट पोजिशन यह है कि ४०० माइल की सड़क पूरी कर ली है, ८०० मील की हो रही है, जो टोटल हमारे सुपुर्द रखी थी वह १४०० माइल की रखी थी।

श्री भैरोंसिंह : मैं फिर इस स्टेटमेंट को चुनौती देता हूँ। १८५६ मील सड़क का काम हमारे सुपुर्द किया गया, भारत सरकार के मंत्री ने यह कहा है। ११.७.६७ को यह कहा गया कि १६९५ माइल का काम राजस्थान सरकार को दिया है। इस प्रकार का श्री कोठारी के प्रश्न के उत्तर में डिफेन्स मिनिस्टर ने कहा है।

श्री अध्यक्ष : वहां की बात वहां रहने दीजिये।

श्री रामकिशन : यहां १८५६ माइल सड़क का है।

श्री अमीनुद्दीन : मैंने इतल्ला दी है, यह मेरी इतल्ला लैटेस्ट है। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि जो आपका जवाब दिया गया मुझे जो इत्तला मिली थी, वह पुरानी सूचना थी। यह लैटेस्ट सूचना है, जो मैं बयान कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिह : तो क्या भारत सरकार ने गलत सूचना दी ११.७.६७ को कि २८५ मील सड़क का निर्माण हुआ है ।

श्री अमीनुद्दीन : जो पुरानी सूचना आपको दी, माफी मांगता हूँ, अब मेरी इस सूचना को लैटेस्ट मानें ।

श्री भैरोंसिह : यह आपने माफी मांगी, यह आपने बडप्पन बताया । लोक सभा में ११.७.६७ को आज से ६ दिन पहले यह बताया गया कि २८५ मील सड़क बनी है....

श्री अमीनुद्दीन : अब उनको भी मालूम हो जायगा कि ४०० मील सड़क का निर्माण हुआ है ।

श्री रामकिशन : भारत सरकार को भी सूचना राजस्थान सरकार से ही मिली होगी ।

श्री अध्यक्ष : वह अखबार के आंकड़े है, कैसे बिलीव किया जाय ?

श्री भैरोंसिह : अखबार के नहीं हैं, प्रोसीडिंग्स के हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीडिंग्स अनुमोदित है क्या ?

श्री भैरोंसिह : अनुमोदित है, मैं ग्रोथेंटिक ही देता हूँ ।

श्री अमीनुद्दीन : दूसरा सवाल यह किया कि २५ लाख रह गये, हमको क्यों नहीं पैसा मिला । हम जितना काम करते हैं, उनकी मंजूरियों के मुताबिक करते हैं, चाहे २५ लाख रहें चाहे एक करोड़ रहें, जितना काम हम करते हैं, लाजमी उनको हमें देना पड़ेगा, उसके लिये वे कमिटेड हैं । हमें भी अपने पास से सुरक्षा के लिये देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी......

श्री भैरोंसिह : दिवाला तो निकाल रखा है, सड़क के लिये पैसा देंगे ।

श्री अमीनुद्दीन : हमारा दिल होना चाहिये ।

(२ म० प०)

यहां कहा गया कि प्रोग्राम किस तरह से चलायेंगे । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे हमारे दफ्तर हैं वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दफतर हैं । आज मन्जूरी हो गई कल खजाने को हक है कि कह दे, इनता कम हुआ । इतना होना नई बात नहीं है । हमारे लिखने पर कार्यवाही करके मन्जूरी दे देती है, हम काम शुरू करते हैं तो यह कहना, इल्जाम देना कि हम सोते रहते हैं, हम जागृत रहते तो पैसा मिलता । हम पूरी तरह से मांग कर रहे हैं । हमने ११ करोड़ मांगा, उन्होंने ६ करोड़ दिया और ६ करोड़ में भी कह दिया है कि ३३ प्रतिशत का ध्यान रखें और उसके बाद कहना कि इतना भी नहीं, उससे भी कम कर दिया....

श्री भैरोंसिह : आपको कमजोर देख कर भारत सरकार कम कर रही है । यदि आप

Page No. 110

(श्री भैरोंसिंह)

में दम हो तो पंजाब की तरह जिनता पैसा मन्जूर किया था उसका ड्योढ़ा ले लिया होता ।

श्री अमीनुद्दीन : नहीं नहीं । आप पंजाब की बात कर रहे हैं । माननीय सदस्य जानते होंगे, और वह मुझसे बुद्धिमान् हैं, कि पंजाब की सीमा पर काश्मीर का मामला है । पंजाब की सीमा सियालकोट से जाकर लगती है, हमारी सीमा थोड़ी है । जिस तरह से हिसाब दूरी का होगा, जितनी उनकी अहमियत होगी, उस तरह से काम होगा । हमारे यहां टीबे हैं । आपने कहा कि वहां पिल बॉक्सेज हो सकते हैं लेकिन आप देखने थोड़े ही गए लेकिन जो हमारी इन्टेलीजन्स है वह ऐसी बेखबर नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं । इसका मतलब, बनती होंगी ऐसी चीजें, तो लाजमी तौर से भारत सरकार बेखबर नहीं होती, हमारे यहां दुगुनी बनतीं । ऐसी बात नहीं है । हमारे यहां पूरा काम चल रहा है । आपने फरमाया गुजरात का अंदाजा करें । हम देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं लेकिन हर जगह अलग मामला होता है, वह बिल्कुल अलग होता है । गुजरात में अगर टीबे हों, पानी न हो, आदमी न हों, लू चलती हो तो गुजराती पस्त होकर मर जाते । यह तो राजस्थानियों का दम है कि काम कर रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि हममें बुराइयां नहीं, जरूर हो सकती हैं लेकिन अपनी अच्छाइयां हम नहीं कहेंगे । सदन नहीं करेगा तो कौन करेगा । आपको कमी होगी अच्छाइयां अपने आदमियों की और आप हुकूमत की बुराइयां कर सकते हैं लेकिन काम करने वालों की मेहरबानी करके आप अच्छाइयां करें जब तक बुराई सही तरीके से मालूम न करें एलीगेशन की शक्ल में उनको न लें....

श्री अध्यक्ष : इससे होसला अफजाही होता है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : और जानकारी की जरूरत होगी माननीय सदस्यों को तो दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

अब जीपों का इसके साथ कर दें ।

श्री राम किशन : कल ले लेंगे ।

श्री नत्थी सिंह : इसमें हम जानना चाहेंगे कि जीपें किस काम के लिए खरीदी गई........

श्री अध्यक्ष : (श्री राम किशन से) : मन्त्री महोदय, से विस्तृत जानकीरी जीपों के सम्बन्ध में आई है कि कानूनी नुक्ते निगाह से कैसे खरीदी गई । अब आप किस तरह का जवाब चाहते हैं ?

श्री भैरों सिंह : जो मन्त्री महोदय, से जानकारी लेना चाहते हैं उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया है । वह तो उनके पक्ष के मुद्दे थे लेकिन जिन मुद्दों पर इसमें सवाल उठना चाहते हैं, वे नहीं उठाए गए ।

(२.० ३ म० प०)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जोपों की खरीद के सम्बन्ध में दो घन्टे की चर्चा ।

श्री अध्यक्ष : आप उठा दीजिए ।

श्री नत्थी सिंह : लिखकर दिया हुआ है बाकायदा दो घण्टे का समय मांगा गया है, वह निश्चित कर दें तो हम उठा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : दो घण्टे की बहस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय करेंगे ।

श्री भैरों सिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये और याद दिलाने के लिए बता दूं कि आपने स्वयं बताया था उसके लिए अलग से निश्चित किया था प्रोसीडिंग्स में शायद लिखा भी होगा.. ....

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को मुझे बुलाना चाहिए ?

श्री राम किशन : उसकी जरुरत नहीं है । १२७ नियम के तहत १२८ में अध्यक्ष को अधिकार है। उसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा ।

श्री रामकिशन : व्यवस्था हो चुकी है, अगर कल रक्खें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष : कल बिजनेश ज्यादा है । कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ज्यादा समय ले लेंगे । २० तारीख के बाद में एडजस्ट कर दूंगा ।

श्री रामकिशन - आधे मामले पर बहस हो गई, सरकार का दृष्टिकोण आ गया, मैं तैयार हूं आप कहते हैं तो.........

श्री अध्यक्ष : असुविधा क्या है अगर आज ले लें तो ? मन्त्री महोदय ने जीपों के सम्बन्ध में कहा उससे ज्यादा जानकारी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असुविधा तो यूं होती है कि आप व्यवस्था दे देते हैं । आपने व्यवस्था दी कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में शार्ट नोटिस क्वेस्चन, एडजर्नमेंट मोशन स्टेटमेंट सोमवार को लिया जायगा । शार्ट नोटिस क्वेश्चन तो आया नहीं, व्यवस्था हो जाती है उसके अनुरूप सारी चीज नहीं बनती ।

श्री अध्यक्ष , कन्वीनियेंस का है । बिजनेस को एडजस्ट करना न करना, यह कन्वीनियेंस का सवाल है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कन्वीनियेंस का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : तो फिर बाद में ले लेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज क्या लेने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जीपों के मसले पर टू-अवर डिस्कशन का प्रस्ताव आया है ।

श्री राम किशन : अभी ले रहे है ?

श्री अध्यक्ष : सदन की क्या राय है ?

(राय जानने के बाद)

ले लिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न पर वाद विवाद होने से पहले मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न इसी सम्बन्ध में आपके समक्ष प्रस्तुत किया विशेषाधिकार का सम्बन्ध इस बात से है कि बजट में सरकार की तरफ से जो फिगर्स बताई गई हैं और एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने जो फिगर्स बताईं, उनमें काफी अन्तर है। तो किस प्रश्न पर वाद विवाद हो। पहले सदन में कम से कम यह स्पष्टीकरण तो कर देना चाहिये कि बजट के फिगर्स सही हैं या अतारांकित प्रश्न के उत्तर में निर्माण विभाग की तरफ से सूचना दी गई है, वह सही है ?

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार का प्रश्न आपका मेरे पास है। वह ऐसा सीधा सादा प्रश्न नहीं है। उसमें बजट आंकड़ों का प्रश्न है, कम्पैरीजन का प्रश्न हैं। इसलिए मैं उस पर जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और उसके बाद किस तरह से एडजस्ट होगा करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : वह भी परचेज के मामले से सम्बन्धित है इसलिए मैं चाहता हूं कि उस पर फीगर्स का कम्पैरीजन होने के बाद आप निष्कर्ष पर पहुंच जायं फिगर्स के अन्दर डिफरेन्स है तो सरकार स्पष्टीकरण तो करे। इस बारे में जो प्रश्न उठा रहे हैं उसमें सुविधा होगी, वरना फिगर्स का कान्ट्रेडिक्शन सदन के सामने आखिर प्रस्तुत होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : मेरे विचार से ऐसी कोई उसमें मुश्किल नहीं आ जायगी। अगर फिगर्स का कोई प्रश्न अलग निकलता है तो अलग निकाला जायगा।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन कौनसी फिगर्स पर सदन में प्रश्न पूछें ?

श्री अध्यक्ष : इस समय ऐसा विचार मुझे मालूम हो रहा है कि आप नहीं लेना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : तो शुरू करें। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव का अलग सवाल है। अगर आंकड़े नहीं मिलते हैं तो प्रश्न अलग है। उन प्रश्नों को यहां उठाकर ...

श्री भैरोंसिंह : इन्हीं रोड रोलर्स और मशीनरी के परचेज के बारे में ये जो फिगर्स हैं उनको छोड़ा जाय, अतारांकित प्रश्न के उत्तर में जो फिगर्स हैं उनको छोड़ा जाय। कुछ फिगर्स और हैं जो भूतपूर्व निर्माण मन्त्री थे उन्होंने सदन में स्टेटमेंट दिया, वह और है। जो मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया वह और है। भारत सरकार के मन्त्री ने लोक सभा में स्टेटमेंट दिया, वह और है। यहां कहते हैं कि भारत सरकार की अनुमति से मशीनें खरीदी हैं, वहां भारत सरकार कहती है कि राजस्थान ने अपनी इच्छा से खरीदी

(श्री भैरोंसिंह)

हैं। उसमें यदि कोई करप्शन हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं सारे कान्ट्रैडिक्शन्स का पहले स्पष्टीकरण कर दें बाद में डिबेट हो तो अच्छा होगा।

श्री नत्थीसिंह : सारे मसले हल हो जायेगे अगर नान आफिशियल डे पर डिस्कस करें।

श्री भैरोंसिंह : Agreed.

श्री अध्यक्ष : क्योंकि दो घण्टे का सवाल है, इसलिए मैं स्वतः कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। मैं बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी को बुलाकर तय करूंगा क्योंकि बिजनेस का प्रश्न है. कैसे होता है....

श्री भैरोंसिंह : नॉन आफिशियल डे पर रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं उस दिन के लिए रखता हूं।

श्रीअध्यक्ष : चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है।

माननीय श्री आर्य।

रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष : आपने मुझे एक स्थगन प्रस्ताव दिया उसको मैंने माननीय सदस्य, १८ तारीख को रख दिया है। कल स्टेटमेंट उसके बारे में जावेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके सम्बन्ध में ही एक बात और कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : और कोई बात नहीं होती है। आर्डर आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह तो आपने स्थगन प्रस्ताव के लिये कहा है। मैंने दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और भी दिये हैं। उस आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : पर मैं एक मिनट निवेदन कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन खड़ा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय आपको बार-बार इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए हमारी बात भी सुननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। क्योंकि आप नये आये हैं। यहां जितने बुजुर्ग सदस्य हैं सन् ५२ से और कई सालों से, जिनकी सदन में सामान्य और असामान्य रूप से प्रतिष्ठा है। यह साधारण सा नियम है यहां का कि व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है, आसन का प्रश्न है, जब आसन खड़ा हो जावे तो सदस्य कृपया बैठ जावें और जब विनम्रता से आसन बैठने के लिए कहे तब तो और भी

(श्री अध्यक्ष)

आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप बैठ जावें।

अब आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वह ऐसा है जो सामान्यतया प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके बारे में पूछें कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ तो मैं यही कहूँगा कि वह आने वाला है। प्रतिदिन जिस क्रम से आने वाला है, वह आरहा है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं अभी कि यह कह सकूं निश्चित रूप से वह कब आने वाला है।

जो आपका महत्व पूर्ण प्रस्ताव आपने उठाया था उसके लिए कह दिया। बाकी सामान्य प्रश्न हैं। आप मुझ से मिल लीजियेगा। मैं आपको सन्तुष्ट कर दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने इस विषय में १९ जून को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव···

श्री अध्यक्ष : मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। मैं मौन रहना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैंने आपसे नम्रता से निवेदन किया है। इस आसन को बाध्य न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा आसन की ओर से कभी नहीं होता है। हमेशा ध्यान देता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पर आपने फरमाया....

श्री अध्यक्ष : अभी आप परम्परा को तो सीख लीजिये। साधारण सी परम्परा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कहा लोक महत्व का नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य कृपया आसन को बाध्य न करें किसी ऐसी स्थिति के लिए।

श्री रामकिशन : आसन बहुत उदार है, होगा नहीं ऐसा।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आगे को राजस्थान सतर्कता आयोग के प्रश्न को लेना चाहते हैं। एक और रह जाता है सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न। मैं उसको २०।२१ को लेलूंगा ताकि माननीय सदस्यों को ठीक समय प्रश्न करने का मिल सके।

इसके पूर्व मैं माननीय सदस्यों को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नोटिस मेरा है, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जी हां। मैं २० या २१ को ले लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र : मैं उस दिन अगर नहीं रहा तो नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा दलीय स्थिति के संबंध में घोषणा

श्री अध्यक्ष : आपकी सुविधानुसार लेंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो जिस दिन रहेंगे उस दिन ले लेंगे।

मैं सूचित करना चाहता हूं कि श्री मोतीलाल निर्वाचन क्षेत्र रेवदर ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब से वे कांग्रेस दल के साथ बैठेंगे।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक परम्परा हो जानी चाहिये कि ऐसी मनहूस सूचना आप देते हैं वह शाम के वक्त दिया करें। नहीं तो बोलने वालों का टेस्ट खराब हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : खराब न होने दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी सूचनाएं प्रारंभ में न देकर मध्य में दे दूं ताकि उसका असर न पड़े।

श्री भैरोंसिंह : इसमें एक एडीशन और कर दें कि किस मंत्री की कार्यकुशलता की वजह से यह हो रहा है ताकि उनको सरटीफिकेट मिल जावे।

श्री श्रवणलाल के विशेषाधिकार प्रश्न अध्यक्षीय व्यवस्था एवं चर्चा

श्री अध्यक्ष : आपका भी निराकरण हो जावेगा।

श्री श्रवणलाल : सदस्य विधान सभा ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है। श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल, सदस्य विधानसभा ने १२.७.६७ को गंगापुर सिटी में उनका स्वयं का एक सिनेमा चल रहा है। अपने उस सिनेमा के हित की सुरक्षा के हेतु एक प्रश्न पूछा था। इससे इन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि इस प्रकार का प्रश्न पहले मार्च ६४ में भी उठाया गया था और उस समय तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि स्वयं का स्वार्थ निहित हो तो नहीं पूछना चाहिये क्योंकि इससे भ्रम पैदा हो जाना स्वाभाविक है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध सही मान लिया जावे तो भी विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न नहीं पैदा होता। मेज पार्लियामेंट प्रेक्टिस के पेज ११६ में भी उल्लेख किया गया है, उसको मैं यहां उद्धृत करता हूं।

"Advocacy by membsrs of matters in which they have been concerned professionally- On 22 June, 1958 the House of commons resolved 'that it is contrary to the usage and derogatory to the dignity of this House and that any of its members should

(श्री अध्यक्ष)

bring forwaad, promote. or advocate in this House any proceeding or measures in which he may have acted or been concerned for or in consideration of any pecuniary fee or reward."

अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो बन गया।

श्री नत्थीसिंह : आपका यह उद्धरण तो हमारे पक्ष में जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह विशेषाधिकार का प्रश्न तो बन गया। यह आपने जो मेज पालिनामेंटरी प्रेक्टिस का उद्धरण दिया। इसी तरह मुद्गल एन्क्वायरी कमीशन के अन्तर्गत जो समिति नियुक्त की गई। हिन्दुस्तान में पालियामेन्टरी के इतिहास में वह पहला कमीशन नियुक्त किया गया। उसने सारे तथ्यों की छानबीन के बाद जो निर्णय दिया है यदि उसे देखें तो दोनों में कोई अन्तर नहीं वैसे तो। पर प्रिविलेज का मोसन तो इसमें बनता है कि मेम्बर को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिये। अब इसमें कौन कौन सी बातें डेरोगेटरी होंगी, कौनसी नहीं होंगी जो दुरुपयोग करने की सीमा में लाकर छोड़ेगा।

अब प्रश्न आता है इसका। आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिये था। अब व्यवस्था हो चुकी है ६४ में उसका भी आपने जिक्र किया और आज भी वे इन्कार नहीं करते कि स्वयं के लाभ के लिये नहीं पूछा। आपके रूलिंग से दो बातें निश्चित रूप से प्रकट हो गई कि इस प्रकार अपने स्वयं के लाभ के लिये पूछा है।

अब तक की मुद्गल एन्क्वायरी—

श्री अध्यक्ष : इस व्यवस्था के सम्बन्ध में न कहें। मैं और स्पष्टीकरण कर देता हूं ताकि आपको सन्तोष हो जावे।

प्राय इस सदन में ऐसे प्रश्न कई आये। यदि माननीय सदस्य अपनी स्मृतियों को ताजा करें तो कई मौकों पर यहां नियमों के आधार पर प्रश्न रक्खे गये हैं। ऐसी स्थिति में नियमों में एक प्रावधान है। ऐसे प्रश्न जिनमें उनका इन्टरेस्ट हो यहां एडवोकेट करते हैं इन्डविजुअल के या किसी संस्थान के, तो वे नहीं पूछे जाने चाहिये। उनको अलाऊ नहीं किया जाना चाहिये। उससे तात्पर्य यह निकलता है कि यह कन्डक्ट के रूल्स हैं मेम्बर के और जब कन्डक्ट के मामले हों तो विशेषाधिकार और कण्डक्ट के रूल्स में भेद पड़ता है। यह प्रश्न जो यह पूछा गया थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि यदि व्यक्तिगत स्वार्थ के प्रश्न पर डाइरेक्टली अपने को इन्वाल्व किया जाता है ऐसा प्रश्न होता तो सम्भवतः वह प्रश्न उनके कण्डक्ट के सम्बन्ध में हो सकता था जो हमारे नियमों में निषिद्ध है।

इस प्रकार के और भी यहां सदन में

(श्री अध्यक्ष)

कई बार ऐसे प्रश्न आते रहे है उन सबको सामने रखते हुए यह मैंने व्यवस्था दी है। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसमें विशेषाधिकार का हनन समझा जावे।

मै माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रश्न को सेंसिटिव होकर न लें।

श्री भैरोंसिह : में तो एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। आप यह स्पष्ट कर दीजिये कि जो प्रश्न पूछा है वह उचित नहीं था।

श्री अध्यक्ष : वह यदि नहीं पूछा जाता तो अच्छा था।

श्री भैरोंसिह :,अच्छा था इसका मतलब जो पूछा वह अनुचित था। अब प्रश्न जाकर यह आता है कि जैसा आपने स्वयं ने इनडायरेक्टली, स्पष्ट शब्दों में न सही, कह दिया कि माननीय सदस्य अगर यह प्रश्न नहीं पूछते तो अच्छा रहता। इसका मतलब यही हुआ कि जो पूछा वह अच्छा नहीं किया। यह तो इसका सीधा अर्थ है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उनका न तो सिनेमा था। यह सिनेमा तो दूसरे का था।

श्री अध्यक्ष : में यदि आपको पहले के सत्र के कुछ उदाहरण बता सकता हूं जहां माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे और उनको रोका गया। इस सदन के भी कई उदाहरण हैं। ऐसी स्थिति में आप भी इसका इम्प्लीकेशन या कोई अर्थ न निकालें। मैंने सिर्फ यह कहा है कि ऐसे प्रश्न जिनमे डिस्टेन्स से भी रिफ्लेकशन पड़ता हो न पूछे जावें तो अच्छा हो। ताकि स्वस्थ परम्पराएं रहें। मैंने अपनी व्यवस्था इस सम्बन्ध में दे दी है। माननीय सदस्य इस व्यवस्था के संबंध में न तो कुछ सदन में कहें और न मुझ से कहें न कोई क्लेरिफिकेशन मांगें।

तो तो आप स्वस्थ परम्पराओं का अनुमोदन करेंगे।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ परम्पराओं के नाते में निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी स्मरण होगा मुझे दिन तो याद नहीं कि किस तिथि को इस प्रकार का रूलिंग सदन में हुआ है, एक माननीय सदस्य की ओर से पूछा गया था और पूछने पर दूसरे माननीय सदस्य ने आपत्ति की तो अध्यक्ष महोदय ने उसको पूछने की इजाजत नहीं दी। मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उपस्थित किया तो कहा गया कि प्रश्न पूछ लिया जाता तो बनता और नहीं पूछा गया इसलिए नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष : मुझको लिखा आपने ?

श्री भैरोंसिह : पहले के सदन में व्यवस्था हुई।

श्री अध्यक्ष : कई तथ्यों में से एक तथ्य होगा। कोई सरकमस्टान्स होगी। में निवेदन करूंगा कि में इस व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : बदलने का सवाल नहीं है। जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है उसके लिये वे खेद प्रकट कर दें।

श्री ग्रध्यक्ष: यह व्यवस्था के ग्रन्तर्गत नहीं ग्राता है।

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप मुझसे कुछ जानना नहीं चाहें।

श्री श्रवणलाल : इतना तो बता दीजिये....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ..

श्री श्रवणलाल : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा वह उनके खुद के इन्ट्रेस्ट में है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : नाटक खेला ...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज।

विचार...

श्री रामकिशन : नो टंकी का सवाल था। कितने लोग ग्राये। ग्रामीण सदस्यों के ग्रधिकारों का भी हनन हुग्रा।

श्री ग्रध्यक्ष : उनका भी हनन हो गया इतना पूछने पर। काफी हो गया।

उस पर विचार।

(२०३ म. प.)

राजस्थान सतर्कता ग्रायोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सतर्कता ग्रायोग के प्रथम प्रतिवेदन पर जिसकी प्रति दिनांक १३ जून, १९६७ को सदन की मेज पर रखी गई है, विचार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : ग्रध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट ने २१ ग्रप्रेल, १९६४ को स्टेट विजिलेन्स कमीशन के सम्बन्ध में एक नोटिफिकेशन जारी किया ग्रौर उस नोटिफिकेशन के क्लाज ११ की तरफ मैं ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं।

"Commission shall submit an annual report to the Appointments Dept. about its activities, particular attention to any recommendation made by it which had not been accepted or acted upon and report shall be laid by the Appt. Deptt. before the State Assembly."

मेरी जानकारी के ग्रनुसार सेकिन्ड रिपोर्ट विजिलेन्स कमीशन की राज्य सरकार को मिल चुकी है ग्रौर, ग्रध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है ग्रौर इसीलिए इस पर वाद विवाद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का आज का दिन निर्धारित किया । मैं समझता हूं कि वाद विवाद का जो मुख्य मतलब है वह बेकार हो जायेगा यदि लेटेस्ट रिपोर्ट पर हमने यहां सदन में डिस्कशन नहीं किया । माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह ३१मार्च, १९६६ तक की रिपोर्ट के सम्बन्ध में है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि विजिलेन्स कमीशन की द्वितीय रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल चुकी है ? यदि मिल चुकी है तो आपको क्या आपत्ति है कि प्रथम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं तो सैकिन्ड रिपोर्ट को भी प्रस्तुत कर देते हाऊस में, अभी नहीं की तो अब कर दें और अभी माननीय सदस्यों को वितरित कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप भी सरकार को इस प्रकार की डाइरेक्शन दें कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो । यह राजस्थान सरकार का क्या रवैया है कि ६६ की रिपोर्ट को हाउस में डिस्कश करे और लेटेस्ट रिपोर्ट जो आगई है उसको न करे और ६६ की रिपोर्ट को ६७ में डिस्कश करे और ६७ की रिपोर्ट को ७० में डिस्कश करे । इस प्रकार का प्रश्न रखा है डिबेट के लिए, सही तौर पर डिस्कश नहीं करने की मंशा है और टाइम किल करना चाहते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय जहां तक सैकिण्ड रिपोर्ट आफ कमीशन का सम्बन्ध है यह सरकार को चार पांच दिन पहले ही मिली है और उस रिपोर्ट को पढ़ कर सरकार के अफसर भी विचार नहीं कर सके । न केबिनेट में गयी और न मिनिस्टरों ने देखी । उस रिपोर्ट को जब तक हम देख न लें, कैसे उसको हाउस में प्रस्तुत किया जा सकता है । रिकमन्डेशन को देख कर हम सदन की मेज पर उसको रखेंगे । रिपोर्ट चूंकि गवर्नमेन्ट को मिल गई है, बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे आपके सामने कैसे पेश कर दें ऐसी गलती हम नहीं करने वाले हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि मन्त्री लोग अलग अलग प्रकार का जवाब देते हैं । या तो मन्त्री गण आपस में मिल कर जवाब दिया करें तो उचित होगा । बजट के टाइम में स्पेसिफिकेली यह प्रश्न रेज किया गया था तो मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि राजस्थान सरकार को गर्व है कि पहली और दूसरी रिपोर्ट के आधार पर रिकमन्डेशन जो भी कमीशन द्वारा की गई उनको स्वीकार कर लिया गया । माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि सरकार को तो यह चार पाँच दिन पहले ही मिली है और उस पर विचार नहीं किया गया है यह सौ प्रतिशत असत्य है । यदि मन्त्री महोदय मेरी चुनौती को स्वीकार करें तो केबिनेट प्रोसिडिंग से बता दूंगा कि २५ दिन पहले मिली है और गवर्नमेन्ट ने उसको कन्सीडर किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रिपोर्ट मिली है अप्रेल १९६७ में ।

श्री भैरोंसिंह: पेपर्स में भी आ गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : केबिनेट में क्या हुग्रा क्या नहीं हुग्रा इसकी सूचना बिल्कुल गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरी सूचना गलत है मैं चुनौती देता हूं...

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : बिल्कुल सही है, सौ प्रतिशत सत्य है....

(दोनों साथ साथ बोलने पर ग्रश्रव्य)

श्री ग्रध्यक्ष : दोनों साथ नहीं माननीय सदस्य । मेरे सामने जो रिपोर्ट है वह ही डिस्कशन में है । इसी रिपोर्ट पर बहस ग्रारम्भ होगी ।

श्री भैरोंसिंह : सैकिण्ड रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रौर सूचना मिली है वह भी इस सम्बन्ध में है कि सैकिण्ड रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जा सकती । मेरे सामने ग्रौर कोई चारा नहीं इसके सिवाय ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने स्टेटमेन्ट दिया ग्रौर मन्त्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया हाउस सुग्रो मोटो प्रिविलेज मोशन लाकर विचार करे कि मैं ग्रसत्य बोल रहा हूँ या मन्त्री महोदय ग्रसत्य बोल रहे हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रलग प्रश्न है । ग्राज यह प्रश्न नहीं है । ग्रलग प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय चाहे जो कह दें ग्रौर मुख्य मन्त्री ग्रौर कुछ कह दें...

श्री ग्रध्यक्ष : यह ग्राज का प्रश्न नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : है इसलिए कि लोगों के पास विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पहुँच चुकी है । लोगों को मिल चुकी है । सदन को क्यों गुमराह किया जाता है ?

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : सदन कस्टोडियन है । रूल्स में लिख दिया है । नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि रिपोर्ट्स पेश होंगी ग्रौर हाउस में उनका डिस्कशन होगा । ६७ तक की रिपोर्ट को ग्राप दबाना चाहते हैं । ग्रप्रेल के एन्ड में जो पेश हो चुकी है उसको ग्राप दबाना चाहते हैं ।

माननीय मन्त्री महोदय ने कहा उसके लिये मैं उनको चुनौती देता हूँ, वे मेरी चुनौती को स्वीकार करें ग्रन्यथा वे हाउस में झूंठ कहते हैं । ग्रापको बार में खड़ा करके प्रोसिक्यूट करना चाहिये ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर ग्रॉर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : इसका कोई निराकरण होगा । ग्रॉर्डर से काम नहीं चलेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउस सुप्रीम है । यह कहा कि उनको ६ दिन पहले मिली है यह पेटेन्टली ग्रॉन दी बेसिस बिल्कुल गलत है ।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा कि इस ग्रासन से क्या ग्रपेक्षा करते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस एड-जोर्न करदें और गलत कहते हैं उसके लिये ब्रीच ओफ प्रिविलेज में हाउस में उनको खड़ा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आसन के जो अधिकार हैं उसके अधिकारों के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रांति हो। अधिकार जो आसन के पास हैं वे आपके प्रोसीजर से हैं या संविधान में लिखे हुए हैं। उन अधिकारों के अतिरिक्त आसन के पास नहीं सदन के पास अधिकार हो सकते हैं। आसन के पास नहीं हो सकते। टू रेगुलेट दी डिबेट। क्वश्चन वगैरह के सम्बन्ध में, एड्जोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में अधिकार हो सकता है लेकिन आसन से आप यह अपेक्षा करें कि आसन मंत्रियों को किसी प्रश्न पर स्वत: अपने अधिकारों से बाध्य कर सके, यह आसन के अधिकार में नहीं है। मैं कोई जज होकर नहीं बैठ सकता। कोंट्रेडिक्ट करने का काम मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं सीमाओं के अन्तर्गत ही काम कर सकता हूँ। जो संविधान में या नियमों के अन्तर्गत दिए हुए हैं उसके परे नहीं जा सकता। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो बिजनेस मेरे पास है उसको ही मुझे ट्रांजिक्ट और रेगुलेट करना है। उसके अतिरिक्त में कोई सजेशन अपने आप बिना सदन की अनुमति के दे सकूं यह आसन के अधिकार में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें...

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि यह रिपोर्ट २०-२५ दिन पहले केबिनेट में पेश हुई है और उस पर डिस्कशन हुआ है, मैंने इस बात को इन्कार किया है। मैं नम्रतापूर्वक फिर कहना चाहता हूँ कि उनकी सूचना बिल्कुल गलत है। मैं यह नहीं कहता...

श्री भैरोंसिंह : मैं इस सदन की प्रोसीडिंग्स से बता सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने और वित्त मंत्रीजी ने बहुत दिन पहले इस सदन में यह सूचना दे दी थी कि सैकिण्ड रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और किसी भी सिफारिश से राज्य सरकार ने असहमति प्रगट नहीं की है। उन्होंने यह किस आधार पर कह दिया था फिर। आपने (मुख्य मंत्रीजी की ओर मुखापेक्ष) स्वयं ने सदन में कहा है कि विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, मैंने बीच में पूछा था कि सैकिंड रिपोर्ट या फर्स्ट रिपोर्ट। इस पर कहा था कि इसको बराबर नोट कर लिया है कमीशन से किसी भी प्रश्न पर असहमति प्रगट नहीं की है। और आप कहते हैं कि चार पांच दिन पहले ही रिपोर्ट मिली है।

श्री रामकिशन : यहां पर माननीय सदस्य प्रद्युम्नसिंहजी का प्रश्न पूछा गया था और उसमें यह जवाब दिया गया था कि दोनों रिपोर्टों को देख लिया गया है और उसके अनुसार ही जवाब दिया जा रहा है। यह राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न था।

Page No. 122

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको अर्ज............

श्री भैरोंसिह : मुख्य मन्त्रीजी स्पष्टीकरण कर दें कि रिपोर्ट आई या नहीं आई थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब आप चुनौती देते हैं तो बात को भी स्वीकार करें। आपने अभी कहा कि रिपोर्ट २०—२५ दिन पहले केबिनेट के सामने आई और उस पर डिस्कशन हुआ और उस पर फैसला किया गया। मैंने कहा कि यह बिल्कुल गलत इत्तला हैं आपकी। मैंने आपकी भाषा का उपयोग नहीं किया कि सौ फी सदी झूठ बोलते हैं। मैंने आपकी भाषा में कहा कि आपकी सूचना गलत है। सभ्यता के दायरे में इतना ही कहता हूँ........

श्री अध्यक्ष : भाषा का अन्तर है।

श्री भैरोंसिह : आप तो यह बता दीजिए, मुख्य मन्त्रीजी यहां कह दें कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार को केवल चार पांच दिन पहले ही मिली है। मुख्य मन्त्रीजी से यह कहला दीजिए, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा और हाउस में खड़ा होकर खेद प्रगट करूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह रिपोर्ट पहले आ गई थी यह बात सही है लेकिन यह हो सकता है कि होम मिनिस्टर साहब के पास नहीं पहुँची हो। गवर्नमेंट में सब्मिट हो चुकी है, यह सही बात है। उसका हिन्दी का ट्रांसलेशन होकर सदन में पेश करने से पहले, केबिनेट में विचार करने के बाद ही उसको सदन में पेश किया जा सकेगा। जो मैंने पहले कहा था वह सही है कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गवर्नमेंट के पास आ गया है।

श्री भैरोंसिह : माननीय मन्त्रीजी का कहना कितना सही है वह साफ हो गया है। मुख्य मन्त्रीजी ने सही सही बात कह दी है कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई और उसको सक्यूंलेट कर भी दिया गया और सक्यूंलेट करने के बाद........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सक्यूंलेट करने की बात नहीं कही है मैंने।

श्री भैरोंसिह : यह पोजीशन है कि.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास पहले रिपोर्ट आई थी, गृह मन्त्रीजी के पास वह रिपोर्ट कमेंट के लिए अब पहुंची होगी......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आप गली निकाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मंत्रीजी कह रहे हैं कि चार पांच दिन पहले ही आई है। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, मोशन मूव किया और उनको इत्तला नहीं है He is the Home Minister and he is not such an incompetent Minister.

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तरह तरह की आपत्तियां उठाई गई हैं। यह तो मैं मानता हूँ कि जो सरकार, विषय को सदन के समक्ष लाना चाहे उसी पर यह सदन बहस कर सकता है। किन्तु यहाँ पर यह प्रतिवेदन सरकार के पास आया है वह सतर्कता आयोग का इसके सम्बन्ध में भी बहुत से सम्माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ पर आपत्तियां उठाई गई। अब वह प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं, यह तो आपका काम है, इस सम्बन्ध में मै विशेष निवेदन नहीं करूंगा। लेकिन इतना ही मैं अवश्य कहूँगा कि यह प्रथम प्रतिवेदन पर अगर हमको पचाया जाय और ब्रेन एक्सरसाइज करवाई जाय और उसके ऊपर अभी बहस करें तो मैं समझता हूँ कि यह अवास्तविक है, खास करके जब कि आपको द्वितीय प्रतिवेदन मिल चुका है। किस रूप में आया है इससे मुझे मतलब नहीं है। अंग्रेजी में आया है तो उसका हिन्दी अनुवाद कर सकते हैं। इसे न तो मैं झूंठ कहता हूँ या सच कहता हूँ लेकिन यह तो मुख्य मंत्रीजी भी मानते हैं कि द्वितीय प्रतिवेदन आ गया है। जब दूसरा प्रतिवेदन आ गया है तो आप प्रथम प्रतिवेदन को लेकर यदि यह व्यवस्था दें कि इसी पर बहस हो तो बहस हो जायेगी। मैं भाषण दे दूंगा, दूसरे सदस्य भी जो कुछ बोलना होगा, बोल-बाल देंगे। लेकिन क्या यह व्यवस्था सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होगी या अनुकूल होगी, यह तो इस सरकार को भी मेरे खयाल से निर्णय करना चाहिए। अगर आपको फ़ेस रिपोर्ट मिल गई है तो आज की बहस को स्थगित करिये। अगर अव्यवस्थित रूप में ही बहस कराना है तो बहस करा लीजिए। मैं तो उस पर तैयारी करके आया हूँ, जो कुछ कहना होगा कहूँगा। लेकिन मेरे मन के अन्दर यह बात तो चुभेगी कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह अवास्तविक है और मेरे खयाल से समयानुकूल भी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, दूसरी रिपोर्ट रखने में मुझे कोई एतराज नहीं है, यह जानबूझ कर मैं इसको पेश नहीं करना चाहता यह बात नहीं है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नहीं कहता कि जानबूझ कर नहीं रखते।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस रिपोर्ट का हिन्दी ट्रांस्लेशन नहीं है। अगर माननीय सदस्य स्वीकार करें कि इंग्लिश कापी से ही काम चल जाएगा तो सदन की मेज पर इसे रखने में कठिनाई नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसे कैसे गलत काम कर सकते हैं। सदन की परम्पराओं के खिलाफ कैसे कर सकते हैं। इधर के और उधर के बहुत से माननीय सदस्य दोनों हीं तरफ हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी हिन्दी का ट्रांस्लेशन छपने में टाइम लगेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह

Page No. 124

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आज की बहस अवास्तविक है, बिल्कुल बोगस है, फोकट की बहस है। इस पर भी अगर आप कहते हैं कि यह वास्तविक है और हमको तो इसी प्रथम प्रतिवेदन पर बहस कर लेना है तो ठीक है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह रिपोर्ट इंग्लिश में प्रस्तुत करने को तैयार हैं तो क्या केबिनट ने उस पर निर्णय कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष : यह यहां का प्रश्न नहीं है केबिनट ने निर्णय किया। When the Minister takes the reponsibility, there ends the matter.

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है कि दोनों रिपोर्ट डिफरेंट पीरियड की हैं। पहली रिपोर्ट २० महीने के पीरियड को कवर करती है और दूसरी रिपोर्ट उसके बाद के पीरियड को कवर करती है। मैं नहीं समझ सकता कि इस पहली रिपोर्ट पर बहस करने में क्या एतराज हो सकता है, विरोधी दल को कि पहली रिपोर्ट पर डिस्कशन हो नहीं सकता। पहली रिपोर्ट का पीरियड दूसरा है और दूसरी रिपोर्ट का पीरियड दूसरा है। दूसरी रिपोर्ट के सब्जेक्ट्स दूसरे हैं, डिपार्टमेंट दूसरे हैं। इस पर बहस करने में क्या दिक्कत है, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि अंग्रेजी रिपोर्ट वे प्रस्तुत करने को तैयार हैं तो क्या सदन इसके लिए तैयार है ? मेरे ख़याल से सदन इसके लिए तैयार नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र एवं कुछ अन्य विरोधी पक्ष के सदस्य : तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी के लिए तैयार हैं ?

श्री सतीशचन्द्र एवं कुछ अन्य विरोधी पक्ष के सदस्य : हां साहब तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकिशनजी, तैयार हैं।

श्री रामकिशन : इस तरह से गलत काम को स्वीकार नहीं कर सकते। अंग्रेजी में काम चला लेने से हमको एतराज नहीं है लेकिन उस गलत रास्ते पर चलने से ये फिर दूसरे मामलों में भी गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : दूसरा और कोई उपाय नहीं है इस प्रश्न पर विचार करने के अलावा। ऐसी स्थिति में...

श्री भैरोंसिंह : प्रोन ए पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो माननीय मंत्री महोदय ने उठाया है वह बड़ा

(श्री भैरोंसिंह)

अहम है क्योंकि सैकिन्ड रिपोर्ट में फर्स्ट रिपोर्ट में रिकमण्डेशन्स हैं और गवर्नमेंट ने उन रिकमण्डेशन्स की कितनी कम्पलायेन्स की है, हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स ने कितनी कम्पलायेन्स की है उसकी कम्पलायेन्स रिपोर्ट सैकिंड रिपोर्ट में है, यह उसी से पता चलेगा। राज्य सरकार को अपनी तरफ से स्टेटमेंट देना चाहिये। इतना तो कह दें कि सारी रिकमण्डेशन्स को स्वीकार कर लिया गया है। जिस जिस अधिकारी के विरुद्ध रिकमण्डेशन की गई, मेजर पनिशमेंट की, प्रोसीक्यूशन की, माइनर पनिशमेंट की, डिपार्टमेंटल एक्शन की, जो कुछ भी रिकमण्डेशन रिपोर्ट में की गई हैं, उसके सम्बन्ध में क्या प्रोग्रेस है, वह प्रोग्रेस सैकिंड रिपोर्ट में दी गई है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। सब बात को समझते हुए यह आसन विवश है इस प्रश्न पर व्यवस्था देने में कि पहली रिपोर्ट बिना दूसरी रिपोर्ट के सदन में बहस के लिए नहीं आ सकती। इसका आसन के पास कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय अपना भाषण प्रारम्भ करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, द्वितीय प्रतिवेदन इस राजस्थान सतर्कता आयोग के बारे में प्राप्त नहीं हुआ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सैकिण्ड रिपोर्ट को पढ़ नहीं सकते कि क्या एक्शन लिया ६६ में ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : किन कारणों से प्रथम प्रतिवेदन पर बहस करना आपके द्वारा....

(२.४० म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उचित समझा गया ? उसके अनुसार प्रथम प्रतिवेदन पर जो कुछ मुझे निवेदन करना है वह निवेदन करूंगा। एक बात मैं मान कर चलता हूं कि यह प्रथम प्रतिवेदन है वह २० महीने के कार्य-काल के सम्बन्ध में है। इसके ऊपर बहस होना, मेरे खयाल से, कतई अवास्तविक नहीं होगा। कुछ हद तक यह आवश्यक भी है कि इस सम्बन्ध में बहस अलग हो जाय। द्वितीय प्रतिवेदन पर बाद में बहस हो तो वह भी व्यवस्था नहीं हो सकती कि सर्वथा अन्याय हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् ४७ में हमारा देश आजाद हुआ। उसके पश्चात् सन् ६६ तक निरन्तर इस देश के अन्दर कांग्रेस का शासन रहा, सम्भवतः इस दरम्यान एक-दो राज्यों में अकांग्रेस सरकारें हुई हों, किन्तु केन्द्र के अन्दर निरन्तर सन् ४७ से आज तक कांग्रेस का शासन है। देश की आजादी के पश्चात् देश में कई समस्याएं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उत्पन्न हुईं। उनमें सबसे पहली समस्या थी विभाजन की समस्या। उस विभाजन की समस्या के साथ-साथ शरणार्थियों की समस्या, उसके साथ ही साथ देशी राज्यों को भारतीय संघ के साथ मिलाने की समस्या, तत्पश्चात् प्रान्तों के पुनर्गठन की समस्या, और उसके साथ साथ हमारे देश के अन्दर यह भ्रष्टाचार की समस्या भी उत्पन्न हुई।

मैं इस भ्रष्टाचार की समस्या पर मनोवैज्ञानिक रूप से दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पूर्व जो जद्दोजहद चली उसमें कई कांग्रेस के नेताओं ने सरकारी कर्मचारियों को चाहे वे ब्रिटिश कर्मचारी थे, चाहे देशी राज्यों के, वे भरोसे के आदमी थे राजाओं के उनको कई तरह का आश्वासन दिया, कई तरह का प्रलोभन दिया, उनको कई रूप से अपने अन्दर मिलाने की चेष्टा की। मैं इस बात पर विशेष नहीं कहना चाहता कि वह किस हद तक उचित था और किस हद तक उचित नहीं था। देश की आजादी के खातिर यह हुआ तो मैं यह कहूंगा कि एक हद तक अनुचित था किन्तु सिद्धान्ततः मैं इस बात का कभी भी समर्थन नहीं कर सकता कि यह जो कुछ भी हुआ यह उचित हुआ। उस वक्त के कई ब्रिटिश उच्चाधिकारियों ने भी मुझे यह कहा कि इस तरह की जो तोड़-फोड़ की जा रही है उसका बदला सम्भवतः रिकोआइल होना जो समय की सरकार है उसके ऊपर सम्भव है नहीं लेकिन करीब करीब निश्चित है। उसके साथ-साथ जो कर्मचारी सरकार की सेवाओं में चाहे वह ब्रिटिश के हों चाहे देशी राज्यों के हों अवसर को देखकर और कांग्रेस के साथ आये उनको उच्च पद दिये और उनको पार्लियामेंट की सदस्यता दी, हाई कोर्ट में जज भी बनाये और उससे भी उनको ऊंची पदवी दी। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के सम्बन्ध में नहीं कहता, केवल मात्र एक ही उदाहरण दूंगा वी. पी. मेनन जो आई. सी. एस. आफिसर नहीं थे, स्टेट मिनिस्ट्री के सैक्रेट्री हुए, वे योग्य व्यक्ति थे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, वे वायसराय रिफार्म्स कमीशन की हैसियत से स्टेट्स मिनिस्ट्री के एडवाइजर बने और फिर गवर्नर बने। खैर, मेरा मतलब निवेदन करने का यह है कि धीरे धीरे इन अवसरवादी तत्वों ने कांग्रेस के अन्दर घर करना शुरू किया। सन् ४७ के पहले जो एक पवित्र संस्था थी, जिसके सिद्धान्त ऊंचे थे। उन सिद्धान्तों को छोड़कर उसमें इन अवसरवादियों का प्रवेश हुआ। उसके साथ-साथ शनैः शनैः महात्मा गांधी की मृत्यु हुई सरदार पटेल की मृत्यु हुई और राजेन्द्र बाबू जैसे जो विचारों के बहुत ऊंचे और नैतिक सिद्धान्तों के व्यक्ति थे उनके राष्ट्रपति होने के कारण कांग्रेस की संस्था में वरिष्ठ नेताओं की न्यूनता आई और जैसे जैसे न्यूनता बढ़ी वैसे वैसे अवसरवादी तत्व कांग्रेस के अन्दर विशेष आये। इसके परिणाम स्वरूप, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ कि आगे हम देखते हैं कि यह भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि संक्रामक रूप से यह बढ़ता ही जा रहा है। एक ऐपिडेक फार्म के अन्दर यह हमारे देश के अन्दर घुस आया है, और इस भ्रष्टाचार की एपिडेमिक फार्म में जिस तरह से वृद्धि हुई है, उसके साथ साथ यह भी मैं देखता हूं कि एक पवित्र संस्था

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कांग्रेस की थी उसमें अवसरवादी तत्व शनैः शनैः बढ़ते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप हम क्या देखते हैं कि अच्छे कांग्रेसी जो कांग्रेस के अन्दर थे वे स्वयं या तो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उनको छोड़नी पड़ रही है। मेरे खयाल से आज अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार मंत्रियों के अन्दर, कर्मचारियों के अन्दर आज भ्रष्टाचार देखा जाय तो व्यापारियों के अन्दर, और मेरे खयाल में यह भावना आज करीब करीब समाज के अन्दर खत्म हो गई है कि राष्ट्र के हित सर्वप्रथम हैं, राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देते हुए व्यक्तिगत हितों को गौण रखें। यह जो भावना है यह बिल्कुल लुप्त सी हो गई है। जिस चीज में देखो, परमिट, कोटा, लाइसेंस के अन्दर देखो भ्रष्टाचार और मेरे खयाल में कोई विशुद्ध संस्था के रूप में काम आज इस देश में चल रहा हो सुदृढ़ता से मैं समझता हूं वह एक चीज नगण्य सी हो गई है। मेरा निवेदन करना है कि इन सब खामियों के लिए उत्तरदायित्व कांग्रेस का है। जिस तरह से कांग्रेस का शासन कीमतों पर अधिकार नहीं कर सका, जिस तरह से कांग्रेस का शासन महंगवारी को रोक नहीं सका, उसी तरह से कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार के अब असाध्य रोग को नहीं रोक सकता। मेरे खयाल में वह दिन दूर नहीं कि इसका खामियाजा, इसका नुकसान हमको भुगतना पड़ेगा। जब समाज का चारित्रिक जीवन ही निम्न स्तर का हो जाय कि सिवाय अवसरवादिता के दूसरी बात सूझे ही नहीं, तो मेरे खयाल में वह समाज जीवन-शक्ति रखकर आगे बढ़ सके, ऐसी मेरी मान्यता नहीं।

आज हम क्या देखते हैं कि मंत्रियों और कर्मचारियों के बीच में जो सम्बन्ध हैं उन सम्बन्धों को अगर देखा जाय तो धीरे-धीरे जो सेवक हैं, वे शासक बनते जा रहे हैं और जो वास्तविक रूप से मंत्री, जो शासक हैं वे मेरे खयाल में, चाहे उनकी अयोग्यता हो, चाहे उनकी चारित्रिक न्यूनता हो, लेकिन वे इतने दब चुके हैं कि जो कर्मचारीगण सलाह दें चाहे वह टैकनिकी हो चाहे दूसरे प्रकार की हो, वह सलाह, मेरे खयाल में, १० में से आठ दफा मानी जाती है। उनकी व्यक्तिगत भावना को वे कार्य रूप में परिणित करने में असमर्थ होते हैं। यह मेरा निश्चित अभीमत है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था विशुद्ध रहनी चाहिये। यह जनतंत्र के लिये परमावश्यक है, देश की उन्नति के लिए परमावश्यक है, समाज हित के लिए परमावश्यक है। मैं आज न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्न स्तर की आलोचना करना नहीं चाहता। हाई कोर्ट को इज्जत की दृष्टि से देखता हूँ क्योंकि वह हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन वहां पर भी अवसरवादिता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रह चुके हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको प्राथमिकता देकर हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। यहीं पर ही मैं इस सम्बन्धी चर्चा समाप्त करता हूं। यह मेरी समझ के अनुसार अशोभनीय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था को विशुद्ध रखने के लिये यह जो आपकी प्रक्रिया है वह हितकर नहीं है। प्रशासन के अन्दर निष्पक्षता हो, न्याय में निष्पक्षता हो,

Page No. 128

(महारावल श्री लक्ष्मनसिंह)

"जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड" न्याय प्रोम्प्टली होना चाहिये। इतना होते हुए भी सैकड़ों समस्यायें विचाराधीन हैं। साधारण से साधारण मामले भी विचाराधीन है। विचाराधीन की बात को सुन सुन कर मैं थक सा गया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में रेड टेपिज्म लालफीताशाही, कर्मचारियों की कमी, मंत्रियों की कमी या अयोग्यता चाहे वह मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के कारण से हो या अवसरवादिता के कारण से हो यह जो दिखाई और रेडटेपिज्म लाल फीताशाही है मै इसका कटु विरोध करता हूं। और सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते हुए देश हित में आपको अपने आचरण को पवित्र करना चाहिये। यदि आप आचरण पवित्र करना चाहते हैं तो साहस के साथ जब तक आप ठोस कदम नहीं उठा पाते तब तक कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकेगा, देश पीछे हटता रहेगा। इस संदर्भ में मैं दूसरे देशों का उदाहरण न देता हुआ यह कहूंगा कि चारित्रिक पतन की दृष्टि से देखा जाय तो पड़ौसी देशों के मुकाबले भी हम ज्यादा गिरे हुए दिखाई देंगे। क्या पाकिस्तान, क्या नेपाल, क्या सिलोन। दूसरे देशों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा जो जो देश जनतंत्र की पद्धति के अनुसार सुशासित हैं जैसे ब्रिटेन, इन्डोनेशिया यू. के., आस्ट्रेलिया वहां का चारित्रिक जीवन देखा जाय तो उसके मुकाबले हमारे यहां के चरित्र का मुकाबला किया जाय तो आपको अनुभव होगा कि हम कहां से कहाँ चले गये। कांग्रेस जो महात्मा गांधी की पवित्र संस्था थी, उनके सिद्धान्त थे, उनसे कितने दूर जा चुके हैं और अवसरवादिता इनमें इतना घर कर गयी है कि जिस संस्था के प्रति लोगों को श्रद्धा तो क्या घृणा दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। आज लोगों का जीवन कठिन हो गया है आज की सरकार के प्रति दिन प्रतिदिन जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। हमारे नेता श्री राजगोपालाचारी ने यह मांग की कि ओम्बडसमैन के रूप में एक संस्था कायम हो। जैसे स्कैंडिनेवीयन कन्ट्रीज नारवे, हालेण्ड, स्वीडन और डेनमार्क के अन्दर इस प्रकार की सर्वोच्च संस्था है जो जनतन्त्र के लिये सर्वोच्च न्यायालय है, प्रशासनिक रूप से प्रशासन के क्षेत्र में ओम्बड्समैन संस्था कायम की जाय। हमने अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी ओम्बड्समैन के सम्बन्ध में निवेदन किया और जनता को इस सम्बन्ध में तैयार किया।

उपाध्यक्ष महोदय, १९६२ में के० सन्थानम कमेटी नाम की एक संस्था सरकार द्वारा गठित की गई, उसने यह सिफारिश की कि सतर्कता आयोग केन्द्र के अन्दर स्थापित किया जाय और सतर्कता आयोग राज्यों के अन्दर स्थापित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर भी ३०-४-६४ को सतर्कता आयोग की स्थापना हुई, एक सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई, जिसमें रिटायर्ड आई० सी० एस० आफिसर को मुकर्रर किया गया। उसका क्षेत्राधिकार कर्मचारियों के मामले तक ही सीमित रखा गया। मैं समझता हूं यह कदम ठीक दिशा के अन्दर होते

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हुए भी नाकाफी है । इसका क्षेत्रफल विस्तृत नहीं है फिर भी जो यह संस्था कायम की है वह कोई बुरी चीज नहीं है । अब आपको इस सम्बन्ध में काफी अनुभव हो चुका, देश के अन्दर व्याप्त स्थिति, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, निम्नस्तरीय चारित्रिक पतन, यह देख कर आपको शिक्षा लेनी चाहिये और इस ओम्बड्समेन के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिये ।

इसका प्रथम प्रतिवेदन हमारे सामने है जिसके सम्बन्ध में आज चर्चा हो रही है । जहां इसका कार्यकाल २२ जुलाई ६४ से मार्च ६६ तक का है उससे यह प्रतीत होता है मानो यह संस्था अशक्त थी, सशक्त नहीं पंगु स्थिति में थी । मैं निवेदन करूंगा, आप इसको शीघ्र से शीघ्र प्रभावशाली बना दें । अगर वस्तुस्थिति को देखा जाय तो बहुत से देशों के अन्दर भ्रष्टाचार की शुरुआत नीचे के तबके से होती है, छोटे लोगों से भ्रष्टाचार फैलता है । वह फैलते फैलते ऊपर आता है । बड़े खेद का विषय है, हमारे यहां भ्रष्टाचार का आविर्भाव, प्रारम्भ, श्री गणेश ऊपर के स्तर से होता है । यह अपोजिट डाइरेक्शन में होता हुआ ऊपर के स्तर से नीचे के स्तर पर व्याप्त रूप से आया हुआ है । इस तरह से यह परमावश्यक है कि इसके क्षेत्रफल का विस्तार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग के लिये ६४-६५ में एक लाख का प्रावधान किया गया था उसमें से २३ हजार ५७ रुपया वास्तविक रूप से खर्च किया गया । सन् ६५-६६ में १ लाख ८५ हजार का प्रावधान किया गया । उसमें से १, ३८, ७०० रुपया खर्च किया गया । इस तरह से कुल आयोग पर खर्च २, १३, ७८२ खर्च हुआ है यह मेरे ख्याल में गैरवाजिब नहीं है । यह एक इन्वेस्टमेन्ट है, इसको जारी रखेंगे, इसको आगे बढ़ायेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा अवसर मैं अपने जीवन में देख सकूंगा जिससे इस आयोग द्वारा किये हुए कार्यों का आप और हम स्वागत करेंगे ।

(३ म. प.)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक एन्टी-करप्शन नाम की संस्था चीफ सेक्रेटरी के तत्वावधान में भी काम कर रही है । इसका भी यही काम है और दोनों विभागों के काम में विशेष फर्क नहीं है किन्तु भ्रष्टाचार में ज्यादा कमी नहीं हुई । जब हमारे गृह मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा थे, उन्होंने भी चुनौती दी कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन वह शीघ्रातिशीघ्र करेंगे । अगर साल भर में वह उन्मूलन नहीं करेंगे तो वह त्याग पत्र दे देंगे । यह लम्बी चौड़ी चुनौती की बात आखिर थोथी साबित हुई । न उन्होंने त्याग—पत्र दिया और न भ्रष्टाचार में कमी हुई । सरकार ने तत्पश्चात् बिल्कुल थक कर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की स्थापना श्री मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में की । श्री मुरारजी देसाई जिस समय मद्रास आये उस समय उन्होंने लिखित रूप में राजा जी को कहा कि कमीशन के समक्ष एवीडेंस देने के लिए आवें । उन्होने सद्भावना व्यक्त करते हुए एवीडेंस देने में विवशता प्रगट की लेकिन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उस समय उन्होंने संकेत किया था कि ग्रोम्बड्समैन की स्थापना हो ग्रौर एक सशक्त ग्रायोग इस तरह का स्थापित किया जाय कि प्रशासन के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ग्रौर ठेठ मन्त्रियों से लगा कर नीचे से नीचे स्तर तक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सब तरह के भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई वह कर सके। इसके परिणामस्वरूप, उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की इन्टरीम रिपोर्ट में लोकपाल ग्रौर लोक ग्रायुक्त का प्रावधान रखा गया है ग्रौर एक हाई-पॉवर कमेटी ग्रोम्बड्समैन के समान ही स्थापित करने के लिए संकेत इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के द्वारा हुग्रा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विजिलेंस कमीशन के सामने ३३१३ मुकदमे ग्राये उसमें से सात मुकदमें, सात मामले सरकार के द्वारा इस कमीशन को सौंपे गये है। इनमें से २६६६ मामले ३१-३-६६ तक निपटाये ग्रौर ११६ मामले पेंडिंग हैं ग्रौर ५३१ मामलों में विभाग से जानकारी चाही गई है ग्रौर इन ३३१३ केसेज में से ७६५ मामले पुलिस से सम्बन्धित हैं, ५६४ मामले राजस्व विभाग के सम्बन्ध में हैं ग्रौर ३४७ मामले पंचायत विभाग के सम्बन्ध में हैं। इसी तरह १४०० मामले गजेटेड ग्राफिसर्स से सम्बन्धित हैं ग्रौर १४०१ मामले राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं ग्रौर ३१५ मामले ग्रन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं। ग्रावक-जावक के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विभाग से १५६.८ मामले प्रति माह प्राप्त किये गये ग्रौर १२३.६ मामले निपटाये। लेकिन इन मामलों में से ग्रधिक विभाग की कार्यवाही करने के लिए वापिस लौटाये गये तो विभाग को कार्यवाही करने के लिए मामलों को वापस लौटाना डिस्पोजल या निपटाना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मै समझता हूँ, ग्रगर इन्हें डिस्पोजल की संज्ञा दी गई है तो इल्यूसरी है, ग्रवास्तविक है। निपटाने ग्रौर लौटाने में बहुत फर्क है। निपटाना डिस्पोजल, रिटर्न्ड, फार नैसेसरी एक्शन। तो इस तरह के ग्रवास्तविक रूप के ग्रापको रिपोर्ट के ग्रन्दर ग्रांकड़े दिये गये हैं वह मेरे ख्याल में ग्रनुचित हैं ग्रौर सम्भवतः मंत्रियों ग्रौर प्रशासन को कोई तरह का प्रश्रय देने हेतु ग्रापने ऐसा किया है। सतर्कता ग्रायोग ने ५४...

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं, नेता महोदय ने कहा कि डिपार्टमेंट को जो केसेज भेजे गये, उनमें मैं ग्राप की बात को नहीं समझा, क्या डिस्पोजल के लिए भेजे गये या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चलाई जाती है, उसके लिए भेजे जाते हैं वह भेजे।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह – इसमें लिखा गया है, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के लिए भेजे गये।

श्री दामोदर लाल व्यास : यही मतलब है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के बाद क्या हुग्रा, क्या नहीं हुग्रा इसका भी कोई निर्णय नही है। मैं समझता हूँ रिटर्न्ड फार नैसेसरी एक्शन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का मतलब यह तो नहीं है कि डिस्पोज्ड ग्राफ हुए। यह मामले पेंडिंग हैं, डिपार्टमेंट के पास गये हैं, डिपार्टमेंट जो नैसेसरी एक्शन ले वह ले किन्तु डिस्पोज्ड ग्राफ नहीं हुए। मेरा निवेदन यह था, डिस्पोजल नहीं है। निपटाना और लौटाना - उसमें अन्तर है।

जो मामले सतर्कता आयोग के सामने आये उनमें से ५४.३६ पर्सेन्ट मामले कन्फर्मेशन ग्राफ कम्प्लेन्ट यानि उनकी अभिपुष्टि हुई, बाकी ४३.६४ पर्सेंट मामले सिद्ध नहीं हुए नाट प्रूव्ड। इस से स्पष्ट

(१.०५ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

है कि कितने बड़े मामलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इससे यह भी स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार घट नहीं रहा है, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह तो सतर्कता आयोग के पास जो मामले आये हैं उस सम्बन्ध में विवरण है और दबे छिपे जो भ्रष्टाचार होता होगा उस का भी हम इन आंकड़ों से अनुमान कर सकते हैं और जिस तरह से यह आयोग मामलों को निपटाता रहा है, उसके परिणामस्वरूप भी आगे भी हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो शनैः शनैः जनता की भी, मेरे ख्याल में भावना, और श्रद्धा, और विश्वास मेरे ख्याल में घटता जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार है तो यह नई बात नहीं है। अनादि काल से हम सुनते आए हैं, जहां भी शासन होता है वहाँ भ्रष्टाचार होता है। किन्तु सभापति महोदया, अगर आटे और नमक की एक मिकदार हो जाय तो मेरे ख्याल में वह संक्रामक भ्रष्टाचार है और उसके लिए कोई न कोई निवारण के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। कहा है—Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.

जहां पर निरंकुश शासन होता है, वहां पर भ्रष्टाचार भी निरंकुश, भ्रष्टाचार भी गगनचुम्बी करता है। कांग्रेस के बीस वर्ष के शासन का हम अनुभव कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के द्वारा हमारे देश को पतन की ओर ले जा रहे हैं न कि उत्थान की ओर ले जा रहे हैं और गरीबों की गरीबी को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि बिना पैसा दिये तो मेरे ख्याल में कोई भी काम नहीं होता है। आम तौर से मेरा निवेदन करना है, कर्मचारीगण पैसे के पीछे हैं। आज गरीबों को ज्यादा गरीब कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए न्याय जैसी कोई वस्तु नहीं है, न्याय अप्राप्य है और दिन प्रतिदिन न्याय भी इतना मंहगा होता जा रहा है जैसे दूसरी आवश्यकता की वस्तुएं मंहगी होती जा रही हैं। मेरे ख्याल में यह व्यवस्था कांग्रेस के शासन के लिए महान् अशोभनीय है और आशा करता हूँ, सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी, अपनी कमियों का सिंहावलोकन करके दूर करने की कोशिश करेगी। सभापति महोदया, मैं कुछ उदाहरण के रूप में मामले जो इस प्रतिवेदन के अन्दर लिखित हैं उस पर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। यह एक सिंचाई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

विभाग का मामला है । एक विभागीय अधिकारी ने लोगों को परेशान किया, बहुत रिश्वत खाई और ऊपर शिकायत हुई । आयोग ने शिकायतों की जांच की तो सिद्ध हुई और आयोग ने सिफारिश की कि इस मामले में विभागीय कार्यवाही की जाय ।

इसके पश्चात् डिपार्टमेंटल एक्शन क्या लिया गया इसका कोई पता नहीं । मैं समझता हूँ अदालती कार्यवाही के लिये यह एक उचित मामला था किन्तु इसे डिपार्टमेंटल एक्शन के लिये भेजा गया, पृष्ठ २० पैरा २ पर, यह मामला उद्धृत है ।

दूसरा मामला, सभापति महोदया, आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में है । एक वैद्य के सम्बन्ध में शिकायत हुई कि वे अनुपस्थित रहते हैं, महीने में एक दो बार औषधालय में जाते हैं और पूरे एक महीने की हाजरी लिख देते हैं । इस सम्बन्ध में डायरेक्टर आयुर्वेद के पास शिकायत हुई पर डायरेक्टर साहब ने कोई कदम नहीं उठाया । आयोग ने अपने आफिसर को जांच के लिये भेजा तो वैद्य वहां पर गायब मिले और रजिस्टर में देखने से यह सिद्ध हुआ कि रजिस्टर में उनकी हाजरी पूरे दिन की लगी हुई है । इसके अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् आउट-डोर के पेशेन्ट्स के रजिस्टर में उनके द्वारा काल्पनिक नाम लिखे हुए साबित हुए । यह भी साबित हुआ कि कम्पाउन्डर दूसरे कागज पर काल्पनिक नाम लिख जाता था और जब वैद्य औषधालय में आते थे तो जो अलग कागज पर काल्पनिक नाम लिखे होते थे उनको रजिस्टर में दर्ज कर दिया करते थे । आयोग ने गंभीर दण्ड देने की सिफारिश की पर डायरेक्टर साहब जो इतने दिनों तक वैद्यजी के काले कारनामों को छुपाये हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया । इसके बाद क्या हुआ यह इस विवरण से पता नहीं चलता । यह भी लीगल एक्शन के लिये फिट मामला था पर इस पर कुछ नहीं करना सरकार के लिये बहुत अशोभनीय बात है ।

तीसरा मामला मैं यदि निवेदन करूं तो मेरे क्षेत्र के अन्दर ऋषभदेव नाम का स्थान है, वहां चल चिकित्सालय, मोबाइल डिस्पेन्सरी है, उसमें रोगियों के दूध, फल, राशन, दवाइयों का दुरुपयोग डाक्टर-कम्पाउन्डर आदि करते हैं, वे फल, दूध, राशन आदि खा जाते हैं और जो व्यापारी सप्लाई करता था इन वस्तुओं को उसको कहा गया कि झूठे बिल बनाओ और भुगतान ओछा किया गया तो यह शिकायत मेरे पास आई । मुझे आशंका हुई, बी० डी० ओ०, प्रधान, अन्य सफेद पोश नेता, सब आपा-धापी में लगे हुए हैं । मैंने स्वयं इस शिकायत को कमिश्नर के सामने रखा किन्तु, सभापति महोदया, दो वर्ष के पश्चात् अब तक भी कुछ पता नहीं है कि इस सम्बन्ध में क्या हुआ । मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं । आखिरकार एक एम. एल. ए. के नाते कमिश्नर साहब को शिकायत की, अगर एम. एल. ए. को उत्तर नहीं मिलता तो मामूली गरीब आदमी का तो क्या पता चलेगा ।

श्रीमती सभानेत्री : एम. एल. ए. भी मामूली नहीं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ भी हो, इसके बारे में मन्त्री महोदय ही विशेष जानकारी रख सकते हैं । यही नहीं इस मामले का इस प्रतिवेदन में जिक्र तक नहीं, यह भी आपको सोचना चाहिये । लेकिन इसका उत्तर केवल मात्र मेरे पास यह है कि वह मुख्य मंत्री का क्षेत्र होने के कारण, वहां बिना मुख्य मंत्री की आज्ञा के पत्ता नहीं हिल सकता......

श्री दामोदरलाल व्यास : यह विजिलेंस कमिशन को दी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कमिश्नर साहब को दिया था उनके घर जा कर । जब उनके क्षेत्र में उनके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो दूसरे व्यक्ति की शिकायत का क्या पता चल सकता है, यह मैं ठीक तरह से समझ सकता हूँ ।

असिस्टेन्ट डायरेक्टर हैल्थ सर्विसेज ने १८ फर्मों से सस्ती दर पर दवाइयां प्राप्त करने का आर्डर दिया, उसकी खरीद-दारी में घोटाले हुए, शिकायत हुई, शिकायत के पश्चात् जांच की गई तो स्टोर में १८ किस्म की दवाइयों की जगह केवल १३ दवाइयां ही मिलीं, दूसरी गायब मिलीं, यहीं नहीं परचेज आर्डर पर जाली दस्तखत किये हुए मिले, विभागीय लैटर हैड्स हैं उनका भी दुरुपयोग किया गया, १२५०० रुपयों का अवैध लाभ प्राप्त करने की आशंका है । आयोग ने सिफारिश की कि इस मामले का चालान किया जाय । पर क्या हुआ इसका कोई पता नहीं । अगर इस तरह यह आपा-धापी और दुरुपयोग चला तो कौनसी सरकार किस तरह चल सकती है यह मेरी तो समझ के बाहर है । इस मामले का विवरण पेज २७ पैरा ७ पर है ।

एक गांव में डेकोयटी हुई, थानेदार को फौरन नजदीक होने के कारण सूचना मिली, उन्होंने घंटों तक कुछ नहीं किया ताकि कल्प्रिट्स वहां से एस्केप कर जायं । रजि-स्टर में डेकोयटी की जगह कोई हल्का साधारण से अपराध का उल्लेख किया । आयोग ने जांच की, जांच के पश्चात् विभागीय एक्शन के लिये उस मामले को लौटाया लेकिन उसका क्या हुआ इसका अभी तक कोई पता नहीं । मैं विशेष समय सदन का नहीं लूंगा । एक आध और मामला रख कर इस सम्बन्ध में प्रकाश डालूंगा । एक सब इन्स्पेक्टर थे वे चोरियां भी करवाते थे, औरतों को भी भगाने में मदद करते थे, उन्होंने झूठे प्रोनोट लिख-वाये । इस सम्बन्ध में शिकायत हुई तो आयोग द्वारा जांच की गई, वह जांच सिद्ध हुई और उसके बाद डिपार्टमेंटल एक्शन के लिये उस मामले को वापिस लौटाया गया । यह सब मेरे खयाल में गलत बात है । मेरे खयाल में सरकार का सिद्धान्त सहकारिता का है तो सहकारिता किसी क्षेत्र में सफल हुई है तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में यह सहकारिता सफल हुई है । ऊपर से नीचे मेरे खयाल में सहकारी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आन्दोलन भ्रष्टाचार का व्याप्त रूप से है, मन्त्री और कर्मचारी सब इसमें जुटे हुए हैं।

सभापति महोदया, यह भी शिकायत इस सदन के समक्ष आ चुकी है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार एक यू. डी. सी. है तो यह तो मेरे खयाल में एक बिलकुल पराकाष्ठा है।

और मामले हैं लेकिन मे इस सम्बन्ध में विशेष चर्चा नहीं करूंगा। सदन का समय में नहीं लेना चाहता पर इससे यह स्पष्ट है कि आयोग द्वारा बार बार विभागीय कार्यवाही के लिये यह मामले लौटायें जाते हैं, और विभागाध्यक्ष उसकी उपेक्षा करते हैं, सजा नाम मात्र की देते हैं, कहीं ग्रेड प्रोमोशन रोक दिया, कहीं स्थानान्तरण कर दिया, कहीं सर्विस बुक में रिमार्क कर दिया। क्या यह काफी है ? संगीन फौजदारी जुर्मों के लिये यह किया जाय तो यह सरकार के लिये अशोभनीय है और इसका में कटु विरोध करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा जब तक एग्जेम्पलरी सजा नहीं देंगे, एक दो व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं होगा। कहावत है:—

'रंक मारे रावण कांपे।'

आपको चाहिये कि एक दो को पकड़ कर एग्जेम्प्लेरी सजा उदाहरण के तौर पर दें, नहीं तो दिन ब दिन यह व्यवस्था बिगड़तो ही जायगी।

आर्म्स लाइसेंस के लिये, पासपोर्ट के लिये टाइम लिमिट की व्यवस्था की है, वह कदम ठीक दिशा में है। पर पुलिस की आपाधापी के मामले में टाइम लिमिट रख कर कुछ संकेत टाइम लिमिट का कर दें तो ठीक होगा नहीं तो सदन में देखा कि उच्चस्तरीय पुलिस अधिकारी सदन में आकर किसी माननीय सदस्य को ले जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी का इतना ऊंचा मोरल है क्या, एक पुलिस अधिकारी इतने ऊंचे आचरण का है क्या जिसने आपको यह कहा हो कि जो व्यवस्था आप मुझे करने को कहते हैं, मैं जनता का, पब्लिक का सर्वेन्ट हूँ ? ऐसा क्यों कहें, वो तो राजाओं के जमाने में जब कहते हैं लोग:—

राजा दिन को रात कहे,
तो रात कहे सब कोय।
सांच झूठ का निर्णय नहीं,
हांजी हांजी होय॥

पुलिस का उच्चस्तरीय व्यक्ति कह दे कि सिद्धान्ततः मैं जनता का नौकर हूँ, जनता में सब पार्टियां हैं, कांग्रेस का प्रचार करने क्यों जाऊं तो उसका नुकसान होगा। मन्त्रिमण्डल को राजी करने के लिये, वह करता है। मुख्य मन्त्रीजी श्रीमुख से कह देते हैं, क्या चाहिये, जो चाहिये मैं दूंगा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। इस बारे में आपको सबक लेना चाहिये। यह जनतन्त्र नहीं है मेरे खयाल में जैसे मैं बार-बार सदन के अन्दर कहता आया हूं, यह भ्रष्ट अधि-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नायकवाद है। तो मेरा निवेदन है कि विजिलेन्स कमीशन को आप प्रभावशील बनायें, उसके क्षेत्र को बढ़ाया जाय और उसके क्षेत्र के अन्दर मंत्रियों को भी शामिल किया जाय। नहीं तो यह विजिलेन्स कमीशन नाम मात्र का ढकोसला है, आई वाश है। आपको यह गंभीरता से देखना चाहिये कि देश को किधर ले जा रहे हैं और जितनी भी आपके विचाराधीन बातें हैं और विभागीय कार्यवाही की बातें हैं, इन पर भी आप सोचकर निर्णय लें कि आपका कर्त्तव्य क्या कहता है और कर्त्तव्यपरायणता पर अनुसरण करें तब तो मेरे खयाल में सतर्कता आयोग का रखना चरितार्थ होगा वरना बिल्कुल बेकार है।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा सु.): मैं अपना नाम एस्टीमेट्स कमेटी के लिए चुनाव से वापस लेता हूं।

श्रीभैरोंसिह: सभापति महोदय, सर्तकता आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर इस सदन में विचार प्रारंभ हुआ है। इस प्रतिवेदन को देखने के बाद यह बड़े विश्वास से कहा जा सकता है कि राजस्थान में कोई सरकार नहीं है। राजस्थान का मंत्री मंडल अपने को सरकार मानकर बैठा है। लेकिन सरकारी काम काज में सरकार का कोई कन्ट्रोल है या सुपरवीजन है, इस प्रकार की कोई रिफ्लेक्शन किसी भी प्रकार से नहीं मिलता है। इस प्रतिवेदन के पढ़ने के बाद एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि राजस्थान के अधिकारियों की कार्यकुशलता इतनी तो अवश्य बढ़ गई कि इण्डियन पीनल कोड़ का कोई भी आफेंस यदि उनको करने की आवश्यकता पड़े तो बिना संकोच के वह आफेंस कमिट कर सकते हैं।

सभापति महोदय, महसूस हम यह करके चल रहे थे कि धीरे धीरे करप्शन समाप्त हो जायगा। हमारे नेताओं की घोषणा में कई बार इस बात का विश्वास पैदा किया कि अब भ्रष्टाचार जा रहा है, भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है लेकिन....

श्री रघुनाथ विश्नोई: हो नहीं सकता।

श्री वृद्धी चन्द: हुआ नहीं समाप्त।

श्री भैरोंसिह: लेकिन प्रगति हो रही है और धीरे धीरे सरकार की मान्यता हो रही है कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यस।

श्री भैरोंसिह: आज की स्थिति में हमने कानून और नियम सब कुछ बना रखे हैं, विजीलेन्स कमीशन की नियुक्ति कर रखी है, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट हमने चालू कर रखा है, गजेटेड अधिकारियों की इन्क्वायरीज के लिए कमिश्नर फोर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज के नाम का पद हमने बना रखा है। यह सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो यह मानना पड़ेगा कि जिस गति से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस गति से इसको रोकने की कोशिश नहीं की है। भ्रष्टाचार जिस मात्रा में बढ़ रहा है, वह अधिक है और उसको रोकने के जो प्रयास

(श्री भैरोंसिंह)

किए जा रहे हैं, वे बिल्कुल नाम मात्र हैं। अब यदि इस विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट को देखें तो, सभापति महोदया, एक बात तो सिद्ध हो गई कि आज राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि सरकार के अन्तर्गत कोई ऐसा विभाग है जिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हो। कोई विभाग नहीं बचा और बल्कि यदि यह कहा जाय कि कई करप्शन के मामलों में कोई कम्पिटीशन ऑल इण्डिया लेविल पर भी कम्पिटीशन हो और स्टेट लेविल पर यदि कम्पिटीशन हो तो गृह मंत्रीजी जिस विभाग के मंत्री हैं, वह विभाग टाप करेगा और टॉप ही नही करेगा, बल्कि कहना चाहिये कि उस विभाग को शील्ड मिलनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामलों में उसने टॉप किया है। आज से कुछ दिन पहले आज के लोकसभा के सदस्य श्री मुल्ला, वह जिस समय इलाहबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया एक केस में उसमें पुलिस के बारे में उन्होंने बताया कि यह पुलिस तो क्रिमिनल्स का एक गेंग है। मुल्ला साहब ने इलाहबाद में कहा, हमारे सतर्कता आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह उदाहरण देकर बताया कि वह क्रिमिनल्स का गेंग नहीं है, वह डेकोइट्स का गेंग है। सभापति महोदया, कौनसा आफेंस है जो पुलिस वालों ने नहीं किया ? डकैती डालने से लेकर महिलाओं का शील भंग करने तक, लोगों को गिरफ्तार करके पैसा कमाने के लिए हब्स बेजा रखने तक, कोई पुलिस ने ऐसा आफेंस नहीं छोड़ा जो पुलिस ने नहीं किया हो उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार शायद ट्रेनिंग उनको देना चाहती है इसलिए कि उनको क्रिमनल्स से डील करना पड़ता है तो जब तक क्रिमनल्स से डील करके क्रिमिनालजी में योग्यता प्राप्त नहीं करते तब तक वे क्राइम्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, सजा नहीं दिला सकते। तो आप कह दें कि राजस्थान का पुलिस विभाग इस समय ट्रेनिंग दे रहा है क्राइम्स को डिटेक्ट करने की, क्राइम्स को कमिट करने की। आज महिलाओं को थाने में बुलाया जाय, महिलाएं थाने में नहीं आये तो मुकदमा बनाया जाय, मुकदमा बना कर उसको गिरफ्तार किया जाय और कानून की हवालात में उसके साथ रेप किया जाय, डकैतों से मिला जाय, डकैतों का पीछा नहीं किया जाय, चोरों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाय, चोरों से मिलकर मुस्तगीस के खिलाफ रिपोर्ट की जाय। गृह मन्त्री यह मान कर चलते हैं आपको अभिमान होगा कि कहने में कांग्रेस का राज है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुगल बादशाह हुए और मुस्लिम सल्तनत में भी इतने अन्याय नहीं हुए होंगे जो आज कांग्रेस के राज में हो रहें हैं। मोहम्मद तुगलक का नाम लेते हैं अन्याय के लिए। आज सरकार में कई तुगलक बैठे हैं, कई तुगलक बाजी की नीतियां चलाते हैं सारे तुगलक बाजों का सम्मेलन हो रहा है इस सरकार में। आज सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मिटाया जायगा। कानून बनाते हैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, पटवारी से लेकर उनकी दौड़ है, आर. ए. एस तक या उस आर. जे. एस. तक जो बिना वसीले हैं। वसीलेदार तो पटवारी भी होगा तो शायद सजा भी नहीं मिले बड़े अधिकारियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके उपर जो वर्ग है, जो ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)

है, मन्त्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द करेंगे, बाकी के लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द करेंगे। में आज कहता हूँ कि मन्त्रियों में जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक राजस्थान से भ्रष्टाचार का भूत नहीं जायगा। यह भूत मंत्री मण्डल में बैठा है। इस भूत को निकालने की क्या व्यवस्था है? इसको मारने की क्या व्यवस्था है? विजीलेन्स कमीशन को किसी मन्त्री के खिलाफ शिकायत सुनने का अधिकार नहीं है, एन्टीकरप्सन विभाग को अधिकार नहीं है कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज को होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मन्त्री कुछ भ्रष्टाचार करें, उसकी शिकायत की जांच नहीं होगी, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक मानकर चलें कि राजस्थान में नीचे के कर्मचारियों को खत्म करके भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता है। आज आप उनके लिए कहते हैं कि क्या व्यवस्था की जाय। भारत सरकार ने एक कमेटी एपोइन्ट की—संथानम कमेटी—और उसको भी हमने पढ़ा और उस पर जिस समय वह रिपोर्ट आई, बड़ी चर्चा चली कि अब मन्त्री रिश्वत नहीं खा सकेंगे, अब उनके आचरण के खिलाफ शिकायत हो सकेगी, जाच हो सकेगी, दोषी व्यक्तियों को सजा मिल सकेगी। उस सन्थानम कमेटी की रिपोर्ट को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। उसके बाद में कहने लगे कि इस रिपोर्ट से काम नहीं चल सकेगा। हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की नियुक्ति कर रहे हैं। नियुक्ति हो गई और लोगों ने कहा कि मन्त्रियों के भ्रष्टाचार को रोको तो कहने लगे कि कमीशन की सिफारशों को आने दो, सिफारिशें आ गई कि इसको रोकने के लिए ओमबड्समैन जैसी कोई व्यवस्था की जाय।

अब जब उसकी मांग करने लगे तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं ऑल इण्डिया लेवल पर यह तय होगा। अब यह तय होगा उस समय तक शिकायत की जावे तो जांच कौन करेगा? गृह मन्त्रीजी यह बताएं। अब आप कहते हैं भारत सरकार ने कोई प्रोसीजर तय किया। मुख्य मन्त्री की जांच तो करेगी भारत सरकार और मन्त्रियों की जांच करेगी राजस्थान सरकार। आज तक आप बता दें कई मन्त्रियों पर आरोप लगे, उन पर स्वयं पर आरोप लगे, स्वयं ने उनके शब्दों में जांच करने की घोषणा की, बताइये कितनी जांच रिपोर्टें सदन में पेश की गई? कितने मन्त्रियों के आचरण के सम्बन्ध में जांच की गई। कोई सरकार नहीं करेगी। फिर सदन में प्रश्न उठाये जावें तो मन्त्री महोदय उछल कर कहते हैं 'गलत'। मैंने पिछले सत्र में प्रश्न उठाया। सेन्ट्रल स्टोर्स परचेज आर्गेनाइजेशन की स्टील फरनीचर की परचेज हुई। लाखों रुपयों की गड़बड़ी की गई। वित्त मन्त्री और उप वित्त मन्त्री उछल कर कहने लगे कोई गड़बड़ी नही हुई। आज आप इस सतर्कता आयोग की सेकिंड रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे हिन्दी का अनुवाद न होना, कारण नहीं है, यह कारण भी नहीं है कि मन्त्री महोदय ने उसे पढ़ा नहीं। कारण एक ही है कि उस विजिलेन्स कमीशन ने उस रिपोर्ट में यह लिख दिया कि एक फर्म को एक लाख दस हजार रुपये का

(श्री भैरोंसिंह)

लाभ पहुंचाने की गरज से सेन्ट्रल परचेज आर्गेनाइजेशन ने ऐसी व्यवस्था की जिससे स्टील फरनीचर के मामले में राजस्थान की सरकार को लगभग १।।। लाख का घाटा हुआ है।

अब इस घाटे को कैसे छुपाया जावे ? उसको पकड़ने में, सभापति महोदया, प्रश्न खड़ा हो गया कि जिन उपमन्त्री जी के भाई की वह इण्डस्ट्री थी, जिनको डेढ़ लाख के लगभग का लाभ पहुंचाया गया उनको तो सरदार शहर में राजवी रूपसिंहजी ने हरा दिया। वे तो आये नहीं, पर परचेज करने वाले अधिकारी ऐसे थे जो कर्त्तमकर्त्ता बैठे हैं। जैसे सेन्ट्रल परचेज आर्गेनाइजेशन के चैयर मैन थे और सेन्ट्रल परचेज आर्गेनाइजेशन के चैयर मैन ने परचेज उस हालत में की जब कि चैयरमैन के नाते उनका अपोइन्टमेन्ट भी नहीं हुआ था। अपोइन्मेन्ट हुए बिना अलाउन्स ले लिया, परचेज कर लिया और इसके बाद कमिश्नर ने एन्क्वायरी करके लिख दिया कि राज्य सरकार को लाखों रुपयों का घाटा हुआ तो सरकार के और कमिश्नर के बीच में कोरेस्पोन्डेन्स चल रही है कि तुम्हें तो जांच करने का अधिकार ही नहीं था। आप इसे अपनी परव्यू में नहीं ले सकते थे। यह जांच कैसे करा ली ? अब दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है और कह रहे हैं वह मामला तो छोटा था।

पर जो आर्म्स रैकेट का मामला है। दो साल पहले मैंने उसे सदन में प्रस्तुत किया था। उस आर्म्स रैकेट को रिपोर्ट देगा विजिलेन्स कमीशन उस दिन या तो वह विजिलेन्स कमीशन ही रहेगा या राजस्थान सरकार ही रहेगी। कोई बचा नहीं है सरकार का बड़ा अधिकारी।

श्री **मूलचन्द डागा** : दोनों रहेंगे। सरकार भी रहेगी।

श्री **भैरोंसिंह** : चोरों के ढंग में रहेगी-साहूकारों के ढंग में नहीं।

विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा की जाय तो व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आज उच्चाधिकारियों के खिलाफ एन्क्वायरी की क्या व्यवस्था की ? मन्त्रियों के आचरण के सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की ? शिक्षा सचिव के बारे में दो बार मैं कह चुका हूं। सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। उनकी एन्क्वायरी करके उनका प्रोसीक्यूशन कराया जाय।

अलाउद्दीन खिलजी बूंदी में कलेक्टर थे। उनके बारे में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने लिख दिया, ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख आ गया, उनके बारे में विजिलेन्स कमीशन ने लिख दिया। आज उनको सवाई माधोपुर में कलेक्टर बना कर भेज दिया रणथम्भोर में रंग रेलियां करने के लिए। कुछ छोटे मोटे ऐसे भी मिलेंगे जिनको थोड़ी सी शिकायत पर निलम्बित कर दिया गया पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट। दुनिया भर के आरोप उन पर विधान सभा में लगे। आरोपों

(श्री भैरोंसिंह)

का चार्ज शीट का जवाब एक साल तक नहीं दिया। चार्ज शीट पड़ी है। ४५ के लगभग चार्जेज लेवल किये गये। जांच हो रही है, धीरे धीरे चल रही है। उसकी उनको चिन्ता नहीं। इस प्रकार से आपका एक अधिकारी नहीं, कई हैं, प्रेस का सुपरिन्टेन्डेन्ट इफ्तिखार अली, कितने भयंकर आरोप थे उनके खिलाफ। सरकार कह रही थी जांच कर रहे हैं। वे रिटायर हो रहे हैं, जांच बन्द हो जावेगी। गोकुललालजी महता, पैसे खाने के बहीखातों में इन्द्राजात दर्ज मिल गये, भारत सरकार ने आदेश भी दिये, पर भारत सरकार के आदेशों के बावजूद भी राजस्थान की सरकार कागजों को दबा कर बैठी है। विद्यारत्न भटनागर के खिलाफ आरोप थे अब रिटायर हो गये, इसमें भी मामला खत्म कर दिया जावेगा।

मुन्शीलाल सेठी के खिलाफ आरोप थे। डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के विरुद्ध वर्षों से शिकायतें चल रही हैं। पर जांच नहीं होगी उनकी।

अब ये सारी चीजें इस प्रकार से चलती हैं तो लोग देखते हैं कि भाई पैसा खाओ। पर एक शर्त पर खाओ। मन्त्रिजी को खुश रक्खो। क्या हुआ देने में ? कितना ही उस आये हुए में से खर्च हो जावे, मन्त्रीजी को नाराज मत होने दो दूसरी क्वालिफिकेशन ढूंढने की तलाश करने की जरूरत नहीं। यह क्वालिफिकेशन अब अगर आपके पास है तो काफी है। ये डिग्रीहोल्डर बैठे हैं। अब ये डिग्री होल्डर, मन्त्रीजी को पता लगे तो उनको खुश कर दो। मन्त्री एक्शन नहीं लेते बाद में। क्यों नहीं लेते ?

इसके पीछे भी कई कारण हैं। अधिकारियों को मालूम है कि मन्त्रीजी ने कहां क्या किया है, कहाँ गड़बड़ी की है। वे किस मुंह से बोलें दूसरों के खिलाफ।

(३.३३ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो, उपाध्यक्ष महोदय कहना यह चाहूंगा कि सरकार में बैठे हुए मन्त्रीजी का आचरण ठीक होना चाहिये, अगर नहीं है और उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उनकी एन्क्वायरी कराये जाने की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। जब तक उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच की, उनके आचरण की जांच की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनका नैतिक साहस नहीं होता कि वे किसी आई० ए० एस० अफसर के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लें। और जब तक उन उच्चाधिकारियों के खिलाफ एक्सन नहीं लिया जावे तब तक पटवारी के खिलाफ या किसी पुलिस के सिपाही के खिलाफ छोटा मोटा एक्शन ले लेने से, उनको मारने से कोई भ्रष्टाचार दूर नहीं होने वाला।

पुलिस विभाग में प्रोमोशन हुए। ऐसों के होते हैं जिनके खिलाफ एन्क्वायरी चल रही है विजिलेन्स कमीशन में और एन्टी-

(श्री भैरोंसिंह)

करप्शन डिपार्टमेंट में। जिनके खिलाफ इस तरह की एन्क्वायरी चल रही हो आप उनको प्रोमोशन देते हैं।

कई मामलों में प्रोमोशन के प्रश्न इस प्रकार से जटिल रूप लेकर आते हैं। राजस्थान में तो एक प्रक्रिया चली है। सब सहमत होंगे इस बात से, यहां तो प्रोमोशन देने के लिये, अोब्लाइज करने के लिये तो पोस्टें क्रीएट होती हैं। आदमी को किस प्रकार से नियुक्त किया जावे, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है उसी के अनुरूप पोस्टें क्रीएट होती हैं और उन पोस्टों के लिये उसी तरह की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब होती हैं। इस तारीख तक जिसका एक्सीपीरियेन्स होगा वह लिया जावेगा, इस सारी व्यवस्था को व्यक्ति विशेष को लेकर प्रेस्क्राइब करते हैं और किया भी है। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री भगवतसिंह मेहता। मैं उन मेहताजी पर आरोप नहीं लगाता किन्तु राजस्थान हाई कोर्ट ने जजमेन्ट देकर कहा है कि भगवतसिंह मेहता के प्रोमोशन के सम्बन्ध में जो भी एक्शन लिया गया वह मेलाफाइडी है। राजस्थान के मुख्य सचिव के सम्बन्ध में हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर प्रोमोशन के सम्बन्ध में हैं रिक्वीजीशन को विथड्रा करना, अपोइन्टमेन्ट करने में विशेष व्यक्ति को ध्यान में रखना। आप शायद जवाब देने के लिये कहेंगे। चन्द्रसिंहजी मेहता, अमरसिंहजी मेहता के लड़के। टाउन प्लानर्स की पोस्ट के लिये एडवर्टिजमेन्ट निकाला गया रिक्वीजीशन किया गया। चूंकि वे पहले उसमें फिट नहीं बैठते थे तो रिक्वीजीशन को विथड्रा किया गया। दूसरा निकाला और उनको उनके मुताबिक क्वालिफिकेशन बना कर अपोइन्टमेन्ट दिया गया। मामला हाई कोर्ट में ले जाया गया। हाई कोर्ट ने भगवतसिंहजी मेहता पर मेलाफाइडी इन्टेन्शन का स्ट्रिक्चर पास किया इस अपोइन्टमेन्ट को लेकर और इस रिक्वीजीशन को विथड्रा करने के उनके एक्शन को लेकर। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि गृह-मन्त्रीजी, आप कई लोगों के खिलाफ तो रिटायरमेन्ट के बाद भी एक्शन ले लेते हैं आपके सर्विस कोड में हर प्रकार की व्यवस्था है। सेवा अधिनियम के अन्तर्गत भी चार वर्ष तक मेलाफाइडो एक्शन पाया जावे तो उसके खिलाफ एक्शन आप ले सकते हैं। पर आप इनको बचाना चाहते हैं वरना इस जजमेन्ट होने के बाद भी आप चुप क्यों हैं, क्यों चुप बैठे हैं इस तरह ? क्यों नहीं मुख्य सचिव के खिलाफ आपने एक्शन लिया जब कि यह जजमेंट १२-१-६७ को हो चुका है ?

१२-१-६७ के जजमेन्ट के बाद जिसमें श्री भगवतसिंह मेहता को पार्टी बनाया गया। अपील करने का चान्स दिया गया। राजस्थान की सरकार ने अपील करने के लिये लॉ डिपार्टमेंट से राय ली। सब ने मना किया। कहा अपील की गुंजाइश नहीं है। अपील नहीं की गई और आज वह रिलवेन्ट पैराग्राफ मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहूँगा जिसमें लिखा है:—

"There can be no doubt that the letter dated 27th August,

(श्री भैरोंसिंह)

1965 was written solely in the interest of Shri C. S. Mehta. Again, it is noteworthy that the initiative came from the Appointments Department and not from the Town Planning Department. The withdrawal of requisition for the two posts of Senior Town Planners under letter dated 26/27th August, 1965 was, therefore, malafide."

अब कई अधिकारियों को सजा मिली। मुझे याद है कि भाइयों की पेन्शन रुकी हुई है, मुझे याद है कि भाइयों की कटोती हो रही है, कइयों की पेन्शन में बड़ी भारी कटौती की जा रही है, रिटायरमेंन्ट के बाद में उनको दंड दिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जजमेंट कोई छोटी मोटी कोर्ट का नहीं है, यह कोई ट्रिब्यूनल का जजमेंट नहीं है, यह हाईकोर्ट का जगतनारायणजी का जजमेंट है, जिसमें मेलाफाइडी बताया है। आपने एक्शन लिया या नहीं? आज तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी तरकीब है। कैसे करेंगे? आपने व्यवस्था की है रिटायरमेंट के दो साल हो तो खूब खाओ, रिटायरमेंट के बाद कोई एक्शन लेने वाला नहीं। रिटायरमेंट पर जा रहे हैं। ईमानदार रहते हुए इस प्रकार की सोहबत में आकर आखरी दिन में फैसले किये टेम्टेशन की स्थिति पैदा की। कैसे रुकेंगे? आपके अल्लाउद्दीन खिलजी सवाई माधोपुर में कलेक्टर बन कर बैठे हैं। पटवारियों को कहते हैं कि पैसा मत खाओ। झुंझुनूं में क्या क्या नूर बसाये वे हम जानते हैं; उनको क्या मिला? आज कलेक्टर सवाई माधोपुर कहते हैं कि पैसा मत खाओ। हर आदमी समझता है, कानून के माहिर हैं, हर धाराओं को देख कर करप्शन किया करते हैं। पीनल कोड की कोई धारा नहीं छोड़ी। श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट कहते हैं कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिये, कानून की पाबन्दी करनी चाहिये। वह उन्हें कह सकते हैं। लेकिन हैड आफ दी डिपार्टमेंट करप्ट हो, एलीगेशन साबित होते हैं वही हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बैठे तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार करप्शन का प्रसार स्वयम् कर रही है, इस को रोकना नहीं चाहती है किन्तु इसका प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो उसी प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के सम्बन्ध में इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार आरोप लगाये गये। राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर, हाउस में कहा गया कई बार बोर्डर रोड़ की मशीनरी पर्चेज की, डीडवाना का सोडियम सल्फेट बेचा गया, हाइटेक में जो १८ लाख का घाटा हुआ, कई प्रकार की अनियमिततायें हुई उनके लिये कौन एन्क्वायरी करेगा? मैं चार्ज लगाता हूँ इस बात का कि सारे मामलों में राजस्थान के वर्तमान पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर दोषी हैं... सोरीं वर्तमान नहीं भूतपूर्व निर्माण मंत्री...। इन्होंने अपने सैल्फिस इन्टरेस्ट के लिए स्वयम् के मोटिव्ज के लिये, स्वयं के लाभ के लिये इन्होंने राजस्थान सरकार को घाटा पहुँचाया और राजस्थान की जनता को लूटने

(श्री भैरोंसिंह)

का अवसर प्रदान किया। मैं पूरे अधिकार के साथ कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं कि उनमें साहस और नैतिकता है तो इस प्रश्न पर चुनौती को स्वीकार करके किसी कोर्ट में मुझे और माथुर साहब को खड़ा कर दीजिये। (विराम) लेकिन किसमें दम है? एक दूसरे के भाई बेटे हैं। एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को बचाने की कोशिश से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। वह नहीं रुका तो आपका प्लानिंग सफल नहीं होगा, वह नहीं रुका तो चीजों पर बढ़ते हुए मूल्यों को आप नहीं रोक सकेंगे। पुलिस ने नक्शा बता दिया।

एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार है। वह विभाग जिसमें शिक्षा शास्त्री बैठे रहते हैं। जहां लोगों को नैतिक जीवन निर्माण की शिक्षा दी जाती है। भविष्य की संतति का निर्माण करने वालों के विभाग में भ्रष्टाचार। किस प्रकार का भ्रष्टाचार? सुनकर ताज्जुब होगा। सदन अन्दाज लगा ले। पैसा खाने की बात हो तो मामूली बात है, खरीद फरोख्त की बात है तो मामूली बात है। यह तो बड़े बड़े लोग भी करते हैं। बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन में पैसा खाते हैं यह मामूली बात है। पैसा इसलिये खाते हैं कि पास करते हैं। पास होना हो तो पैसा दो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चूल्लू भर पानी में डूब मरो।

श्री भैरोंसिंह : कोई सीमा है? एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में जहां भारत के भाग्य विधाताओं का निर्माण कर रहे हैं वहां यह भ्रष्टाचार! भारत के भाग्य विधाताओं का निर्माण उस आधार पर किया जा रहा है कि पैसा दो, नवीं से दसवीं में आना हो तो पैसा दो, फीस माफ कराना चाहते हैं तो पैसा दो, पुरस्कार करानी है तो पैसा दो। पास होना हो तो ट्यूशन करो, किताबें नहीं खरीदते हो तो ट्यूशन करो। एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में यह स्थिति है।

रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में, कमीशन ने कहा, फरजी रिकार्ड बनाना तो मामूली बात है। सिविल सप्लाई में कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज में अनियमिततायें और पैसा खाना यह मामूली बातें हैं। अब आपके लिये कौनसी बातें रहीं? आप ही बता दीजिये। आपने क्या प्रबन्ध कर रखा है, पैसा नहीं खाते? यहां तो उदाहरण ऐसे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी से खाता है। चौकी बैठा रखी है। नीचे की चौकी चली, ऊपर वाली चौकी में हिसाब हुआ, ऊपर वाली चौकी में हिसाब हुआ, तो वहां से ऊपर वाली चौकी में पहुंचा और ऊपर से ऊपर वाली चौकी में पहुंच गया तो पता लग गया कि डिक्री मिल गयी। चौकी की बात हुई। प्रमाण पत्र मिलना चाहिये था सर्टिफिकेट मिलना चाहिये था वह मिल गया कि अच्छा किया। यह सर्टिफिकेट मिल गया। विजिलेन्स कमीशन की दूसरी रिपोर्ट पेश करें या नहीं करें, इसके आधार पर ही काम शुरू कर देते हैं आप बतायेंगे कि कमीशन ने पहली रिपोर्ट में जितने केसेज में

(श्री भैरोंसिंह)

प्रोसिक्यूशन की रिकमन्डेशन की है, क्या सरकार ने प्रोसिक्यूशन उनका कर दिया ? क्या डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो गयी ? मेजर पनिशमेन्ट की रिकमन्डेशन की उसको फुल फिल किया ? माइनर रिकमन्डेशन को इम्पलीमेन्ट करने की कोशिश की ? सैकिन्ड रिपोर्ट को देखने के बाद जानकारी मिलेगी। सरकार यह कह कर बचती है कि हमने डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के आदेश दे दिये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट एक्जोनरेट कर देते हैं। एक वैद्य का मामला है। विजिलेन्स कमीशन ने लिखा कि अमुक आदमी ने भ्रष्टाचार किया है। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की जाय। हमारे प्रेम शंकरजी, आयुर्वेद विभाग के संचालक, तांत्रिक और मंत्र में और भी एक्स्पर्ट, उनके पास मामला गया। उन्होंने गवाहों के बयान नहीं लिये, एन्टी करप्शन वालों की गवाही नहीं ली और लिख दिया कि इसका कोई कसूर नहीं है और मैं इसको एक्जोनरेट करता हूँ। कोई दोष नहीं है इस आदमी पर। आज इन्क्वायरी के लिये विजिलेन्स कमीशन महनत करके भेजता है उसको हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट किसी न किसी प्रकार बचाने की कोशिश करते हैं। इसी कोरोलरी में मैं सदन को निवेदन करना चाहूंगा। विजिलेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर जिन लोगों पर एक्शन लेने की जरूरत है, गजेटेड आफिसर की इन्क्वायरी के लिये आपने डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमीशन बैठा रखा है, उसी प्रकार नोन गजेटेड ओफिसर्स के लिये भी एक इन्क्वायरी कमीशन की व्यवस्था करें, हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, फौरन ही वह कमीशन कार्यवाही शुरू कर दे और इम्पलीमेन्टेशन की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें तो पता लगेगा कि विजिलेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन का क्या हुआ। कितने अफसर गिरफ्तार किये गये, कितनों को छोड़ा गया, कितनी फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स और ट्रबल्स एराइज हुए। यह डर आपको पैदा करना होगा। नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है। महारावल साहब ने कहा कि कोओपरेटिव करप्शन है।

कोओपरेटिव करप्शन नहीं राजस्थान सरकार एक माने में ईमानदार है। इन्होंने करप्शन को डिसेन्ट्रेलाइज किया है। वह नीचे से नीचे तक पहुँच गया है। इन्होंने देखा कि अकेले क्यों रहें ? बाकी लोगों को साथी बनाना चाहिये और साथी बनाने के लिये भारत सरकार की पौलिसी का उद्घोष होता है डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ इन्डस्ट्री। डिसेंट्रलाइजेशन हो इण्डस्ट्री में, राजस्थान की सरकार ने नारा दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन हो करप्शन में। आज राजस्थान के लोयेस्ट लेवल पर इसको आपने पहुँचा दिया है। और कोई चीज नहीं पहुँचे लेकिन यह पहुँच गया है। राजस्थान की सरकार फैमिली प्लानिंग पर लाखों रुपया खर्च कर रही है, राजस्थान की कौन २ सी स्कीम पर कितना २ रुपया खर्च किया जा रहा है। उसका गाँवों को पता नहीं है। आप किसी गांव में चले जायं और वहां पर किसी से पूछें कि तुमको राजस्थान की कुक्कुटशाला की स्कीम का पता है तो कहेगा कि नहीं पता। तुमको मत्स्य पालन की स्कीम का

(श्री भैरोंसिंह)

पता है तो कहेगा नहीं पता। आज कोई उनसे किसी भी विकास की बात को पूछे तो कहेंगे कि पता नहीं है। लेकिन अगर यह पूछें कि करप्शन के बारे में पता है तो कहेगा कि उसके बारे में सब कुछ पता है। पूरी ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ। कोई आ जाय तो उसको सिखा दूंगा। आज यह चीज है जो लोएस्ट लेवल पर पहुँची है लेकिन बाकी की चीजें नहीं पहूंची हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके पीछे कुछ कारण है। कुछ अधिकारी वर्षों से एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं और कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण बार-बार होते रहते हैं। कुछ अधिकारियों के प्रमोशन के सम्बन्ध में रूल्स चेंज होते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी ने और सन्थानम् आयोग ने तीनों ने करप्शन की जड़ में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बहुत कुछ अपनी रिकमण्डेशन की हैं। उन रिकमण्डेशन्स का भी एक आधार है। जैसा राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी ने कहा कि सेक्रेटेरियट में अधिक से अधिक दो वर्ष से ज्यादा लोगों को यदि रखा जावे तो बाद में उसकी सेंक्शन ली जानी चाहिए। उसका मतलब यही है कि उस आफिसर की फेमिलियरिटी इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि जिसके कारण उसके विभाग में चलने वाले करप्शन को भी नहीं रोक सकें। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपके एजूकेशन सेक्रेट्री ६ साल से सेक्रेट्रियेट में बैठे हैं। एग्रीकल्चर के सेक्रेट्री मिस्टर आर. डी. माथुर हैं वे सात साल से बैठे हैं और उनको बैठाने के लिए रूल्स चेंज करते हैं। पहले रूल्स थे कि जो सीनियर मोस्ट आफीसर हो, १८०० से २२०० की ग्रेड में आएगा, ज्योंही वह इस ग्रेड में दाखिल होगा उसको रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनाया जाएगा। बाद में उसमें चेंज कर दिया कि १८०० से २२०० की ग्रेड में जो सीनियर मोस्ट हैं उनको रेवेन्यु बोर्ड में भेजा जाएगा। अब अफसरों की नियुक्तियों में आप नियमों में परिवर्तन करते जायं तो लोगों को लगता है कि जमे रहो। ९ वर्ष तक एक सेक्रेट्री यहां पर रह सकता है, पांच सात साल तक एक सेक्रेट्री एक जगह पर रह सकता है तो उसका रिजल्ट भी सामने आता है। मन्त्री महोदय ने मुझे यहाँ पर रखा है तो उसका बदला भी चुकाना पड़ा है। जोधपुर के फार्म पर जो पानी आता है, जंवाई बांध से हेमावास बन्ध में होता हुआ जो जोधपुर शहर को पानी पिलाया जाता है उसमें सिंकिंग पाईप लगा कर अपने खेत के कुए भर कर राजस्थान के भूतपूर्व मन्त्री अपने खेत को पानी पिलाते हैं। तो पानी की भी चोरी। पैसों की चोरी तो सभी करते हैं। सोने की चोरी भी करते हैं, चान्दी की भी चोरी करते हैं, फाइल्स की चोरी भी करते हैं लेकिन मंत्रिमण्डल में ऐसे सदस्य भी हैं जो जनता के पीने के पानी की भी चोरी करते हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे लेकिन इसे तो रेत खा जायेगी। आज उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो कानून-कायदे बना रखे हैं वह इण्डीविजुअल्स पर लागू मत करिए, जो कानून कायदे आपने बना

(श्री भेरोंसिह)

रखे हैं वह किसी को ग्रोब्लाइज करने के लिए इस्तेमाल मत करिये। कानून कायदे बना रखे हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करने के लिए काम में लीजिए। वह नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है।

इसलिए अन्त में मैं कहना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मन्त्रियों पर लगाये जाने वाले अभियोगों के सम्बन्ध में जब तक कोई जाँच की व्यवस्था नहीं होगी, विजिलेंस कमीशन ने जैसा स्वयं ने स्वीकार किया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अन्दर जब तक विजिलेंस ब्रांच नहीं होगी, विजिलेंस का कोई अधिकारी नहीं होगा तब तक इस भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए भूत के चरण में बेड़ी नहीं डाली जा सकती है। इन बेड़ियों को डालने के लिए दूसरी व्यवस्था यह करें कि जो खाते हैं उनके साथ रियायत का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले झालावाड़ एस० डी० ओ० के लिए मैंने कहा था। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि मंत्रिमण्डल बहुत काम करता है। उस जगह एस० पी० झालावाड़ ने कुछ आदमियों को पकड़ा जो मक्का एक्सपोर्ट कर रहे थे। जिन्होंने मक्का का एक्सपोर्ट किया था उनको पकड़ लिया। उसमें ३१ तो ऊंट थे और छः सात गधे थे करीब करीब, जो मक्का ले जा रहे थे। अब मक्का को पकड़ लिया और पकड़ कर कोर्ट में चालान किया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गधे और ऊंट सात हजार का चारा खा गये और जुर्माना कुल मिला कर हुआ तीन हजार रुपयों का। अब उस स्मगलर का क्या नुकसान हुआ? उसके जानवर तो मुफ्त में राज के धन का चारा खा गये और वह थोड़ा सा रुपया, सौ सौ रुपये का जुर्माना देकर छूट गया। यह आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। अब यह मामला राज्य सरकार के यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके नोटिस में आया तो उस एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख दिया कि इसकी इन्क्वायरी की जाय और इस एस. डी. एम. के ज्यूडिशियल पावर्स विथड्रॉ कर लिये जायं। आर्डर चले गये। पंख कटे कबूतर की तरह बिना अधिकारों के एस. डी. एम. साहब झालावाड़ में डट कर बैठे हैं। आज आवश्यकता इस बात की थी कि भ्रष्टाचारी को सजा दें। आवश्यकता इस बात थी कि उसको सस्पेंड किया जाता, लेकिन ज्योंही राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में श्री बृजसुन्दरजी शर्मा राजस्व विभाग में अवतार लेकर पधारे, उन्होंने कहा कि तेरे बिना झालावाड़ का काम नहीं चल सकता है। आप तो श्रीमान् यहां पर बिराजो, जो चाहो वह अधिकार लो, जो चाहो ज्यूडिशियल अधिकार लो पैसा खाने का अधिकार चाहते हो तो अलिखित रूप में लो। खाओ, खूब खाओ। अब वह जब खूब खाने को कह दिया तो भूखे भेड़िये की तरह वह जनता को लूट रहा है, कोई उसको रोक नहीं पाता। वह जब नहीं रुक पाता तो मन्त्रियों को कौन रोकेगा। इण्डियन आयल कम्पनी के नाम से मन्त्रीजी की पत्नी ने जमीन ले ली और उस पर पैट्रोल पम्प बना लिया। एग्रीकल्चर लेंड, रूल्स के अनुसार एग्रीकल्चर लेंड का कन्वर्सन नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह)

सकता लेकिन आपके मन्त्रीजी ने अपनी पत्नी के नाम एग्रीकल्चर जमीन ले ली और उस पर पेट्रोल पम्प भी बिना इजाजत के बना लिया, क्या आप उस पर एक्शन लेंगे। वह जमीन एक्वायर हो चुकी है। एक्वीजिशन के बाद में उस जमीन पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद बिना इजाजत के उस पर पेट्रोल पम्प बना लिया। पेट्रोल पम्प लगाने के लिए, जमीन का कन्वर्सन करने के लिए इन पर कोई एक्ट लागू नहीं होता। इसके विरुद्ध एक कलेक्टर ने हिम्मत कर ली, एक कलेक्टर थे मिस्टर बराया उन्होंने हिम्मत कर ली कि मैं इसको तुड़वाऊंगा। कलेक्टर को राय दी गई कि कोटा छुड़वा दूंगा। लेकिन कलेक्टर ने कहा कि कौन होता है कोटा छुड़वाने वाला, इसको तुड़वाया जाय। अब उन्होंने तो लिख दिया कि इसको तुड़वाया जाय और सुखाड़ियाजी ने पढ़ लिया होगा कि यह मकान तुड़वाने की बात नहीं बल्कि कलेक्टर के ट्रांसफर करने की बात होगी और इसलिए उनका तबादला कोटा से सिरोही कर दिया। आज कोई कह सकता है कि सरकार के जितने बड़े २ अधिकारी हैं उन्होंने कितने अनधिकृत रूप से निर्माण करवा लिए हैं। आज जितने भी मन्त्री लोग हैं जहां जहां पर भी अरबन इम्प्रूवमेंट से सस्ती कीमत पर जमीन मिल सकती है, ले रहे हैं, बीबी के नाम पर ले रहे हैं, बच्चों के नाम पर ले रहे हैं। आज उनके अधिकारियों ने जो यहां पर बंगले बना रखे हैं, लाखं लाख रूपयों के बंगले बना रखे हैं तो वह पैसा कहां से आता है कमाई से तो, तनख्वाह से तो महीने में बचता नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं सेंट जेवियर में, थर्ड क्लास में यात्रा नहीं करते फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, रेफ्रिजरेटर के बिना भोजन नहीं करते। आज उनके बच्चों के लिए मोटरें जाती हैं दो हजार रुपये महीना भी मिले तो भी सेविंग नहीं हो सकती। आपको और जगह जाने की जरूरत नहीं है, उदयपुर में मत जाओ, सुखाड़ियाजी नाराज हो जायेंगे, जयपुर में ही जो बंगले बने हुए हैं उनका पैसा कहाँ से आया? भारत सरकार भी कहती है और राजस्थान सरकार भी कहती है कि लीगल इन्कम से अधिक यदि किसी ने अधिक की प्रोपर्टी बना ली हो, उसकी इन्कम के प्रपोर्शनेट से अगर वह बढ़ गई हो तो वह एक प्रकार का करप्शन है। यहां जयपुर में करप्शन के सिम्बल खड़े हैं। जब इधर उधर जाते हैं और देखते हैं कि सिम्बल खड़े हुए हैं करप्शन के। कभी आपने जांच की है कि एक बंगला लाख लाख रूपये का कैसे बना? एक बंगले को लिजिए और उसकी जांच कीजिए, फिर दूसरे बंगले को लिजिए और उसकी जांच करिये आपको करप्शन ऐसे मिलेगा जैसे बरसात में जमीन से बाजरा निकलता है उसी तरह से एक एक जमीन से करप्शन निकलेगा। अब उसको तो रोक नही सकते। कैसे करें? हमारा भी तो है डेढ़ डेढ़ लाख का बंगला बना हुआ है। किसी आफिसर को जाकर कहें कि तुम्हारा यह बंगला कैसे बना तो वह भी तो मन्त्री महोदय से पूछ सकता है कि आपने कैसे बना लिया। वकालत तो चलती थी सौ रुपये की और बंगला खड़ा डेढ़ लाख रूपये का। मिली भगत है और जब तक मिली भगत है तब तक कुछ भी नही हो सकता।

(श्री भैरोंसिंह)

इस मिली भगत को यदि आपको रोकना है तो जो कुछ भी आपने नियम बना रखे हैं उन नियमों का स्ट्रिक्टली आपको पालन करना पड़ेगा, और जब तक नियमों का स्ट्रिक्टली आप पालन नहीं करते हैं तब तक मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि करप्शन बना रहेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। विजिलेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट की है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि आज जो करप्शन चरम सीमा पर बना हुआ है उसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं दे सके। उसको मोड़ देने की आवश्यकता है, और इसी आवश्यकता को विजिलेन्स कमीशन ने माना है, और यही मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विजिलेन्स आयोग की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, और उसके पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि विजिलेन्स आयोग कायम करने की क्या जरूरत थी, और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई उससे क्या मतलब निकला ? मैंने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक पढ़ा तो पढ़ने पर यही पता चलता है कि उनके पास कई तरह की शिकायतें आईं, और विजीलेन्स कमीशन ने उनके ऊपर सजा देने के लिए और कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी। जहाँ तक मेरा खयाल है विजीलेंस कमीशन इसलिए कायम किया गया था कि इसके द्वारा जो इस तरह की शिकायतें आती हैं उनकी पूरी तरह की जांच की जायगी और जो मुजरिम हैं, जो भ्रष्ट हैं उनको सजा दी जायगी और लोगों में एक तरह की धारणा कायम हो गई है और आज भ्रष्टाचार जिस तरह से दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है उसमें कुछ रुकावट आयेगी। लेकिन इन सब पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद में इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो कुछ हमारे इतने रुपये सर्फ किये गये, लाखों रुपये खर्च किये गये और इतना समय नष्ट किया गया वह सब बेकार गया।

यह मैं मानती हूँ कि यह कमीशन की पहली रिपोर्ट है, लेकिन इसको पढ़ कर एक प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, हमें निराशा ही मिली है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पंचायतों के खिलाफ १३३ केसेज़ शिकायतों के आये हैं लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ? उन केसेज़ के लिए इस आयोग ने उस विभाग को लिखा कि उनके ऊपर कार्यवाही चलाई जाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक सरकार ने नियम बनाया है, जो इसके पेज ८१ पर स्पष्ट लिखा है। विजीलेन्स आयोग कहता है कि यों तो भारतीय दण्ड संहिता में लोकसेवक के रूप में जितने भी समाज-सेवक हैं, लोक-सेवकों में उनकी गिनती आ गई है, लेकिन राज्य सरकार ने एक ऐसा हुक्म निकाला है कि विजीलेन्स कमीशन उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता और वह लिखा है...यह शंका प्रदर्शित की गई है कि आया उपरोक्त पैरा में आने वाली अभिव्यक्ति "लोक सेवक" में पंचायतों तथा नगरपालि-

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

काओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं। मामले की जांच की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि यद्यपि भारतीय दण्ड सहिता की धारा २१ में दी गई अभिव्यक्ति की परिभाषा के अन्तर्गत नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के निर्वाचित एवं सहवृत सदस्य लोक सेवक हैं तो भी इस विभाग के उपरि-निर्दिष्ट आदेश के पैरा २ (१) एव (२) की प्रयोजियता के अन्तर्गत इन संस्थाओं के निर्वाचित एवं सहवृत सदस्य लोक सेवक नहीं माने जायेंगे। जिनके ऊपर यह विजीलेंस कमीशन काम नहीं कर सकता ग्राम पंचायतों के सदस्य निर्वाचित एवं सहवृत, न्याय पंचायतों के सदस्य, नगरपालिकाओं, पचायत समितियों और जिला परिषदों के कोआप्टेड सदस्य और निर्वाचित सदस्य।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मेरा यह कहना है कि उनको इस नियम के बाहर निकाला गया है। उस पर मुझे घोर आपत्ति है। आज जब कि हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। दिन दिन हम इन लोक सेवकों के हाथों में ताकत दे रहे हैं। इनको बड़े बड़े चान्सेज दिये जा रहे हैं, पावर्स दी जा रही है। इनके हाथों में धन आ रहा है; ऐसे समय में यदि इनके ऊपर इस तरह की निगरानी नहीं रखी जायगी तो इसका क्या नतीजा होगा? आज हम देखते हैं कि पंचायतों में पंचायत समितियों में दिन पर दिन यह जो चुने हुए लोक सेवक हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा शिकायतें की जा रही हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता के दिमाग में लोक सेवक की एक ऐसी तस्वीर कायम हो गई है अगर यही तस्वीर आगे बढ़ती रही तो सच्ची डेमोक्रेसी का आधार स्तम्भ डिसेन्ट्रेलाइजेशन जिनके कन्धों पर रखकर हम चल रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा? मैं स्पष्ट कह दूं कि जो भ्रष्टाचार अधिकारियों में व्याप्त है उसे फिर भी माफ किया जा सकता है, और लोक सेवकों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको किसी भी हालत में किसी भी कदम पर रोका जाना चाहिए, इसको बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के दौरान मुझे कई जिलों की इन संस्थाओं के हिसाब देखने का मौका मिला और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जितना भ्रष्टाचार इन लोकल बोडीज, जितना भ्रष्टाचार इन लोक सेवक कहे जाने वाले लोगों के द्वारा हो रहा है उतना दूसरों के द्वारा नहीं हो रहा है। अगर हमारी यही स्थिति रही तो लोकसेवक आज समाज की नजरों में गिर चुके हैं, अगर यही स्थिति रही तो आगे क्या होगी? मैं मन्जूर करती हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, उनमें से मैं एक हूँ इसलिए यह आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इनको इस विजीलेन्स कमीशन के दायरे में क्यों नहीं रखा गया? इनके ऊपर जांच क्यों नहीं की जा रही है। जिस तरह से अधिकारियों के सामने जांच होती है, उनको कठघरे में खड़ा किया जाता है, उसी तरह से उनको भी क्यों नहीं किया जाता है? इनमें भ्रष्टाचार व्याप्त होने का मतलब है हमारे समाज की नस-नस में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना। गांव गांव में भ्रष्टाचार का फैलाना और डेमोक्रेसी की जड़ों में कीड़ा लग जाना।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह इसमें साफ एक जगह निर्देश किया गया है कि यू० आई० बी०, जितने नगर-विन्यास हैं उनके जो ऊपर के अध्यक्ष जो चुने हुए हों उनको भी इससे अलग किया गया है। मैं यह कहती हूँ कि यह एक और भी पक्षपात का काम किया गया है। सरपंच लोग, प्रधान लोग, या दूसरे लोग वे तो फिर भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, लेकिन यू० आई० बी० के अध्यक्ष को रखा जाता है तो वे तो सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, और स्पष्ट कहती हूँ कि जो सरकार के कृपापात्र होते हैं उनको ही किसी तरह से कम्पेन्सेट किया जाता है (शेम, शेम) यह वाकई हमारे लिए बड़े ही दुःख की बात है। एक ऐसे ऊंचे पद के ऊपर जिस किसी को रखा जाय वह ऐसा व्यक्ति है। उसको न्याय पर तोला जाय। उसमें पक्षपात, पार्टी का इस तरह का कोई सवाल नहीं आता। आज किसी भी यू० आई० बी० को आप देखें, चाहे जयपुर का यू० आई० बी० हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे बीकानेर का हो, जितने घोटाले यू० आई० बी० में होते हैं उतने शायद ही और किसी में होते होंगे। जितना नामाकूल इन्तजाम यू० आई० बी० का है वह किसी आफिस का नहीं है। मुझे कई बार देखना पड़ा। मुझे जो इस सदन की सदस्या होते हुए भी जिस तरह से काम के लिए १० दफा जाकर करवाना पड़ता है तो मैं सोचती हूँ कि एक साधारण नागरिक के लिए क्या होता होगा यह एक अन्दाज है। हम देखते हैं कि प्लाटों के बिकने में, यू० आई० बी० के प्लाटों के बिकने में और नीलाम करने में न जाने कितने कामों में लाखों, करोड़ों रुपये इधर-उधर होते हैं, और इन सब की आम जनता के ऊपर एक ऐसी भद्दी तस्वीर पड़ती है कि यू० आई० बी० में पक्षपात चल रहा है, उनका ठीक ढंग से निपटारा नहीं किया जाता है और कोई भी काम न्याय का नहीं होता है। मैं मंत्री महोदय से पूछूंगी कि इन लोक सेवकों को आपने किस कारण से विशेष प्रकार का प्रिविलेज्ड बनाकर उनको इससे मुस्तस्ना किया है? आप इनके हाथों में पावर्स दे रहे हैं, आप इनके हाथों में रुपया दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके ऊपर किस तरह की जांच नहीं की जाय? सन्थानम कमीशन की मन्शा यह थी कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे लोक सेवक हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो उनकी जांच की जाय और जो करप्ट पाये जाते हैं उनको सजा दी जाय, लेकिन आज आयोग की रिपोर्ट पढ़कर कहना होगा कि सन्थानम कमीशन की जो मन्शा थी, उस मन्शा की हत्या कर दी गई।

इसी तरह से आपने शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालयों के लोगों को इससे मुस्तस्ना किया है। क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा में भी करप्शन इसी तरह से बढ़े? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे जैसे एक सदस्य महोदय ने कहा कि कई तरह के करप्शन्स का घर बना हुआ है। वहां पर जैसे पुस्तकों का नेशनेलाइजेशन होता है उस में कितना घोटाला होता है यह सभी व्यक्ति जानते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि जो पुस्तकें टैक्स्टबुक हैं वह झूठे नामों से छप रही हैं। नाम किसी दूसरे का देते हैं और हजारों और

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत)

लाखों रुपयों की श्रामदनी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रिविलेज्ड क्लास बनाकर किसी को दूर न करें।

एक इन्साफ की नजर से देखा जाय चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे लोक सेवक हो चाहे मन्त्री हो। सब के साथ समान बरताव किया जाना चाहिये। मैं यह कहूंगी कि जो श्राज एक तरह से पक्षपात बरता जा रहा है, जो बड़े बड़े जुल्म करते हैं उनको सजा क्यों न मिले उनकी जांच क्यों न हो? विजीलेंस कमीशन के सामने जितनी शिकायतें श्रायी हैं उन सब को देखने से पता चलता है पुलिस के मामले को लेकर ५६ शिकायतें श्रायी हैं उन ५६ शिकायतों को पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुँची हूँ उसके लिये उन्होंने कहा है सख्त दंड देने की कार्यवाही की जाय इत्यादि इत्यादि, उस सम्बन्धी कुछ उद्धरण मैं पढ़कर सुनाउंगी। जहाँ तक कमीशन की राय का सवाल है उसने पुलिस के लिये यह राय दी है कि इन तीन पुलिस कर्मचारियों के लिये भारी दंड की प्रक्रिया श्रपनाने की सलाह दी है। ऐसे कई कोटेशन्स मिलेंगे जिनमें पुलिस वालों का जुर्म साबित हुश्रा कमीशन ने उस पर कहा कि इनको सख्त दंड दिया जाय। उनको दंड नहीं दिया गया श्रौर न कोई कार्यवाही हुई। मैं इसी रिपोर्ट के श्राधार पर कहूँगी कि उनको दंड दिया या नहीं। एक दो जगह पर दंड देने का भी हवाला दिया गया है। एक जगह यह हवाला दिया गया है, एक वेतन वृद्धि रोकने का सब इन्सपेक्टर को दंड दिया गया। दूसरी जगह यह हवाला दिया जाता है, एक सब इन्स्पेक्टर की दो रुपया महिना तनखा कम करने के लिये कहा गया है। जहां तक कमीशन ने भारी दंड देने की सलाह दी है वहाँ बड़े मुजरिम को क्या सजा दी गई। यह भी इसमें होना चाहिये। इसमें भी छोटे छोटे गरीब बेचारे मारे गये किसी का इन्क्रीमेंट रोका गया तो किसी को दो रुपये महिने की तनखा रोकी गई। मैं निवेदन करूंगी कि श्रगली साल जो कमीशन की रिपोर्ट श्राय उसके श्रन्दर यह भी हवाला हो कि किसको क्या सजा मिली? जब तक जुल्म करने वाले को दंड नहीं मिलेगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता श्रौर न राज्य शासन सुधर सकता है। जो जुल्म करने वाले हैं उनको एग्जेम्प्लरी पनिशमेन्ट मिलना चाहिये ताकि श्रौर लोगों को खौफ लगे, डर लगे। श्राज जुल्म करने वाला सोचता है कि मेरा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वे जिस तरह से चाहें उस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं, इसी कारण भ्रष्टाचार फैलता है। श्राज एक तरफ तो यह हालत है दूसरी तरफ ईमानदार श्रौर मेहनती श्रौर काबलियत से काम करने वाले लोग हैं उनको किसी तरह से शह नही दी जाती हैं, उनको कोई शाबाशी नहीं दी जाती। श्राज तो चाहे राजकर्मचारी हो, चाहे लोक सेवक हो खल गुड सब ही एक भाव है। काम करने वाले की तरक्की नहीं हो सकती जुर्म करने वाले को सजा नहीं मिल रही है। श्राज जो जुर्म करता है उसके लिये सिफारिश पहुँच जाती है। उसके कारण

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

उसको दंड नहीं मिलता। आज जो बदमाश और बेईमान आदमी होते हैं उनका हिम्मत और मजबूती के साथ दमन नहीं कर सकते। आज ईमानदार आदमी को आगे नहीं बढ़ाया जाता उसके साथ इन्साफ नहीं किया जाता यही हालत यदि रहती है तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जायगा। लोकसेवकों के लिये भी वही दर्जा रखा जाना चाहिये जो कि एक अधिकारी के लिये होता है। अगर लोकसेवकों में यह भ्रष्टाचार बढ़ता गया तो हमारी डेमोक्रेसी के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे।

अरबन इम्प्रूवमेन्ट के बारे में भी जांच करने के अधिकार विजिलेंस कमीशन को दिये जाने चाहिये ताकि अपने कृपा पात्र एवं महरबान लोगों की इनमें नियुक्ति न हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सदन के सामने है। इसमें भ्रष्टाचार की बातों का बहुत उल्लेख किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बीस सालों से जब से स्वराज्य आया है तब से किसी न किसी रूप में मेरा इस शासन से बहुत नजदीक से सम्पर्क रहा है। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर और हम सब को जो अनुभव है उस आधार पर यह बात आसानी से कही जा सकती है सरकार यह जो करप्शन फैला हुआ है उसको रोकने में असमर्थ है। मैं यह भी कह सकता हूं कि सरकार इस करप्शन को रोकना नहीं चाहती। सन् ४८ में जब स्वराज्य आया उस वक्त अगर यह कांग्रेस गवर्नमेंट कोशिश करती कि यह करप्शन किसी तरह से रुक जाय तो कोई रास्ता निकल सकता था। अब वह मामला बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गया है कि यह आपके काबू से बाहर निकल गया है। अब यह कहना कि सरकार इसको रोकना चाहती है यह बात गलत होगी। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाउंगा जब भारत सरकार के गृह मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा थे उन्होंने इस बात का अभियान किया उन्होंने कहा था कि मैं दो साल में करप्शन को समाप्त कर दूंगा। यह आयोग की रिपोर्ट है इसमें मिसालें दी हुई हैं जो करप्शन फैला हुआ है उन हजारों में से एक मिसाल है, अनगिनत जो मिसाल है उनमें से किसी ने हिम्मत करके शिकायतें पेश कर दी। आयोग ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो पैरा १७ पेज ८ पर कहा गया है जिसमें आयोग ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सरविसेज में करप्शन हैं। एक तरफ तो शिकायतों में कमी आ रही है दूसरी तरफ करप्शन बढता चला जायगा। आज करप्शन में भी ऐसे हथकन्डे चालू हो गये हैं कि करप्शन की शिकायतें ही न आने पावें। मैं इस तरह की पचासों बातें बता सकता हूँ। मैंने अलवर के पुलिस थाने में एक जवान लड़की को जिसको भगाकर ले जाया गया था वह मेरे इलाके की थी वह मेरे पास रोती हुई आयी उस पर मैंने पुलिस को जाकर कहा इसका डाक्टरी मुआयना कराया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जाय में खुद कोतवाली गया। उसके शरीर पर चोटें थी मैंने पुलिस को हिदायत दी इसमें किसी तरह की गड़बड़ी करना अच्छा नहीं होगा। दोनों डाक्टरी मुआयने में काफ़ी फर्क। लेकिन दुबारा किसी की हिम्मत नहीं जो ज्यादती हुई उसके बारे में कोई कहे।

इसी प्रकार पी० डब्लू० डी० की शिकायत है। मैं यह कह सकता हूं कि पी० डब्लू० डी० की जितनी भी इमारतें बनी हैं करोड़ों रुपये की इमारतें है वह गवर्नमेन्ट द्वारा प्रेसक्राइब्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार एक भी नहीं। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं जिससे स्टेन्डर्ड मेन्टेन हो....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपका अनुभव सही हो सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निवेदन करूंगा जो इस बात को, इस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करतें हैं उनसे मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का ही परिणाम था कि रसिया में रिवोल्यूशन हुआ। जब फ्रांस में भ्रष्टाचार बढ़ गया तो फ्रांस में भी रिवोल्यूशन हुआ। और यह भ्रष्टाचार का ही नतीजा हुआ कि चीन में रिवोल्यूशन हुआ। तो मैं कहता हूं कि आप इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सके तो यह कांग्रेस गवर्नमेंट खत्म हो जायगी। यह गवर्नमेंट खत्म हो जायगी क्यों कि इस गवर्नमेंट को एक्जिस्ट कराने की की आपकी मेन्टेलिटी नहीं है! आप कहते हैं कि स्वराज्य आने के बीस साल के बाद में में स्थिति यह है। मैं कहता हूँ कि बीस साल के पहले आपने जनता को स्वराज्य का क्या नक्शा दिया था। आपने कहा था कि जब स्वराज्य आयेगा तो जनता को आप क्लीन स्लेट जैसा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। लेकिन आपकी इस प्रकार की रिपोर्ट स्वराज्य के बीस साल के बाद में आई है और आप हंस कर कहते हैं कि क्या हुआ। यह शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर, जिस रिपोर्ट के अन्दर है कि जनता पर इस तरह की ज्यादती हुई है, आपको स्तीफा दे देना चाहिए। आपको गवर्नमेंट में रहने का मारल राइट क्या है? मैं समझता हूं, आपको गवर्नमेंट में रहने का कोई मारल राइट नहीं है। आपने बीस साल के पहले जनता को उम्मीद दिलाई थी जब कि स्वराज्य आयेगा तो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। मैं कहता हूँ कि आज गांधी जी होते और यह रिपोर्ट उनके सामने होती तो वह आज इसपर आमरण अनशन करके अपने जीवन को इसी पाइन्ट पर समाप्त कर लेते। जो आपने उम्मीद दिलाई थी कि देश में स्वराज्य होगा, राम राज्य होगा। क्या यही आपका राम राज्य हैं? आपके राम राज्य में ऐसी हरकतें हो रही हैं.......

श्री केसरी सिंह हाड़ा : यह तो गांधी जी की बात भी नहीं मानते!

श्री जुझार सिंह : पहले भ्रष्टाचार के चौंवालीस तरीके थे, अब चौवन तरीके हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : स्टेट गवर्नमेंट के जमाने की बात मैंने एक दफा गृह मंत्री जी को निवेदन की थी कि स्टेट गवर्नमेंट के जमाने के अन्दर सर्विसेज के अन्दर और गवर्नमेंट में जो लोग बैठते थे वह करप्शन के मामले में भी स्टैण्डर्ड मेन्टेन करते थे। उस जमाने में मैं वकालत करता था, मैं आपको कहता हूँ कि पुलिस मर्डर केस में किसी को गलत नहीं फंसाती थी। मैं एक सैशन जज को जानता हूँ जो ईमानदार नहीं थे लेकिन उन्होंने एक नियम बना रखा था कि खून के मामले में किसी कातिल को पैसे लेकर वह नहीं छोड़ते थे। मरने का कोई मामला होता था तो उसमें पुलिस वाले एक स्टैण्डर्ड मेन्टेन करते थे। यदि किसी आदमी की कुए में गिर कर डेथ हुई होती तो पुलिस वाले उससे पैसा लेना अन्याय समझते थे। तो सर्विसेज के अन्दर एक सर्विसेज वाला दूसरे सर्विस वाले का लिहाज रखता था। जैसे नाई बाल काटने के पैसे नहीं लेता था वह लोग करप्शन के मामले में एक स्टेण्डर्ड मेन्टेन करते थे। लेकिन आज आप सरेआम देख लीजिये, एक सर्विस वाला आज दूसरे सर्विस वाले से पैसा लेना अपना कर्त्तव्य समझता है। एक बार मुझे एक तजुर्बा हुआ। टोंक में बच्चों की जो जेल बना रखी है, जिन जुवेनाइल आफेण्डर्स को सजा हो जाती है, उनको सजा होने के बाद रखने के लिए रिफार्मेट्री जेल बनी हुई है, उसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ दौरे पर, कलैक्टर और एस. पी. भी मेरे साथ थे। वहां पर बहुत से लड़के, जिनको सजा हुई थी, इकट्ठे हुए। वह लोग मेरे सामने आये और वहां के जो जेलर थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैंने बच्चों से कहा – तुमने अब तक जुर्म किया है लेकिन सजा भुगतने के बाद और इस रिफार्मेट्री जेल में आने के बाद इन्सान बनना सीखा है ? बच्चों ने कहा हम इन्सान बनने वाले हैं। मैंने उनसे कहा– हिम्मत है तुममें ? उन्होंने कहा– हिम्मत है। वह सब एक लाइन में खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा – कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको अन्याय के मामले में और झूठे मामलों में सजा हो गई है। वहां सैकड़ों बच्चे थे, उनमें से किसी ने इन्कार नहीं किया। उनमें से बहुत सों ने अपनी कहानी भी मुझे सुनाई। लेकिन उनमें से तीन लड़के मेरे सामने आये, वहां पर एक लड़के के मामले के कन्सन्र्ड एस. पी. भी खड़े थे। वह सामने आये तो मैंने उनसे कहा कि तुम यह मत समझना कि मिनिस्टर तुम्हारे सामने आया है, अगर तुम सही बताओगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाने वाला है। यह तुम्हारी इमानदारी का टेस्ट है। झूठ बोलने का कोई नतीजा नहीं होने वाला है। उनमें से एक ने कहा- मुझे एक पुलिस वाले ने कहा था, तुम हां कह दो हम तुम्हें छुड़वा देंगे। लेकिन मुझे सजा हो गई। मुझे इस मामले से चिन्ता नहीं होती क्यों कि ऐसे छोटे मोटे मामले पुलिस वाले करते रहते हैं लेकिन एक मामले में लड़के ने मुझे कहा– कत्ल के मामले में पुलिस वालों ने गलत तौर से मुझे फंसा दिया। वह उदयपुर का मामला था। उस लड़के को कत्ल के मामले में, एक बारह तेरह साल के बच्चे को पुलिस वालों ने गलत तौर पर फंसा दिया और अदालत में

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

मामला चला और अदालत से उसे सजा हो गई। बाद में उस मामले के अन्दर अपील होने पर वह शायद बरी हो गया था। इसके अलावा एक मामला और था। यह तीनों मामले जो थे, इन्हें कलेक्टर और एस. पी. ने सुन लिया था और उन्होंने क्या कार्यवाही की, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने आकर होम डिपार्टमेंट को लेटर लिखा-कि इस तरह की बातें मेरे सामने आई है। यदि आप कोई रास्ता निकाल सकें तो निकालें। यदि केस अदालत में हो, या अपील हो गई हो और तय हो गया हो तो दूसरी बात है। यदि कोई ऐसा मौका आ जाय तो इनका ख्याल रखें। जैसे किसी मौके पर लड़कों को छोड़ देते हैं, पन्द्रह अगस्त या किसी मौके पर तो इन मामलों को देख लें। यह लैटर मैंने मिनिस्टर साहब को लिख कर भेजा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेण्डर्ड है जस्टिस का, यह न्याय का स्टेण्डर्ड रह गया है कि छोटे बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ने लायक बच्चे थे, जो देश के होनहार बच्चे थे, गलत मामलों में पुलिस ने फंसा दिया रियायत करने के बजाय। मुझे इस बात का दुःख हुआ और मैंने इस बात को महसूस किया। जो एक एस. पी. एक मामले में कन्सर्न्ड थे, वे वहां मौजूद थे, उनको बड़ी शर्म से नीचे देखना पड़ा और अफसोस हुआ। मैं यह आपको मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि एक वक्त था कि स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन के मामले में भी स्टेंडर्ड मेन्टेन करते थे कि जहां तक हो सके दूसरे मामलों में पुलिस वाले पैसा कमा लें लेकिन गलत चालान करके, गलत सजा करा दें इस बात की केअर होती थी। लेकिन आज रिश्वत का पुल टूट रहा है और कोई स्टेन्डर्ड नहीं है। एक मामले में मैंने एक मालदार आदमी को कहते सुना-क्या है, कितना ही पैसा खर्च हो जाय लेकिन हमारा क्या बिगड़ने वाला है। आज सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों की यह भावना बन गई है कि जब तक कांग्रेस सरकार मौजूद है तब तक कोई भी कुछ भी कर सकता है। करप्शन हो, कुछ हो लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता।

अब मैं अगली बात कहूं कि करप्शन कैसे मिट सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं यह कह रहा था कि यह करप्शन का ही परिणाम था कि दुनियां के तीन बड़े देशों में रिवोल्यूशन हुआ। जब एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा करप्शन हो गया और उसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी तो उन देशों में रिवोल्यूशन हो गया। रूस के अन्दर जो रिवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ, इनका इतिहास पढ़ लीजिये और जो रिवोल्यूशन चीन के अन्दर हुआ उसका इतिहास आप पढ़ लीजिये इन तीनों देशों में रिवोल्यूशन का करप्शन ही कारण है। एक बात मैं और कहता हूँ कि आज गरीब किसान के ऊपर पटवारी और दूसरे अधिकारियों का बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी जो लेवी का मामला हुआ, अलवर के लिए मन्त्री महोदय ने कहा कि अच्छा काम हुआ है और वहां करीब ८२ पर्सेन्ट लेवी वसूली हुई है। हमने, मैंने और जो मेरे साथी बैठे हैं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उन्होंने अपने इलाके, में, और वह रोड़ के अन्दर जो वसूली हुई है, वहां यह कहा–यह अकाल का मामला है। इसलिए वहां के लोगों ने सहयोग दिया लेकिन हमारे आने के बाद में वहां लोगों पर ज्यादती करने के बाद और जुल्म करने के बाद हमने उनसे कहा–यह अकाल का मामला है। यदि हम चाहते तो हम मना करा सकते थे। यह एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेंडर्ड किस तरह का है, यह खास बात देखी जाय। मैं यह कहता चाहता था कि लेवी के मामले में हमें कोआपरेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर यह बात हुई। मैं कहता हूँ, आज गरीब आदमी के साथ अत्याचार हो रहा है। पुलिस जिस तरह से चाहती है उनके साथ ज्यादती करती है। मैं कितनी ही बात बता सकता हूँ, पुलिस और पटवारी का जुल्म और ज्यादती जितनी बढ़ी है, आखिर उसका नतीजा क्या होने वाला है। आज गरीब किसान पर जो अन्याय हो रहा है और दूसरे लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं आप करप्शन को नहीं रोक सकते हैं तो इसका केवल भगवान के घर में न्याय होने वाला है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह आप लोगों को सद्‌बुद्धि दे, गवर्नमेंट को सद्‌बुद्धि दे कि वह इस करप्शन के मामले को रोके। मैं वैसे नहीं मानता कि गवर्नमेंट करप्शन को रोकने में असमर्थ है। मैं निवेदन कर रहा था कि नन्दा जी ने एक अभियान शुरू किया। मैं एक बार दिल्ली गया था, उस समय भारत सरकार के बड़े मन्त्री मौजूद थे और एक पुलिस के बड़े आफिसर उस समय वहां आये जो उनके सामने नन्दा जी के अभियान का जिक्र हुआ। तो उन पुलिस आफिसर ने कहा कि आप मिनिस्टर साहब, क्या बात करते हैं। यह करप्शन रोकने की बात है, इससे करप्शन रुकने वाला नहीं है। मैंने उनसे पूछा-क्यों ? तो वह बोले–आखिर कितनी ही कम्प्लेन्ट हासिल कर लें लेकिन इनकी जांच करने वाले तो हम ही हैं। आप डिपार्टमेंट से ही तो जाँच करवायेंगे। आपके पास कोई इंडिपेंडेंट आथारिटी नहीं है। सर्विसेज के अलावा कोई और आथारिटी है जो जांच कर सकती है ? वह जांच के लिए हमारे पास आने वाली हैं। मैं भारत सरकार के बहुत बड़े पुलिस आफिसर की बात कहता हूं वह भारत सरकार के मिनिस्टर को कहता है। उस समय मैं राजस्थान का एम. एल. ए. था, उस जमाने में कांग्रेस का एम. एल. ए. था, जरूर कांग्रेस सरकार का मिनिस्टर नहीं था। नन्दा जी ने कहा कि वह करप्शन को रोक देंगे। लेकिन दो साल हो गये और उसके बाद में नन्दा जी को जाना पड़ा, करप्शन आज भी बदस्तूर मौजूद है अपनी जगह. ....

श्री दौलतराम सारण : नन्दा जी को निकाला पाटिल और अतुल्य घोष और मोहन लाल सुखाड़िया ने।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई यह कोशिश करे कि वह करप्शन को खत्म करे तो वह खुद खत्म हो जायगा लेकिन करप्शन खत्म होनेवाला नहीं है।

और उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं पर टाइम कम

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है इसलिये मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूँ कि ये साधुओं पर जुल्म हो रहे हैं, किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, गरीबों पर जुल्म हो रहे हैं, यह सब आज इस ही पाप का नतीजा है। १९३४ में बिहार में भूचाल आया था तो गांधी जी ने कहा था कि यह हमारे पापों का परिणाम है हालांकि डा० रविन्द्रनाथ ने इन्कार किया पर गांधीजी ने कहा कि यह भूचाल हमारे पापों का परिणाम है। आज दुष्काल पड़ रहे है, लोगों को खाने को नहीं मिलता, मंहगाई बढ़ रही है, महामारी आ रही हैं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यह भी हमारे पापों का दुष्परिणाम है। मैं इसको तो मानूंगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका परिणाम हमें मिलने वाला है। पापों के परिणामस्वरूप ही आज अकाल पड़ रहे हैं दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं शास्त्र की बात याद आ गई :

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां च व्यति क्रमः।
तत्र तिश्रः प्रजायन्ते, दुर्भिक्षं मरणं भयम्

जहां अपूज्यों का, असाधुओं का सम्मान होता है, साधुओं का, पूजनीयों का अपमान होता है वहां ये तीन चीजें प्रवेश करती हैं, दुर्भिक्ष यानि दुष्काल, मरण, मृत्यु और भय, यह तीन चीजें उस राज्य में होती हैं। इसी तरह से तुलसीदासजी ने भी रामायण में कहा है, जब रावण ने विभीषण के लात मारी उस समय का प्रसंग है :

साधु अवज्ञा सुरत भवानी,
कर कल्याण अखिल कर हानी।

साधु की अवज्ञा करने पर महादेवजी बोले कि पार्वतीजी चाहे कितने ही कल्याण हों तो भी उन सब कल्याणों का नाश हो जाता है। गरीब किसानों पर आज अन्याय हो रहा है पुलिस उन पर डाके के केस चला कर ३७९ के मुकदमें चला कर, चोरी के मुकदमें लगा कर, और और प्रकार के झूठे इल्जाम लगा कर उनसे जमीनें छीन रही है और हम बैठे-बैठे देख रहे हैं, यह पाप नहीं तो क्या है? साधुओं पर कुछ दिनों पहले गोलियां चली थीं, फिर साधुओं के साथ अन्याय हुए, उसका परिणाम है कि दुर्भिक्ष पड़ते हैं। परमात्मा का विधान है, नियम हैं, उसके माफिक दुनियां चलती है, उसमें न्याय चलता है, अन्याय नहीं चल सकता, सत्य चलता हैं, असत्य नहीं चल सकता। उसमें गड़बड़ी और अन्याय नहीं होने चाहिये, यह हम जानते हैं पर जानते हुए भी बर्दाश्त करते हैं। मैं सर्विसेज का दोष नहीं बताता करप्शन चल रहा है, उसको बर्दाश्त करते हैं, अन्याय करने वालों के अन्याय को बर्दाश्त करते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। मिनिस्टर्स के बारे मे निवेदन करना नहीं चाहता, सर्विसेज में बैठे हैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूँ। मिनिस्टर आते हैं और जाते हैं, प्रजातन्त्र में मिनिस्टर आज आते हैं और कल चले जाते हैं पर सर्विसेज परमानेन्ट हैं, उनको तनख्वाह भी काफी मिलती है। मैं दावे के साथ कहता हूं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि यदि हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स चाहे, सैक्रेटरीज चाहें तो करप्शन रुक तो नहीं सकता पर आधा हो सकता है। टाइम नहीं है, वरना मैं मिसाल देकर बताता। मैंने इसमें काफी अध्ययन किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काम की बात तो पीछे रख दी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र में सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है। सर्विसेज का स्थान जैसे वशिष्ठजी का स्थान दशरथ के दरबार में था, उसी प्रकार का स्थान है। जब दशरथजी को मोह हुआ कि राम लक्ष्मण को वन में नहीं भेजता तो दशरथजी को परवाह नहीं करके वशिष्ठजी ने उन्हें वन में भेजने की सलाह दी। सर्विसेज के आदमी चाहें तो ठीक सलाह दे कर हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स को चैक करने, सारी गड़बड़ियों को चैक करने में काफी सहयोग दे सकते हैं। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आइ. ए. एस., आइ. पी. एस. चाहें तो नहीं कर सकते, वे सेंट्रल सर्विसेज के आदमी हैं, विद्वान है योग्य में हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी मोजूदगी में राजस्थान के एड्मिनिस्ट्रेशन का स्टेन्डर्ड डाउन हो रहा हैं, यह दुख की बात है।

अगर इस मामले में आगाह नहीं हुए तो इस का परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है, यह बात में पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में जिन माननीय सदस्यों ने अपने नोमिनेशन पेश किये हैं, उनको वापिस लेने की तारीख कल तक के लिए बढ़ा दी है। इसी बीच में माननीय सदस्य वीरबल राम ने एस्टीमेट कमेटी से और श्री शीस राम ओला ने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी से और एस्टीमेट्स कमेटी से अपना नाम वापिस लेने की अनुमति चाही है।

माननीय श्री आदित्येन्द्रजी !

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के १५ साल बाद १९६२ में सबसे पहले भारत सरकार को मालूम हुआ कि हमारे देश में भ्रष्टाचार वृद्धि कर रहा है। इसीलिये श्री के० सन्थानम् की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने कुछ सुझाव दिये। एक सुझाव यह दिया कि केन्द्र और जितने राज्य हैं, उनमें सतर्कता आयोगों का गठन किया जाय और सतर्कता आयोगों के द्वारा भ्रष्टाचार का निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी सुझाव दिये जो कि सरकार के लिये दे दिये गये। उस ही के परिणामस्वरूप १९६४ के अप्रेल के महीने में राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार यहाँ पर भी सतर्कता आयोग का गठन किया गया और बाद में जौलाई १९६४ से सतर्कता आयोग ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया। आज इस बात की तो खुशी है कि जौलाई ६४ के बाद से, ३१ मार्च ६६ तक २१ महीने की एक रिपोर्ट पेश की गई है, सतर्कता आयोग की हमारे गृह मंत्रीजी द्वारा और जो बहस अभी थोड़ी देर पहले चली थी कि पहली अप्रेल ६६ से

(श्री आदित्येन्द्र)

३१ मार्च ६७ तक यह वर्ष भी पूरा हो गया है, इसकी रिपोर्ट भी तैयार है लेकिन यह रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, यह दोनों रिपोर्ट्स आ जाती तो मैं समझता हूँ ठीक प्रकार से विचार व्यक्त किये जा सकते थे। लेकिन यह निर्णय हुआ कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही अपने विचार रखने हैं तो मैं भी आपके सामने कुछ विचार रख रहा हूँ।

मैं कोई व्यक्तिगत बात अपने भाषण में नहीं लाऊंगा, क्योंकि हर एक अच्छी तरह से जानता है कि आज भ्रष्टाचार एक जगह नहीं है, बल्कि जन जीवन में व्याप्त है। नीचे से नीचे स्तर से ऊपर से ऊपर के स्तर तक, ग्राम से दिल्ली के स्तर तक, या यों कहिये कि ग्राम पंचायत से लेकर, एक चपरासी से लेकर राजस्थान गवर्नमेंट, चाहे केन्द्रीय गवर्नमेंट, चाहे कोई और गवर्नमेंट हो उनके बड़े से बड़े अधिकारियों तक मिनिस्टरों तक एम० एल० ए० और दूसरे लोगों तक आज भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कारगर कदम जब तक नहीं उठाये जायेंगे तब तक भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। भ्रष्टाचार के बारे में रोजाना चर्चा चलती है, जगह जगह लोग बातें करते हैं, आज से नहीं पिछले १० वर्षों से इस बात के लिये बड़े प्रयत्न किये जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से रुके। लेकिन जितने जितने प्रयत्न किए गए, उतने उतने प्रयत्न नाकाफी रहे, बल्कि उन प्रयत्नों के बाद यह देखा गया कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया। आज भ्रष्टाचार उस अवस्था में आ गया है जब कि भ्रष्टाचार कभी भी शायद प्रजातंत्रीय तरीके से रुक नहीं सकता और मैं जैसा कि मेरे माननीय साथियों ने अभी आपके सदन के सामने जो बातें कही हैं, मेरी भी यही मान्यता है कि एक दिन वह आएगा कि जिस दिन इस देश में क्रांति होगी और उस क्रांति के बाद ही यह भ्रष्टाचार जैसे आग में कोई चीज जल जाती है उस तरह भ्रष्टाचार की समाप्ति होगी। आज हमारी सरकार के मंत्रियों से कहते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करो लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त कैसे हो? जब मंत्रियों में ही भ्रष्टाचार व्याप्त है तो वह मंत्री या वह मंत्री मंडल उस भ्रष्टाचार को समाप्त कर कैसे सकता है? आज हम यह देखते हैं कि अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा ५–६ दिन पहले कि केन्द्रीय कांग्रेस के संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई और उस बोर्ड ने निश्चय किया और उस निश्चय से इस बात के दरवाजे खोल दिये कि कांग्रेस में कोई भी आदमी अब शामिल हो सकता है। पहले कांग्रेस में आने के लिये नियम थे, कुछ रुकावटें थीं और एक सबसे बड़ी यह रुकावट थी कि जो कोई आदमी आफीशियल कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ लेता था तो उसको ६–७ साल तक कांग्रेस में आने के लिए इजाजत नहीं थी। उस पर पाबन्दी लगाई हुई थी। दूसरे लोग अगर कांग्रेस में आते थे तो कांग्रेस में आने पर उनको उनके गुणों के आधार पर प्रवेश था लेकिन आज संसदीय बोर्ड ने यह ढिलाई क्यों की अपने नियमों में? यह इसलिए कि आज कांग्रेस नहीं चाहती सत्ता छोड़ना कांग्रेस नहीं चाहती कि इसका उपभोग दूसरे लोग करें। कांग्रेस यह नहीं चाहती कि वह यहां

(श्री आदित्येन्द्र)

से बाहर आकर जन सम्पर्क करे और जनता की सेवा करे। सत्ता और धन दो ऐसी चीजें हैं, वैसे तो संसार में ये रहेंगी ही, दोनों अनिवार्य वस्तुएं हैं और बुरी भी नहीं है लेकिन जब सत्ता और धन का दुरुपयोग होने लगता है तो यही चीजें हमारे लिए विष हो जाती हैं, मानव के लिये एक कर्स हो जाती हैं। तो आज सत्ता और धन का दुरुपयोग हो रहा है। आज हम पक्षपात करते हैं, हमारी सरकार में भाई भतीजावाद है, हम अपने आदमियों के लिए कोशिश करते हैं और तरह तरह के अन्याय करते हैं। उनके अन्यायों के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय ठाकुर भैरोंसिहजी ने बहुत ही सुन्दर ढंग से विवेचन किया है। उसके बाद हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य श्री बद्री प्रसाद जी ने कुछ बातों की ओर संकेत किया है। में और कुछ नहीं कहना चाहता और इसलिए नहीं कहना चाहता कि इसको तो हरेक जानता है कि कितना भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के बारे में सतर्कता आयोग की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें ५४ भ्रष्टाचार के तरीके भी बतलाए गए, वह ५४ तरीके व्यवहारिक तरीके बताए कि जो शिकायतें उनके पास आई-लगभग ३२९३ के करीब आई-उन शिकायतों में उन्होंने जो वर्गीकरण किया तो उन्होंने बताया कि ये ५४ ऐसे प्रकार हैं शिकायतों के जो कि हमारे सामने आये हैं, सतर्कता आयोग के सामने आये लेकिन इन ५४ के अलावा कुछ ऐसी और भी बातें हैं जिनके बारे में न सतर्कता आयोग को पता है और न दूसरे लोगों को पता है और बहुत से लोग तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कौनसा ढंग है, कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा आज हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। उनमें एक तरीका है जिसकी ओर इशारा किया गया है कि जिस समय कोई आदमी रिश्वत देता है तो उस रिश्वत को रिश्वत नहीं लिखा जाता उसके लिए या तो लिखा जाता है झूठे रूप में कि कोई चीज हमने बेच दी बेची १००) में तो लिखते हैं २००) लेकिन यह नहीं लिखते कि अमुक आदमी के लिए रिश्वत में इतने रुपए दिए। जब यह चीज लिखी नहीं जाती तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है? यह चीज मैं समझता हूं कि शायद एक जगह नहीं, जितने व्यापारी हैं, वे जानते हैं कि चाहे छोटा विभाग हो या बड़ा, बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत दिये काम नहीं चल सकता। एक हजार में ९९९ तो क्या एक हजार में से एक हजार ही यह बात समझते हैं। आज चाहे यातायात विभाग को देखें, चाहे टैक्सेशन के इन्सपेक्टर्स हैं या अधिकारी हैं या पुलिस है, राजस्व है, किसी भी विभाग को आप देखें। सभी जगह आपको ऐसे मामले मिलेंगे जिनके बारे में आज आम शिकायत है। लेकिन आज न तो उनको सतर्कता आयोग पकड़ सकता है, न एन्टी-करप्शन पकड़ सकता है। मुझे कुछ शब्द याद आते हैं। ८-१० साल पहले जिस समय राजस्थान में श्री जयनारायण व्यास मुख्य मन्त्री थे और सभी जानते हैं कि उन जैसा आदमी कोई मुश्किल से होगा, उनके बारे में किसी को कभी कोई शिकायत नहीं

(श्री आदित्येन्द्र)

रही। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनके खिलाफ शिकायत रही होगी लेकिन जहां तक मानवता का सवाल है किसी को शिकायत नहीं होगी। उन्होंने एक बार १०—१० आदमियों के सामने कहा कि करप्शन रोकने के लिए हमने एन्टी—करप्शन का महकमा बना दिया है पर एन्टी करप्शन में जो करप्शन है, उसको रोकने में कौनसा महकमा बनाएं ? सतर्कता आयोग में भी आदमी तो वही हैं उनके रिश्तेदार और भाईबन्द। तो सतर्कता आयोग में करप्शन के रोकने के लिए कौनसा महकमा बने ? तो मजाक में उन्होंने कहा कि करप्शन रोकने के लिए एन्टी करप्शन विभाग बना है और एन्टी करप्शन में करप्शन रोकने के लिए एक एन्टी-एन्टी-करप्शन विभाग बनाया जाय। इसका मतलब फिर वही करप्शन दिमाग। जब दो एन्टी हो गए, तो इसका मतलब वह पाजिटिव होगा तो फिर करप्शन पैदा हो गई। तो यह साइकिल कभी भी दूर होने वाली नहीं है। इसको दूर करने के लिए जो तरीका है वह केवल यह है कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। उस सांस्कृतिक क्रांति को समझने की मैंने कोशिश की। मैं उनके तरीके से सहमत नहीं हूं किसी प्रकार भी, बल्कि जितनी निंदा मैं करूं उतनी करने के लिए तैयार हूं और कभी भी उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं अगर वे आयें तब भी। लेकिन यह बात जरूर है कि सांस्कृतिक क्रांति में जो कुछ बातें हैं उनमें सार है, तो यहां पर भी करप्शन को मिटाने के लिए जब तक सांस्कृतिक क्रांति नहीं की जायगी तब तक काम नहीं चलेगा। सबसे पहले सामाजिक क्रांति होगी। समाज में आज भी अस्पृश्यता मौजूद है ऊंच नीच मौजूद हैं। जाति बिरादरी मौजूद है। भारत की स्वतंत्रता के बाद मैं समझता था कि शायद यह कलंक ६ महीने के भीतर खत्म हो जायगा लेकिन यह नहीं हुआ। १९४७ में समझते थे कि शराब एक साल के अंदर खत्म हो जायगी लेकिन आज देखते हैं कि राज्य सरकार की शराब गैरेन्टी में बेची जाती है और उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और एक दिन मैं समझता हूं कि वह दिन आने वाला है कि जल्दी और शायद १९६९ के बाद आएगा जिस दिन शायद राज्य सरकार को और तमाम सरकारों को इतने बड़े भारी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा चाहे आज नहीं दीख रहा हैं, जो आंदोलन गोहत्या विरोध से पहले हुआ था उस आंदोलन से शायद दस गुना ज्यादा हो। और मैं समझता हूँ कि चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे और कोई गैर कांग्रेसी सरकार हो उसकी शराब बन्दी आन्दोलन को रोकने की हिम्मत नहीं होगी। जहां शराब जबरदस्ती पिलाई जाती हो, जहां तरह तरह के जो खराब काम हैं कराये जाते हैं जहां इस तरह की बातें होती हैं वहाँ पर आप अगर मान लीजिये यह आशा करें कि किस प्रकार से भी भ्रष्टाचार मिट जावे तो यह मिटेगा नहीं। मिटेगा कैसे ? पर सवाल यह भी है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किन लोगों से कहते हैं? वह सरकारी नौकर और वह हमारी गवर्नमेंट जिनमें भ्रष्टाचारी मौजूद हैं। हम बार२ चिल्लाते हैं, बार२ कहते हैं तो मेरा यह भी विश्वास है कि यह भ्रष्टाचार मिटाने के लिये, मैं समझता हूं, शायद यह असेम्बली

(श्री आदित्येन्द्र)

का प्लेट फार्म उपयुक्त स्थान नहीं है। यहां हम अपने विचार रख सकते हैं। यह आज की बात नहीं, मेरा भी सम्बन्ध प्रारम्भ से कांग्रेस से रहा, आज से पांच छः साल पहले ही मैं कांग्रेस से बाहर आया। उस जमाने में भी आज की बात कहने से कोई फायदा नहीं, पर मैं यह समझता हूं कि कई बार शायद मैं अकेला रह जाता था जिस समय, और मैं समझ नहीं पाता था कि ये चीजें कैसे मिटेंगी। पर आज उन बातों के कहने से कोई लाभ नहीं। और इसलिये लाभ नहीं कि आज यह समझा जावेगा कि कांग्रेस से बाहर आने पर ये बातें कही जाती हैं, बल्कि मैं तो अकेले में भी उन बातों को नहीं कहना चाहता और न मैंने वे बातें कहीं। पर एक बात जरूर है कि भ्रष्टाचार को रोकना बड़ा भारी जरूरी है। और इसके लिए जैसे चाइना में सांस्कृतिक क्रांति है उसके लिये शराबबन्दी करना, चाहे उसमें कितना भी नुकसान होता हो, नुकसान ज्यादा यह भी नहीं है तमाम हिन्दुस्तान में कुछ अरब रुपयों का नुकसान होगा, हमारे यहां भी पांच सात करोड़ का नुकसान हो सकता है, पर इससे ज्यादा फायदा केवल एक सेल्स टैक्स इन्कम टैक्स की चोरियों को रोकने से ही कई गुना फायदा हो सकता है और जो कुछ बात है और उनको हम रोकें बड़े बड़े आदमी हैं, जिनको अगर मान लीजिये अनुचित तरीके से लाभ उठाते हैं उनको रोकें। तो मैं समझता हूं कि फायदा हो सकता है। तो आज अगर हम हिन्दुस्तान में समाजवाद की ओर चलें और वह भी शान्तिपूर्ण ढंग से चलें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हम इस भ्रष्टाचार को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं।

और सत्ता से हम मोह न करें। यह बात जरूर है, खुद महात्मागांधी, जिनको हम मानते हैं, बहुत से शायद न मानें, पर मेरा तो और भी ज्यादा विश्वास इस बात में है, जो तरीका उन्होंने बताया केवल वही तरीका है जिससे मानवता में शान्ति और सुख पैदा हो सकता है। चीन में देख लीजिये और जगह भी देख लीजिये। उन्होंने भी एक बात कही। इन शब्दों को हमारे कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के मिनिस्टर अच्छी तरह से सुन लें, देख लें, पढ़ लें।

उन्होंने एक बात कही। वास्तविक स्वराज्य की स्थापना केवल राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेने मात्र से ही पर्याप्त नहीं होती है या इससे भी नहीं होती है कि हमने कुछ चुनकर आदमी, अच्छे से अच्छे आदमी सरकार में भेज दिये, बल्कि हमें इसके लिये यह भी देखना होगा कि जिन आदमियों को चुनकर भेजा है वे सत्ता और धन का दुरुपयोग करने वाले तो नहीं हैं, वे पक्षपात तो नहीं करते हैं अगर वे पक्षपात करते पाये जावें सत्ता का दुरुपयोग करते पाये जावें तो उन्होंने यह भी कहा है कि जनता को जागृत करना चाहिये और जनता को यह हक है कि ऐसे सत्ताधिकारियों को जबर्दस्ती हटा दिया जावे।

इसलिए तमाम वे बातें आने वाली हैं। मैं खुद स्वयं अहिंसा में विश्वास करता हूँ और खाली बातों में विश्वास नहीं करता। बोलना भी मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता।

(श्री आदित्येन्द्र)

न मैं अच्छा वक्ता हूं । पर यह जरूर जानता हूं कि अगर इन तमाम चीजों की ओर, जैसा कि उनकी तरफ गांधीजी ने बहुत पहले से ध्यान दिलाया था, समाज में क्रान्ति की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । उन बातों की तरफ आज यह कांग्रेस भी ध्यान नहीं देती, दूसरी पार्टियां भी शायद कम ध्यान देती हैं । कांग्रेस गवर्नमेंट तो ध्यान देना बिल्कुल भूल चुकी है समाज में आज के डाकूपने को पनपाया जा रहा है । एक विवाह होता है,वे कहते हैं कि पचास हजार रुपया दो लाख रुपया दो । यह मैं समझता हूं डाकूपने से कम काम नहीं है । ऐसे कामों को रोका ही जावे । आपने रोका है क्या ? एक असेम्बली का सदस्य है, एक सदस्य नहीं है, कोई भी कह सकता है कि चपरासी में से छ हजार से कम रुपया कम किया है । छ हजार रुपया पेश करता है । १८३ आदमी आज भी भ्रष्टाचार से तो नहीं बच सकते । इसलिए मेरा तो यह मानना है कि जब तक राजनैतिक पार्टियाँ एक तरह अपने आप समझ लें । चीप पापुलेरिटी के लिए छोटे मोटे काम से काम चलेगा नहीं । जनता के साथ सम्पर्क करने से काम चलेगा । उनकी शिकायतें दूर करने से काम चलेगा । तब में समझता हूं कुछ हो सकता है । चीफ मिनिस्टर पहले उसको दूर करें और मिनिस्टर बाद में । बाद में एम. एल. ए. दूर करें । एम. पी. दूर करें और इसके साथ साथ जो सचिव और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल हैड्स हैं वे भी अच्छी तरह अपने हृदय पर हाथ धर कर देखें कि उनके द्वारा कितनी गलतियां अनियमितताएं होती हैं तो वे भी उनको रोकें । तब मैं समझता हूं कि आगे चलकर हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं ।

यह खतरा जो है वह एक आदमी के सामने नहीं है, हम सब लोगों के सामने है और उस क्रान्ति को बुलावा नहीं देना चाहिये जो आने वाली है और शायद जब तक हम पांच साल निकाले उसमें पांच साल भी नहीं लगें, पहले भी वह चीज आ सकती है । अब ज्यादा समय इस चीज में नहीं है । इसलिए इस चीज को ठीक करने के लिए इनकी तरफ ध्यान देना चाहिये ।

सतर्कता आयोग ने जो कुछ भी रिपोर्ट पेश की उन्होंने यह बताया कि कुल ३३ सौ केस आये उनमें से २४-२५ सौ निपटाये और उनके बारे में सिफारिशें कीं । पता नहीं अब कितनों पर अमल हुआ और कितनों पर अमल नहीं हुआ लेकिन एक बात जरूर है उन्होंने कुछ कार्यवाहियां कीं चाहे वे कैसी भी हों । उसका निराकरण हुआ । काम करना था । लेकिन मेरा ऐसा विश्वास जरूर है कि सर्तकता आयोग और एन्टी करप्शन विभाग या दूसरे ऐसे विभाग जो भी हैं इन विभागों पर खर्चा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा । काम तो उनसे चलेगा जो रोजाना मामले डील करते हैं । डिपार्टमेंट के अफसर हैं नीचे काम करने वाले हैं उसके साथ उनको कैसा व्यवहार करना चाहिये उससे काम चलेगा ।

इसके अलावा यह आज की जो मंहगाई है, बेकारी है, यह भी एक मुख्य कारण है जो हमें भ्रष्टाचार की ओर ले जाता चाहते

(श्री आदित्येन्द्र)

हैं। आज तो हम भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं समझते। आज तो व्यापार सा हो गया है यह।

मैं एक बात कहकर ....

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कर दीजिये। फिर सदन समाप्त हो रहा है।

श्री आदित्येन्द्र : एक मिनिट में समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर मैं एक अनाउन्समेन्ट कर दूं। सदन की बैठक का समय पूरा हो रहा है इसलिये आपकी अनुमति हो तो कुछ समय बढ़ा दिया जावे जब तक यह चर्चा समाप्त हो जावे। मेरा सुझाव है कि एक घंटे तक के लिये समय बढ़ाया जावे।

एक माननीय सदस्य : आधा घंटा।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई फिर बोलना नहीं चाहेंगे तो फिर आधे घण्टे में भी समाप्त हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोल इस पर आज लेंगे। रिप्लाई आफ डिबेट बाद में होगा। बोलने वाले अभी बहुत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सबों को तो बोलने का अवसर दिया नहीं जा सकता। निर्दलीय एक कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से बोल सकते हैं एक घंटे का समय इन सबके लिये काफी है। साढ़े पांच बजे तक माननीय सदस्य इस पर विचार प्रकट कर देंगे अपने अपने और इसके बाद में गृहमन्त्रीजी अपना जवाब देंगे। जितने माननीय सदस्य बोल लें।

श्री जुझारसिंह : हमें भी अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहें और सुझाव दें तो समय बढ़ाया जा सकता है और सभी बोल सकते हैं वैसे तो सब बोल नहीं सकते। जहां तक बैठने के लिये मेरा प्रश्न है, मैं बैठने को तैयार हूँ अगर सदन ऐसा चाहे तो। दूसरे माननीय सदस्यों को इस पर आपत्ति हो सकती है। तो ५॥ बजे तक माननीय सदस्य चर्चा समाप्त कर दें। पांच बोलने वाले होंगे तो छः छः मिनट ले लेंगे दो होंगे तो १५-१५ मिनट हो जावेंगे और एक होगा तो ३० मिनट हो जावेंगे।

(५ म. प.)

एक घण्टे के लिये समय बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक व्यवस्था, उपाध्यक्ष महोदय, आप उचित समझें तो की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर भी विचार होना था वह नहीं हो पाया इसलिये किसी दूसरे दिन होगा। आज १२ से ५ बजे तक इस पर डिबेट होने को थी लेकिन दो ढाई घंटे ही हो पायी है। एक घंटा बढ़ाने से क्या होगा। कल

Page No. 164

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस को ले लिया जाय। जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे वे बोल भी सकेंगे और कल मिनिस्टर का रिप्लाई भी हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह उचित नहीं होगा कि एक दिन की कार्य सूची का कार्य दूसरे दिन रखा जाय। इससे एरीयर एक्युमुलेट होता चला जावेगा। आज चाहे जितना समय बढ़ाया जा सकता है। इस पर चर्चा आज ही समाप्त करनी होगी। आपका सुझाव और समय बढ़ाने के लिए हो तो वह किया जा सकता है। ५।। बजे माननीय सदस्य भाषण समाप्त कर देंगे और ५।। बजे माननीय मन्त्री महोदय अपना जवाब देंगे।

माननीय रामानन्दजी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितना आप चाहें।

श्री उपाध्यक्ष : I propose ten minutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस मिनिट में क्या कह पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : किसी और अवसर पर यह बातें कही जा सकती हैं,

श्री रामानन्द अग्रवाल : २० मिनिट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट। और माननीय सदस्यों की शिकायत रह जावेगी। दस मिनिट में आप अपनी बात कह दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई है। पहली बार यह रिपोर्ट पेश हुई इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा लेकिन जो मुद्दे आयोग की रिपोर्ट में सामने आये हैं और जिनका जिक्र जयपुर से आये माननीय सदस्य ने साफ तौर से किया है मैं उस बात का समर्थन करते हुए कि इस रिपोर्ट से यह बात अवश्य इंगित होती है कि ऐसा लगता है कि इस सिविलाइज्ड जमाने में भी कोई राज्य जैसी चीज न हो। जिन बातों को यहां पर उठाते हैं उनका उत्तर जिस प्रकार से दिया जाता है, शासन के अभाव अभियोगों की व्याख्या जिस प्रकार से की जाती है, बजाय इसके कि इनकी तह में जाकर सुलझाया जाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में इस शासन की कलई को काफी खोल कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब तक शासन ऊंची से ऊंची शिखर तक भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश नहीं करेगा,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तब तक आप दूसरे लेवल पर सुधार नहीं ला सकते। इसलिये डेमोक्रेसी में आवश्यक तौर पर जो पोलिटिशियन्स हैं, नेता हैं और उसमें केवल गवर्नमेंट को ही नहीं लेता हूँ हम विरोधी पक्ष के लोग भी शामिल हैं, जब तक हम अपने स्टेन्डर्ड को ऊंचा नहीं करेंगे, जब तक राज्य को चलाने वाले मन्त्रीगण भ्रष्टाचार से दूर नहीं होंगे, जब तक उनका आचरण इस तरह का नहीं होगा, लोगों को उन पर संदेह करना संभव हो तब तक इस समाज से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट से ऐसा जाहिर होता है कि गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि दिखावे मात्र के लिये विजिलेन्स कमीशन रखा जाय ताकि विन्डो स्क्रीनिंग हो सके, ताकि यह कहा जा सकता है कि कई कदम उठाये गये हैं और इफेक्टिव वेपन करप्शन को निकालने के लिए यह किया हो, ऐसी नीयत गवर्नमेंट की नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, विजिलेन्स कमीशन करप्शन को दूर करने की दिशा में वह अपने हाथ पैर बंधा हुआ महसूस करता है। उसकी नीयत करप्शन को दूर करने की है। यह इस रिपोर्ट के शब्दों से भी जाहिर होता है। इसी गवर्नमेंट के द्वारा वह अपोइन्ट किया हुआ है। उसकी सीमा है। गवर्नमेंट ने क्यों और क्या नहीं किया इसको स्पष्ट रूप से कहने में वह हिचकिचाता है। चन्द मामले बताये कि फलां में गवर्नमेंट ने यह कर दिया। जिन मामलों में वह चुप रहा है, उसकी रिकमन्डेशन के बावजूद गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ जब तक गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर अपनी इस पोलिसी को चेन्ज नहीं करेगी, इन्क्वायरी उसी डिपार्टमेन्ट के उन्हीं लोगों द्वारा करवाना नहीं छोड़ेगी तब तक आप सुधार नहीं ला सकते, दोषियों को आप दण्डित नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक क्लास बन गयी है। कोई करप्शन किसी डिपार्टमेंट में किसी कर्मचारी और किसी अफसर द्वारा अकेले नहीं हो सकता उसका लिंक है। वह डिपार्टमेन्टल हैड से नीचे तक चलता है। कोई बात पकड़ी गयी डिपार्टमेन्टल हैड को भेज कर यह उम्मीद करें कि सजा दे पायेंगे, सही रिपोर्ट दे पायेंगे जब तक कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट की होस्टिलिटी हो, अनबन हो तो मुख्तलिफ रिपोर्ट दे दे वरना हमेशा बचाने की कोशिश करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बुनियादी तौर पर चीज करने की आवश्यकता है। इन्क्वायरी एजेन्सी दूसरी एजेन्सी मुकर्रर करना चाहिये जो उसकी इन्क्वायरी करे जो डिपर्टमेन्ट से अबाऊ हो इन्डिपेन्डेन्ट हो। यह जरूरी नहीं है कि ऑफिशियल ही हो। ऑफिशियल, अनऑफिसियल, ओपोजिशन से हो, एक म्युचुअल दृष्टि से अपनाया गया तरीका हो। यह मसला मेजोरिटी से तय नहीं होता है। मुख्तलिफ पार्टी के लोग हों। एक दूसरे के हिमायती न हों। म्युचुअल इंस्पेक्शन ऐसी कमेटीज में रह सकता है। मैं निवेदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहूंगा कि अच्छी नीयत होते हुए भी जैसे विजिलेन्स कमीशन पावर लेस महसूस करता है ऑफिस की तरह रिकमन्डेशन भेज देता है, थोड़े दिनों में ही निराश हो जावेगा कि महनत करने से क्या फायदा, होता हुआता तो कुछ नहीं। ऊपर मंत्रि मंडल है! उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक अथोरिटी होती है, दूसरी हो सकती है, अथोरिटी होनी चाहिये। इसलिये इन्क्वायरी का तरीका बदला जाय।

तीसरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस कमीशन ने भी रिकमन्डेशन की है कि हमारी जो ज्युडिशियरी है, हमारे जो जजेज हैं उनमें जो भ्रष्टाचार है उसकी इन्क्वायरी करने का इस विजिलेन्स कमीशन को अधिकार देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी है। एक ज्यूडिशियल ऑफिसर ज्युडिशियल अथोरिटी के कारण किस प्रकार अपनी पोजिशन का दुरुपयोग करता है। सदन में यह मामला आ चुका है। करौली के एस. डी. ओ. ने मिलिटरी मेन को चीनी देने से इन्कार किया। उसको ज्युडिशियल पावर हैं। उसने अपने ज्युडिशियल पावर का मिस्यूज करके उस व्यक्ति के खिलाफ कन्टेम्पट् ऑफ कोर्ट का केस चला दिया। और आप कहते है कि सिर्फ अपील कर सकते हैं, अपील में बरी हो सकते हैं। अपील में बरी हों या न हों लेकिन उस आफिसर के खिलाफ क्या हुई ? जिस आफिसर ने इस तरह से नाजायज तरीके से पद का दुरुपयोग करके उस सिपाही को दण्डित कर दिया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं है, मेरे नौटिस में और भी ज्यादा गम्भीर मामला आया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक जोधपुर का कप्तान हकीकतुल्ला का केस है, उसको रखना चाहूँगा। वह जोधपुर में हकीकतुल्ला खां वही है जिन्होंने सन् ६२ के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की घोषणा की थी तो उनको इलेक्शन से डिबार करने के लिए उनके खिलाफ एक इन्क्वायरी चालू कर दी गई और हमारे मथुरादास जी माथुर के रिलेटिव को उनकी इन्क्वायरी का काम सौंपा गया। ४ वर्ष तक तो इन्क्वायरी चलती रही और उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड किया गया आप सुनें उपाध्यक्ष महोदय, कि सन् १९६६ में जब कि नये चुनाव की तिथियां आई नजदीक और नोमिनेशन पेपर्स फाइल करने की डेटस नजदीक आई और यह सम्भावना हकीकतुल्ला की ओर से मालूम हुई कि वह कांग्रेस के कंडीडेट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो उनको डिबार करने के लिए किस तरह से ज्यूडिशिल प्रोसीडिंग्स का, अपनी ज्यूडिशियल पावर्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से दुरुपयोग किया गया, वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, २० तारीख........

श्री उपाध्यक्ष : अदालत का प्रश्न है उसकी आलोचना यहां की जायेगी यह कहां तक उचित होगी ? अदालत का फैसला है किसी विषय पर, उस पर सदन में यहां कुछ

Page No. 167

(श्री उपाध्यक्ष)

कहा जाय कि वह ठीक नहीं है, यह मेरे खयाल से उचित नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि ज्युडिशिल आफ़िसर्स के खिलाफ इन्क्वायरी करने के लिए इस सतर्कता आयोग को अधिकार होना चाहिये और उन्होंने इस बात की डिमाण्ड की है इसमें गवर्नमेंट अभी तक निर्णय नहीं ले रही है, इस दृष्टि से मैं ..

श्री उपाध्यक्ष : इस बात को आप कह सकते हैं कि ज्यूडिशियल आफिसर्स के लिए भी उसमे प्रावधान होना चाहिए लेकिन एक मजिस्ट्रेट ने, ज्यूडिशियल आफिसर ने कोई फैसला किया है उस फैसले के बारे में यह कहना कि वह उचित था वह उचित नहीं था कहां तक वाजिब होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : केस पेंडिंग नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : केस सब जूडिस नहीं है ।

श्री दौलत राम सारण : ज्यूडिशियरी के नाम पर यह लोग खुला भ्रष्टाचार का बाजार चलाते जायं और हम बर्दाश्त करते करते रहें। सदन में कुछ भी नहीं कहें। ज्यूडिशियरी के नाम पर खुली दुकान चला रखी है, खुले आम यह लूट रहे जनता को और हम बर्दाश्त करते रहे इन भ्रष्टाचारी लोगों को ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि किसी ज्यूडिशियल आफिसर ने एक फैसला दिया। उस फैसले के बारे में माननीय सदस्यों की और राय हो सकती है ज्यूडिशियल फैसला एक अपना कोर्ट का फैसला होता है, अपील का प्रोविजन है, निगरानी का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं किसी को अगर शिकायत हो तो। और वहां तो ओपन प्रोसीडिंग्ज होती है उसके बारे में सदस्यों की यह राय बनने लगे कि अमुक फैसला अमुक तरह का होना चाहिये था और अमुक तरह का नहीं होना चाहिये था तो ज्यूडिशियल आफिसर्स को हमेशा यह डर बना रहेगा ऊपर का और वह निष्पक्षता से ज्युडिशियल फैसले नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि एक दो कैसेज में इस तरह की बात हुई हो लेकिन इसका कुल मिला कर आम असर क्या होगा इस पर आप थोड़ा विचार करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका आम असर होगा कि हमारे ऊपर भी हैं और हम पब्लिक को लूटेंगे तो हमारे खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हमारे विधान में या अपनी परम्पराओं में जो कुछ कहा गया है मैं समझता हूं कि बहुत ही सोच समझ कर और अनुभव के आधार पर कहा गया है। यह पहली दफा इस सदन में ही यह प्रश्न खड़ा हुआ हो ऐसा नहीं है किन्तु चार सौ पांच सौ साल के जनतन्त्रवाद का इति-

Page No. 168

(श्री उपाध्यक्ष)

हास इसमें है और यह सब मसले सामने आने के बाद यह तय किया गया है । तो इसमें एक पक्ष थोड़ा गलत दिख सकता है लेकिन उसकी छूट देदी जाय तो उससे भी ज्यादा गल्तियां होंगी । आप स्वयं वकील हैं आप जानते हैं कि कानूनों के सब नियम बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण वैसे नहीं होते लेकिन फिर भी जो व्यक्ति उस कानून को लागू करता है उससे कानून ज्यादा तजुर्बेवाला, अनुभव के आधार पर होता है इसलिये इसको ज्यादा महत्व दिया है । इसलिये मेरा सुझाव यह है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है कि अमुक केस का जिस पर ज्यूडिशियल प्रनाउन्समेंट हो चुका है उसके बारे में चर्चा करना बिल्कुल अनुचित होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केस के मेरिट पर नहीं जाकर उसकी घटनाएं सामने रखूंगा जिससे अपने आप इन्फरेन्स निकलेगा, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो आपने राय रखी है वह देश में एक राय है और इसलिए वे चाहते हैं कि इसको सतर्कता आयोग में नहीं लाना चाहिए । गवर्नमेंट भी शायद इसीलिए डिफिडेट है लेकिन सतर्कता आयोग ने महसूस किया....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने व्यूज को साफ साफ रख दीजिये कि ज्यूडिशियरी के मामले के केसेज को उनके आफिसर्स को भी उनके पास जाना चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन अमुक फैसला इस तरह का हुआ या ऐसा होना चाहिये था मेरे ख्याल से उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांस्टीट्यूशन में जो इसके लिए प्रावधान है उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट के जजेज का कण्डक्ट, उनकी ज्यूडिशियल डिस्चार्ज आफ ड्यूटीज को डिस्कस नहीं किया जायगा बाकी और जजेज के लिये नहीं होगा ऐसा नहीं है हाईकोर्ट के लिए हो कहा है केवल हाई कोर्ट के जजेज के बारे में । हाईकोर्ट के जजेज की ज्यूडिशियल डिस्चार्ज आफ ड्यूटीज के बारे में है, बाकी सबके लिये तो नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, आज तो इस रिश्वत की बोली लगती है । न्याय बोली से मिलता है । आज हमारी जिम्मेदारी है कि इन छोटी कोर्टों में चाहे वह रेवेन्यू कोर्ट हो चाहे दूसरी तरह की कोर्ट हों, जिसने ज्यादा पैसा पहुंचाया उसको न्याय मिलता है । एक आदमी पांच सौ रुपया दे आया, दूसरा आदमी सुबह गया जल्दी से और हजार रुपया दे आया, फिर उनको इशारा देकर फैसला रुकवा दिया और बारह सौ रुपये में सौदा हो गया । जिसने ज्यादा से ज्यादा बोली लगाई उसके फेवर में न्याय हो गया । तो इस बारे से कुछ न कुछ तो व्यवस्था करनी ही होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह निवेदन किया कि उसमें अमुक केस में यह हुआ यह फरमाने

(श्री उपाध्यक्ष)

की जरूरत नहीं है। आप यह कह सकते है कि ऐसा होता है, वह आप कह दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो हेलो हमारे पढ़े लिखे लोगों के दिमागों के बारे में भरा जा रहा है, अंग्रेजों ने जिस तरह का जुरिसप्रुडेंस दिखाया है, हमारे दिमागों में इसी तरह का हेलो खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से मन्दिरों के बारे में हेलो खड़ा कर दिया जाता है, मैं सबके बारे में नहीं कहता लेकिन अधिकांश मन्दिरों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, अगर कोई जुबान खोले उनके बारे में तो उसकी जबान खींच ली जाय, समाज ने ऐसा हेलो खड़ा कर दिया। आज इस तरह का इन कोर्टों के इर्द गिर्द-हेलो क्रियेट नहीं करें। उस ज्यूडिशियल प्रोनाउसमेंट के प्रति, उस ज्यूडिशियल प्रोनाउण्समेंट के नीचे कितनी गन्दगी भरी हुई है उस गन्दगी को ढकने का प्रयत्न न करें। समाज के इस हेलो को बदलें और असलियत को सामने आने दीजिये। इसलिए मैं समझता हूं कि सतर्कता आयोग ने भी इसको महसूस किया है कि इन पर किसी तरह का चैक नहीं है, इन ज्यूडिशियल आफिसर्स पर चैक नहीं होने से इनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वे समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपील हो जायगी, बरी हो जायेंगे लेकिन उनका क्या बिगड़ता है। इस हेलो को खत्म करने के लिए भी हमको ऐसी मशीनरी निकालनी होगी कि आखिर में जो कुछ भी होगा वह हो जाय।

I want to attack on that. अगर कोई ज्यूडिशियल आफिसर बदमाशी करता है, करप्ट प्रेक्टिसेज करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह से मिसाल के तौर पर बताना चाहता था कि चार साल से एक केस चला आ रहा था। चार साल पहले चुनाव के समय केस शुरु हुआ और जब दूसरे चुनाव का नोमीनेशन नजदीक आया तो इन्वेस्टीगेटर्स की गवाहियां खत्म करके २०-१२ दिसम्बर को एक्युज्ड का बयान होता है। उसको कहते हैं कि ३० दिसम्बर को

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो बहुत सा वक्त दूसरी चीजों में जाया हुआ है, इसका आप ख्याल रखेंगे। तो ३०-१२ को उनसे सफाई के गवाह मांगे गये। ३०-१२ को अपने गवाहों की सूची देदी। ४ जनवरी को पी० एस० आई० यह कहता है कि इसके आठ सौ रुपये जमा कराये जायं गवाहों के वरना गवाह कैंसिल कर दिये जायं। इस पर ११ को जवाब देते हैं अप्लीकेशन का। १२ जनवरी सन् १९६७ मुकर्रर होती है उस एप्लीकेशन पर आरग्यू होने के लिए। ११ को फीस जमा कराई जानी चाहिये या नहीं और केस पर भी। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि १२ तारीख को वह मजिस्ट्रेट महोदय शाम को ४ बजे तक अदालत में नहीं आये, सारे केसेज वाले इन्तजार करते रहे, और चार बजे आते ही उन्होंने उस अप्लीकेशन पर फैसला नहीं किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और आते ही यह कहा चूंकि इन साहब ने, हकीकतुल्ला साहब ने ८०० रुपये जमा नहीं कराये इसलिये इनकी एवीडेन्स खत्म की जाती है। और उन्होंने फौरन लिखा हुआ हैण्ड रिटन जजमेंट ३ केसेज थे उपाध्यक्ष महोदय, ५० पेजेज का हैण्ड रिटन जजमेंट सुना दिया कि डेढ साल की सख्त कैद की सजा केप्टेन हकीकतुल्ला को सुनाई जाती है। चार बजे वे आये और ४ बजकर १५ मिनिट पर केस खत्म कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई बहस नहीं। एप्लीकेशन पर बहस होनी चाहिये थी। ज्यादा से ज्यादा आप यह कह सकते थे कि आपको रुपया जमा कराना पड़ेगा। उनको जमा कराने का मौका देते। यह कुछ नहीं हुआ। उनकी एवीडेन्स को खत्म कर दिया जजमेंट भी पहले से, प्रिकन्सीव्ड उन्होंने दिया। इतनी देर से आये। इतने से टाइम में मजिस्ट्रेट साहब जजमेंट लिख नहीं सकते। वहां पर बार के कितने ही वकील मौजूद थे। इतना ही नहीं चूंकि १३ तारीख को नोमिनेशन दाखिल होने वाला था और इनको हकीकतुल्ला साहब चूंकि एक्यूज्ड हो गये। अब इनको डेढ़ साल की सजा हो गई तो नोमिनेशन भर नहीं सकते। उन्होंने एप्लीकेशन दी सेशन्स जज को तो उन्होंने तारीख आगे की लगा दी। वे हवालात में बन्द किये गये, गिरफ्तार किये गये। दो दिन की छुट्टी आ गई तो दो दिन जेल में पड़े रहे और १४ तारीख को जब छुट्टी खत्म हो गई तो बेल की एप्लीकेशन मूव हुई और तब उनको बेल पर छोड़ा गया। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये नोमीनेशन पेपर दाखिल नहीं कर सकें इस तरह का यह फैसला दिया गया। चूंकि वे राजस्थान के मुख्य मन्त्री के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दायर की और इस तरह से पोलिटिकल लीडर्स जुडिशियरी का, जुडिशियल आथोरिटीज का इस्तेमाल करें और इनको उस फैसले में आगे गवाही थी उसमें नहीं जाने देना चाहते थे। अगर उनके खिलाफ इस्तगासे की गवाही हो और उनको कोई सजा मिल जाय तो मुझे एतराज नहीं; लेकिन जो प्रोसीजर नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ अपनाया गया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूँ कि हकीकतुल्ला साहब अपील में चले जायेंगे और बरी भी हो जायं लेकिन इन मजिस्ट्रेट साहब का क्या होगा जिन्होंने इस तरह की सारी कार्यवाही की ? इसके लिए यह जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह के ज्यूडिशियल आफिसर्स के जो एक्शन्स हों उनको विजिलेन्स कमीशन में एन्क्वायरी के लिये भेजा जाना चाहिये, और उनको सजा मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बात करती है तो क्या उन लोगों को दुबारा रिएपॉइन्ट कर दे जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हों, जिन लोगों के खिलाफ एन्क्वायरी करके उनको फोर्सड रिटायरमेंट दिया गया हो ?

(समय-सामप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिसाल

Page No. 171

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपनी बात के समर्थन में देकर के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। श्री सम्पतराय एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थे उनके खिलाफ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिविल जज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिविल जज थे जिनके खिलाफ बड़ी भारी रिश्वतखोरी की शिकायतें थीं। हाई कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायतें गई तो जस्टिस महोदय थे उन्होंने उनके खिलाफ एन्क्वायरी की और एन्क्वायरी करके उनको फोर्स्ड रिटायरमेंट का उन्होंने कहा, और उनको फोर्स्ड रिटायर कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, वही शख्स, वही सम्पत्तरायजी माथुर जिनको फोर्स्ड रिटायर कर दिया गया था उनके करप्शन की वजह से किया गया, अब यहाँ जयपुर के अन्दर रिटायर होने के बाद उनको पी० पी० मुकर्रर कर दिया गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सम्पत्तरायजी माननीय वित्तमंत्री जी श्री मथुरादास जी माथुर के नियर रिलेशन में हैं इसलिए चाहे भ्रष्टाचार करें, चाहे हाई कोर्ट के जज कोई स्ट्रिक्चर पास कर दें, लेकिन चूंकि मिनिस्टरों के रिश्तेदारों को इस राज्य के खजाने से पालना है, इसलिए भ्रष्टाचार को अपने यहाँ कोई चिन्ता नहीं, लेकिन सम्पत्तरायजी माथुर को नौकरी जरूर दी जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरे दिखावे से बात नहीं चलेगी। मास्टर आदित्येन्द्रजी ने कहा कि जो व्यक्ति किसी बात से यह समझकर बैठे हैं कि हमने अपना मंत्रिमंडल बना लिया और कई लोगों की खरीद-फरोख्त करके अपना बहुमत बना लिया है, लेकिन लोगों की इच्छाओं को, लोगों की भावनाओं को, आप कब तक उम्मीद करेंगे कि उनको दबाते रहेंगे, आप कब तक उम्मीद करेंगे कि लोगों की सब्र का प्याला नहीं भरेगा ? मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कार्यवाही करते रहें, आप चाहें कि जुडिशियरी को पंजे में फंसा लें, आप चाहें कि लोगों को आजादी से सांस लेने को नहीं मिले तो लोग दूसरा तरीका अपनायेंगे, गलत रास्ता अपनायेंगे, और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...क्या आप इतिहास से सबक नहीं सीखना चाहते ? सीरिया के अन्दर क्या हुआ ? ईरान के अन्दर क्या हुआ ? क्या यह सही नहीं है कि वहाँ जब नादिरशाही चली ईरान के प्रधान मंत्री को वहाँ के लोगों ने सड़कों पर दोनों टांगें चीर कर फेंक दिया ? अगर लोगों को डेमोक्रेटिक रास्ता नहीं मिला, लोगों को न्याय का रास्ता नहीं मिला तो लोग आपके विधान के अन्दर बन्धे रहने वाले नहीं हैं, लोगों को सब्र का प्याला लबरेज हो चुका है। इसलिए आप ऐसे तरीकों को अपना रहे हैं और चाहे जैसी बातें करते हैं कि अपना काम हो गया है १०३ से १०४ हो गये हैं इसलिए लाइसेंस मिल गया है खुला भ्रष्टाचार करने का कि किसी को भी कुछ दो, किसी से भी कुछ लो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसका नतीजा भयंकर होगा, और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा।

श्री खेतसिंह : ठंडा पानी पियो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता! केवल ५ मिनिट।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बापू कहा करते थे कि मैं १२५ वर्ष जीऊंगा, मेरी यह इच्छा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मंत्रियों के रिश्तेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान् जल्दी क्यों नहीं बुलाता है? मैं अपनी आंखों के सामने यह सब क्या देख रहा हूँ। लेकिन यह उस वक्त की बात है जब शासन की शुरुआत हुई थी। अब बापू की आत्मा कह रही होगी, "गोडसे, बेटा, तूने अच्छा किया मुझे उठा लिया।" आज जो मेरा नाम नित्य लेते हैं वे सब काम उलटा कर रहे हैं। जो हमारा स्तर गिरा उसके कई कारण बता चुके हैं फिर भी और भी हो सकते हैं. लेकिन मूल में कारण एक ही है। अगर हमारे मंत्री लोग जो ऊंचे पदों पर हैं वे अगर ईमानदार रहें, अपने जीवन में सच्चाई को उतारें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे कई लोग जब आजादी से पहले सत्याग्रह में काम करते थे तो बीसों पैबन्द लगाये घरों में जा जाकर काम करते थे, लोगों में घूमा करते थे, आज उनके पास दो-दो कारें हैं, उनका बैंक बैलेन्स हो गया और बंगले हो गये। वे अपने आपको नहीं रोक सकते तो दूसरों को कैसे रोक सकते हैं? कार्यकर्ताओं का हाल यह है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इतना दखल है कि वे कोई काम नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि कई उच्चाधिकारी बहुत ईमानदार हैं और सच्चाई से काम करना चाहते हैं, लेकिन बेचारे कर नहीं पाते। छोटी-छोटी बात के लिए टेलिफोन आ जाता है। कभी-कभी तो पटवारी तक के लिए टेलिफोन आ जाता है। किस-किस के लिए कहें कि वह भ्रष्टाचार करता है। समय आपने ५ मिनट का दिया है उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इसको भ्रष्टाचार कहता ही नहीं। भ्रष्टाचार तो तब होता है जबकि १०० में से ५ भ्रष्ट हों और भ्रष्टाचार करते हों, लेकिन जब १०० मे से ९० उस चीज को करते है तो वह शिष्टाचार बन जाता है। काम कराना हो तो बांग लगाओ। हर चीज में बांग लगाना पड़ता है। आप एलॉटमेंट में देखें कि कितनी गड़बड़ होती है। हर मामले में देखिये जहाँ बगैर पैसा दिये कोई काम हो जाय। अभी यहाँ पर यह कहा गया कि ८० बोरी चावल का स्मगलिंग हुआ तो उस ८० बोरी चावल में २० रुपये का जुर्माना किया गया। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह की घटना हो गयी तो आपका खून खोलना चाहिए, आपके होंठ कांपने चाहिए, आपका बदन कांप उठना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? आज हालत यह हो रही है कि लोगों को यह कहना पड़ा:—

हाय आज ई राज को, कांई केऊं बात।
टका देवण्यो होय तो, दिन ने कर दे रात॥

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

'ई राज की कांई केणी बात, घूंस देकर दिन होय तो दिन ने भी कर दे रात।'' आप दिन को भी रात कर सकते हैं अगर रिश्वत दें तो। लेकिन मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा, जितना वक्त दिया है उसी में समाप्त करता हूं। लेकिन मैं आपकी मारफत मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कई माननीय मंत्री ऐसे हैं जो तीन टर्म तो पूरे कर चुके हैं और चौथी टर्म पूरी अब करेंगे, क्योंकि काफी लोग जा चुके हैं, वह तो होगा, लेकिन पांचवीं टर्म के लिए आप कोई आशा न करें अब कम से कम यह तो करें कि ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें और कड़ाई से नियमों का पालन करें चाहे निकट से निकट रिश्तेदार हों, ऊंचे से ऊंचे पद पर हो, लेकिन वह भ्रष्ट आचरण करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय तो आप देखें तो सही कि परिणाम क्या आता है ? सब काम ठीक होता है कि नहीं ? ८०-८० हजार रुपये एक-एक मीटिंग में खाते हैं और जो ईमानदार और सच्चे हैं वे भूखों मरते हैं। इसलिए कृपा करके बदलिये। अगर नहीं बदलेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रांति होगी, निश्चय ही होगी क्योंकि आपने तो रास्ता ही उल्टा पकड़ रखा है। आपके राज्य में बेईमानी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आप शराब की आमदनी पर जिन्दा रहना चाहते हैं। शराब की आमदनी से अच्छा नतीजा आये – यह नहीं हो सकता। आप पूरे प्रान्त को मदिरालय, कलालखाना बनाने वाले हैं। बापू भाग्यशाली थे कि आपकी कुरीति नहीं देखी और चले गये। मैं इतनी बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिन्तन करिये, आत्म–चिन्तन और ऐसा रास्ता अपनाइये कि वस्तविक रूप से सत्ता का सुधार हो सके और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ सकें।

श्री आलम अली (फतहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देशी भाषा में कहने वालों में एक ही आदमी हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है। साढ़े पांच हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : दो मिनिट का समय दे दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्य की बोलने की इच्छा है तो पांच मिनिट का समय दे देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट।

श्री आलम अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर के राज की एक कहावत आपके सामने आप लोगों ने सुणावूंगो। पुरानी कहावत है.......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माइक से दूर रहें।

श्री आलम अली : बारठ जी महाराज बीकानेर ने कह्यो कि दूध की चोरी होवै। दूध म्हाने मिल जाय, आप पन्द्रह दिन के वास्ते एक जमादार राख दो। जमादार राख दियो तो भी बारठ ने दूध नहीं मिल्यो, और

(श्री ग्रालम ग्रली)

एक छटांक दूध भी नहीं मिलतो। बारठ जी शिकायत करी महाराज दूध मांय चोरी होवे। कह्यो, भाई सूबेदार राखदो। सुबेदार राख लिया, फेर भी बारठ ने दूध नहीं मिल्यो।वो जार बोल्यो - महाराज, दूध में चोरी होवै। महाराज बोल्या - डी. एस पी. राख दो। बीस गांव रो एक डी. एस. पी. राख दियो। फेर भी बारठ ने दूध नहीं मिल्यो ग्रौर जार कह्यो - महाराज दूध में चोरी होवै। महाराज बोल्या - एस. पी. राख दो। जमादार, सूबेदार, डी, एस. पी, एस. पी. राखता ही राखता गया। फेर भी बारठ ने दूध न मिल्यो ग्रौर चोर हाथ ग्राबा को काम कोनी। उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन त्यौहार हो। त्यौहार के दिन सगला दूध ने रुखाला लेगा ग्रौर दूध की जागां पाणी सूं ढोल भर रसोड़ा मांय राख दियो। ढोल मां पाणी भर राख दियो ग्रौर वी मां मेंडक बोले— डर्रं डर्रं बारठजी कह्यो—ग्रन्न दाता ग्रापका रसोड़ा मांय ढोल मांय मेंडक बोले। जमादार, सूबेदार, डी. एस. पी. ग्रौर एस. पी. ने कितनो कुनबो पैदा कर लियो। में ग्रापने निवेदन करूं कि ग्राज कोई थानेदार बननो चावे तो दस हजार में कोई थानेदार बन सकै। दस हजार टेबल पर रख देवे तो थानेदार बण जावै। पण, उपाध्यक्ष महोदय, कोई हरिजन होवे तो बी ने कठां सूं दस हजार मिले। गंगानगर कोई जाणो चावै तो दस हजार रखे देवे टेबल पर ग्रौर थानेदार बण चल्यो जावै। कोई मां गंगानगर जाबो चावै तो दस हजार रखर पहूंच जाय। लेकिन हरिजन ने जैसलमेर भेज देवे, जठे कोई सवार ग्रावे जावे नहीं। कोई ऊंट ही मिल सके दस बीस मील तक। उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्त शेष है बी में ग्रधिक बोलन को टाइम है नहीं। में तो एक मिलिट्री को सिपाही हूं ग्रौर झूठ बात कहणो में पसन्द नहीं करूं ग्रौर झूठ बोलण वाला के नजदीक भी नहीं बैठणो चाहूं। उपाध्यक्ष महोदय, दस हजार रूपया देर कोई थानेदार बन जावे तो भ्रष्टाचार लम्बो चौड़ो चलावे। भ्रष्टाचार के बदौलत ही मन्त्री जी ग्रठे बैठ्या है रिश्वत दी है जद मन्त्रि बण्या है। जनता ने जीतण वास्ते वोट के लिए रिश्वत दी है जद मन्त्री बण्या है। ग्राप यां सूं पूछ लो। बे कह देसी कि रिश्वत देग्रर ग्रठे ग्राया के नहीं। ग्रौर लोगों ने सुणावण वास्ते मेंडक की तरह डर्ं डर्ं कर रह्या हैं। ग्राप में भ्रष्टाचार ने बन्द करणे की ताकत है कोनी। में एक बात ग्रौर कह दयूं। भ्रष्टाचार ने बन्द करणे की ताकत ग्रब पैदा होण वाली है। मिलिट्री भ्रष्टाचार ने ग्रौर भ्रष्टाचारी मन्त्रियों ने बन्द करेगी। मिलिट्री ग्रौर किसान ही भ्रष्टाचार ने बन्द करेगा। एक तरफ तो किसान पेट की तरफ निशाणो ताणर खड्यो हुग्रो है ग्रौर दूजी तरफ जवान बन्दूक लेर खड्यो हुयो है। पहले वे भ्रष्टाचार ने खतम करेगा ग्रौर दूसरी समस्या बाद में देखेगा। इन शब्दां के साथ में म्हारी जगह बैठूं ग्रौर भगवान सूं प्रार्थना करूं कि ग्रापने सद्‌बुद्धि देवे, व्यास जी ने सद्‌बुद्धि देवे जी सूं भ्रष्टाचार ने खतम करण वास्ते कड़ाई सूं काम करेगा। मेंडक की तरह डर्ं डर्ं करोगा तो कोई होणो जाणो नहीं है ग्रौर ई को मतलब है कि भ्रष्टाचार होवा दो !

श्री खेतसिंह : (शेरगढ़) भाषण समझ में नहीं आया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : लिखने वाले तो लिखते हैं।

श्री खेतसिंह : कुछ नहीं लिखते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट के उपर माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं, बहुत कुछ नुक्ताचीनी सरकार की की है और कुछ रचनात्मक सुझाव भी किसी-किसी माननीय सदस्य ने दिये हैं। परन्तु विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट एज सच उसमें जो डिटेल्स हैं, उनके ऊपर ऐसा मालूम होता है, कोई ज्यादा बहस माननीय सदस्यों ने करना उचित नहीं समझा.....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पढ़ी नहीं है।

श्री जुझार सिंह : उसमें सब दिया हुआ है। करप्शन की ५४ वेरायटी हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : मुझे एक इस बात का अनुभव है कि जब कभी इस प्रकार की बहस आती है तो उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य एक बात को महत्व देते हैं कि किस प्रकार सरकार और सरकारी मंत्रियों को केरेक्टर का असेसीनेशन किया जाय, एक इस ऑब्जेक्ट से, एक इस ऐम से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Absolutely wrong.

श्री भैरोंसिंह : Nobody said it.

श्री दामोदर लाल व्यास : बहस आरम्भ करते हैं। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं उम्मीद करता था कि वे कुछ रचनात्मक सुझाव देंगे, परन्तु उन्होंने भी उन्हीं बातों को लेकर इस रिपोर्ट पर बहस की। जहाँ तक विजिलेंस कमिशन की रिपोर्ट का सवाल है। यदि विजिलेंस कमीशन को मुकर्रर नहीं किया जाता तो सरकार को यह बात कह कर बदनाम करते कि विजिलेंस कमीशन को मुकर्रर नहीं करती है। जब विजिलेंस कमीशन को मुकर्रर कर दिया और उसकी रिपोर्ट आई, तो मुझे यह सुन कर दुःख हुआ कि माननीय सदस्यों ने विजिलेंस कमीशन के सम्बन्ध में खुद यह कहा कि इसमें तो सर्विस क्लास का आदमी है। मैं उम्मीद नहीं करता था इस बात की, और वह यदि इस रिपोर्ट को पढ़ते........

श्री दौलतराम सारण : किसने कहा ?

श्री दामोदर लाल व्यास : आपने सुना नहीं है। मैंने सुना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसने कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कमीशन ने ठीक तरह से जितने केसेज को डील किया है और उनके फैक्ट्स में जाकर जो एक्शन लिया गया है, यदि उन पर आपका ध्यान जाता, तो आप

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एक ही राय कायम कर सकते थे कि कमीशन ने बड़ी इम्पार्शियेली डील किया है केसेज का और करप्शन को रोकने के लिए जितना कर सकता था कमीशन उतना कदम उसने उठाया है । इस रिपोर्ट को देखते तो विजिलेंस कमीशन ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार की तरफ से पूरा का पूरा कोआॅपरेशन मिला है और उसकी रिपोर्ट की एक भी रिकमन्डेशन ऐसी नहीं है कि विजिलेंस कमीशन की एक भी रिकमन्डेशन को मन्जूर नहीं किया हो....

एक माननीय सदस्य : विजिलेंस कमीशन ने तो ऐसा नहीं कहा है । आप के चीफ सैक्रेटरी की रिपोर्ट है उसमें कहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी बता दूंगा कि विजिलेंस कमीशन ने कहा है । इसलिए मैंने कहा कि आप पढ़ते तो हैं नहीं और इस पर बहस करते हैं । मैं अर्ज करता हूं कि आपने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं । अगर रिपोर्ट को पढ़ा होता तो इस तरह की बात आप नहीं करते.......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पढ़ने की फुर्सत कहां है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विजिलेंस कमीशन ने कहा है कि गवर्नमेंट ने एक भी रिकमन्डेशन को नामंजूर नहीं किया है और इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि विजिलेंस कमीशन की एक भी रिकमन्डेशन को नामंजूर नहीं किया है, गवर्नमेंट ने उसकी एक भी रिकमन्डेशन से डिफर नहीं किया है । यदि कभी डिफर करने का मौका आयेगा तो हम वापिस उसको रेफर करेंगे । यह नहीं करेंगे कि विजिलेंस कमीशन की जो रिकमन्डेशन है, उसको वापिस रेफर नहीं करते हुए नहीं मानें । मैंने यह कहा है कि इतनी सीमा तक अवश्य रहना चाहिए कि विजिलेंस कमीशन मुकर्रर किया है उसमें अच्छा काम हो रहा है और उसमें आप कोई गलती नहीं निकाल सके हैं, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमला करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है ।

दूसरे इस बात को भी ध्यान में रखिये, विजिलेंस कमिशन का स्टेटस रखा है, वह भी आपके ध्यान में रखने की बात है । उसका वही स्टेटस है जो पब्लिक सर्विस कमिशन का है । जिस तरह पब्लिक सर्विस कमिशन के मेम्बर को रिमूव किया जा सकता है, उसी तरह की प्रक्रिया से विजिलेन्स कमीशन के किसी मेम्बर को रिमूव किया जा सकता है । गवर्नमेंट का सबोर्डिनेशन नहीं है, इसे बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी बनाने की कोशिश की है, इसमें सरकार का दखल नहीं है । इसकी आपको जानकारी है । महारावल साहब, विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने एक आध केस के लिये कहा पर विजिलेन्स कमीशन के लिये नहीं कह सकते कि कोई केस दिया हो और कॉग्निजेंस नहीं लिया हो । मोबाइल सर्जिकल यूनिट के बारे में मैंने तलाश कर ली उस कम्प्लेन्ट के ऊपर एन्क्वायरी हो कर एन्टी करप्शन में केस रजिस्टर किया गया है । प्रेलिमिनरी एन्क्वायरी पर सही

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मामला पाया गया। सेकन्ड रिपोर्ट नहीं आई है। तो कमिशन ने एक्शन नहीं लिया हो ऐसी बात नहीं है। जहां तक विजिलेन्स कमीशन की बात है, वह बिलकुल इन्डि-पेन्डेन्ट बॉडी है, जिसमें गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का, या और मिनिस्टर का डायरेक्ट या इन्डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स नहीं है। उनकी टर्म्स आफ सर्विसेज पब्लिक सर्विस कमिशन की तरह है। विजिलेन्स कमिशन का २० महिनों का परफॉर्मेंस उन्होंने इस रिपोर्ट में दिया है। इस पर निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी अच्छा काम किया है। जितने केसेज हुए हैं, उनकी तत्परता से एन्क्वायरी करा कर एक्शन लिया है, और गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट को एक्शन के लिये लिखा है। चाहे सेक्रेटेरियेट हो चाहे और डिपार्टमेन्ट हो, उन्होंने भी तुरन्त कमिशन की सिफारिशों के मुताबिक एक्शन लिया है, इसमें कोई कमी नहीं रखी है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये हैं वे।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत बड़ी बात कही और वे बहुत ही जिम्मेदार पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने कहा मिनिस्टरों ने बंगले बना रखे हैं। उन्होंने पूछा कि बंगले कहां से बने? मैं आपको अपनी तरफ से आफर करता हूं, आप कह देंगे कि गलत रुपया लगा है तो जैसा आप चाहेंगे……

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह का साहस अपने लिये करते हैं, बाकी की भी जांच क्यों नहीं करा लेते? आइ. ए. एस. ऑफीसर्स के लिये कहे।

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रॉपर्टी के मामले में जांच कराना आवश्यक है। मैं इनके साहस की तारीफ करूंगा, पर आई. ए. एस. और दूसरे मंत्रियों के बारे में क्या कहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि विजिलेंस कमिशन का यह भी फर्ज है कि असेट्स, लायबलिटीज हैं····

श्री भैरोंसिंह : कहिये?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं वही अर्ज कर रहा हूं, आप मेरी पूरी बात तो सुनें। विजिलेन्स कमिशन को पॉवर्स है कि सरकारी ऑफीसर्स के असेट्स की जांच कर सकता है। उन्होंने जांच की है, रिपोर्ट्स पेश हुई है और असेट्स इन्कम से ज्यादा पाये गये हैं तो रिकमन्डेशन एक्शन के लिए की है और एक्शन्स लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : बंगलों की बात का जवाब दीजिये, आप क्या जांच करवाने को तैयार हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : दे रहा हूं, आपके बोलने में आपकी हर बात का जवाब नहीं निकले तो आप पूछियेगा, अभी तो बहुत देर बाकी है। यह पॉवर्स भी विजिलेन्स कमीशन में हैं, अगर किसी सरकारी अफसर के लिए शिकायत हो कि बंगले बनाये हैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसके पास असेट्स थे, जो इन्कम है उसको देखते हुए नहीं बन सकते थे तो विजिलेंस कमिशन को बतला दीजिये फौरन कॉग्नीजेंस लेंगे। हमारे पास शिकायतें आती हैं तो जांच करवाते हैं। केस बनता है तो केस दर्ज कराते हैं। पर इन्डिस्क्रिमिनेटली जितने ऑफीसर्स ने बंगले बनाये हैं, उनकी जांच कराने बैठ जायं तो काम नहीं चल सकता।

जहां तक विजिलेंस कमिशन की कारगुजारी का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मैं इससे इन्कार ही करता कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा है पर दूसरी तरफ इससे यह भी स्वीकार कीजिये कि वन आफटर अनादर गवर्नमेंट की तरफ से कार्यवाही की जा रही है। विजिलेंस कमीशन, एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट बनाये है। इनके प्रोसीजर को देखेंगे तो आप स्वीकार करेंगे कि बिल्कुल सही तरीका है कि किस तरह एन्क्वायरी की जाय, भ्रष्टाचार को रोका जाय। विजिलेन्स कमीशन के पास ज्यों ही रिपोर्ट पेश होती है, एप्लीकेशन पेश होती है, उसकी एजेन्सी एन्टी करप्शन है, वह बिलकुल डायरेक्टली विजिलेन्स कमिशन से डील करती है, पुलिस से सम्बन्ध नहीं है। उसी कायदे से विजिलेन्स कमिशन की एजेन्सी एन्टी करप्शन के ऑफीसर्स हैं वे सी० आई० डी० से भी जांच करा सकते हैं, और किसी से प्रेलिमिनरी जांच करा सकते हैं। जहां तथ्य मालूम पड़ते हैं, जहां क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन का सवाल हो तो फौरन केस रजिस्टर करवाते हैं। जहां देखा कि एविडेन्स कमजोर है, कन्विक्शन नहीं हो सकता, कोर्ट में केस कामयाब नहीं हो सकता और यह यकीन हो जाय कि केस सच्चा है तो डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिये कहते हैं, डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी में अगर समझते हैं कि मेजर पनिशमेंट दी जाय तो मेजर पनिशमेंट के लिए रिकमण्ड करते हैं। और अगर यह समझते हैं कि माइनर पनिशमेंट दी जाय तो उसके लिए लिखते है। इसके लिए एक परफेक्ट प्रोसीजर है, उसको फौलो किया जाता है।

मैं नहीं कहता कि डिपार्टमेंट में फौरी कार्यवाही हो जाती है। डिपार्टमेंट में जितनी जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये वह नहीं होती हैं, उसकी वजह से बहुत से मुकद्दमात पेंडिंग पड़े रहते हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा पेण्डिंग है। जल्दी एक्स्पेडाइट करना उसके भी तरीके हो सकते हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं और कुछ तरीका निकालेंगे जिससे उसमें जल्दी से जल्दी हो सके। जयपुर से आनेवाले माननीय जनसंघ के नेता ने सुझाव दिया है और शायद इसी तरह का सुझाव दिया कि एन्क्वायरी के लिये बहुत इन्डिपेन्डेन्ट एजेंसी होनी चाहिये, एजन्सी डिपार्टमेंट की नहीं होनी चाहिये। मैंने विचार किया। यह सुझाव बहुत अच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि करप्शन के केसेज में एक आफीसर अपने सबोर्डिनेट को शील्ड नहीं करे इसके लिए एक तरीका है कि दूसरे डिपार्टमेंट के अफसरान को जांच के लिए मुकर्रर किया जाय, ताकि एन्क्वायरी, एक्सपेडाइट और सही हो जाय, किसी को कोई शील्ड नहीं कर सके।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बहरहाल एक सुझाव आपका यह है और उसके ऊपर में भी यह समझता हूं कि इस प्रकार की प्रणाली बहुत विशुद्ध होगी और इन एन्क्वायरीज को जल्दी समाप्त करने में, इन्डिपेण्डेन्ट और इम्पार्शियल एन्क्वायरीज कराने में आवश्यक सिद्ध होगी इसलिए आर० ए. एस. के सीनियर आफीसर को नॉन गजेटेड स्टाफ की जांच के लिए मुकर्रर करेंगे कि हर डिवीजन पर रहे और केवल इसी बात को करे कि इन आफीसर्स के खिलाफ जांच करे और अपनी रिपोर्ट उन ओथॅरिटीज को सब्मिट करे। आप पसन्द नहीं करते तो सजेशन दीजिये, आपका रीएक्शन हो तो वह कह दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के लिए नॉनगजेटेड स्टाफ की इन्क्वायरी के लिए आर० ए० एस० को मुकर्रर करना चाहते है ? गजेटेट के लिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गजेटेड के लिए कमिश्नर डिपार्टमेंटल एन्क्वारीज है। And he is assisted by one Additional Commissioner and one Assistant Commssioner- ओलरेडी हैं, उनके लिए।

श्री भरोंसिंह : आर० ए. एस० आफीसर्स कितने इन्डिपेन्डेन्ट रह सकेंगे, कितने प्रेशर को मीट कर सकेंगे ?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह यूनिवर्सल रूल आप बनायें कि आर. ए. एस. है ईमानदार नहीं है, मुझे भी सर्विसेज का अनुभव है, आर. ए. एस. में भी ट्रान्सपेरेन्टली ओनेस्ट हैं, मैं जानता हूँ उन्हें, इसलिये आप नहीं कह सकते कि आर० ए० एस० आफिसर हैं इसलिये इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी नहीं कर सकेंगे। इसे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप ऐसे आदमियों को कहां लगाते हो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। जरूर लगायेंगे।

महारावल साहब यहां नहीं हैं। उन्होंने वैद्यों का मामला रखा था। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि डाइरेक्टर आयुर्वेद ने वैद्य को एग्जोनरेट कर दिया परंतु मैंने फाइल मांगकर पढ़ी, डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी दुबारा करवाई हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा निवेदन है कि आप जो सीनियर आर. ए. एस. ऑफीसर रख रहें हैं एन्क्वायरी के लिए, तो उसके लिए श्री मन्ना लाल गोयल का नाम दर्ज किया जाय।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपकी सलाह के लिए धन्यवाद।

महारावल साहब ने जिस केस का जिक्र किया वह एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में चल रहा है। इस तरह से और केसेज के लिए कहा गया। एक केस में कहा गया किसी सब-

Page No. 180

(श्री दामोदरलाल व्यास).

इन्सपेक्टर के बारे में। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट की गई है एलिगेशन को लेकर माननीय सदस्य ने कहा कि डकैती हुई और उस औरत को उड़ाकर ले गये मगर उस औरत को उड़ाकर नहीं ले गए, वह औरत डर कर दूसरे मकान में चली गई। जितने केसेज में भी ऐसी चीज साबित हुई है तो उनमें सजा दी गई है। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस बात को देखती है कि आया कहीं इन्एडीकुवेट पनिशमेंट हुई है तो कार्यवाही की गई है। गवर्नर से पावर्स ली है इन्एडीकुवेट पनिशमेंट में और पनिशमेंट देने के लिए। इस बात का एक्शन ले रहे हैं। यह भी देखने में आया है कि सतर्कता आयोग और विभाग के बीच जब बात चलती है तो सरकार को पता नहीं पड़ता है। अब प्रोसीजर बनाया गया है कि हरेक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग जो सेक्रेटेरियट का है. हर क्वाटर का उसके पास एक स्टेटमेंट विजीलन्स कमीशन या दूसरे विभागों में जो डिपार्टमेंटल एन्क्वाएरीज होती हैं या क्रिमिनल प्रोसेक्यूशन होता है, उनकी बराबर रिपोर्ट पहुंच जाय और उस लेबिल पर उनको एग्जामिन करके फरदर एक्शन लें। इसी तरह से........

श्री रामचन्द्र आर्य : सतर्कता आयोग को मंत्रियो के विरुद्ध जांच करने के अधिकार नहीं हैं। इसलिए एक कमीशन नियुक्त करके जांच करवाई जाय।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं बोल रहा हू। आपका नम्बर आए तो आप कहना।

इसके अलावा यह भी है कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में कागजात डिसाइडिंग ऑफिसर के पास रह जाते हैं और सुपीरियर ऑफिसर को इस बात की सूचना नहीं मिलती है। इसलिए यह सक्यूंलर निकाला जायगा कि हर डिपार्टमेंटल इन्कूवायरी में जो इन्कूवायरी ऑफिसर है वह अपने फैसले की तुरंत सूचना सुपीरियर ऑफिसर को दे ताकि वह देख सके कि कहीं इन्एडिकुवेट पनिशमेंट तो नहीं हुई है, गलत तरीके से एक्जोनरेट तो नहीं हुआ है और वह भी रिवीजन पावर्स, एपेलेट पावर्स को काम में ले सके एन्हान्समेंट आफ सेन्टेंस के लिए।

एक बात यह भी कही गई है कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज के अन्दर देखा गया है कि प्रिलिमनरी इन्कूवायरी करने वाले आफिसर्स को लापरवाही से या और किसी वजह से वैल्यएबुल एवीडेंस को प्रोक्योर नहीं किया जा सकता और उस वजह से मुलजिम छूट जाता है, इसलिए इस बात के लिए डिसीपिलनरी रूल्स को काम में लिया जाय कि अगर किसी आफिसर की लापरवाही या और किसी वजह से एविडेंस में लेकुना रह जायगा तो डिसीपिलनरी एक्शन उसके खिलाफ भी लिया जायगा जिसने प्रिलिमिनरी इन्क्यारी की है। हम विजीलेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस नतीजे पर आए हैं कि इस प्रकार के एक्शन हमे तुरंत लेने चाहिए जिनकी वजह से जो लेकोनाज रह जाते हैं, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज के अन्दर, उनको हम पूरा कर सकेंगे।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप कहते हैं कि १९६२ से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

१९६७ तक भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप केवल विजीलेंस के केसेज को देखेंगे तो कुल शिकायतें आई ३२९३। उसके अंदर डिपार्टमेंट डिस्पोजल के लिए भेजे गए १५८२। क्योंकि इस तरह की शिकायतें थीं जिनमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होना जरूरी था। कुछ ३१८ एनोनीमस एप्लीकेशन्स थीं। बैंक रेफरेंस में १५ सेन्ट टु गवर्नमेंट फॉर क्लेरिफिकेशन २। कमीशन ने खुद ने इन्क्वायरी की १३७७ के अन्दर, ६८७ केसेज के अन्दर फैसला किया और कमीशन ने सरकार को २० केसेज रेफर किए। इस तरह से ७०७ केसेज में से ३१४ केसेज के अन्दर एलीगेशन प्रूव नहीं हुए और बाकी के अन्दर रिकमेन्डेशन्स ३७४ में की गई। १९ सबजुडिस हैं क्रिमिनल कोटर्स के अंदर। सरकार के पास में ३७४ प्लस १९ केसेज एक्शन के लिए आए, मेजर पेनल्टी के लिए ६६। १७ में फैसला किया गया और ४९ पेंडिंग हैं। इस तरह से २१ के लिए प्रोसीक्यूशन संक्शन किया गया। रजिस्ट्रेशन आफ पुलिस केसेज के अंदर २९ आए, केसेज रजिस्टर किए गए, इन्वेस्टीगेशन चल रही है। अदर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज २७७, उस में से ८४ के अंदर केसेज फाइनेलाइज हो गए और बाकी पेंडिंग हैं १९३।

यह स्टेटमेंट इसलिए दिया है कि कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें एक्शन नहीं लिया गया हो। जहां तक देरी का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि देरी हुई है। इसके कारण मैंने आपका सुझाव स्वीकार किया है कि डिपार्टमेंट्स में आफीसर मुकर्रर किया जाए जो केवल यह काम करेगा कि जो देरी होती है और खास तौर से बहुत से आफिसर्स छूट जाते है, कुछ कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए यह किया गया है।

कुछ केसेज इरिगेशन विभाग के लिए आपने कहा, जैसे आपने मोबाइल सर्जीकल यूनिट के लिए कहा, उसके लिए मैंने निवेदन किया और उसी तरह से स्टोर परचेज में बेईमानी के लिए केसेज बताए उन केसेज में एक्शन नहीं लिया गया हो ऐसी बात नहीं है। This case is receiving the attention of the Vigilance Commissioner.

आपके सामने समय पर आ जायेंगे।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आफिसर्स के बारे में कहा। इसमें अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, चाहे सवाई माधोपुर के कलेक्टर हों, चाहे राजेन्द्र शंकर भट्ट या गोकुल लाल मेहता या भटनागर वगैरह के बारे में कहा गया। जिन आफिसर्स के खिलाफ इन्क्वायरी हुई है उसके परिणाम जो कुछ हुए, उसके अन्दर सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं होगी। आप यह न समझें कि हम इन्क्वायरी की रिकमेन्डेशन्स को दबाने की कोशिश करेंगे या इन्क्वायरी के रिजल्ट को....

श्री भैरोंसिंह : ये तो ५-५ साल से चल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इनमें ५-५

(श्री दामोदरलाल व्यास)

साल लग सकते हैं। मुझे इन इन्क्वायरीज का पता नहीं है। अगर पहले नोटिस होता तो शायद सदन में कुछ रोशनी डाल सकता। अब आन दी स्पर आफ दी मोमेंट आप कहें तो डिटेल में बात नहीं हो सकती।

आपने प्रमोशन्स की बात कही, पुलिस आफिसर्स के प्रोमोशन्स होते हैं। प्रोमोशन्स का एक तरीका होता है जिसके अन्दर डिपार्टमेंटल प्रमोशन्स कमेटी प्रोमोशन्स करती है और नियमों के तहत मेरिट-कम-सीनियोरिटी से प्रोमोशन्स होते हैं। इसलिए किसी अधिकारी के खिलाफ कोई........

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बैठक का समय ५ मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं निवेदन करूं कि यह कोई डिस्क्वालीफिकेशन नहीं है यदि किसी के खिलाफ एन्क्वायरी चल रही हो इसलिए उसका प्रोमोशन रोका जाय। एन्क्वायरी के रिजल्ट से पनिशमेंट होनी होगी तो पनिशमेंट दी जायगी। अगर पनिशमेंट नहीं मिलती है तो उसको प्रोमोशन से डिबार नहीं किया जा सकता।

और फिर प्रोमोशन के मामले इस तरह के हैं जिनमें कुछ डिस्सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ सुपरसीड होते हैं खराब काम की वजह से इनइफीसियेन्सी या और वजह से। उनकी शिकायतें होती हैं परन्तु इस तरह के प्रोमोशनों में शिकायतें सही नहीं हैं। फिर भी शिकायत है किसी को कि किसी आदमी को बेजा तरीके से दे दिया गया है तो आप मेरे नोटिस में वह तथ्य लाइये। मेरा सन्तोष स्वयं करने के बाद आपको सन्तोष कराने की कोशिश करूंगा। अगर किसी को गलत प्रोमोशन दिया गया है किसी और का हक मारकर दिया गया है तो उसे भी कानूनी तरीके से ठीक किया जा सकता है और वह करने का मैं जरूर वादा करता हूँ बशर्ते कि आप नोटिस में लावें ऐसे मामले। क्योंकि सर्विस में सिक्योरिटी नहीं हो, प्रोमोशन गलत तरीके से होते हैं यह धारणा किसी की बने यह मैं भी नहीं चाहता। मैं भी पसन्द नहीं करता। परन्तु मैं जहां तक खयाल करता हूं आपकी सूचना सही नहीं होगी।

मुझे दुःख हुआ जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि सब इन्सपेक्टर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में दस-दस हजार देकर बन जाते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि पिछले दो सालों से इनका इम्तिहान होता है। परचे बड़ी कड़ाई और निगरानी के साथ जैसे यूनीवर्सिटी में होता है उस प्रोसीजर से जंचते हैं। किसी को इसमें किसी तरह की शिकायत का सवाल पैदा नहीं होता। रोल नम्बर दूसरा निकाल कर कोड नम्बर लगा देते हैं जैसा यूनीवर्सिटी में करते हैं और जो कापी का टाइटल पेज है बराबर सील्ड बाक्स में रखते हैं कौनसा नम्बर किसको दिया है और किस एग्जामिनर के पास कौनसी कापी गई इसका किसी को पता नहीं चल सकता। इसमें भी अगर कहा जावे कि इस तरह की कार्यवाही होती है तो यह ठीक नहीं है। और यह न्याय भी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : झालावाड़ के लिये भी फरमाया था जुडिशियल पावर विथड़ा किये गये थे वह मामला तो आपके सामने है बहुत दिनों से।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is individual case.

श्री उपाध्यक्ष : अपन रिपोर्ट डिसकस कर रहे हैं। यह मामला इसके अन्दर नहीं है।

श्री जुझारसिंह : पर अध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जुझारसिंह : इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : इस रिपोर्ट में जो है उसके लिये बाध्य किया जा सकता है। इन्डिविजुअल केस के लिये कैसे बाध्य किया जा सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्रियों के खिलाफ जो करप्शन की शिकायतें आईं उन पर आपने क्या एक्शन लिया जो आपको रेफर की गईं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी बार जितनी शिकायतें सदन में पेश कीं वे सबकी सब गलत साबित हुईं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और मुख्य मंत्री ने स्वयं पर जो चार्ज लागाये गये उन पर क्या किया आप स्वयं भी जानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने मुख्यमंत्री की जमीन की बात कही। एडवोकेट जनरल एटार्नी जनरल सबको पूछा गया सबकी ओपिनियन आ गई कि कोई भी गलत बात नहीं की गई। फिर ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी अपने सम्बन्धियों को दी गई जमीन की बात कहते हैं। इसकी रेवेन्यू बोर्ड में अपील चल रही है इसलिए आप भी न कहें इस बारे में और मैं भी न कहूँ।

बाद में दी गई मधोक साहब ने इन्क्वायरी की थी रेवेन्यू बोर्ड में मामला चल रहा उसकी अपील।

श्री उपाध्यक्ष : आप विस्तार में जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह कह रहा था कि भ्रष्टाचार की शिकायतें मन्त्रियों के खिलाफ आई हैं। और चूंकि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था इसलिये जो वापस गवर्नमेंट को भेज दी गई हैं उनकी क्या एन्क्वायरी की गई।?

श्री दामोदरलाल व्यास : मन्त्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत विजिलेन्स कमीशन के पास आई या नहीं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि आप यहां सदन में इस तरह के आरोप समय समय पर लगाते रहे हैं और उनकी बराबर मुख्यमंत्री जांच करते रहे हैं और वे गलत साबित होती रही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इन शिकायतों के आधार पर कइयों को टिकट नहीं दिये ।

श्री दामोदर लाल व्यास : I want just five minutes only.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय पांच मिनिट के लिये और बढाया जावे ।

(स्वीकृत)

सदन का समय पांच मिनिट के लिये और बढाया गया । आप जल्दी समाप्त करिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बहुत ही महत्वपूर्ण....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मंत्री के खिलाफ किन्ही चुनावों में लाखों रुपया फोरेस्ट के घोटाले से लेने के आरोप थे उसकी शिकायत आपके पास आई । आपने उसका क्या किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास नहीं आई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप याने गवर्नमेंट ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने किसी को दी होगी । मेरे पास नहीं आई ।

देवगढ से आनेवाली माननीय सदस्या ने एतराज किया कि पंचायती राज इस्टीट्यूशन्स, पंचायत, पंचायत समिति, म्युनिसपैलिटीज और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट आदि को इसकी परव्यु से बाहर क्यों रखा गया ? तो मेरा निवेदन यह है कि इसका मकसद यह था कि जितने इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिवज हैं उनकी एन्क्वायरी वहां नहीं कराई जावे इसलिये रखा गया था । उनके खिलाफ जो केस होते हैं तो उनकी एन्क्वायरी का तरीका प्रोसीजर पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट में है । इसी तरह दूसरे तरीके हैं जिनसे अनेक खिलाफ शिकायतें होती है तो वहां कराई जाती है ।

इस बारे में हमने दूसरी स्टेटों से भी तलाश किया । कहीं कहीं ये इसकी परव्यु में भी है और कहीं नहीं भी हैं । अब हम इस पर और विचार करेंगे । माननीय सदस्या ने जैसा कहा कि आया उनको जूरिस्डिक्शन में लिया जाना चाहिये या नहीं और इस पर जो फैसला होगा, मैं सदस्यों को सूचित कर दूंगा ।

अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काफी रचनात्मक सुझाव दिये हैं और उन पर जो सदन ने निर्णय लिया वे बताये और इसके बाद में आपके और कोई सुझाव आवेंगे तो बहुत ही गम्भीरता से उन पर विचार कर के जो निर्णय लेंगे उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाना

Page No. 185

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आपका और हमारा कामन प्रॉजेक्ट है। जितना आपका इसमें हमें सहयोग मिलेगा उसका हम स्वागत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे के लिये स्थागित की की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक म. प. ६.०६ बजे मंगलवार दिनांक १८ जुलाई १९६७ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थागित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३५ का उत्तर देखिये)

राजस्थान सरकार

राजस्व (क) विभाग

संख्या :—एफ ७ (१४) रा० क०।६७ दिनांक ६-२-६७

आज्ञा

राज्य सरकार ४०० बीघा भूमि रूंध मदार रेंज शाहपुरा सब-डिविजन अलवर के खसरा नं० ८ व ७ में से उस पर खड़ी वन सम्पदा की नीलाम करने के पश्चात् ग्राम चान्दोली के भूमि हीन हरिजनों को आवंटन करने हेतु राजस्व विभाग में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

ह० शम्भूदयाल गुप्ता
उप राजस्व सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु।

१. मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर को उसके पत्र संख्या १४ ( ) ६६। विविध। मु. व. स।४३८१ दिनांक २७-१-६७ के क्रम में प्रेषित है।

२. उप वन संरक्षक, भरतपुर।

३. उप वन मंडल अधिकारी, अलवर।

४. राजस्व (ख) विभाग।

५. जिलाधीश, अलवर।

ह० नवलदत्त माथुर
अनुभागाधिकारी

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३५ का उत्तर देखिये)

राजस्थान सरकार

राजस्व (क) विभाग

विषय :—ग्राम चांदोली तहसील अलवर के भूमि-हीन हरिजनों को भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

इस विभाग के पत्र संख्या एफ ७(१४) रा० क०।६७ दिनांक ६-२-६७ द्वारा जो भूमि वन विभाग द्वारा रिलीज करने के आदेश दिये गये हैं वह उन्हीं भूमि-हीन हरिजन परिवारों को नियमानुसार दी जावे, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है।

ह० शम्भूलाल गुप्ता
उप राजस्व सचिव

राजस्व (ख) विभाग
अ० शा० टी० संख्या एफ ७(१४) रा० क०।६७
दिनांक २८-२-६७

प्रतिलिपि :—

१. जिलाधीश, अलवर।

२. निर्देशक समाज कल्याण विभाग, जयपुर को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह० रोहित नानावटी
सहायक राजस्व सचिव

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८५४ का उत्तर देखिये.)

परिशिष्ट (क)

वाड़मेर जिले में खोदे गये सफल नल कूपों की सूची और उनके पानी देने की क्षमता

क्र० सं०	नल कूप का स्थान	पानी देने की क्षमता (गैलन प्रति घण्टा)
१.	बिजार	१२,०००
२.	उन्डू	११,२५०
३.	भाडका १	११,६००
४.	बोधिया २	८,३५०
५.	महावर २	३,५००
६.	आलमसर	३,०००
७.	पनाऊ	२,५००
८.	बोथिया ३	५,७००
९.	कानासर	५,३००
१०.	भाडका २	१२,०००
११.	बोथिया १	८,०००
१२.	नीमला	१०,०००

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सफाई की व्यवस्था

८५७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या आदर्श नगर पम्पिंग स्टेशन और जनता कॉलोनी के बीच मेंटल होस्पिटल की ओर जाने वाली सड़क की एक ओर जहां ए० ७२ ए० ६२ संख्या के प्लाट हैं वहां सड़क की दूसरी ओर सैंकड़ों एकड़ खाली जमीन पड़ी हुई है ?

(२) क्या उक्त खाली जमीन पर सारे जयपुर शहर का कूड़ा करकट और मृत पशु आदि डालने की व्यवस्था है ?

(३) क्या यह सही है कि इस खाली जमीन के सामने और आस पास के प्लाटों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर इसका हानिकर प्रभाव पड़ रहा है ?

(४) यदि हां, तो खाली जमीन पर एकत्रित कूड़े कर्कट को समतल करा कर उस पर मिट्टी आदि डालने की सरकार की कोई योजना है ? और,

(५) यदि ऐसी योजना है तो उसको कब तक कार्यान्वित कर दिया जायगा ?

उत्तर

१—जी हां।

२-जी नहीं।

३—जो कचरा पड़ा है उस पर डी० डी० टी० डलवादी गई है। अतः आस पास के प्लाटों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर हानिकार प्रभाव नहीं पड़ेगा।

४—इसी क्षेत्र में जो कचरा पड़ा था वह खड्डों में डाल दिया गया है, जहां ढेरी है उसको फैलाने के आदेश दे दिये हैं तथा उस पर मिट्टी डाल दी जावेगी।

५—इस योजना को कार्यान्वित करने में करीब एक सप्ताह लग जावेगा।

ग्राम पंचायत रटलाई का चार्ज

८६०. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई (जिला झालावाड़) का चार्ज नव निर्वाचित सरपंच को भूतपूर्व सरपंच द्वारा नहीं संभलाया गया ? यदि हां तो क्या कारण है ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(२) क्या यह सही है कि मौजूदा सरपंच द्वारा इसके लिए मंत्री महोदय व उच्च अधिकारियों को काफी निवेदन किया गया? यदि हां तो कब २ ?

(३) क्या यह सही है कि मौजूदा सरपंच द्वारा निवेदन किया क्या है कि भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत का पुराना रेकार्ड, रोकड़ रजिस्टर आदि देने से इन्कार किया है या नहीं होना बताया है ?

(४) इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां। भूतपूर्व सरपंच चार्ज देना जान-बूझ कर टाल रहा है।

(२) जी हां। दिनांक १४-३-६५ को।

(३) जी हां। शिकायत रेकर्ड नहीं होने की की गई।

(४) दण्ड नायक झालावाड़ के न्यायालय में इस्तगासा किया गया है।

राजस्थान की नगरपालिकाओं में सेक्रेटरीज

८६१. **श्री रावतराम** (छापर सु.): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान में कुल कितनी नगरपालिकाएं हैं, श्रेणी वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार की यह नीति है कि जिस श्रेणी की नगरपालिका है उसमें उसी श्रेणी का ई. ओ. व सेक्रेटरी लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या इसका पूरा पालन होता है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार छोटी श्रेणी की नगरपालिकाओं में बड़ी श्रेणी की नगरपालिओं के सेक्रेटरी का तबादला कर देती है जिससे उन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

(४) राजस्थान में कितनी ऐसी नगरपालिकाएं हैं जहां बड़ी श्रेणी की नगरपालिकाओं के सेक्रेट्रीज़ लगा रखे हैं ? ऐसी नगरपालिकाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल १४१ नगरपालिकाएं है श्रेणी वार सूची सदन की मेज पर रखा दी गई है।

(२) जी हां। यथा संभव जिस श्रेणी के ई० ओ० व सेक्रेटरी को उसी श्रेणी की नगरपालिका में लगाया जाता है। कतिपय प्रशासनिक कारणों से इसमें अपवाद भी हो सकते हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(३) उपरोक्त नं० २ के अनुसार प्रशासनिक कारणों से यह संभव है।

(४) ऐसी नगरपालिकाऐं पांच है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन की उपज की कीमत का अनुपात

८६५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

एक हजार जन-संख्या की आबादी के हिसाब से वन उपज की कीमत राजस्थान में कितनी है और अखिल भारतीय अनुपात इस सम्बन्ध में क्या है ?

उत्तर

राजस्थान में १००० की आबादी पर १७३ हैक्टेयर वन है जब की अखिल भारतीय अनुपात १६१ हेक्टेयर है। कीमत की सांख्यकि उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के विरुद्ध पंच निर्णय का मामला

८६६. **श्री मोतीलाल** (रैवदर सु.) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या १-१०-१९६३ को राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के विरुद्ध पंच निर्णय हेतु, रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, जयपुर को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। यदि हां तो प्रार्थना-पत्र किसका प्रस्तुत हुआ था ?

(२) अब तक इस विषय पर निर्णय लेने की क्या क्या कार्यवाही हुई ?

(३) अब इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(४) पंच निर्णय का निपटारा रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के मई १९६५ के अनुसार ? माह में हो जाना चाहिए था, फिर अब तक इस पर क्यों नहीं निर्णय लिया गया ?

(५) इस विषय में निपटारा करने के विलम्ब के लिए कौन दोषी है, और दोषी के विरुद्ध रजिस्ट्रार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य बुककर संघ के विरुद्ध, रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, जयपुर को श्री चिन्तामणी ने दिनांक १-१०-६३ को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

(२) इस निर्णय हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर २८-२-६४ को अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने निर्वाचन मण्डल की नियुक्ति का नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों द्वारा अपने२ प्रतिनिधी नियुक्त होने पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने २१-५-६४ को निर्वाचन मण्डल की नियुक्ति की। इस मामले की सुनवाई के लिये निम्न तिथियां नियुक्त हुई:—

(सहकारी मंत्री)

११-६-६४, १०-७-६४, २७-७-६४, १८-८-६४, १४-९-६४, २०-१०-६४, २३-११-६४, २५-१-६५, २२-२-६५, २७-२-६५ ।

दिनांक २७-२-६५ को संघ के प्रतिनिधी के सदैव अनुपस्थित रहने पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने एक सदस्यीय पंच द्वारा निर्णय देने का सुझाव दिया तथा रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ने स्वयं यह मामला फैसला करने का निश्चय किया। तत्पश्चात् १०-५-६५, ७-६-६५, १५-७-६५, १४-९-६५, ३०-९-६५, २-१०-६५ और २५-१२-६५ को पेशियां निश्चित हुई ।

(३) इस पर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय लेने की कार्यवाही की जा रही है ।

(४) मई, १९६५ में इस मामले का निपटारा २ माह में करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था ।

(५) देरी का कारण यह हुआ कि संबंधित फाईल अन्य फाइलों में मखलूत हो गई थीं जो अब दस्तयाव होकर आगे कार्यवाही की जावेगी ।

अलवर से महिला कल्याण केन्द्र का स्थानान्तर

८६७. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर के दो महिला कल्याण केन्द्रों में से एक का किस अन्य जिले में तबादला कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि जिले के अधिकारियों को कल्याण केन्द्र के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं थी और न उन्होंने स्थानान्तर की कोई रिपोर्ट की ?

(३) क्या यह महिला कल्याण केन्द्र हरिजन मोहल्ले में कार्य कर रहा था और उसके हटाये जाने से उनको बहुत असुविधा हो रही है ?

(४) क्या सरकार इस कल्याण केन्द्र को वापिस अलवर स्थानान्तर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१) जी हां । समाज कल्याण अधिकारी के सुझाव पर केन्द्र का स्थानान्तर अलवर से धौलपुर किया गया था ।

२) जी यह सही नहीं है ।

३) ऐसी कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई ।

४) पुनर्विचार किया जा सकता है ।

स्थगित प्रश्न

(१०-७-६७)

उदयपुर से बम्बोरा एवं भींडर से सलूम्बर सड़क निर्माण कार्य

७१६. **श्री रोशनलाल शर्मा** (सलू-

(श्री रोशनलाल)

म्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर से बम्बोरा एवं भींडर से सलूम्बर रोड प्रथम योजना में थी ?

(२) इन दोनों सड़कों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया खर्च हुआ ? अलग अलग आंकड़े देने की कृपा करें ?

(३) तीसरी योजना में उक्त दोनों सड़कों पर रुपया क्यों नहीं खर्च किया गया ?

(४) चौथी योजना में वर्ष ६७-६८ में इन सड़कों के लिए रुपया क्यों नहीं रखा ? कारण बताने की कृपा करें ?

(५) इन सड़कों पर कितना कार्य हुआ है व यह सड़कें कब तक सम्पूर्ण हो जावेंगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) तीसरी योजना में यह सड़क स्वीकृत नहीं थी।

(४) इन सड़कों की स्वीकृति नहीं हुई है।

(५) भींडर से बम्बोरा सड़क पर २० मील व सलूम्बर से बम्बोरा सड़क पर ६ मील में अकाल सहायता प्रोग्राम के तहत मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५६७ का उत्तर देखिए)

वर्ष	(धन राशि खर्च, पूजी लाखों में)	मुनाफा (लाखों में)
१६५६—६०	१४	१-६६ (शुद्ध)
१६६०—६१	८७	४-६३ ,,
१६६१—६२	१०२	(—) ०-१२ ,,
१६६२—६३	१०२	२५-२४ ,,
१६६३—६४	१६८	२२-२० ,,
१६६४—६५	२०३-४३	१५-१४ (अनुमानित)
१६६५—६६	२५०	(—) ५-६८ ,,
१६६६-६७	२५०	(—) १५-३६ ,,

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५८० का उत्तर देखिये)

वन विभाग के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त हैं।

क. सं.	नाम अधिकारी	होम डिस्ट्रिक्ट	नियुक्ति स्थान एवं पद	तिथि जब से नियुक्त
१.	श्री नन्दन भार्गव	कोटा	परियोजना अधिकारी, कोटा।	११.११.६३
२.	श्री महेन्द्र प्रकाश माथुर	जयपुर	वन संरक्षक, वर्किंग प्लान सर्किल, जयपुर।	१३.८.६३
३.	श्री पी० एस० श्रीवास्तव	कोटा	उप-वन संरक्षक, चम्बल प्रोजेक्ट, जावरा, कोटा।	२४.६.६७
४.	श्री ओमप्रकाश पारीक	जयपुर	उप-वन संरक्षक आर्थिक वृक्षारोपण जयपुर।	२२.६.६७
५.	श्री अमृतलाल सांखला	उदयपुर	उप-वन संरक्षक, उदयपुर।	२४.६.६७
६.	श्री अरविन्द बिहारी	जयपुर	उप-वन संरक्षक, जयपुर	१५.१०.६६
७.	श्री आर० एस० भण्डारी	जयपुर	उप-वन संरक्षक, मृदा संरक्षण, जयपुर।	२३.६.६७

१	२	३	४	५
८.	श्री रामचन्द्र शर्मा	भरतपुर	सहायक वन संरक्षक, भरतपुर ।	२४.७.६७
६.	श्री एन० के० माथुर	जोधपुर	सहायक वन संरक्षक, जोधपुर ।	११.११.६६

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ का उत्तर देखिये)

क्र.	अनुदान का ब्यौरा	राशि	देने का प्रयोजन	खर्च करने का प्रयोजन
	सहायता सन् १९६३-६४।			
१.	वार्षिक अनुदान	११,६१३-००	जनरल परपज में व्यय हेतु।	जनरल परपज में व्यय किया।
२.	मनोरंजन कर	२,०२३-००	जनरल परपज में व्यय हेतु।	जनरल परपज में व्यय किया।
३.	व्हील बैरोज खरीदने	३००-००	व्हील बैरोज खरीदने हेतु।	व्हील बैरोज खरीदे गये।
४.	एडहाक इन्क्रीज	५,२८०-००	कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में व्यय।	कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में व्यय किये।
	सहायता सन् १९६४-६५।			
१.	सड़क-निर्माण	१,०००-००	सड़क-निर्माण हेतु।	सड़क-निर्माण में व्यय।
२.	वार्षिक अनुदान	११,६१२-००	जनरल परपज में व्यय।	जनरल परपज में व्यय।
३.	एडहाक मंहगाई	२,७३६-००	कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में व्यय हेतु।	कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में व्यय किया।
४.	मनोरंजन कर	२,०२१-००	जनरल परपज हेतु।	जनरल परपज में व्यय।

१	२	३	४	५
	सहायता सन् १९६५–६६।			
१.	वार्षिक अनुदान	११,९१२-००	जनरल परपज में व्यय हेतु।	जनरल परपज में व्यय किया गया।
२.	मनोरंजन कर	२,०२१-००	जनरल परपज हेतु।	जनरल परपज में व्यय।
३.	एडहॉक मंहगाई	१५१२-००	कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में व्यय हेतु।	कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में व्यय किया।
	सहायता सन् १९६६–६७।			
१.	वार्षिक अनुदान	११,९१२-००	जनरल परपज व्यय हेतु।	जनरल परपज में व्यय।
२.	मनोरंजन कर	२,०२१-००	जनरल परपज व्यय हेतु।	जनरल परपज में व्यय।
३.	सड़क-निर्माण	१०,०००-००	सड़क-निर्माण कार्य व्यय।	सड़क-निर्माण कार्य में व्यय।
	ऋण सन् १९६६–६७।			
१.	पालिका भवन निर्माण	५०,०००-००	पालिका भवन निर्माण व्यय हेतु।	—

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५९२ का उत्तर देखिये)

नाम समिति	पं० स०
१—पाली वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०, पाली ।	नगरपालिका पाली ।
२—आदर्श वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि०, रायपुर ।	रायपुर पं० स०
३—सुमेरपुर हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि० ।	सुमेरपुर ।
४—कोली बाड़ा उत्पादक सहकारी समिति लि० ।	सुमेरपुर ।

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति सिवाना को वर्ष १९६५-६६ व १९६६-६७ में दिये गये अनुदान का विवरण।

मद	अनुदान की राशि १९६५-६६	जो हस्तांतरित की गई १९६६-६७
	सूची (१)	
३७-सी० डी० पी० बी० एन० ई० एस० (नॉन प्लान)	१,०८,०००	१,३८,०००
७१—विविध		
(१) फ्री फण्ड	—	९००
(१) प्रधान को भत्ता	१,६००	२,४००
७६—विविध		
कॉन्ट्रीब्यूशन एण्ड असाइनमेन्ट शेयर इन लैंड रेवेन्यू	१६,२००	१६,२००
	सूची (२)	
शिक्षा	८१,६३६	२,७४,९७३
स्वास्थ्य	५,३५६	२,५००

कृषि	२,६३३	१,१८०
पशुपालन	५,५५३	५,०१६
सहकारिता	२४,८४०	५,०६०
समाज कल्याण	४,७१०	—
सार्वजनिक निर्माण	३२४	—
अकाल सहायता	—	१५६

परिशिष्ट १०

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७०५ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा दिनांक १-१२-६६ से १५-२-६७ तक विभिन्न मदों में किये गये खर्च का विवरण

क्र०	पंचायत का नाम	कृषि	पशुपालन	जलप्रवाह	शिक्षा	निजि आय	समाज शिक्षा	समाज-कल्याण	योग
१.	सानिया	—	—	—	—	—	—	१००)	१००)
२.	खाट्ट	—	—	—	४००)	६००)	—	—	१,०००)
३.	तोसीना	—	—	६००)	५००)	—	—	—	१,१००)
४.	वेगसर	—	५०)	—	—	—	—	—	५०)
५.	लादड़िया	—	४५०)	१,०००)	६१२)	—	—	—	२०६२)
६.	सूपका	—	—	५००)	—	—	—	—	५००)
७.	बरागंना	—	३००)	—	—	—	—	—	३००)
८.	मंडूकरा	—	—	—	—	—	२४१)६२	—	२४१)६२
९.	कोलिया	—	—	—	—	१,२५०)	—	—	१,२५०)
१०.	धनकोली	—	—	८००)	—	--	—	—	८००)

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
११.	ग्रांगूता	—	—	१,१००)	—	—	—	—	१,१००)
१२.	बांसा	—	—	५००)	—	—	—	—	५००)
१३.	बिंचावा	—	—	—	५००)	—	—	—	५००)
१४.	चोलुखां	—	—	४००)	—	—	—	—	४००)
१५.	कलवानी	—	—	१००)	—	—	—	—	१००)
	योग :—	—	८००)	५,०००)	२,०१२)	१,८५०)	२४१)६२	१००)	१०,००३)६२

Page No. 204

परिशिष्ट ११

(**कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७०१ का उत्तर देखिये**)

पंचायत समिति चिड़ावा में वर्ष १९६७—६८ में विभिन्न मदों में अधिक खर्च हुई धन राशि की सूची

क्रमांक	मद	राशि
१.	कृषि	४८,८२७.६४
२.	पशुपालन	५.७१६.५६
३.	समाज कल्याण	१०,६१८.३१
४.	स्थानीय विकास कार्य	४५८.२५
५.	रेवेन्यू तकावी	११,८५०.००

शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१०	६	प्रश्न संख्या ८२३	प्रश्न संख्या ८२३
१३	१५	२– –६६	२–८–६६
१४	८	नार यणसिंह	नारायणसिंह
१५	शीर्ष	जुकाई	जुलाई
१६	अंतिम से ११	पसरम मदेणा	परसराम मदेरणा
१७	,, ८	सटिपिकेट	सर्टीफिकेट
२३	५	महो य	महोदय
२४	अंतिम से ४	केशरीसिंह	केसरीसिंह
३४	१०	अयक्ष	अध्यक्ष
३६	१३	नारायणसिं	नारायणसिंह
४३	शीर्षक	(श्री भगवागदास	(श्री भगवानदास
४४	,,	शस्त्री	शास्त्री
५१	४	विरधीचन्द	वृद्धिचन्द्र जैन
६५	११	श्रवणल ल	श्रवणलाल
७२	११	मरवाड़	मारवाड़
७७	११	ा िर्माण	निर्माण
७६	१४	थर्ष	वर्ष
८६	अंतिम से १३	जनाव	चुनाव
६६	अंतिम से ८	व मीठर	व मीटर
६८	अंतिम से ६	मनिति	समिति
१०२	६	फोजीकल	फिजीकल
१०२	८	कीई	कोई
१०३	१२	स्पेशीफिकेशक	स्पेसिफिकेशन
१०७	अंतिम से ४	कोट	कीट

१	२	३	४
१०७	५	व्यापि	व्याधि
१०८	१०	का	को
११६	अंतिम मे ६	अनुवाद	अनुदान
११८	,, ,,	६०	६६०
१२१	,, १०	डडीवाना	डीडवाना
१२७	शीर्ष	१२ जुलाई	७ जुलाई
१२९	६	(कुनया	कृपया
१२९	१२	कौग सी	कौनसी
१३१	३	अरिक्त	अतिरिक्त
१४३	६	———	श्री अध्यक्ष
१४३	अंतिम से ४	प्रस्ताव	प्रस्ताव
१४३	५	टानीवाल	तानीवाल
१४४	४	स्पस्टीकरण	स्पष्टीकरण
१४४	अंतिम से ३	केशरीसिंह	केसरीसिंह
१४४	३	चुकि	चुकी
१४५	१७	सुग्रालाल	सुग्रालाल
१४५	अंतिम से १	हाने	होने
१४५	८	लम्बकीय	लम्बनीय
१४५	६	शूचना	सूचना
१४६	४	शिघ्र	शीघ्र
१४६	१३	अवलम्घ	अविलम्ब
१४६	१५	स्थिगित	स्थगित
१४६	अंतिम से १	बटैनरी	बवैनरी
१४६	,, ६	अव्ववस्था	अव्यवस्था
१४६	,, ११	हजारीराम	हरजीराम
१४७	६	चकित्सा	चिकित्सा
१४७	अंतिम से २	केशरी	केसरी
१४८	४, ११, १७	,,	,,
१४८	अंतिम से ८	मंत्री जा वक्तव्य	मंत्री का वक्तव्य

१	२	३	४
१४६	१	मुख्म	मुख्य
१४६	४	धोरे	धीरे
१४६	११	समी	सभी
१४६	अंतिम से ३	व्मक्तिगत	व्यक्तिगत
१५०	२	महोयद	महोदय
१५०	६	डाज्यो	राज्यों
१५०	१४	लामा	गया
१५०	७, १५, १६, २३, २६	प्रीवीपर्स	प्रिवीपर्स
१५१	२	मे	में
१५१	८	अग्रपाल	अग्रवाल
१५१	१२	प्रिपी	प्रिवी
१५२	१	आहकी	आपकी
१५२	७	वक्व्मन ही	वक्तव्य नहीं
१५२	१०	निचर	विचार
१५४	१	यहोदय	महोदय
१५५	अंतिम से ४	सम्दन्ध	सम्बन्ध
१५५	१४	मींटिन	मीटिंग
१५६	१३	दुर्भबान पूर्ण	दुर्भावनापूर्ण
१५६	१७	उदाहर	उदाहरण
१५६	१८	उत्तरदाबित्व	उत्तरदायित्व
१५७	शीर्षक	महरायल	महारावल
१५७	११	करेंने	करेंगे
१५७	२३	रप	पर
१६०	अंतिम से २	नैसा	नेता
१६०	,, ३	मुस्ब	मुख्य
१६१	१	मोहनलाम	मोहनलाल
१६१	अंतिम से ८	अग्रवल	अग्रवाल
१६२	अंतिम से ३	है	हैं
१६४	१६	stato	state
१६६	२०	अराजपजिन	अराजपत्रित
१७७	८	मार्गे	भागे
१७८	२०	ट्रिनेब्यूनल	ट्रिब्यूनल
१८७	१५	बनाता	बनता

Page No. 208

१	२	३	४
२०१	४	कर गुजारी	कारगुजारी
२०२	अंतिम से १	शक्ति	शक्ति समान्न
२०५	शीर्षक	(श्री (	(श्री अमीनुद्दीन)
२०७	१८	लिया	लिये
२१३	अंतिम से ८	आप	आप
२१८	१८	इनता	इतना
२१८	२२	इल्जाम	इल्जाम
२१८	अन्तिम से १	सरका	सरकार
२१९	६	हमा ो	हमारी
२१९	१२	हगा	होगा
२२०	१८	जानकीरी	जानकारी
२२४	१०	अप	आप
२२५	८	Aqreed	Agreed
२२६	७	उस	उस पर
२२९	२	लूंग	लूंगा
२२९	३	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२३०	३	ि राकरण	निराकरण
२३०	अन्तिम से ८	membrrs	members
२३१	१	forwaad	forward
२३१	४	coneerned	concerned
२३१	१४	पार्लिनमेंटरी	पार्लियामेंटरी
२३२	१५	निगमों	नियमों
२३३	अंतिम से ५	में यदि	में
२३८	अंतिम से १०	मिलो	मिली
२३८	अंतिम से ८	द्रतिशत	प्रतिशत
२३९	७	सद्दी	सही
२५३	अंतिम से ७	खायियाजा	खामियाजा
२५८	६	ख्यल	ख्याल
२५८	७	इष्टवेस्टमेन्ट	इन्वेस्टमेन्ट
२५८	१०	अयोग	आयोग
२५९	शीर्षक	(महाराथल	(महारावल

१	२	३	४
२५६	अंतिम से २	निंवेदन	निवेदन है
२६०	११	रूप	रूप
२६०	१८	डिपटमेंट	डिपार्टमेन्ट
२६१	१	मतल	मतलब
२६२	६	निवरण	निबारण
२६२	अंतिम से ६	रूपल	ख्याल
२७०	११	वुर्दी	बिरदी
२७३	शीर्ष	१२	१७
२७३	८	कमीशग	कमीशन
२७६	१२	एन्ववायरी	एन्क्वायरी
२६४	७	कुछ	कुछ
३०६	१	इलके	इलाके
३१६	अंतिम से १०	कीशिश	कोशिश
३२०	अंतिम से ३	जहते	कहते
३३६	११	बस	बहस
३५७	अंतिम से ३	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
३५६	२२	प्रोसक्यूशन	प्रोसीक्यूशन
३५६	२६	अयोग	प्रायोग
३६०	१	डिपार्टमेंल	डिपार्टमेन्ट
३७४	अंतिम से १	कार्यबिन्त	कार्यान्वित